गुरुवार, 23 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(14 मार्च, 2013 ई0)

खण्ड-484
अंक-08

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

आज की कार्य-सूची के नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या-2 पर नेता विरोधी दल द्वारा अनुपूरक प्रश्न किये जाने के मध्य ही 11 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुए।

आज की कार्य-सूची के नत्थी (क) का तारांकित प्रश्न संख्या-3 श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य की रुचि पर लिया गया। इसके पूर्व ही 11 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

आज नियम-301 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिनमें से निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं :-

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री ललितेशपति त्रिपाठी	प्रदेश की बियार जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्रीमती माधुरी वर्मा	जनपद बहराइच के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नानपारा में महिला चिकित्सक एवं सर्जन की तैनाती के सम्बन्ध में।
3	डा0 अरूण कुमार	बरेली महानगर में आई0बी0आर0आई0 गेट से बेलापीर मंडी समिति के निकट 100 फुटा रोड के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4	श्री लोकेन्द्र सिंह	जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में चल रही अवैध पशु प्रसंस्करण इकाइयों को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री अनीसुर्रहमान	जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

6	श्री रामवीर उपाध्याय	जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ की कतिपय जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री चन्द्रभान सिंह पटेल	जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में औझर से लपॉव के मध्य सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
8	श्रीमती राजमती निषाद	जनपद गोरखपुर के पिपराइच में स्थित उ0प्र0 राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित बन्द पड़ी शुगर मिल को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री धर्मराज सिंह यादव	जिला पंचायत बाराबंकी से सम्बद्ध किये गये राजस्व निरीक्षक की सम्बद्धता निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्रीमती नन्दिता शुक्ला	जनपद गोण्डा में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए आरक्षी की प्रथम पत्नी को गुजारा भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री राम मगन रावत	जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ में श्री टीकाराम बाबा के पास गोमती नदी पर पीपे का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में।
12	साध्वी निरंजन ज्योति	जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा के अन्तर्गत एक भी हाई स्कूल एवं इंटर कालेज न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
13	श्री शारदा प्रताप शुक्ला	800 के0वी0ए0 अनपरा ई0सी0 सोन तथा गंगा नदी लाईन क्रासिंग के निर्माण में अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितता के सम्बन्ध में।
14	श्री राजबली जैसल	पाल बिरादरी के उत्थान एवं विकास हेतु कार्यालय, मुख्य तकनीकी अधिकारी भेड़ एवं ऊन, इलाहाबाद में तकनीकी अधिकारी के पद को बरकरार रखने के सम्बन्ध में।
15	श्री रामहेत भारती	जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव में बनियानी के पूरब डामर सड़क से मलिहाबाद पकरिया सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में।

आज नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की मात्र एक सूचना प्राप्त हुई, जो अग्राह्य हुई।

प्रथम सत्र, 2013 के चतुर्थ बुधवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 150 का उत्तर सत्य से परे एवं भ्रामक दिये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव के औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य करते हुए कहा कि शासन का उत्तर यदि भ्रामक है तो नियम 167-168 में दे सकते हैं।

सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2012-2013) ने उक्त समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो पोषाहार निर्माता इकाई हेल्थ केयर एनर्जी फूड प्रा0लि0, बदलापुर, जौनपुर के स्थलीय निरीक्षण तथा जनपद वाराणसी एवं जौनपुर में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2012-2013) ने उक्त समिति का पांचवा प्रतिवेदन, जो जनपद गौतमबुद्ध नगर एवं मथुरा स्थित पोषाहार निर्माता इकाइयों के स्थलीय निरीक्षण तथा मेरठ एवं आगरा मण्डल के महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

आज नियम-56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो अग्राह्य हुईं।

नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की भतीजी कु0 ललिता बोस द्वारा दायर रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्ड पीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 31-01-2013 को पारित आदेशों के अनुपालन में फैजाबाद निवासी रहे गुमनामी बाबा उर्फ भगवन जी के सम्बन्ध में आयोग का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री अखिलेश सिंह ने विचार व्यक्त करते हुये नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु की सूचना को चिन्ताजनक बताया। उन्होंने मातृभूमि का कर्ज सभी पर बताते हुये कहा इस सम्बन्ध में पूरे सदन द्वारा आयोग के गठन की मांग की जानी चाहिये। श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने भी विचार व्यक्त किये। नेता विरोधी दल ने भी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय की अपेक्षानुसार आयोग का गठन करके गुमनामी बाबा के रिकार्ड की जांच करके संग्रहालय में सुरक्षित किया जाना चाहिए। श्री हुकुम सिंह तथा श्री प्रदीप माथुर ने भी विचार व्यक्त किये। राजस्व मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुये उच्च न्यायालय की सूचना को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि श्री अध्यक्ष द्वारा यदि इस पर चर्चा कराई जाती है तो उस पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। श्री अध्यक्ष ने इस पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार करते हुए सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद मथुरा में दिनांक 12-3-2013 को मथुरा वृन्दावन मार्ग पर टैम्पो में सवार 11 लोगों की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री प्रदीप माथुर ने विचार व्यक्त करते हुए मृतक परिवारों को उचित मुआवजा दिये जाने की मांग की। श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद लखीमपुर के थाना धौरहरा में दिनांक 13-03-2013 को 8 वर्षीय मोनू की गोली मारकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या ने विचार व्यक्त करते हुए प्रकरण पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग की। राजस्व मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा इसे दिखवा लेंगे। सूचना अग्राह्य हुई।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से निम्नलिखित अनुदानों पर मांगों के प्रस्ताव प्रस्तुत किये :-

(1) 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 41,13,85,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(2) 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,92,44,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(3) 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 25,82,64,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के भाषण के मध्य 1 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठाता प्रो0 शिवाकान्त ओझा पीठासीन हुए।

श्री मनीष असीजा ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या 32, 36 एवं 35 के अधीन मांगी गई धनराशियां घटाकर एक-एक रुपया कर दी जायं। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

निम्नलिखित मंत्रियों/सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री नितिन अग्रवाल)

श्री रोशन लाल वर्मा,

श्री सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी,

श्री सुदेश शर्मा तथा

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल के भाषण के मध्य ही 02 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री अनूप कुमार गुप्ता,

श्री अजय कुमार 'लल्लू',

श्री अनूप सण्डा,

श्री उमाशंकर,

श्री माइकल चन्द्रा,

साध्वी निरंजन ज्योति,

श्री देवेन्द्र अग्रवाल,

कुंवर कौशल सिंह तथा

श्री राजबली जैसल।

श्री राजबली जैसल द्वारा अपने भाषण में प्रयुक्त 'सैफई' शब्द को कार्यवाही से निकाले जाने के राजस्व मंत्री के अनुरोध पर श्री अध्यक्ष ने सहमति व्यक्त की।

डा0 मो0 अयूब एवं श्री उपेन्द्र तिवारी ने भी चर्चा में भाग लिया।

श्री उपेन्द्र तिवारी द्वारा श्री अध्यक्ष के अनुरोध के बावजूद अपना भाषण जारी रखने पर उन्होंने उसे न लिखे जाने के निर्देश दिये।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी) ने भी चर्चा में भाग लिया।

श्री मनीष असीजा ने उत्तर भाषण दिया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया तदुपरान्त श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या-32, 36 एव 35 के अधीन मांगी गई धनराशियां पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

श्री अध्यक्ष ने राजस्व मंत्री के अनुरोध पर श्रम विभाग की अनुदान की मांगें प्रस्तुत करने की अनुमति दी। तदुपरान्त राजस्व मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से निम्नलिखित अनुदानों पर मांगों का प्रस्ताव प्रस्तुत किये :-

(1) 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,44,27,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(2) 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 8,45,63,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

डा0 मो0 अयूब ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-76 एवं 77 के अधीन मांगी गई धनराशियाँ घटाकर एक-एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया,

श्री सतीश महाना,

श्री सुदेश शर्मा तथा

श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'।

राजस्व मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री सुदेश शर्मा, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री सतीश महाना तथा डा0 मो0 अयूब ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया। तदुपरान्त डा0 मो0 अयूब द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या-76 एवं 77 के अधीन मांगी गई धनराशियां पूर्णरूप से स्वीकृत हुई।

राजस्व मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से निम्नलिखित अनुदानों पर मांगों के प्रस्ताव प्रस्तुत किये :-

(1) 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 23,46,72,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(2) 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,69,33,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(3) 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,56,72,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

डा0 अरुण कुमार ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-31 के अधीन मांगी गई धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अगयश राम सरन वर्मा ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-33 के अधीन मांगी गई धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अगयश राम सरन वर्मा के कटौती भाषण के मध्य 05 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुए।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-34 के अधीन मांगी गई धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया के कटौती भाषण के मध्य ही 05 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

प्रो0 शिवाकान्त ओझा,

श्री नदीम जावेद,

डा0 संग्राम यादव,

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी,

श्री राधेश्याम सिंह,

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य,

श्रीमती रूबी प्रसाद,

श्री रविन्द्र भड़ाना,

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल,

डा0 मो0 अयूब तथा

श्री राजेश त्रिपाठी।

राजस्व मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त डा0 अरूण कुमार, श्री अगयश राम सरन वर्मा तथा श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या-31, 33 तथा 34 के अधीन मांगी गई धनराशियां पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

राजस्व मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 78,44,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री जय प्रकाश निषाद ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-17 के अधीन मांगी गई धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी) तथा श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद ने भी चर्चा में भाग लिया।

राजस्व मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या-17 के अधीन मांगी गई धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 53 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

क्रम संख्या	नाम	विषय
1	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद प्रशासन द्वारा सराय एक्ट 1887 के अनुसार गेस्ट हाउसों के निरस्तीकरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2	श्री धर्मपाल सिंह	बरेली के कस्बा सिरौली में टाऊन एरिया द्वारा पशु वधशाला खोले जाने के प्रस्ताव को निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	श्री रोशन लाल वर्मा	लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 अन्तर्गत विधान भवन, राजभवन, बापूभवन, एनेक्सी भवन में लगभग 30 वर्षों से सिविल एवं विद्युत अनुरक्षण में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित मानते हुए उनके जी0पी0एफ0 की कटौती व अन्य लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री सुरेश राणा	जनपद शामली के नगर पंचायत जलालाबाद में ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के मानक में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री चन्द्र भान सिंह पटेल	जनपद चित्रकूट के पी0डब्लू0डी0 के चार्ज डिवीजन सी0डी0-1 में अधिशाषी अभियन्ता की तत्काल तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में।

4	श्री गजराज सिंह	जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के कस्बा बभनान से चांदारत्ती गांव से होकर ग्राम भेलखा एवं भिरवा से होकर आगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में मिलने वाली सड़क पर खड़न्जा एवं डामर/आर0सी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)	जनपद वाराणसी के चोलापुर के अजगरा से दिनांक 10 मार्च, 2013 तथा नगर के डाफी बाई पास से दिनांक 11 मार्च, 2013 को वध हेतु ले जाये जा रहे क्रमशः 37 तथा 125 मवेशी तस्करों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	श्री राधेलाल रावत	जनपद-बाराबंकी की तहसील-फतेहपुर के ग्राम-पिपरसण्ड में अनियमित पट्टों को निरस्त करके मूल पट्टाधारकों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
2	साध्वी निरंजन ज्योति	जनपद-हमीरपुर के राजकीय महिला इण्टर कालेज, सिसोलर में अध्यापकों की नियुक्तियां न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3	श्री आलम बदी	प्रदेश में सरकारी अभिलेखों में कब्रिस्तान के बजाय मुस्लिम कब्रिस्तान अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।
4	सुश्री सावित्रीबाई फूले	जनपद-बहराइच के बलहा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-पंचायत दौलतपुर के ग्राम-टेढ़ी का सीमांकन कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री शारदा प्रताप शुक्ला	लखनऊ शहर में नगर निगम (मार्ग प्रकाश विभाग) के स्थानीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण स्ट्रीट लाइट न जलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6	श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य	जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में स्थित 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्रों कमालपुर, कोखराज एवं घटमापुर की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में।

7	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया	लखीमपुर खीरी अन्तर्गत ऐरा गन्ना विकास समिति में चीनी मिल प्रबन्धन द्वारा कलेण्डर के अनुसार किसानों को पर्ची उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
8	श्री रामवीर उपाध्याय	सिकन्दराराऊ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत हाथरस के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री राजेन्द्र	आगरा विश्वविद्यालय अधिकार क्षेत्र के अधीन विभिन्न जनपदों में स्थित महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

जनपद गाजियाबाद में मानकों की अनदेखी कर संतोष यूनिवर्सिटी तथा संतोष मेडिकल एवं डेन्टल कालेज को चलाये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य मा0 मंत्री के लिखित अनुरोध पर स्थगित किया गया।

जनपद रायबरेली में पत्रकारों के ऊपर पंजीकृत मुकदमें वापस लिये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश कुमार सिंह द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने उत्तर से असन्तुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया। नेता विरोधी दल ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

अवैध ड्राइविंग स्कूलों द्वारा परिसंकटमय एवं खतरनाक वाहन चालकों को दिये जा रहे प्रशिक्षण पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत परिवहन मंत्री का वक्तव्य मा0 सदस्य की अनुपस्थिति पर व्यपगत हुआ।

जनपद लखनऊ के परगना बिजनौर के ग्राम सेवई में गाटा संख्या-786 व 796 को बंजर भूमि घोषित किये जाने की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का वक्तव्य मा0 मंत्री के लिखित अनुरोध पर स्थगित किया गया।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर अन्तर्गत दि किसान सहकारी चीनी मिल्स द्वारा कर्मचारियों एवं मजदूरों के बकाये धनराशि को दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री शाहआलम उर्फ गुड्डू जमाली द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में टी0एस0आई0 की यातायात पुलिस में नियुक्ति न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य मा0 मंत्री के लिखित अनुरोध पर स्थगित किया गया।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में यातायात/परिवहन विभाग के नियमों एवं व्यवस्था का उल्लंघन कर अतिभारित वाहन मार्गों पर पाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अगयश रामसरन वर्मा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य मा0 सदस्य की अनुपस्थिति पर व्यपगत हुआ।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के टाउन एरिया केमरी में चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य मा0 सदस्य की अनुपस्थिति पर व्यपगत हुआ।

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की विभिन्न जनपदों में स्थित कार्यशालाओं द्वारा निगम के वाहनों में डीजल भराने की नीति व सुसंगत नियमों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य द्वारा वक्तव्य को भ्रामक बताते हुए आपत्ति व्यक्त किये जाने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि इसे नियमों के अन्तर्गत लिखकर दें।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन अपराह्न 07 बजकर 30 मिनट पर सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2013 को दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

खण्ड–484, अंक–8
गुरुवार, 23 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(14 मार्च, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2013)

(खण्ड 484 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-39
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	39-40
प्रदेश की बियार जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	40-41
जनपद बहराइच के नानपारा विधान सभा क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	41
बरेली महानगर में आई0बी0आर0आई0 गेट से बेलापीर मण्डी समिति के निकट 100 फुटा रोड के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	41-42
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में चल रही अवैध पशु प्रसंस्करण इकाइयों को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	42
जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42-43
जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ की कतिपय जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	43
जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में औझर से लयांव के मध्य सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	44
जनपद गोरखपुर के पिपराइच में स्थित उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित बन्द पड़ी शुगर मिल को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	44
जिला पंचायत बाराबंकी से सम्बद्ध किये गये राजस्व निरीक्षक की सम्बद्धता निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	44-45
जनपद गोण्डा में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए आरक्षी की प्रथम पत्नी को गुजारा भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	45
जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ में श्री टीकाराम बाबा के पास गोमती नदी पर पीपे का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा के अन्तर्गत एक भी हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46
800 के0वी0ए0 अनपरा ई0सी0 सोन तथा गंगा नदी लाइन क्रासिंग के निर्माण में अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46-47
पाल बिरादरी के उत्थान एवं विकास हेतु कार्यालय, मुख्य तकनीकी अधिकारी भेड़ एवं ऊन, इलाहाबाद में तकनीकी अधिकारी के पद को बरकरार रखने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव में बनियानी के पूरब डामर सड़क से मलिहाबाद पकरिया सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48
प्रथम सत्र 2013 के चतुर्थ बुधवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-150 का भ्रामक उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	48
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2012-2013) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	48-49
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2012-2013) का पांचवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	49
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	49-59
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)	59-108
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	109-122
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) तथा अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	122-148

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत)	148-156
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	156-159
जनपद गाजियाबाद में मानकों की अनदेखी कर सन्तोष यूनिवर्सिटी तथा सन्तोष मेडिकल डेन्टल कालेज को चलाये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य का स्थगन	159
जनपद रायबरेली में पत्रकारों के ऊपर पंजीकृत मुकदमें वापस लिये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश कुमार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	160-162
अवैध ड्राइविंग स्कूलों द्वारा परिसंकटमय एवं खतरनाक वाहन चालकों को दिये जा रहे प्रशिक्षण पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	162
जनपद लखनऊ के परगना बिजनौर के ग्राम सेवई में गाटा संख्या-786 व 796 को बंजर भूमि घोषित किये जाने की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	162
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर अन्तर्गत दि किसान सहकारी चीनी मिल्स द्वारा कर्मचारियों एवं मजदूरों के बकाये धनराशि को दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	162-163
प्रदेश में टी0एस0आई0 की यातायात पुलिस में नियुक्त न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	163
सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में यातायात/परिवहन विभाग के नियमों एवं व्यवस्था का उल्लंघन कर अतिभारित वाहन मार्गों पर पाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अगयश रामसरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	164
जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के टाउन एरिया केमरी में चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	164

विषय	**पृष्ठ-संख्या**
उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की विभिन्न जनपदों में स्थित कार्यशालाओं द्वारा निगम के वाहनों में डीजल भराने की नीति व सुसंगत नियमों से स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य	164-165

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 14 मार्च, 2013

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-342

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र 'टेनी' श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
9. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
10. अजीमुलहक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
11. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
14. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
15. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
16. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
17. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
18. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
19. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
20. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
21. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
22. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
23. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
24. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
25. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
26. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
27. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
28. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
29. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
30. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
31. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
32. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
33. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
34. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
35. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
36. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
37. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
38. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
39. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
40. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
41. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
42. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
43. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
44. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
45. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
46. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
47. आशीष यादव, श्री — बदायूं
48. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
49. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
50. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
51. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
52. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
53. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर

54. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
55. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
56. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
57. उदयराज, श्री उन्नाव
58. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
59. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
60. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
61. उमाशंकर, श्री बलिया
62. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
63. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
64. ओम कुमार, श्री बिजनौर
65. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
66. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
67. काली चरन सुमन, श्री आगरा
68. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
69. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
70. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
71. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
72. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
73. कैलाश, श्री गाजीपुर
74. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
75. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
76. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
77. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
78. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
79. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
80. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
81. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
82. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
83. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
84. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
85. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
86. गोमती यादव, श्री लखनऊ
87. गोरख पासवान, श्री बलिया
88. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
89. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
90. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
91. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
92. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
93. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
94. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
95. जगपाल, श्री सहारनपुर
96. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
97. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
98. जफर आलम, श्री अलीगढ़
99. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
100. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
101. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
102. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
103. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
104. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
105. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
106. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
107. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
108. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
109. ज्योत्सनी श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
110. तसलीम, श्री बिजनौर
111. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
112. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
113. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
114. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
115. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
116. दलजीत सिंह, श्री बांदा
117. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
118. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर

119. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
120. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
121. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
122. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
123. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
124. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
125. धर्मराज, श्री बाराबंकी
126. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
127. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
128. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
129. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
130. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
131. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
132. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
133. नारद राय, श्री बलिया
134. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
135. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
136. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
137. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
138. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
139. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
140. पीतमराम, श्री पीलीभीत
141. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
142. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
143. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
144. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
145. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
146. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
147. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
148. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
149. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
150. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
151. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
152. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
153. फेरन लाल, श्री ललितपुर
154. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
155. बदलू खां, श्री उन्नाव
156. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
157. बाबू खां, श्री हरदोई
158. बावन सिंह, श्री गोण्डा
159. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
160. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
161. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
162. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
163. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
164. बैजनाथ, श्री मऊ
165. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
166. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
167. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
168. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
169. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
170. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
171. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
172. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
173. मनबोध, श्री देवरिया
174. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
175. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
176. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
177. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
178. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
179. महावीर सिंह कुं0 हरदोई
180. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
181. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
182. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
183. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर

184. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
185. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
186. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
187. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
188. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
189. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
190. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
191. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
192. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
193. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
194. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
195. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
196. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
197. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
198. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
199. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
200. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
201. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
202. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
203. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
204. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
205. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
206. योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया', श्री गोण्डा
207. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
208. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
209. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
210. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
211. रणजीत सुमन, श्री एटा
212. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
213. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
214. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
215. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
216. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
217. रवि शर्मा, श्री झांसी
218. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
219. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
220. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
221. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
222. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
223. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
224. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
225. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
226. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
227. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
228. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
229. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
230. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
231. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
232. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
233. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
234. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
235. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
236. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
237. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
238. राम करन आर्य, श्री बस्ती
239. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
240. राम गोविन्द, श्री बलिया
241. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
242. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
243. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
244. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
245. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
246. राम मगन, श्री बाराबंकी
247. राममूर्ती वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर

248. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
249. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
250. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
251. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
252. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
253. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
254. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
255. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
256. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
257. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
258. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
259. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
260. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
261. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
262. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
263. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
264. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
265. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
266. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
267. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
268. विजय कुमार डा0 गोरखपुर
269. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
270. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
271. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
272. विजय सिंह, श्री रामपुर
273. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
274. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
275. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
276. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
277. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
278. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
279. वीरपाल राठी, श्री बागपत
280. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
281. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
282. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
283. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
284. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
285. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
286. शाकिर अली, श्री देवरिया
287. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
288. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री मेरठ
289. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
290. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
291. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
292. शिव प्रताप यादव, श्री बलरामपुर
293. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
294. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
295. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
296. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
297. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
298. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
299. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
300. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
301. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
302. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
303. संजय कपूर, श्री रामपुर
304. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
305. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
306. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
307. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
308. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
309. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
310. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर

311. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
312. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
313. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
314. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
315. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
316. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
317. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
318. सियाराम सागर, डा0 बरेली
319. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
320. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
321. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
322. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
323. सुधाकर, श्री मऊ
324. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
325. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सौनभद्र
326. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
327. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
328. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
329. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
330. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
331. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
332. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
333. सुल्तान बेग, श्री बरेली
334. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
335. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
336. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
337. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
338. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
339. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
340. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
341. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
342. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा कारागार तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11.00] प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*01-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्थिक तंगी, भूख, गरीबी अथवा कर्ज से तंग आकर की जाने वाली आत्महत्या को रोकने की कोई योजना वर्तमान सरकार द्वारा लागू की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2007 से 31 अक्टूबर, 2012 तक गरीबी, भूख से तंग आकर कितने व्यक्तियों ने आत्महत्या की ?

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जी हां।

शासनादेश संख्या-126/1-11-2012-78(जी)/2006, दिनांक 20-4-2012 द्वारा प्रदेश में भुखमरी से मृत्यु या गरीबी, बेरोजगारी या कर्ज से तंग आकर आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही किये जाने का दिशा-निर्देश समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

किसी व्यक्ति द्वारा गरीबी/भूख से तंग आकर आत्महत्या किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान नहीं में आया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारे आती हैं और चली जाती हैं और यह उत्तर एक ही रहता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरी मंशा इस प्रश्न को उपस्थित करने की बहुत ही साफ है, एक दम किस्टल क्लीयर है कि जो भी सरकार है वह व्यक्ति बेरोजगार हो जाय बेरोजगारी से जुड़ा हुआ फिर भुखमरी आ जाय, फिर बीमार हो जाय और फिर वह आत्महत्या को मजबूर हो जाय या स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो इसकी रोकथाम हेतु सरकार क्या करती है, क्या करने वाली है तो आपने कहा शासनादेश का हवाला दे करके कि भुखमरी से मृत्यु या गरीबी, बेरोजगारी या कर्ज से तंग आकर आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही हेतु मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कि यह जो आपने रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही जो आपने कहा है इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि आदमी गरीबी से, भुखमरी से, कर्ज से इतना तंग हो जाय इतनी खराब परिस्थिति में पहुंच जाय कि वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाय तो आप इसकी रोकथाम कैसे कर लेते हैं इस शासनादेश के जरिये, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने जो प्रश्न पूछा है और उस प्रश्न को पूछने के पीछे जो उनकी मंशा है वह उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है और वह पवित्र मंशा है। हम सब लोगों की एक ही जिम्मेदारी है इस बात की और सरकार की विशेष तौर पर, सरकार की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि

वह अपनी व्यवस्थाओं को इस प्रकार से रखे कि जिनका आपने उल्लेख किया है कि भूख के कारण बेरोजगारी के कारण मान्यवर, इन कारणों से कोई आत्महत्या को विवश हो जाय उसको जीने के सारे रास्ते उसके लिए बन्द हो जाय तो मान्यवर, उसका अगर प्रबन्ध सरकार न करे तो सरकार अपने उत्तरदायित्व से विमुख होना कहा जायेगा उसको, यह आपने जैसा कहा हैं हम स्वीकार करते हैं यह सरकार की जिम्मेदारी है सरकार को इस जिम्मेदारी का निर्वहून करना चाहिए। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि सरकार ने किसी प्रश्न उठाने के कारण नहीं, किसी के मांग करने के कारण नहीं, बल्कि अपनी संवेदनशीलता के दृष्टिगत इस विषय पर स्वंय विचार करके और प्रश्न पूछा जा रहा है मार्च 2013 में, लेकिन मान्यवर, अपनी स्थापना के थोड़े ही दिनों बाद इस विषय पर विचार करके मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिया, जो कार्य करने की प्रणाली है सरकार की, उसमें जो नीतिगत निर्णय होते हैं, उसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी कार्यपालिका पर है और स्वाभाविक रूप से प्रशासन के लिये मंडलायुक्त और जिलाधिकारी, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार अधिकारी हैं। जो शासनादेश हमने निर्गत किया, उसका तात्पर्य यही है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपकी मंशा है, वही हमारी मंशा है और हमने अपनी ड्यूटी को ठीक से किया और मैं समझता था कि आप इसको भी एप्रीशियेट करेंगे। लेकिन मान्यवर, हमने इसको इसलिये जारी किया कि इस तरह की स्थिति प्रदेश में बन ही न सके और माननीय अध्यक्ष जी, इन कारणों से जो निर्देश दिये गये, उसका तात्पर्य यह था कि जो प्रचलित योजनायें हैं, उनका कार्यान्वयन इस प्रकार से हो और दूसरी बात कि इतनी संवेदनशीलता रहे कि सूचना के लिये भी वह अपनी ओर से प्रयत्नशील रहे कि ऐसी कोई स्थिति तो कहीं नहीं बन रही है जिसके कारण यह कठिनाई बन रही हो। इसलिये उसको निचले स्तर पर ब्लाक और गांव स्तर तक लोग उन सूचनाओं से आबद्व हों और जिम्मेदार हों, इस प्रकार का शासनादेश हमने निर्गत किया, क्योंकि गांव की सूचना सीधे कमिश्नर को नहीं मिल सकती और वह गांव-गांव जाकर पूछ भी नहीं सकता। लेकिन मान्यवर, इस शासनादेश के माध्यम से, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं शासनादेश के कुछ बिन्दुओं का उल्लेख कर दूं तो सुविधा हो जायेगी। मान्यवर, यह चीफ सेक्रेट्री के हस्ताक्षर से इसको जारी किया गया, राजस्व विभाग ने अपनी ओर से किया लेकिन चीफ सेक्रेट्री के हस्ताक्षर से इसको भेजा ताकि प्रशासनिक तंत्र पर उसका एक सम्पूर्ण दबाव का प्रभाव रहे। चीफ सेक्रेट्री ने अपने हस्ताक्षर से यह शासनादेश जारी किया है किसी उप सचिव ने नहीं जारी किया है। अधिकतर तो उप सचिव जारी कर देता है लेकिन इसे चीफ सेक्रेट्री ने जारी किया। मान्यवर, इसमें यह किया कि भूख से जीवन रक्षा की गारंटी वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में है, अतः यह सुनिश्चित किया जाय, ऊपर खाली संख्या वगैरह है, इसको नहीं पढ़ा मैंने। आगे है कि प्रदेश में भुखमरी, कुपोषण व अन्य कारणों से आत्महत्या अथवा आत्महत्या के प्रयासों से संबंधित घटनायें कदापि न हों। आपके जनपद मे सतर्कता से ऐसे प्रकरणों पर नजर रखी जाये एवं सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाय कि भुखमरी या कुपोषण के कगार पर आने वाले व्यक्तियों को समुचित सहायता विधिवत ससमय उपलब्ध करायी जायेगी। मान्यवर, इस संबंध में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में अगर कहीं भूख से मृत्यु होती है या गरीबी, बेरोजगारी अथवा कर्ज से तंग आकर कोई किसान आत्महत्या करता है तो ग्राम प्रधान एवं संबंधित खंड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं जनपद के जिलाधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। मान्यवर, सरकार की जो जिम्मेदारी थी, उसको हमने

गंभीरता से लिया और जो बाकी योजनायें प्रचलित हैं, अगर उनके बारे में भी आप कहेंगे तो हम अवगत कराने का काम करेंगे लेकिन हमने पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, सभी स्तरों पर समावेश करते हुये इस बारे में चिन्ता किया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो जानना चाहता था, जो है वह तकनीकी बात है। लेकिन उसका उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं दिये और शासनादेश का और चीफ सेक्रेट्री के माध्यम से शासनादेश निर्गत हुये, महत्व इसका नहीं है। 2006 में भी शासनादेश निर्गत हुआ, उस समय आपकी सरकार नहीं थी। 2012 में आपकी सरकार आई, आपने भी शासनादेश निर्गत किया, हो सकता है पिछला वाला कोई सहायक सचिव या अनु सचिव के द्वारा निर्गत हुआ हो, आप वाला चीफ सेक्रेट्री के द्वारा निर्गत हो गया, अच्छी बात है। आपने कहा कि गांव स्तर पर भी, आप इसको अन्यथा न लें, यह संदेश जाना चाहिये पूरे प्रदेश भर में, कि जो वर्तमान सरकार आई है, वह अन्य सरकारों से भिन्न है, संवेदनशीलता में वह अलग है। मैं हर सरकार में इस प्रश्न को उपस्थित करता रहा हूं लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि हर बार रटा-रटाया जवाब मिलता है कि जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं लेकिन यह कहीं नहीं स्पष्ट होता माननीय मंत्री जी, कि त्वरित कार्यवाही के निर्देश दे देने से किसी के कर्ज की अदायगी कैसे हो जा रही है त्वरित निर्देश दे देने से कोई भूख से कैसे मरने से रुक सकता है। मैंने यह भी कहा है कि कर्ज से तंग आकर ही कैसे कमिश्नर या डी0एम0कोई उपाय निकाल लेंगे कि वह कर्ज से तंग न हो। अगर आप कहेंगे कि यह स्पष्ट कर दीजिएगा तो मैं एक उदाहरण आपको देता हूं पूरे प्रदेश में बहुत सी घटनाएं होती हैं आप कहेंगे कि समाचार पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाता है नहीं तो मैं एक लम्बी सूची आपको दे सकता था। लेकिन मैं एक सूचना अपने बनारस की अपने निर्वाचन क्षेत्र की माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से उद्धरित कर रहा हूं। वाराणसी के कोनिया घाट निवासी 28 वर्षीय राजू गुप्ता 9 अक्टूबर 2012 को आपकी सरकार आने के बाद आर्थिक तंगी से बैंक कर्ज न चुका पाने के कारण और बैंक के तगादे से तंग आकर वह फंदे पर झूल गया और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उसकी जो मां है वृद्धा स्वयं सहायता समूह में कर्ज लेकर कुछ उसमें योगदान दी थी उसका भी कुछ हो रहा था वह तो घर छोड़कर भाग गयी तो मैंने आपको एक स्पष्ट उदाहरण दिया है अब आप मुझको यह बता दें कि यह जो इसके साथ हुआ इसको रोकने में आपका जो शासनादेश है वह कैसे सक्षम हो जाता या हो सकता है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी जो सूचना माननीय चौधरी साहब ने दी है हम इस सूचना को मिथ्या नहीं मानते और हम इस सूचना की सत्यता जानने के लिए सत्यापन नहीं करेंगे बल्कि इसको गंभीरता से दिखवाएंगे। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि सूचनाएं जो हम प्रशासन से मंगवाते हैं वह सदन के सामने रख देते हैं वह अंतिम हैं ऐसी न मेरी मंशा है न मैं कहना चाहता हूं माननीय सदस्यगण जो सदन में आकर कहते हैं उनकी बात का मूल्य है महत्ता है यह मैं स्वीकार करना चाहता हूं। लेकिन हमारे पास सूचनाएं तो हों जैसे आपने सूचना दी जो सूचना हमारे पास आए उस सूचना का संज्ञान लेकर उस पर कार्यवाही करने के लिए हम किसी बहानेबाजी की जरूरत नहीं मानते। आपने पूछा है कि शासनादेश में अपने आप कैसे हो जाएगा। उसके बारे में बताना चाहते हैं किसी कर्ज के

वसूली के लिए जो उत्पीड़न की कार्यवाही होती है उससे घबराकर कोई इस कठिनाई में पड़ जाय कि अब जीना हमारा मुश्किल है तो उत्पीड़न की कार्यवाही सरकार रोक सकती है। सरकार ने कर्ज वसूली में उत्पीड़न रोकने के आदेश भी दिए हैं और वह रुका भी हुआ है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं रोजगार के लिए जिन साधनों का सृजन किया जाना था मनरेगा, जैसी योजना या अन्य योजनाओं के माध्यम से अगर किसी को रोजगार चाहिए तो उसके लिए व्यवस्था की गई है। भूख या भुखमरी से कोई न मरे इसीलिए लोवर लेबिल पर इसको भेजा गया कि वहां से सूचना मिल जाय कि अमुक भूख से मर रहा है तो उसको अन्त्योदय या किसी अन्य योजना में शामिल करके या प्रशासनिक दखलंदाजी से उसको अनाज दिया जा सकता है जिससे भुखमरी से वह न मरे। इसके अलावा ग्राम्य विकास विभाग से ग्राम स्वराज योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, खाद्य रसद विभाग की योजना, सहकारिता विभाग से सहकारी कार्य योजना, पशुपालन विभाग की योजना इस तरह से बहुत सी योजनाएं हैं सूची लम्बी है सभी विभागों की है। शासनादेश का उल्लेख इसलिए मात्र किया गया है कि जब इतनी योजनाएं वहां पर हैं तो मात्र लापरवाही के कारण उसकी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि मरने के लिए बाध्य हो जाय योजनाएं इतनी हैं कि उसका क्रियान्वयन हो और संवेदनशीलता बनी रहे तो ऐसी स्थिति में वह मरने के लिए बाध्य नहीं होगा। आपने कहा कि सरकारें कर देती हैं नहीं 2006 में भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मैं मंत्री था तब ही यह शासनादेश जारी हुआ था पुनः जब यह सरकार बनी और हमने अगले माह में अपनी प्राथमिकताएं तय कीं उसमें जिम्मेदारी तय करने का काम किया दूसरी सरकार इतनी संवेदनशील नहीं थी मरना है तो मर जा इच्छामृत्यु है भीष्मपितामह को इच्छामृत्यु का वरदान मिला कि जब तक चाहो तब तक न मरो और बहुजन समाज पार्टी ने इच्छा मृत्यु का बरदान दिया कि बेटा जब चाहो तब मरो।

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा प्रश्न आया आदरणीय दादा श्यामदेव राय चौधरी जी द्वारा और जवाब भी सभी लोगों ने सुना, जवाब देने में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एवं माननीय राजस्व मंत्री जी कितने माहिर हैं, यह हम सब जानते हैं। इतना गुमराह करके जवाब दिया जाता है कि हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। मान्यवर, आत्महत्या की बात आई पूरा देश और प्रदेश जानता है कि आत्महत्या के मामले में बुन्देलखण्ड में सबसे ज्यादा आत्महत्या होती हैं। हम सभी जानते हैं कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में गरीबी, भुखमरी, आर्थिक तंगी को लेकर कभी सूखा पड़ने के कारण और कभी दैवीय आपदा के कारण प्रायः आत्महत्याएं हो रही हैं और सरकार कहती है कि इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बुन्देलखण्ड में जो बेरोजगारी है, जो आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है लोग कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करते हैं क्या ऐसे गरीब, पिछड़े बुन्देलखण्ड के लिए सरकार कोई विशेष औद्योगिक नीति बना करके वहां रोजगार देने का काम करेगी।

श्री अध्यक्ष-

अब इस प्रश्न का तो इससे कोई मतलब ही नहीं है।

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

मान्यवर, वहां आत्महत्या का जो मुख्य कारण है वह रोजगार का न मिलना ही है।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, पहला मेरा यह सवाल है कि क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद कौशाम्बी में गरीबी से तंग आ करके एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की गई है। अगर जानकारी नहीं है तो मैं बताते हुए यह पूछना चाहता हूं कि जनपद कौशाम्बी के कौशाम्बी ब्लॉक के म्योहर ग्राम सभा में एक व्यक्ति ने गरीबी से तंग आकर आत्महत्या की है, इसकी जानकारी प्राप्त करके सदन को क्या अवगत करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल इसमें नहीं आता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं इस अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे देता हूं, इसी से सम्बन्धित है। पहले प्रश्न का उत्तर है ''जी नहीं'' और दूसरे प्रश्न का उत्तर है ''जी हां''।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। जैसा कि प्रश्न में है कि कर्ज से तंग आकर, गांव का जो छोटा किसान है, गरीब है वह किसी भी कारण से चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे अन्य विषय हों जिन पर वह कर्ज लेता है और दे न पाने के कारण वह परेशान होता है। जब वह दे नहीं पाता है तो रिकवरी होती है और तहसील से आर0सी0 जारी होती है। 10 प्रतिशत आर0सी0 का चार्ज होता है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे गरीब किसान, ऐसे गरीब लोग जो कर्ज अदा करने की स्थिति में नहीं हैं और तंग हैं तो क्या कम से कम जो 10 प्रतिशत का चार्ज है ऐसे लोगों पर माननीय मंत्री जी उसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, उत्पीड़न की कार्रवाई छोटे बकायेदारों पर न की जाए यह सुनिश्चित किया गया है, इसलिए माननीय सदस्य को इससे संतुष्ट रहना चाहिए।

(माननीय सदस्य श्री हुकुम सिंह एवं श्री उपेन्द्र तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय उपेन्द्र तिवारी जी, आपके नेता खड़े हो गये हैं, वह प्रश्न पूछ रहे हैं, कृपया बैठ जाएं।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आत्महत्या के अनेकों कारण रहे हैं और आत्महत्या उन देशों में भी होती है जो बहुत सम्पन्न हैं। तनाव है और भी बहुत से कारण आत्महत्या के हैं। यहां आत्महत्या को केवल तीन कारणों तक सीमित रखा गया है, आर्थिक तंगी है, कर्ज है, गरीबी है, भूख है और मान्यवर, किसी भी सभ्य समाज में इन तीन कारणों से आत्महत्या करना शर्मनाक है। क्योंकि संवेदनशील सरकार होगी, संवेदनशील समाज होगा, कम से कम किसी व्यक्ति को विवश न होना पड़े

इन कारणों से आत्महत्या करने के लिए। मा0 चौधरी साहब जब राजस्व मंत्री होते हैं तो शासनादेश जारी कराते हैं पहले भी कराया था और अब भी कराया है। शासनादेश जारी हो गया और आपने कमिश्नर को जिम्मेदार भी ठहरा दिया, मुख्य सचिव के हस्ताक्षर भी हो गये उसमें। सवाल इस बात का है कि जो तीनों आपने कारण बताये हैं इन कारणों से बचने की कोई योजना आपने नहीं बताई है, मुख्य सवाल तो माननीय सदस्य का यही है क्या कोई योजना आपकी ऐसी है। मान लीजिए किसी के घर में अनाज नहीं है तो क्या उसको कहीं किसी स्तर से अनाज उपलब्ध हो सकता है ? किसी के ऊपर कर्ज है, उत्पीड़न उसका हो रहा है, एक मानसिक कष्ट हो रहा है जिसके दबाव में आकर कभी भी आत्महत्या कर सकता है क्योंकि आजकल महाराष्ट्र में और न जाने कितनी जगह, खासतौर से बुन्देलखण्ड में माननीय सदस्य ने जिक्र भी किया। आत्महत्या के मुख्य कारण यही हैं, केवल बैंक का कर्जा नहीं है, साहूकार का कर्जा है आ करके दबाव बनाते हैं, अपमानित करते हैं, तनाव में आकर वह आत्महत्या कर लेता है ऐसी स्थिति में इन तीन कारणों को दृष्टिगत रखते हुए, योजना नहीं है, शासनादेश है, शासनादेश हो गया, क्या सरकार पुनः इस पर विचार करेगी कि कोई व्यवस्था ऐसी हम कर दें कि तीनों कारणों के दबाव में आकर आत्महत्या करने के लिए विवश न होना पड़े।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैंने योजनाओं का उल्लेख किया था कदाचित मा0 हुकुम सिंह जी उस पर ध्यान नहीं दे पाये थे। मैंने यह कहा था कि छोटे लोगों के कर्ज की वसूली के लिए उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न की जाए, आपने बड़े लोगों की बात कही उनके बारे में हम नहीं कह सकते। वह बहुत सारे कारण होते हैं, अवसाद, पारिवारिक कलह कारण हैं और ऐसे पेय पदार्थ लेने का कारण है और बहुत सारे कारण है, उनका बिजनेस है, व्यापार है, दुनिया भर की चीजें हैं उसे हम नहीं कह सकते। क्या-क्या कारण हैं उसको हल्का नहीं करना चाहता, यह बहुत गम्भीर विषय है इसलिए इसको किसी दूसरी तरफ घुमाना नहीं चाहता, उसी गम्भीरता से ले रहा हूं लेकिन मान्यवर, इनके लिए प्रबन्ध किये गये हैं। कर्ज वसूली के बारे में स्पष्ट निर्देश है कि दो लाख रूपये तक का कर्ज जिनके ऊपर बकाया है उन पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न की जाए और दूसरा निर्देश है मा0 मुख्य मंत्री जी ने जब अप्रैल में, तिथि याद नहीं है, क्षमा करेंगें, प्रशासनिक अधिकारियों की जो पहली बैठक तिलक हाल में बुलायी थी उस समय भी यह बात कही गयी थी कि यह भी हमारी प्राथमिकताओं में है कि जो साहूकार कर्ज दे करके उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को अपना बंधुआ बना करके जबरदस्ती वसूल करने का काम करते हैं, ऐसी जितनी शिकायतें आये उनको बहुत गम्भीरता से लिया जाए। जहां-जहां शिकायतें आयी हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। तहसील से जो आर0सी0 जाती है स्पष्ट निर्देश हैं कि छोटे बकायेदारों के विरुद्ध कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न हो। बेरोजगार लोगों के लिए जो प्रचलित योजनायें हैं, पुनः पढ़ देता हूं, चार-पांच योजनायें हमारे पास हैं जिन योजनाओं के माध्यम से यह कर सकते हैं। मान्यवर, अन्त्योदय का लाभ उस व्यक्ति को दिया जाना है और त्वरित तौर पर भी दिया जा सकता है पहले से सूची में शामिल नहीं होने के बाद भी अगर उसके घर में कोई अन्न नहीं है और भुखमरी के कारण उसके मरने की स्थिति है तो जिलाधिकारी को इसीलिए कहा गया है कि उसकी स्थिति जान करके तत्काल उसके घर में उतना अनाज भिजवायें ताकि भुखमरी के कारण किसी की मौत न हो। वह योजना हमारे पास है और उन्हीं योजनाओं का अनुपालन हो इसके लिए शासनादेश जारी किया गया है।

प्रदेश में पाला एवं ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों में हुए नुकसान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*02-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 09-01-2013 से 18-01-2013 तक प्रकृति के कहर के रूप में पड़े ''पाला एवं ओलावृष्टि'' के कारण किसानों की आलू, सरसों व अन्य फसलों में हुये नुकसान का आंकलन सरकार ने करा लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनपद आगरा सहित मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, मुजफ्फरनगर व अन्य स्थानों पर उक्त से हुये भारी नुकसान के सापेक्ष भरपाई के लिये किसानों को मुआवजा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रदेश में भारी बारिश, ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं से किसानों की फसलों की क्षति एवं आकाशीय बिजली गिरने से हुए नुकसान का आंकलन कराकर दैवी आपदा से किसानों को हुई क्षति के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानक दिनांक 16-1-2012 के अनुसार सहायता राशि प्रदान किये जाने की कार्यवाही करने हेतु शासनादेश दिनांक 21 फरवरी, 2013 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।

जी नहीं।

जनपद आगरा सहित मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, मुजफ्फरनगर में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानक के अनुसार 50 प्रतिशत से कम की फसल नष्ट हुई है। कृषि फसलों में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य है।

डा0 धर्म पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन जिलों का मैंने जिक्र किया है उन जिलों का आपने ग्राम स्तर पर सर्वे कराया होगा। आगरा जिले में कितने गांवों में, कितने प्रतिशत नुकसान हुआ, वह बताने की कृपा करेंगे ? मेरा दूसरा सवाल है कि सरकार का कहना है 50 प्रतिशत जब नुकसान होगा तभी किसानों को मुआवजा दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो 50 प्रतिशत का मानक है उसे घटाने के लिये भारत सरकार को पत्र लिखेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, दो प्रश्न पूछे गये हैं। पहला ग्रामवार विस्तृत सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। जो सूचना है, तहसीलवार है, लेकिन तहसीलवार जो सूचना है वह ग्रामवार इकट्ठा करके ही भेजी गई है, ऐसा मुझे रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अतिरिक्त भी अगर माननीय सदस्य या कोई दूसरे सदस्य मुझे इसकी सूचना देंगे कि एक भी किसान की फसल 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुई होगी तो हम उसकी दोबारा जांच करवा लेंगे और अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल का नुकसान है तो हम इस सूचना का संज्ञान नहीं लेंगें, आप दे दें, हम दोबारा उसकी जांच करा लेंगे और निश्चित रूप से कृषि निवेश अनुदान की जो राशि अनुमन्य है उसको हम देंगे। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है। मान्यवर, मैंने

इसी सत्र में यह बात कही थी और पुनः दोहराना चाहता हूं कि सिर्फ इस मामले में नहीं, कृषि निवेश अनुदान मामले में नहीं बल्कि राहत की अन्य मदों में भी भारत सरकार द्वारा जो गाइड लाइन्स दी गई हैं उसमें मान्यवर, बहुत सी राशि बहुत कम है। मान्यवर, आग में जल जाने के मामले में हम जो अनुदान देते हैं, झोपड़ी जल जाने में जो अनुदान हम देते हैं (विपक्ष से टोका टोकी करने पर) मैं बोल लूं तो कहो या नहीं बोलूं, सून लो। इतनी आतुरता किस लिये ? सुन लो फिर पूछ लेना। कोई अच्छी बात बोलो तब भी बेचैनी रहती है। सुन लिया करो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वंय इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह राशि जो दी जा रही है उसकी जो अनुमन्यता है वही हमारी सीमा है, लेकिन वह राशि ठीक नहीं है, एडीक्वेट नहीं है और हम सरकार की ओर से उनको पत्र भी लिखेंगे और व्यक्तिगत तौर पर भी इसका प्रयास करेंगें चूंकि यह गृह मंत्रालय देखता है लेकिन हम उनसे प्रयास करेंगें इस बात का कि यह राशि बढ़ाई जाय और कृषि निवेश अनुदान बढ़ाया जाय। जो किसान पीड़ित हैं उनको वास्तव में इसका लाभ पहुंचे अगर सरकारी रिपोर्ट गलत है तो हम आपकी बात, आप भेज दीजिये, हम दोबारा से उसकी जांच करा लेंगे। एक किसान का भी हुआ हो, मैं एक गांव की बात नहीं कर रहा हूं। 50 प्रतिशत की जो लिमिट है वह अगर एक किसान के भी खेत में 50 प्रतिशत से ज्यादा हुआ हो, आप सूचना हमको दे देंगे, हम उसकी जांच करवा लेंगे, दिलवा देंगे उसको।

श्री अध्यक्ष-

सतीश महाना जी कहिये।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल है, मैंने यह पूछा था।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सतीश महाना जी को बुला लिया है।

श्री सतीश महाना-

अध्यक्ष जी ने मुझको बुला लिया है। आप तो मूल प्रश्नकर्ता हैं, आपको प्रिविलेज है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब यह राजस्व मंत्री बने उसके बाद उरई, हमीरपुर में मान्यवर एकदम ओलावृष्टि हुई। वहां पर बहुत सारे किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, माननीय राजस्व मंत्री जी वहां गये थे और वहां पर कुछ घोषणा भी करके आये थे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस ओलावृष्टि में, जिसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को थी और वो स्वंय वहां पर गये थे। वहां पर यह जो घोषणा करके आये थे आज भी मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है, हमीरपुर की हमारी साध्वी निरंजन ज्योति जी यहां पर बैठी हुई हैं वहां उरई में यह जो घोषणा करके आये थे वो भी उनको नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं कि क्या आप वहां गये थे तो क्या ? आप कहेंगे हां, इसका उत्तर मैं बता दूं ? उसके बाद वहां जाने के बाद उन लोगों को आप क्या सहायता घोषणा करके आये थे और क्या सहायता उनको मिली ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से संबंधित है ही नहीं। आप उत्तर देंगे मंत्री जी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं उत्तर दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें उस राशि का निश्चित उल्लेख कि किस व्यक्ति को दिया गया, सूची मेरे पास नहीं है चूंकि जो प्रश्न आपने पूछा वह मूल प्रश्न में नहीं था। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मैं गया था उसमें जितनी तरह का नुकसान था। जो व्यक्ति घायल थे उनको अलग सहायता दी। जो मृतक थे, उनके आश्रित परिवारों को अलग सहायता दी और ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ था उसके लिये हमने अलग से सहायता दी। उसकी सूची आज उपलब्ध नहीं है और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी जिस अवधि का यह उल्लेख कर रहे हैं उस अवधि में बुन्देलखंड में नुकसान हुआ, हमने भेजा और इस सदन को सूचना दी। मान्यवर, कौशाम्बी का आपने पूछा था। मान्यवर, फतेहपुर, बांदा, जालौन जिन जगहों पर हुआ, हमने दी है। माननीय सदस्य इसको अप्रूव करेंगें, माननीय बुधौलिया जी, हमने दिया है।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे प्रदेश के किसानों की चिन्ता का विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह अनुमन्य धनराशि भारत सरकार की कितनी है ? वह मेरे पास भी है, यहां सदन के सामने चाहता हूं क्या सरकार उस राशि से सन्तुष्ट है, यदि नहीं है, तो क्या हमारी वर्तमान सरकार उस राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। नम्बर दो दूसरी बात आई कि 50 परसेन्ट से कम जहां क्षति हुई है, वहां सहायता नहीं दी जायेगी ऐसा देखा गया है कि हर तहसील में हमारे जितने अधिकारी हैं वह 50 परसेन्ट से ज्यादा चाहे जितनी क्षति हो गई हो वह रिपोर्ट में नहीं जाने देते हैं वह रिपोर्ट भी अपनी इस तरह से मैनेज करके देते हैं कि 50 परसेन्ट से ऊपर न जाए। हमने मान लिया कि पचास परसेन्ट से कम ही क्षति हुई है लेकिन क्षति तो हुई है ना, चाहे किसान की क्षति वह 25 परसेन्ट हुई चाहे 30 परसेन्ट हुई। हमारी वर्तमान सरकार इसमें सहायता देने पर विचार कर रही है या नहीं कर रही है और धनराशि कितनी अनुमन्य है बढ़ाने की क्या योजना है कृपया इसे बतायें ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, धनराशि की अनुमन्यता के लिए पूरी पुस्तिका है और इसे पढ़ने के लिए 35 से 40 मिनट समय चाहिए। आपने कहा कि आपके पास है, इसलिए मैं इसको नहीं कहता। मान्यवर, दूसरी बात आपने कहा कि राशि से संतुष्ट हैं या नहीं हैं मैंने सदन में आज ही कहा कदाचित आपने ध्यान नहीं दिया कि हम स्वयं इसके बारे में भारत सरकार को पत्र लिखेंगे और प्रयास करेंगे कि इस राशि को बढ़ाया जाए। मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। तीसरी बात कही है उसमें अगर कोई निश्चित शिकायत मिलेगी तो हम इसकी जांच करा लेंगे और जांच के आधार पर राशि उसको देंगे। यह भी मैं आज ही कह चुका हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राजस्व मंत्री जी ने उत्तर के माध्यम से अवगत कराया है कि कृषि फसलों में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य है। मान्यवर, उसके

पहले उत्तर दे दिया है कि जनपद आगरा सहित मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ मुजफ्फरनगर में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानक के अनुसार 50 प्रतिशत से कम की फसल नष्ट हुई है। मान्यवर, राजस्व मंत्री जी भी किसान परिवार के हैं और 85 फीसदी सदस्य यहां पर किसान परिवार से संबंधित हैं। सभी जानते हैं कि ओलावृष्टि हो,चाहे पाला हो, यह क्षेत्रवार चलता है, यह पूरे जिले को प्रभावित नहीं करता है यह पर्टिकुलर 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के पर्टिकुलर क्षेत्र में चाहे ओला की वृष्टि हो, चाहे पाला की वृष्टि हो, यह सीमित क्षेत्र तक ही रहता है और माननीय राजस्व मंत्री जी की मंशा भी है कि 50 प्रतिशत से अधिक जहां क्षेत्र प्रभावित हुए हैं वहां हम उनको आर्थिक सहायता दिलाने के लिए तैयार है। तो आपने जो आख्या दिया है वह जिलेवार दिया है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए

(इस समय 11 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुए।)

आपके यहां से निर्देश चला जाए जिलाधिकारी को, कि प्रत्येक विकास खंड में कितने ऐसे गांव हैं जो 50 प्रतिशत से अधिक पाला और ओलावृष्टि से प्रभावित हैं। और जब यह उत्तर आ जाएगा तो हम समझते हैं कि आपको किसानों को सहायता राशि देने में सुविधा होगी और वह किसान जो एक वृहद उत्तर को माध्यम से प्रभावित हो रहे हैं उनको भी न्याय मिलेगा इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जिलाधिकारियों से निर्देश देकर यह आंकड़ा मंगा लें विकास खंडवार कितने गांव 50 प्रतिशत से अधिक ओलावृष्टि और पाला से प्रभावित हुए हैं इसकी सूची मंगा लें और सूची आने के बाद हम समझते हैं कि जो हमारे माननीय सदस्यों की पीड़ा है वह दूर हो जाएगी ओर किसानों को राहत मिल जाएगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर नेता प्रतिपक्ष ने जो सुझाव दिया है यह मूल्यवान सुझाव है और हम इसके आगे की बात करना चाहते हैं। हमने यह कहा कि जो सूचना हमने उनसे मांगी है वह गांववार सम्मिलित करके उन्होंने सूचना दी है फिर भी मैंने कहा है कि सदन के सम्मानित सदस्यों की सूचना को हम प्रशासन की सूचना से कमतर नहीं मानते हैं और इस आधार पर हम सूचना को खारिज नहीं करेंगे कि उसमें शामिल नहीं है एक गांव का नहीं, आप एक किसान का भी बता देंगे तो उसकी भी जांच करायेंगे और अगर पात्रता श्रेणी में आता है तो उसको जो अनुमन्य सहायता है उसको दिलाने का काम करेंगे। दूसरी बात सुझाव के तौर पर कही है कि गांव की सूची मंगा लेनी चाहिए कि कहीं ओला पड़ा हो, कहीं पाला पड़ा हो इसकी विस्तृत रिपोर्ट मंगा ली जाए कि 50 प्रतिशत नहीं है तो कितने प्रतिशत है इस जानकारी से सुविधा होगी। मान्यवर, सूचना मंगवाने में समय लगता है। मैं जरूर यह मंगवाऊंगा लेकिन यह तात्कालिक सम्भव नहीं है क्योंकि हम अगर गांव वाइज, पूरे किसान वाइज सूचना मंगाना चाहेंगे तो इतनी जल्दी नहीं आयेगी। लेकिन सुझाव आपका अच्छा है और इस सुझाव के अनुसार हम आगे हम विस्तृत सूचना मंगवा लेंगे।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि जो 50 प्रतिशत मानक भारत सरकार का है, जब 50 प्रतिशत नुकसान हो जाता है तभी आप किसानों को मुआवजा देते हैं। मेरा सवाल यह था कि इस मानक को घटाने के लिए कि इसे 20 परसेण्ट, 25 परसेण्ट कर दिया जाए, क्या इसके लिए

आप भारत सरकार को पत्र लिखेंगे ? यदि 25 परसेण्ट ही किसान का नुकसान हो तो भी उसे मुआवजा मिले, यह मेरा सवाल है।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह जो कृषि निवेश अनुदान है, हम सब लोगों की मंशा है कि किसान का कोई नुकसान न हो। लेकिन यह राहत है, यह उसका मुआवजा नहीं है क्योंकि यह किसी ऐसे कृत्य से नहीं हो रहा है कि जिसके कारण यह है, यह राहत है और उसमें अगर सदन की राय होगी तो हम पत्र लिख देंगे। लेकिन भारत सरकार में हमारे लिख देने से कि चाहे 10 परसेण्ट नुकसान हो तो भी दो तो उस पर हंसी उड़ाये जाने के अलावा इसका कुछ नहीं होता, चर्चा चाहे जितनी कर लें। राशि बढ़ाये जाने पर तो निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। जो दैवी आपदा की राशि है, उसको बढ़ाये जाने पर विचार किया जाना चाहिए, कृषि निवेश अनुदान पर विचार किया जाना चाहिए किन्तु कहें कि हमारा दो परसेण्ट भी नुकसान हुआ है तो भी कवर करें, अलावा हमारा उपहास उड़ाने के कुछ और नहीं करेंगे क्योंकि यह राहत की स्थिति है और यह केवल उन स्थितियों में दिया जाता है, जब किसान उबर नहीं सकता। अगर 50 फीसदी फसल बच गयी है तो यह माना जायेगा कि वह किसी तरीके से इस कष्ट को उठा ले जायेगा, घाटा तो उसका होगा ही। मान्यवर, यह मुआवजे की राशि नहीं है, यह राहत की राशि है। इसलिए 50 फीसदी के नीचे इसकी सीमा को किए जाने का प्रस्ताव कदाचित् उचित नहीं होगा। किन्तु यह राशि बढ़ायी जाए, दैवी आपदा में भी राशि बढ़ायी जाए और कृषि निवेश अनुदान में भी राशि बढ़ायी जाए। मान्यवर, इसके लिए हम जरूर पत्र भारत सरकार को लिखेंगे और इसका प्रयास करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, बड़े विस्तार से प्रश्न आया और उत्तर भी बड़े विस्तार से आया, अनुदान तक वह सीमित है। जो प्रश्न और उत्तर रहे, मैं अनुदान से आगे सहायता के लिए आना चाहता हूं क्योंकि सरकार ने अपने बजट भाषण में बहुत स्पष्ट किया था, फसल बीमा योजना और फसल बीमा योजना का आधार यह था कि न्याय पंचायत स्तर पर उसका औसत निकालेंगे कि कितनी वहां पर पैदावार होती है और अगर पैदावार से कम पैदा होता है तो उसमें इस बीमा योजना से सहायता करायेंगे। प्रीमियम भरने की जिम्मेदारी सारी सरकार की होगी। इस बीमा योजना की घोषणा इन्होंने अपने बजट भाषण में की है। मैं आपसे इतना चाहता हूं अनुदान के अपने मानक कुछ भी हो सकते हैं लेकिन जो फसल बीमा योजना है, इसके कोई मानक नहीं हैं, सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। क्या प्रदेश सरकार ने जिनका उल्लेख इस प्रश्न में किया गया है, न्याय पंचायत स्तर पर आंकलन कराया है ? वहां पर औसत पैदावार क्या है और इस घटना के बाद वहां की पैदावार घटी है, जो घटी है, उसके बीच का जो मुआवजा है, मान्यवर, यह मुआवजा होगा, अनुदान नहीं होगा। क्या सरकार उस मुआवजे को अपनी तरफ से अथवा बीमा कम्पनी से दिलायेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कृषि बीमा योजना है और उसके दूसरे नियम हैं, उसके अन्तर्गत वह चलायी जाती है। अनुदान के लिए शर्तें दूसरी हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, अनुदान देने की जो योजना है, राहत के

रूप में, कृषि निवेश अनुदान हो या दूसरे दैवी में हो, वह दूसरा प्रकरण है और मान्यवर, यह जो फसल बीमा योजना है, यह दूसरी योजना है। फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में श्रीमन्, उसकी शर्तों या उसके नियम या उसके प्रभावी होने के बारे में जब दूसरा प्रश्न आयेगा, तब जानकारी दी जायेगी। मान्यवर, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। फसल बीमा योजना कृषि विभाग से चलायी जाने वाली योजना है और उस योजना का इस राहत से कोई सम्बन्ध नहीं है। मान्यवर, फसल बीमा योजना प्रदेश के किन जनपदों में लागू है और कौन-कौन सी योजना लागू है, इसलिए जबानी तौर पर हमेशा याददाश्त के आधार पर बताया जाना उचित नहीं होगा, जिम्मेदारी से उत्तर देना है। इसलिए वह अलग आपका प्रश्न है, फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में जब आप अलग से प्रश्न पूछेंगे तो विस्तृत उत्तर आपको मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब अगला प्रश्न लेते हैं। इस पर काफी अनुपूरक हो गया है। लगभग सारे जवाब आ चुके हैं।

प्रदेश में सरकार द्वारा सिंचाई की ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्धतियों के प्रयोग के प्रोत्साहन हेतु कार्य योजना बनाये जाने की मांग

*03-श्री मनीष असीजा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में सरकार सिंचाई की ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्धतियों के प्रयोग के प्रोत्साहन हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान धर्मार्थ कार्य मंत्री (कुंवर आनन्द सिंह)-

कृषि विभाग द्वारा बाहरवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक) प्रदेश के बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में सिंचाई की स्प्रिंकलर प्रणाली के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की योजना का संचालन वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं आइसोपाम योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि विभाग की कोई योजना नहीं है।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा नाबार्ड से वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-15 के अन्तर्गत संचालित योजना में निर्मित होने वाले सामुदायिक ब्लास्ट कूपों पर स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित करने की व्यवस्था है। लघु सिंचाई विभाग में ड्रिप सिंचाई प्रणाली की कोई योजना संचालित नहीं है।

उद्यान विभाग द्वारा केन्द्र पोषित माइक्रो इरीगेशन योजना के अन्तर्गत औद्यानिक फसलों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर संयंत्र की योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

(इस समय 11 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री मनीष असीजा जी हैं ? (श्री मनीष असीजा के अनुपस्थित होने पर)। वह नहीं हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं।

(विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा इस पर रुचि दिखाने पर)

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न में रुचि है तो यह बाद में होता है। पहले आगे के प्रश्न हो जायें।

श्री अध्यक्ष-

तारांकित प्रश्न संख्या-3 में रुचि दिखाई थी श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य जी ने उसको ले लेते हैं, मनीष असीजा नहीं है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, आपने बताया है कि स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई योजना समस्त जनपदों में लागू है। मान्यवर, हमारा शाहजहांपुर कृषि आधारित जनपद है और यहां पर गन्ना शोध परिषद् भी बना हुआ है। मान्यवर गन्ने की इकोनामी मारिशस में दिखती है वह पूरा उसी पर निर्भर है तो क्या शाहजहांपुर में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंकलर योजना की सुविधा उपलब्ध करायेंगे ?

कुंवर आनन्द सिंह-

मान्यवर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सारे जनपदों में पूरे उत्तर प्रदेश में समस्त प्रकार के किसानों को 50 प्रतिशत या 7500 रुपये जो भी कम हो यह स्प्रिंकल पर हम देते हैं।

नोएडा से बलिया तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेस हाई-वे की निविदा की प्रमुख शर्तें एवं परियोजना की प्रगति

*04-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली सरकार में नोएडा से बलिया तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेस हाई-वे की निविदा किसे मिली थी तथा उसकी प्रमुख शर्तें क्या-क्या थीं तथा वर्तमान में उक्त परियोजना की प्रगति क्या है ?

जन्तु, उद्यान राज्य मंत्री (डा0 शिव प्रताप यादव)-

सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) पर आधारित ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे परियोजना (गंगा एक्सप्रेस-वे) के विकास हेतु जारी निविदा के सापेक्ष मे0 जय प्रकाश एसोसिएट लि0 का चयन विकासकर्ता के रूप में किया गया था।

निष्पादित कन्सेशन अनुबन्ध की प्रमुख शर्तों के अनुसार परियोजना की डिजाइन, निर्माण, वित्त एवं आपरेट करने की समस्त जिम्मेदारी परियोजना के कन्सेशनायर की है। परियोजना का कन्सेशन पीरियड 35 वर्ष है तथा कन्सेशन पीरियड समाप्त होने के उपरान्त परियोजना को कन्सेशनायर द्वारा यूपीडा को ट्रान्सफार्मर करना होगा। कन्सेशनायर द्वारा कन्सेशन पीरियड की अवधि में एक्सप्रेस-वे पर चलने वाले वाहनों से टोल एकत्रित करना होगा एवं एक्सप्रेस-वे की मेन्टीनेन्स का कार्य भी कन्सेशनायर द्वारा ही किया जाना है। कन्सेशनायर को लैण्ड पार्सल के रूप में लगभग 12,281 हे0 भूमि का विकास भी करना प्रस्तावित है परियोजना विकास, भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण आदि पर आने वाले समस्त व्ययों का वहन परियोजना के कन्सेशनायर द्वारा ही किया जाना है। कन्सेशन अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार परियोजना सम्बन्धित वांछित समस्त अनापत्ति/क्लीयरेंसेस परियोजना के कन्सेशनायर द्वारा प्राप्त करने है।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-3 तारांकित प्रश्न सं0-4 के उपरान्त श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य की रुचि पर लिया गया।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29-5-2009 द्वारा परियोजना हेतु पूर्व में प्राप्त पर्यावरणीय कलीयरेंस दिनांक 23-8-2007 निरस्त कर दिया गया एवं निर्दिष्ट किया कि परियोजना एवं लैण्ड पार्सल पर अग्रेतर कार्यवाही तब तक न की जाये जब तक परियोजना हेतु पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेंस इन्वायरमेंट (प्रोटेक्शन) ऐक्ट, 1986 के प्राविधानों के अनुसार प्राप्त न कर लिया जाये। तत्क्रम में शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 7-8-2009 द्वारा यह निर्देश दिये गये कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करने के उपरान्त ही भूमि अर्जन की कार्यवाही किया जाना उचित होगा, अतः परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही उक्त शासनादेश के अनुक्रम में रोक दी गयी।

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय क्लीयरेंस अभी प्राप्त नहीं है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे तीन अनुपूरक हैं। एक-एक क्रमवार पूछूंगा। एक-एक का जवाब आता जाएगा क्रमवार मैं पूछता जाउंगा। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि इस परियोजना में न्यायालय ने रोक लगा दी है। न्यायालय द्वारा रोक तभी खत्म होगी जब वह इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस ले लेंगे। अगर इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस ले लेते हैं तो क्या वर्तमान सरकार इस योजना को जारी करने की इच्छुक है या नहीं ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसमें चूंकि हमारी सरकार किसानों के हितों के लिए समर्पित है और जब गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण का पूर्ववर्ती सरकार ने निर्णय लिया था उस समय तमाम किसान आन्दोलन हुये थे और तमाम समस्याएं आईं, वह तो एक अलग बात है। फिलहाल जो हमारा अनुबन्ध है, अभी माननीय उच्च न्यायालय ने जो संज्ञान लिया है इसमें कहा है कि ''दि माइनर इन व्हिच स्टेज वन एण्ड स्टेज टू वाज क्लाज इन वन डे व्हाई दि स्टेट लेविल एक्सपर्ट एप्राइजल कमेटी स्टेट्स ऑफ अनड्यू हेस्ट एण्ड हरी फॉर व्हिच नो सटिस्फैक्ट्री एक्सीप्लिनेशन इन ऑन दि रिकार्ड, इट इज आलसो रेलेवेन्ट टू नो दैट सिक्स लेन एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट सब्सीक्वेन्टली इन टू ऐट लेन वाज नॉट ए प्रोजेक्ट व्हिज नीडेड एनी स्ट्रीम अर्जेन्सी एण्ड कपुल विद् दि फैक्ट दि नोटीफिकेशन कान्स्टीट्यूटिंग दि स्टेट लेविल एक्सपर्ट दि एप्राइजल कमेटी वाज इश्यूड ओनली ऑन 12 जुलाई, 2007 ऐज नॉट ए वीक एण्ड हैज एलेर्ट फ्राम दि कान्स्टीट्यूशन ऑफ दि कमेटी इटसेल्फ''। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम सेय मा0 सदस्य से कहना चाहता हूं कि मा0 उच्च न्यायालय ने यह आब्जर्वेशन दिया है कि यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है चूंकि इसमें इन्वायरमेंटल समस्या भी इन्वाल्व है, इसलिए इसमें अग्रेतर निर्णय लिया जाना उचित नहीं है और पूर्ववर्ती सरकार ने एक दिन में सारा स्टेट लेविल की जो इन्वायरमेण्टल कमेटी है, उससे अप्रूवल ले लिया और उसके बाद काम शुरू कर दिया, इसीलिए इसमें मा0 उच्च न्यायालय का आदेश आया है और यह आदेश जो गंगा महासभा है उनके द्वारा दायर किया गया था और अन्य तमाम जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं जो गंगा की शुद्धता चाहते हैं, गंगा को जो पर्यावरणीय रूप से शुद्ध चाहते हैं, उन्होंने दायर किया था उसके आधार पर आया है। मान्यवर, मामला चूंकि मा0 उच्च न्यायालय में सब ज्यूडिश है इसलिए अभी हम इस पर ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे अनुपूरक का कोई जवाब नहीं आया, यह प्रश्नोत्तरीय है या बजट का भाषण है। मैंने पूछा यदि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सब क्लीयर हो जायेगा, पर्यावरण क्लियरेन्स आ जायेगी तो क्या सरकार इस परियोजना को आगे जारी रखेगी, हां या न। इसमें कहानी बताने की क्या जरूरत है ?

श्री अध्यक्ष-

उनका कहना यह है,

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, हम सुन लिये, उनका जो कहना है, आप पैरोकारी न करें सर यह रिक्वेस्ट है आपसे।

श्री अध्यक्ष-

देखिये अब आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। मैं उसको स्पष्ट कर रहा हूं और आप कह रहे हैं कि पैरोकारी कर रहे हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मान्यवर, मा0 मंत्री जी बोलें तो हां या न में। इन्होंनें मा0 उच्च न्यायालय का हवाला दे दिया और मैं उसका संज्ञान भी ले रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि यदि क्लियरेन्स मिल गई इन्वायरमेण्ट की, मा0 उच्च न्यायालय की फारमेल्टी/रिक्वायरमेण्ट पूरी हो गई, तो उसके बाद क्या यह सरकार इस योजना को आगे जारी रखेगी, हां या न। अभी इसके बाद दो सवाल मेरे और हैं, अभी एक-एक कर के पूछ रहा हूं, नहीं तो यह भूल जायेंगे। तो हां या न में बता दें। जारी रखेगी या नहीं जारी रखेगी।

डा0 शिवप्रताप यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, जब मैंने बता दिया कि यह मामला सबज्यूडिश है। मा0 उच्च न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, स्टे है। तो जब मामला सबज्यूडिश है तो मा0 उच्च न्यायालय का जो निर्णय आ जायेगा, वैसे इसमें भारत सरकार का भी प्रतिबन्ध है, वन एवं पर्यावरण भारत सरकार का है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य जी को अवगत कराना चाहता हूं कि जब मामला सबज्यूडिश है तो हम उसके ऊपर नहीं जा सकते, जब निर्णय हो जायेगा मा0 उच्च न्यायालय का, क्योंकि इसमें गंगा बेसिन जो एथॉरिटी है, वह भी जुड़ा हुआ है, उसके भी तमाम प्रतिबन्ध हैं, तमाम कण्डीशन हैं और भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की भी कण्डीशन हैं और मा0 उच्च न्यायालय की भी कण्डीशन हैं तो सारी चीजों को हम अलग रखकर निर्णय नहीं ले सकते हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसमें सेकेण्ड पैरा में साफ लिखा है, बार-बार दोहरा रहे हैं, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29-05-2009 द्वारा परियोजना हेतु पूर्व में प्राप्त पर्यावरणीय क्लीयरेंस दिनांक 23-08-2007 निरस्त कर दिया गया एवं निर्दिष्ट किया कि परियोजना एवं लैण्ड पार्सल पर अग्रेतर

कार्यवाही, यानी यह सब हो जाने के बाद आप कर सकते हैं। मा0 उच्च न्यायालय ने जो रिक्वायरमेण्ट मांगा है। इसमें तो बता ही रहे हैं, उसको क्यों आप बार बार बता रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि अगर वो सब क्लियर हो जाये। हाईकोर्ट के आदेश से रूका है कि आप क्लियरेंस ले आइये, इन्वॉयरमेण्टल क्लियरेंस, अगर ये इन्वॉयरमेण्टल क्लियरेंस ले आ देते हैं तो क्या आप परियोजना को चालू रखेंगे या रोक देंगे। इसके बाद अभी मेरे दो सवाल और हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप दूसरा पूछ लिये, उसका जवाब वो दे चुके।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

जवाब ही नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष-

जबरदस्ती तो सवाल का उत्तर दिया नहीं जा सकता।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिये।

डा0 शिवप्रताप यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यह क्लियरेंस जो है भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग को देना है तो पहले ये यह बतायें कि केन्द्र सरकार इसके लिये राजी होगी। क्या वो क्लियरेंस देंगे, पहले उनको देना तो दिया जाये।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई मंत्रालय में एप्लाई करता है तो देती है। कोई पॉलिसी या नीति नहीं है। जो स्टैण्डर्ड नॉर्म्स हैं उसके अनुसार दे देती है। ये इतना भी नहीं बता पा रहे हैं। खैर सरकार की जो भी मंशा हो, अगर ये अपने स्तर से तय नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या बतायें। दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या इसमें जो लिखा हुआ है कि जो 12281 हेक्टेयर भूमि ये डेवलप करेंगे। इसमें इन्होंने कोई भी जमीन अधिग्रहीत की। अगर हुई है तो इनके पास कितनी भूमि पर कब्जा है।

डा0 शिवप्रताप यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, जो पहले ही मैंने बताया कि अभी ये तो बाद की प्रक्रिया है। लैण्ड पार्सल जो जमीन है उसके लिये निर्धारित किया गया है कि 12281 हेक्टेयर भूमि है लेकिन अभी जब तक क्लियरेंस नहीं हो जायेगा, तब तक क्या ये तो बाद की सेकेण्ड स्टेज की बात है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपके दो, तीन सप्लीमेण्टरी हो गये हैं। क्या अकेले सब करेंगे।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, तो फिर फायदा क्या सवाल लगाने से। मान्यवर, एक सवाल मेरा और है कि इनको बीच में जो एक स्टेट गवर्नमेण्ट से क्लियरेंस मिली थी तो क्या उस समय, उस दौरान इन्होंने कुछ जमीन एक्वायर की थी। मैंने यही जानना चाहा है, अगर एक्वायर की थी तो क्या पोजीशन है, दूसरा मैंने पूछा। तीसरा यह बता दें कि 12281 हेक्टेयर भूमि कहां दी जायेगी। नोयडा में दी जायेगी कि बलिया में दी जायेगी कि कानपुर में दी जायेगी। उस एग्रीमेण्ट में जो आपने बताया है कि उसमें ये कहां है।

डा0 शिवप्रताप यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, शायद इन्होंने पूरा पढ़ा नहीं है। जो लैण्ड पार्सल दिया जायेगा, जो प्रस्तावित है। वो जो कन्सेशनायर है उसको भूमि का मुआवजा देना है और उसको डेवलप करना है, उसके अनुबन्ध में यही है तो इसमें कन्सेशनायर को करना है और अभी तक भूमि का कोई अधिग्रहण नहीं किया गया है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मेरे बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते न।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, हो सकता है कि इनका ध्यान उतर गया हो। मान्यवर, मैंने सिर्फ ये पूछा है कि वो भूमि अगर दी जायेगी तो कहां दी जायेगी। बाकी तो मैंने पढ़ा ही है, उस एग्रीमेण्ट में देने का वर्णन कहीं है। हॉ या नहीं में बता दीजिये।

डा0 शिवप्रताप यादव-

मान्यवर, उसका भी समाधान हम कर दें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अरे, बैठिये बहुत जवाब दे लिये। हम सुन रहे थे जवाब। मा0 अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती शासन में ये योजना आयी थी। पूरा सदन, जिसमें आज जो सत्ता में बैठे हैं, शामिल हैं। सबने सामूहिक रूप से इस योजना का विरोध किया था और दो बातें आयी थीं। एक तो यह सारा खेल है नोयडा के आस-पास जमीन देने का और हथियाने का। मा0 ओम प्रकाश सिंह जी उस समय नेता भाजपा होते थे। यह विषय आया था इस बात का कि क्या निर्माणकर्ता इस योजना को नोयडा से प्रारंभ करने की जगह पर पहले बलिया से प्रारंभ करेंगे, नम्बर एक। नम्बर दो, आठ लेन की जो सड़क बन रही है। इसका गंगा के ऊपर बहुत लंबा और बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। क्या सरकार ने इस बात का कोई अध्ययन कराया है कि इस 8 लेन के बन जाने के बाद गंगा के पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सारे सदन ने इसका विरोध किया था ? आज स्थिति पलट गई, मैं सरकार से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। अगर उस समय इस योजना का विरोध सबने किया था, यह ठीक है कि उच्च

न्यायालय में चला गया, क्लीयरेन्स के लिए चला गया। सरकार के पास तो यह विशेषाधिकार हमेशा प्राप्त है कि अगर हमने जे0पी0 इंडस्ट्रीज से कोई समझौता पूर्ववर्ती सरकार में किया था और आज हम महसूस करते हैं कि यह समझौता व्यापक जनहित में नहीं था, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए था, अगर हम उस समय ईमानदार थे, तो हमको ईमानदारी के साथ आज यह तय करना चाहिए कि अब हम इस योजना को नहीं चलाना चाहते हैं। एक बार हम तय कर लेते हैं कि नहीं चलाना चाहते हैं तो क्लीयरेन्स, ये कोर्ट अपने आप खत्म हो जायेंगे। मैं मा0 मंत्री जी से इतना ही जानना चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी का वह स्टैण्ड, जो पूर्ववर्ती शासनकाल में था, इस योजना को न चलाने के पक्ष में, क्या उस स्टैण्ड में परिवर्तन आ गया है या सरकार यह महसूस करती है कि यह योजना गलत थी ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

डा0 साहब ने जो प्रश्न किया है, तो सरकार ने इसीलिए जो अब फिर से सप्लीमेंटरी अनुबंध के लिए कन्सेशनायर को लिखा है, 26 अप्रैल, 2012 को और 19 जून, 2012 को कि अब नये प्रस्ताव के अुनसार लावें, अब वे जब लाएंगे प्रस्ताव उसके बाद ही देखा जायेगा। अगर हम किसान के हित, या हमारा जो स्टैण्ड था पहले, अगर उस स्टैण्ड के अनुरूप वह एग्रीमेंट के लिए तैयार होते हैं तो हम विचार करेंगे, देखेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि अभी तक मा0 मंत्री जी कह रहे थे कि कोर्ट का निर्देश है, क्लीयरेन्स आयेगा, अब अध्यक्ष महोदय मा0 मंत्री जी यह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी नवंबर, 2012 में पत्र लिखकर अनुबन्ध के लिए कहा है। प्रश्न यह है कि जब कोर्ट में मामला था और भारत सरकार के क्लीयरेन्स का इंतजार हो रहा था, तो किस अधिकार के तहत आपने इस सप्लीमेंटरी अनुबन्ध के लिए लिख दिया, यह सदन जानना चाहेगा। क्या आप इस योजना को आगे चलाना चाहते हैं, इसका मतलब है ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, ये मा0 उच्च न्यायालय का जो निर्णय है, जो आदेश है उसी के अनुपालन में, ये परियोजना, ये जो लेटर लिखा गया है, हमारी जो मान्यता है, हमारी जो प्राथमिकता है सरकार की, उसके अनुरूप वह होता है कि नहीं, यह तो एक प्रक्रिया है। प्रक्रियाधीन है, इसके बाद में जब उनका प्रॉपोजल आएगा तो हम विचार करेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, सत्ता बदल गई, लेकिन जे0पी0 इंडस्ट्रीज जहां की तहां है। सत्ता यहां थी, तब भी जे0पी0 थे। सत्ता वहां है, तब भी जे0पी0 हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने सदन को गुमराह करने का काम किया है। उधर ऑफिसरों के पास से चिट्ठी आई, उसमें डीटेल बताया गया, उसके बाद वह फिर विरोधाभासी बयान दे दिए आप इसको गंभीरता से लें कि मा0 मंत्री जी लोग सदन को गुमराह करने का प्रयास न करें, स्पष्ट

अपनी सरकार की नीति वर्णित करें, पहले उन्होंने जो बोला, उसके बाद उसका जस्ट रिवर्स बोला कि दो चिट्ठी भेजी गई हैं, तो यह गंभीर विषय है, सर, स्पष्ट, सुस्पष्ट जवाब आने चाहिए, जो भी निर्णय हो सरकार का, यह मैं नहीं कह रहा हूं कि आप न करें पॉलिसी आप बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जो भी निर्णय हो, वह कम से कम स्पष्टता के साथ सदन के सामने आना चाहिए। हमारे बड़े भाई खड़े हैं, मैं बैठ जा रहा हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 अखिलेश जी चिंता दूसरी है, और इनके शब्द दूसरे हैं। मान्यवर, अगर ऐसा हो तो इसकी चिंता करनी चाहिए, लेकिन, शब्द जो आपके हैं, ऐसा है नहीं, इसलिए शब्द आपके मुनासिब नहीं हैं। चिंता होनी चाहिए कि अगर दो तरह के जब....(मा0 सदस्य के टोकने पर) मेरी बात तो सुन लें, मा0 अध्यक्ष जी अगर यह तय हो कि सरकार एक समय दूसरी बात कहती है और उसके दूसरे समय दूसरी बात कहती है। अपनी नीतियों में मान्यवर, उसको जो वक्तव्य देना है वह सूचना दूसरी दे रही है, तब आपका आक्षेप सही हो सकता है, बरगलाने का काम मान्यवर, दूसरों के हिस्से है, अब अखिलेश जी, उसका हिस्सा हैं, ये मैं नहीं कहना चाहूंगा, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप उस जमात के मान्यवर, हो सकते हैं, जहां बरगलाने का लाइसेंस हो, उस जमात के, लेकिन हम आप पर यह आक्षेप नहीं करते, अपने ऊपर जो आक्षेप है मान्यवर, उसका हम प्रतिकार करते हैं और इस सरकार पर, समाजवादी पार्टी की पहचान ही यही है कि कथनी और करनी में कोई भेद नहीं हो, वह समाजवादी पार्टी है। इसलिए सरकार हमारी मान्यवर, एकदम कोई सवाल ही नहीं, जो कहते हैं, वहीं करते हैं। उसमें कोई भेद नहीं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, सब दस्तावेजों में है, यह कहा गया है कि न्यायालय में विचाराधीन है कुछ नहीं हो सकता है। अभी बताया कि दो पत्र भेजे गये हैं। मान्यवर, मैं बरगलाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, सही बात कहता हूं।

*05-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के चयनित डा0 अम्बेडकर गांव पतिपुर में निर्माणाधीन डा0 अम्बेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

01-श्री रामहेत भारती-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खण्ड हरगांव के चयनित अम्बेडकर गांव पतिपुर में निर्माणाधीन डा0 अम्बेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या-4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

जी हां।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव का चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम पतिपुर में निर्माणाधीन डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र का स्लैब स्तर तक कार्य पूर्ण है। मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर की आख्या दिनांक 8-3-2013 के अनुसार सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 (अनुबंध) प्राप्त कर उक्त निर्माणाधीन डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य दिनांक 31-3-2013 तक पूर्ण करने हेतु धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

02-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

[3सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-81 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश की नदियों में प्रदूषण की रोकथाम हेतु दिये गये कतिपय सुझाव एवं निर्देश

03-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश की नदियों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए पिछले तीन वर्षों में जांचोपरान्त क्या प्रदेश सरकार को कोई सुझाव एवं निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर की आमी नदी के प्रदूषण की रोकथाम हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिये ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी हां, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश की नदियों में प्रदूषण की रोकथाम के लिये पिछले 03 वर्षों में उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जो सुझाव एवं निर्देश दिये गये हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रदेश में संचालित एग्रो आधारित पेपर इकाइयों में शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था के अन्तर्गत केमिकल रिकवरी संयंत्र की स्थापना किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिनका अनुपालन राज्य बोर्ड द्वारा कराया गया है तथा प्रदेश में बिना केमिकल रिकवरी संयंत्र एवं शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था की स्थापना किये हुए किसी भी एग्रो आधारित पेपर मिल का संचालन अनुमन्य नहीं है।

केन्द्रीय बोर्ड द्वारा आसवनी इकाइयों में शून्य उत्प्रवाह निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से इन इकाइयों में मल्टीइफेक्ट इवापरेटर, रिवर्स आसमोसिस संयंत्र एवं बायो कम्पोस्टिंग प्लांट की स्थापना के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराया जा रहा है। इसी प्रकार क्रोम टैनरी उद्योगों में क्रोम रिकवरी संयंत्र की स्थापना अनिवार्य है। उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन सुनिचित कराया जाता है।

जी हां, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आमी नदी के प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में राज्य बोर्ड को यह निर्देश दिये गये हैं कि आमी नदी से सम्बद्ध औद्योगिक इकाइयों में स्थापित उत्प्रवाह

शुद्धिकरण संयंत्र को मानकों के अनुरूप संचालन एवं दोषी उद्योगों को चिन्हित कर कार्यवाही करने तथा आमी नदी की जल गुणता का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाये।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आमी नदी में औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले 08 उद्योग चिन्हित हैं, जिनसे निस्तारित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु व्यवस्था स्थापित है तथा उक्त उद्योगों द्वारा वर्तमान में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन में बोर्ड के निर्धारित मानक के अनुरूप उत्प्रवाह निस्तारित किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा समय-समय पर उद्योगों की जांच की जाती है एवं दोषी पाये जाने वाले उद्योगों के विरुद्ध अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। उक्त के अतिरिक्त राज्य बोर्ड द्वारा आमी नदी के जल गुणवत्ता का अनुश्रवण (खलीलाबाद, संत कबीरनगर तथा गीड़ा, गोरखपुर के अपस्ट्रीम व डाउन स्ट्रीम) नियमित रूप से किया जा रहा है।

उपरोक्त कार्यवाही के अतिरिक्त नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को नगरीय ठोस अपशिष्ट के समुचित निस्तारण के सम्बन्ध में तथा अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, गोरखपुर को आमी नदी में सिल्ट की सफाई तथा नदी में जल की मात्रा बढ़ाये जाने हेतु अतिरिक्त जल छोड़े जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किये गये हैं। नगर पालिका परिषद् सिद्धार्थनगर एवं खलीलाबाद, संत कबीरनगर तथा नगर पंचायत मगहर तथा नगर आयुक्त, गोरखपुर को उक्त शहरों से जनित हो रहे घरेलू जल-मल के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट संयंत्र की स्थापना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के शहरों में मानक के अनुरूप ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण

04-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरों में मानक के अनुरूप ध्वनि प्रदूषण का क्या स्तर होना चाहिए ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन शहरों में मानक के विपरीत ध्वनि प्रदूषण हैं ? सरकार इन्हें नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित नियमावली ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार दिन (प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक) एवं रात्रि (रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक) हेतु ध्वनि के निर्धारित मानक डी0बी0(ए) एलईक्यू में निम्नवत् हैं :--

आवासीय क्षेत्र दिन में 55, रात्रि में 45

वाणिज्यिक क्षेत्र दिन में 65, रात्रि में 55

औद्यौगिक क्षेत्र दिन में 75, रात्रि में 70

शान्त* क्षेत्र दिन में 50, रात्रि में 40

*अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, मा0 न्यायालय, धार्मिक स्थल अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा घोषित अन्य क्षेत्र के चारों ओर कम से कम 100 मीटर का क्षेत्र।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2012 में प्रदेश के प्रमुख 11 नगरों इलाहाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मेरठ, मथुरा, गोरखपुर, गाजियाबाद, आगरा, झांसी तथा लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं शान्त) में ध्वनि गुणता का अनुश्रवण किया गया। ध्वनि गुणता अनुश्रवण के प्राप्त औसत आंकड़ों से निम्नलिखित परिणाम परिलक्षित होते हैं :--

1-सभी 11 शहरों के आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय ध्वनि का स्तर मानकों से अधिक पाया गया। रात्रि के समय इलाहाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, गाजियाबाद, आगरा, झांसी तथा लखनऊ में ध्वनि का स्तर निर्धारित मानकों से अधिक पाया गया।

2-वाणिज्यिक क्षेत्रों में दिन के समय इलाहाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मेरठ, मथुरा, गोरखपुर, गाजियाबाद, झांसी तथा लखनऊ नगरों में ध्वनि प्रदूषण का स्तर निर्धारित मानक से अधिक पाया गया है। रात्रि के समय रायबरेली, सुल्तानपुर, गाजियाबाद, झांसी तथा लखनऊ शहर में ध्वनि का स्तर निर्धारित मानक से अधिक पाया गया है।

3-औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय मेरठ, मथुरा, झांसी तथा लखनऊ में ध्वनि का स्तर निर्धारित मानक से अधिक पाया गया है तथा रात्रि के समय झांसी तथा लखनऊ में ध्वनि का स्तर निर्धारित मानक से अधिक पाया गया है।

4-शान्त श्रेणी के क्षेत्रों में दिन एवं राात्रि दोनों समय ध्वनि का स्तर निर्धारित मानक से अधिक पाया गया है।

भारत सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण की रोक-थाम हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं इससे सम्बन्धित नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण के विनियमन एवं नियंत्रण हेतु ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 प्रख्यापित किये गये हैं, जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि दिनांक 14-02-2000 से प्रवृत्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त शहरों में औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय एवं शान्त क्षेत्र/परिक्षेत्र प्रवर्गीकृत किये गये हैं। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर उड़न दस्तों का गठन किया गया है। वाहनों में लगे प्रेशर हार्न से जनित ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु परिवहन विभाग, यातायात पुलिस के सहयोग से प्रदेश के कवाल टाउन्स में अलग-अलग चेकिंग अभियान चलाकर प्रेशर हार्न/हूटर उतरवाये गये एवं जब्त किये जाते हैं। उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जन मानस को ध्वनि प्रदूषण तथा उसके प्रभावी नियंत्रण हेतु जन जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित करायी जाती है। लाउडस्पीकरों से जनित ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रदेश के कवाल टाउन्स में ध्वनि नियम-2000 में विनिर्धारित स्थानों पर लाउडस्पीकर न बजाये जाने, रात्रि 10.00 बजे से 6.00 बजे के बीच लाउडस्पीकर न बजाये जाने, छात्रों की परीक्षाओं के समय लाउडस्पीकर न बजाये जाने सम्बन्धी निर्देशों का प्रचार प्रसार कराया गया। विभिन्न बारात घरों आदि में आयोजित होने वाले सामाजिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर आदि के प्रयोग से पूर्व स्थानीय प्रशासन से अनुमति प्राप्त किये जाने का प्राविधान किया गया है।

05-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

[4थे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश की कतिपय जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने की मांग

06-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 में क्रमांक 27 पर अंकित धनगढ़, पाल, बघेल व गड़ेरिया को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 यथासंशोधित अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 में वर्गीकृत जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। उक्त अधिनियम 1976 के क्रमांक-27 पर धनगढ़ जाति वर्गीकृत है, जिसे अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जा रहा है, किन्तु उक्त अधिनियम में धनगढ़, पाल, बघेल व गडेरिया अनुसूचित जाति में वर्गीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

07-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नहटौर में राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना की मांग

08-श्री ओम कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत राजकीय महिला डिग्री कालेज न होने के कारण क्षेत्रीय महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार हल्दौर या नहटौर कस्बे में महिला डिग्री कालेज की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बिजनौर के नहटौर में 01 स्ववित्तपोषित महिला महाविद्यालय तथा 01 स्ववित्तपोषित सहशिक्षा का महाविद्यालय संचालित है। हल्दौर में भी 01 स्ववित्तपोषित सहशिक्षा का महाविद्यालय संचालित है।

वर्तमान में सरकार की प्राथमिकता न्यू सकल नामांकन दर वाले जनपदों के मुस्लिम बाहुल्य/असेवित विकास खण्डों में सहशिक्षा के राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने की है।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के ग्राम चन्द्रासा कलां में सीलिंग की भूमि तथा उसके आवंटन विषयक जानकारी

09-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के ग्राम चन्द्रासा कलां में सीलिंग की कितनी भूमि है तथा उसका आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील, धौरहरा के ग्राम चन्द्रासा कलां में कुल 4.6860 हेक्टेयर भूमि सीलिंग के खाते में अंकित है। 3.865 हेक्टेयर भूमि का आवंटन कर दिया गया है। शेष सीलिंग की भूमि 0.821 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या-34 (सीलिंग)/1995 दीपेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26-4-1995 द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

10-श्री मो0 आसिफ-

[4थे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में कार्यरत उप कृषि उत्पादन मण्डी समितियों के सम्बन्ध में जानकारी

11-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी उप कृषि उत्पादन मण्डी समितियां कार्यरत हैं ? क्या वर्ष 2012-13 में जनपद मथुरा में उप कृषि उत्पादन मण्डी समिति बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

12-श्री मनीष असीजा-

[3सरे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली में कृषक दुर्घटना बीमा योजना के प्राप्त दावे का भुगतान कराये जाने की जानकारी

13-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली में वर्ष 2010 से जनवरी, 2013 तक कुल कितने दावे प्राप्त हुये हैं तथा प्राप्त दावों में से कितने लाभार्थियों को उक्त योजना की धनराशि वितरित की गयी ? क्या सरकार

बतायेगी कि तहसील रूदौली के शेष लम्बित दावों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

कृषक दुघर्टना बीमा योजना के अन्तर्गत तहसील रूदौली में जनवरी, 2010 से जनवरी, 2013 तक कुल 130 दावे प्राप्त हुए, जिनमें 32 दावे योजना से आच्छादित न होने के कारण निरस्त कर दिये गये तथा 69 दावों में लाभार्थियों को उक्त योजना की धनराशि वितरित की जा चुकी है। 29 दावे लम्बित हैं।

लम्बित 29 दावों में से 11 दावे बीमा कम्पनी से आच्छादित अवधि के हैं जिसका भुगतान बीमा कम्पनी से कराने की कार्यवाही की जा रही है। 18 दावे अनाच्छादित अवधि के हैं जिसका भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

14-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[4थे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम हरदासपुर व तहसील नौगढ़ में स्थित कतिपय गाटा सं0 को पोखरा व भीठा को इन्दराज में अंकित करने की जानकारी

15-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम हरदासपुर, तप्पा-धोष, परगना व तहसील नौगढ़ में स्थित आराजी सं0 705 व 708 भीटा व पोखरा है पर खलीलुर्रहमान पुत्र मो0 याकूब का नाम दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो किसके आदेश से ? क्या यह सही है कि उप जिलाधिकारी नौगढ़ द्वारा उक्त मामले की फर्जी होने की जांच वर्ष 1996 में की गयी और इन्दराज फर्जी होने के आधार पर उप जिलाधिकारी नौगढ़ द्वारा अपने आदेश दिनांक 15-11-1996 को निरस्त कर दिया किन्तु अभी तक इन्दराज ठीक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इन्दराज कब तक ठीक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

श्री खलीलुर्रहमान पुत्र श्री मो0 याकूब के द्वारा न्यायालय उप जिलाधिकारी, नौगढ़ के फर्जी परवाना अमल दरामद के आधार पर दर्ज हुआ था।

जी हां, उपजिलाधिकारी, नौगढ़ द्वारा तहसीलदार नौगढ़ की आख्या के आधार पर अपने आदेश दिनांक 15-11-1996 द्वारा फर्जी परवाना आदेश दिनांक 11-7-1996 द्वारा की गयी प्रविष्टि को निरस्त कर दिया गया और पुनः इसी प्रकरण में अपर आयुक्त न्यायालय द्वितीय, गोरखपुर द्वारा उपजिलाधिकारी के आदेश दिनांक 15-11-1996 को निरस्त करते हुए खलीलुर्रहमान बनाम ग्राम सभा निगरानी को स्वीकार कर लिया गया था। पुनः न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत ही उप जिलाधिकारी, नौगढ़ द्वारा अपने आदेश दिनांक 21-2-2013 द्वारा इसी प्रकरण गाटा संख्या-705, 708 व 757क पर

अंकित खातेदार खलीलुर्रहमान पुत्र मो0 याकूब, निवासी ग्राम-हरदासपुर, तप्पा-घोष का नाम निरस्त कर उक्त भूखण्डों को पूर्ववत् ग्राम सभा के खाते में पोखरा व भीठा अंकित कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त नम्बरों पर यही प्रविष्टि अंकित है।

इन्दराज सही कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम रामपुर खास, तप्पा-घोष, परगना व तहसील नौगढ़ में सीलिंग की भूमि पर अवैध कब्जा हटवाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

16-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम रामपुर खास तप्पा-धोष, परगना व तहसील नौगढ़ में सीलिंग की भूमि पर से अवैध कब्जा हटवाने विषयक क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी व अन्य नागरिकों का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 05-09-2012 को जनता दर्शन के माध्यम से मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां,

प्रकरण की जांच उपजिलाधिकारी, नौगढ़, सिद्धार्थनगर से करायी गयी। जांच में शिकायत निराधार पायी गयी। तद्नुसार शिकायतकर्ता को अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में गुर्जरों को विमुक्त जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने की जानकारी

17-श्री प्रदीप चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में गुर्जरों को विमुक्त जाति का दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र बिना किसी शासनादेश के बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रमाण-पत्र जारी करवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

शासनादेश संख्या-529/26-3-2000, दिनांक 27-02-2001 द्वारा प्रदेश में विमुक्त जातियों को वर्गीकृत किया गया है। इस शासनादेश में गुर्जर जाति वर्गीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील टाण्डा में व्हील्स इण्डिया फैक्ट्री द्वारा निकलने वाले गन्दे पानी से फैल रही बीमारियों की रोकथाम की मांग

18-श्री अली यूसुफ अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील टाण्डा में व्हील्स इण्डिया फैक्ट्री द्वारा निकलने वाले गन्दे पानी से फैल रही बीमारियों को ध्यान में रखते हुये उसकी रोकथाम पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद रामपुर की तहसील टाण्डा में स्थित व्हील्स इण्डिया फैक्ट्री द्वारा किसी प्रकार का गंदा पानी निस्तारित नहीं किया जाता है। उद्योग में पेन्टवारा तथा पेन्ट प्रक्रिया के अन्तर्गत एवं रिम की वाशिंग तथा फ्लोर वाशिंग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया गया है। शुद्धिकरण के बाद उत्प्रवाह का अधिकांश भाग पेंटिग प्रक्रिया में पुनः प्रयोग कर लिया जाता है तथा अवशेष शुद्धिकृत उत्प्रवाह को या तो उद्योग में स्थित प्लांटेशन में पौधों की सिंचाई में प्रयुक्त किया जाता है अथवा इवैपोरेटर द्वारा वाष्पीकृत कर दिया जाता है। इस प्रकार उद्योग को उत्पादन प्रक्रिया से किसी प्रकार के उत्प्रवाह के उद्योग परिसर से बाहर निकलने की सम्भावना नहीं पायी गयी।

फैक्ट्री के गन्दे पानी से फैल रही बीमारियों के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला-रामपुर के सूचना के अनुसार उक्त उद्योग से किसी तरह की कोई खतरनाक बीमारी फैलने की सूचना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करवाये जाने की मांग

19-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में फतेहाबाद रोड से नगला गाड़े तक, बरारा रोड से ग्राम सहारा परिक्रमा मार्ग, नेशनल हाइवे-2 रोड से ग्राम अरतौनी परिक्रमा मार्ग की मण्डी परिषद् द्वारा बनी हुई सड़के जर्जर होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

समयान्तराल के कारण सड़कें मरम्मत योग्य हैं।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य आवश्यक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत मण्डी समिति का जिलाधिकारी से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर मार्गों के मरम्मत हेतु विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी रोड वाया बिहार आदि कतिपय रोडों की मरम्मत कराये जाने की मांग

20-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी रोड वाया बिहार से ग्राम सूचेता तक, जगनेर रोड मलपुरा नहर माइनर बरारा मिढ़ाकुर तक, ग्राम पंचायत कुण्डौल में परिक्रमा मार्ग होती हुई होती लाल के घर से डूगर पप्पू कंट्रोल के घर तक मण्डी परिषद् द्वारा बनायी गयी सड़कें गड्ढायुक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी रोड वाया बिहार से ग्राम सूचेला तक सड़क का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा नहीं कराया गया है। अन्य दोनों सड़कों का निर्माण कार्य मण्डी परिषद् द्वारा कराया गया है जो समयान्तराल के कारण मरम्मत योग्य है।

मण्डी समिति का जिलाधिकारी से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य आवश्यक विकास कार्यो की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत मार्गों के मरम्मत हेतु विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में पथौली रोड से ग्राम सूचेता सौफुरा रोड आदि ग्राम पंचायतों की रोडों की मरम्मत कराये जाने की मांग

21-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में पथौली रोड से ग्राम सूचेता होकर सौ फुटा रोड तक, नगला बिन्दु ग्राम पंचायत बरौली गूजर परिक्रमा मार्ग से बरौली गूजर तक, घड़ी रद्दू ग्राम पंचायत बिसेरा कलां से ढेरई बाली तक मण्डी परिषद् द्वारा बनायी गयी सड़कें गड्ढायुक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सम्पर्क मार्ग पथौली रोड से ग्राम सूचेता होकर सौ फुटा रोड तक मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित नहीं है तथा सम्पर्क मार्ग नगला बिन्दु ग्राम पंचायत बरौली गूजर परिक्रमा मार्ग से बरौली गूजर तक का चौड़ीकरण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा चुका है। घड़ी रद्दू ग्राम पंचायत बिसेरा कलां से ढेरई बाली तक सम्पर्क मार्ग समयान्तराल के कारण मरम्मत योग्य है।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य आवश्यक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत मण्डी समिति का जिलाधिकारी से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर मार्गों के मरम्मत हेतु विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में इस्लामपुर से ब्रह्म नगर कुशबाहों की नगला आदि रोडों की मरम्मत करये जाने की मांग

22-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में इस्लामपुर से ब्रह्म नगर कुशबाहो के नगला तक, शमशाबाद रोड से श्यामों चौराहा से लोधई बजेरा नहर तक, ककरारी रोड से नगला ककरारी, नगला सीसिया तक मण्डी परिषद् द्वारा बनाई सड़कें गड्ढायुक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद आगरा में सम्पर्क मार्ग इस्लामपुर से ब्रह्म नगर कुशबाहों के नगला तक एवं सम्पर्क मार्ग शमशाबाद रोड से श्यामों चौराहा से लोधई बजेरा नहर तक का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा नहीं कराया गया है। ककरारी रोड से नगला ककरारी, नगला सीसिया तक सम्पर्क मार्ग समयान्तराल के कारण मरम्मत योग्य है।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य आवश्यक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत मण्डी समिति का जिलाधिकारी से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर मार्गो के मरम्मत हेतु विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में ग्राम ककरारी में परिक्रमा मार्ग कालीचरन के घर से नगला गुजरा तक की सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

23-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में ग्राम ककरारी में परिक्रमा मार्ग कालीचरन के घर से मंदिर तक, जगनेर रोड नगला परमाल से नगला कारे एवं नगला परमाल से नगला जयराम तक नहर की माइनर ग्राम पंचायत मिढ़ाकुर से नगला भालरा एवं नगला गुजरा तक, मण्डी परिषद् द्वारा बनाई गई सड़कें गड्ढायुक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

समयान्तराल के कारण सड़कें मरम्मत योग्य है।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य आवश्यक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत मण्डी समिति का जिलाधिकारी से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर मार्गों के मरम्मत हेतु विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में सचिवालय कालोनी महानगर की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने की मांग

24-श्री मो0 आसिफ-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सचिवालय कालोनी महानगर, लखनऊ की बाउन्ड्रीवाल बनवाने हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराकर उक्त बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रश्नगत कार्य हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

महानगर सचिवालय कालोनी परिसर के अन्तर्गत बहुखण्डीय आवासीय निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कालोनी में बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने के औचित्य का आंकलन कर समुचित निर्णय लिया जायेगा।

जनपद बुलन्दशहर में मैसर्स गुडलक इंडस्ट्रीज ए-51 के सामने खाली प्लाट में प्रदूषित पानी इकट्ठा होने की समस्या के निदान हेतु पत्र

25-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में मैसर्स गुडलक इंडस्ट्रीज के सेकेण्ड प्लांट के सामने खाली प्लाट में भारी मात्रा में प्रदूषित पानी इकट्ठा होने से भू-गर्भीय जल के प्रदूषित होने तथा क्षेत्र में भयंकर बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रदूषित जल को छोड़ने वाले उद्योग के विरुद्ध जांच कराकर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, मैसर्स गुडलक इण्डस्ट्रीज, ए-51, औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर के सामने खाली पड़े प्लाट की भूमि निचली है। उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 के इस प्लाट के किनारे रोड साइड ड्रेन न होने के कारण बरसाती/औद्योगिक क्षेत्र का पानी इकट्ठा हो जाता है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदूषित पानी इकट्ठा होने तथा भू-गर्भीय जल के प्रदूषित होने के कारण किसी भी प्रकार की बीमारी फैलने की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

मै0 गुडलक इण्डस्ट्रीज, ए-51, औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर के सामने सूचित प्लाट पर जल भराव की समस्या के समाधान हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 गाजियाबाद को उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 7-3-2013 को पत्र प्रेषित किया गया।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने की जानकारी

26-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का धन मृतक आश्रितों को आवेदन करने की तिथि से कितने दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जाने की शासन की नीति है ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के गांव टिकरा के विश्राम की दि0 27-12-2011 को हत्या कर दी गयी थी तथा कन्धई लाल यादव व कुंवर केवट निवासी मो0 हुसैनपुरा, जिला शाहजहांपुर की क्रमशः 3 माह पूर्व व 6 माह पूर्व मृत्यु हो गयी थी

के परिवार वालों को अभी तक राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के तहत रु0 20,000/- की धनराशि नहीं मिल सकी ? यदि हां, तो क्या सरकार पीड़ित परिवारों को उक्त लाभ दिलाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत मृतक आश्रित को आवेदन करने की तिथि से एक माह के अन्दर आर्थिक सहायता अनुमन्य कराये जाने की शासन की नीति है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत जनपद-शाहजहांपुर के ब्लाक-भावलखेड़ा के ग्राम-टिकरा के श्री विश्राम की मृत्यु होने पर उनके आश्रित श्री दुआराम को कोषागार चेक संख्या-327059, दिनांक 08-03-2013 द्वारा रु0 20,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। श्री कन्धई लाल यादव (मृतक) की जांचोपरान्त आयु 65 वर्ष होने के कारण सम्बन्धित मृतक आश्रित को नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जा सकती। शासनादेश संख्या-2069/26-2-2011-100(2)/2007, दिनांक 28 जुलाई, 2011 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परिवार के कमाऊ मुखिया (18 से 64 वर्ष आयु के मध्य) की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दिया जाना अनुमन्य है। श्रीमती किरन पत्नी स्व0 श्री राजकुमार उर्फ कुंवर, निवासी-मो0-हुसैनपुरा को चेक संख्या-917686, दिनांक 30-10-2012, रु0 60,000/- के माध्यम से बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, केरूगंज के खाता संख्या-01/2277 में रु0 20,000/- की धनराशि प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय नगर पालिका क्षेत्र में स्थायी सब्जी मण्डी बनवाये जाने की मांग

27-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में स्थायी सब्जी मण्डी न होने से जी0टी0 रोड के किनारे मुगलसराय बाजार में सब्जी मण्डी लगने से सड़क पर आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं और सड़क पर जाम हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार मुगलसराय में स्थायी सब्जी मण्डी बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां, नगर पालिका परिषद्, मुगलसराय से उप मण्डी स्थल हेतु भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संत कबीरनगर के खलीलाबाद में विकास खण्डवार/जनपदवार लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की जानकारी

28-डा0 मो0 अयूब-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत कबीर नगर के खलीलाबाद विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों में कुल कितने बी0पी0एल0 कार्ड धारक ऐसे वृद्ध

हैं जिन्हें पात्र होने के बाद भी पेंशन नहीं मिल रही है ? क्या सरकार इन सभी का ग्राम पंचायतवार/विकास खण्डवार प्रस्ताव तैयार करवाकर भारत सरकार को भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद-संत कबीरनगर के खलीलाबाद विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों में ऐसे बी0पी0एल0 कार्ड धारक, जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, की संख्या निम्नवत् है :--

1-**विकास खण्ड-खलीलाबाद** में कुल 10805 बी0पी0एल0 कार्ड धारक हैं, जिनमें से 7677 को पात्रतानुसार वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, शेष 3128 बी0पी0एल0 कार्ड धारकों का नाम बी0पी0एल0 सूची-2002 में न होने तथा योजना में निर्धारित पात्रता न रखने के कारण वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं।

2-**विकास खण्ड-बघौली** में कुल 8447 बी0पी0एल0 कार्ड धारक हैं, जिनमें से 7266 को पात्रतानुसार वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है शेष 1181 बी0पी0एल0 कार्ड धारकों का नाम बी0पी0एल0 सूची-2002 में न होने तथा योजना में निर्धारित पात्रता न रखने के कारण वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं।

3-**विकास खण्ड-सेमरियावां** में कुल 11955 बी0पी0एल0 कार्ड धारक हैं, जिनमें से 6772 को पात्रतानुसार वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है शेष 5183 बी0पी0एल0 कार्ड धारकों का नाम बी0पी0एल0 सूची-2002 में न होने तथा योजना में निर्धारित पात्रता न रखने के कारण वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी को शासनादेश के अन्तर्गत पात्र और अर्ह व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

भारत सरकार को वृद्धावस्था पेंशन के पृथक से प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये जाते। भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड-लाइन्स तथा नियमावली के अनुसार राज्य सरकार के स्तर से जनपदवार और विकास खण्डवार लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए यह पेंशन दी जाती है। अतः भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी की कतिपय तहसीलों की चारागाह की भूमि पर चारा उत्पादन की योजना

29-श्री अवस्थी बाला प्रसाद

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- लखीमपुर खीरी में तहसीलवार कुल कितने हेक्टेयर भूमि गोचर/चरागाह के लिए आरक्षित है ? क्या सरकार उक्त भूमि पर चारा उत्पादन कराने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद खीरी में तहसीलवार गो-चर/चारागाह के लिए आरक्षित भूमि का विवरण निम्नवत् है :--

तहसील	गो-चर/चारागाह हेतु आरक्षित भूमि
लखीमपुर	491.910 हे0
गोला	111.074 हे0
धौरहरा	51.578 हे0
निघासन	47.741 हे0
पलिया	2.461 हे0
मोहम्मदी	867.037 हे0

चारागाह की भूमि पर चारा उत्पादन कराने की वर्तमान में दो योजनायें पशुपालन विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही है।

1-चारा एवं चारागाह विकास की योजना (जिला योजना)।

2-परती (वेस्ट लैण्ड/गो-चर भूमि पर चारागाह विकास की योजना (100 प्रतिशत) केन्द्र पोषित।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्राम नगलाकली, कौलक्खा, रजई में निर्माणाधीन सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने का निर्देश

30-श्री काली चरन सुमन-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्राम नगलाकली, कौलक्खा, रजरई में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन अधूरे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनका निर्माण कार्य पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद आगरा के सम्बन्धित ग्रामों में सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण कार्य चल रहा है। इन्हें शीघ्र पूरा कराये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त करते हुए कार्यदायी संस्थाआं को निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

[12.05] नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14-03-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गई, पहली सूचना श्री ललितेशपति त्रिपाठी की प्रदेश की बियार जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्रीमती माधुरी वर्मा की जनपद बहराइच के नानपारा विधान सभा क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नानपारा में महिला चिकित्सक तथा सर्जन की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना डा0 अरूण कुमार की बरेली महानगर

में आई0बी0आर0आई0 गेट से बेलापीर मंडी समिति के निकट 100 फुटा रोड के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री लोकेन्द्र सिंह की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में चल रही अवैध पशु प्रसंस्करण इकाईयों को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्री अनीसुर्रहमान की जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, छठीं सूचना श्री रामवीर उपाध्याय की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दाराऊ की कतिपय जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री चन्द्र भान सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में औझर से लपांव के मध्य सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्रीमती राजमती निषाद की जनपद गोरखपुर के पिपराइच में स्थित उ0प्र0 राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित बन्द पड़ी शुगर मिल को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में, नवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' की है वह उपस्थित नहीं हैं, दसवी सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव की जिला पंचायत बाराबंकी से सम्बद्ध किये गये राजस्व निरीक्षक की सम्बद्धता निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की है वह उपस्थित नहीं हैं, बारहवीं सूचना श्रीमती नन्दिता शुक्ला की जनपद गोण्डा में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुये आरक्षी की प्रथम पत्नी को गुजारा भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में, तेरहवीं सूचना श्री राम मगन रावत की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ में श्री टीकाराम बाबा के पास गोमती नदी पर पीपे का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना साध्वी निरंजन ज्योति की जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा के अन्तर्गत एक भी हाईस्कूल एवं इंटर कालेज न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, पन्द्रहवीं सूचना श्री शारदा प्रताप शुक्ला की 800 के0वी0ए0 अनपरा ई0सी0 सोन तथा गंगा नदी लाइन क्रासिंग के निर्माण में अधिकारियों द्वारा की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी। 1-श्री धर्मपाल सिंह, 2-श्रीमती विमला सिंह सोलंकी, 3-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, 4-श्री अगयश राम सरन वर्मा, 5-श्री शमशेर बहादुर, 6-श्री राजबली जैसल, 7-श्री अजय कुमार 'लल्लू', 8-डा0 धर्म सिंह सैनी, 9-श्री राधेश्याम जायसवाल, 10-श्री रामहेत भारती, 11-श्री अमर पाल शर्मा, 12-डा0 धर्मपाल सिंह, 13-श्री सुरेश बंसल, 14-श्री महावीर सिंह राणा, 15-श्री राजेश त्रिपाठी, 16-श्री जय प्रकाश निषाद, 17-डा0 पूर्णमासी देहाती।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई और जियाउद्दीन रिजवी उपस्थित नहीं हैं उनके स्थान पर श्री राम हेत भारती एवं श्री राजबली जैसल की सूचना स्वीकृत की जाती है।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

प्रदेश के बियार जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ललितेश पति त्रिपाठी-

[मान्यवर, प्रदेश सरकार द्वारा 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, किन्तु बियार जाति को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, जिससे इस जाति के लोगों में असन्तोष है। समाजवादी पार्टी के पिछली सरकार में बियार जाति को

नोटः [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनुसूचित जाति के श्रेणी में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया था, परन्तु वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा बियार जाति को अनुसूचित जाति में न सम्मिलित करना उनके विकसित होने का परिचायक है परन्तु मेरे संज्ञान में पूर्वांचल में ऐसे हजारों बियार परिवार के लोग हैं, जिनकी जिविका का स्तर अत्यन्त कमजोर एवं पिछड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में इस बियार जाति के लोगों के समुचित विकास एवं सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो, इसलिए इन्हें अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाना अति-आवश्यक है। मेरे आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बियार जाति को भी अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने हेतु उचित कार्यवाही की जाय।

अतः जनहित एवं लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय, तात्कालिक विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के नानपारा विधान सभा क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माधुरी वर्मा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र, 283 नानपारा, जनपद-बहराइच के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नानपारा में महिला चिकित्सक तथा सर्जन चिकित्सक की तैनाती न होने के कारण परेशानी होती है इसलिए यहां पर तत्काल महिला चिकित्सक एवं सर्जन की तैनाती किया जाना आवश्यक है। इसी के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बढ़ैय्या कला वर्तमान में जर्जर स्थिति में पहुंच गया है, इसके चारों तरफ कूड़े का अम्बार लगा हुआ है जिसकी साफ-सफाई कराया जाना अति-आवश्यक है। इसी के साथ नानपारा विधान सभा क्षेत्र के सभी प्राथमिक चिकित्सालयों में आवश्यक स्टाफ एवं उपकरणों की व्यवस्था करायी जाय जिससे इस क्षेत्र के निवासियों को जनपद मुख्यालय पर सामान्य उपचार हेतु न जाना पड़े। अतः आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में समुचित स्टाफ एवं आवश्यक उपकरण रखवाया जाय।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करती हूं।]

बरेली महानगर में आई0बी0आर0आई0 गेट से बेलपीर मण्डी समिति के निकट 100 फुटा रोड के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरूण कुमार-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र बरेली नगर में सड़कों की हालत अत्यधिक जर्जर होने के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। आई0बी0आर0आई0 गेट से बेलपीर मण्डी समिति के निकट से 100 फुटा रोड जो पीलीभीत रोड से मिलती है की हालत बहुत खराब है। सड़क गड्ढ़ों में तब्दील हो चुकी है। ढाई हजार से तीन हजार ट्रक, कारें तथा अन्य वाहन इस रास्ते से रोज गुजरते हैं, बहुत धूल उड़ती है, दुर्घटनायें अक्सर होती रहती है। धूल की वजह से आस-पास रहने वालों का जीवन दूभर है तथा दुकानदारों की दुकानदारी पट्ट है, इस सड़क को अवस्थापना निधि से बरेली विकास

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राधिकरण से बनाने का आदेश भी हो गया है लेकिन काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है। जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण एवं जल निकासी की व्यवस्था का कार्य शीघ्र कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्ग का शीघ्र निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में चल रही अवैध पशु प्रसंस्करण इकाइयों को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकेन्द्र सिंह-

[महोदय, मेरी विधान सभा नूरपुर में वर्ष 2009-10 में ग्राम याकूबपुर, पो0 सहसपुर में भू-खण्ड सं0 47, 52 तथा 54 कुल 1.04 क्षेत्रफल पर मै0 उमर इन्टरनेशल नाम की मांस प्रसंस्करण इकाई जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के पश्चात् स्थापित हुई। इस इकाई के विरुद्ध उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध रूप से चलाने तथा प्रदूषण फैलाने के कारण बंदी की कार्यवाही की गयी। परन्तु बंदी की कार्यवाही के उपरान्त भी उक्त इकाई काफी समय तक चलती रही। इसके उपरान्त उसी भूखण्ड (खाता सं0 47, 52 व 54) जिस पर मै0 उमर इंटरनेशनल स्थापित थी, पर भारी जनविरोध व मानकों की अनदेखी करते हुए दिनांक 23-07-2012 को तत्कालीन जिलाधिकारी ने मै0 मार्डरन वधशाला की स्थापना हेतु अनापत्ति सं0 1227/बीस/आयुध सहा0/2012 जारी कर दी जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी अपनी अनापत्ति जारी कर दी। जबकि उस भू-खण्ड पर पहले से स्थापित इकाई अवैध व्यापार तथा प्रदूषण फैलाने के कारण विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड थी। इसी क्षेत्र में एक दूसरी इकाई सारा फूड्स प्रा0लि0 स्थापित है तथा पशु मांस का निर्यात कर रही है। इस इकाई को जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी जारी नहीं किये गये हैं। इसके उपरान्त भी इकाई कार्य कर रही है। उक्त इकाई न तो एग्रीकल्चर एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्टस निर्यात विकास अधिकरण (अपीडा) में पंजीकृत है और न ही आयात निर्यात कोड (IEC) प्रमाण-पत्र प्राप्त की है। यह इकाई पूर्व में मै0 एशियन एग्रो इन्डस्ट्रीज के नाम से कार्य कर रही थी तथा इसके ऊपर स्टाम्प शुल्क के लिए 01 करोड़ 38 लाख रुपये के लिए नीलामी की कार्यवाही लम्बित है।

उक्त सारी पशु प्रसंस्करण इकाइयां अवैध रूप से कार्य करते हुए क्षेत्र में भारी पैमाने पर प्रदूषण फैला रही हैं जिससे क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्र की कानून-व्यवस्था की स्थिति कभी भी खराब हो सकती है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनीसुर्रहमान-

[महोदय, मैं आपका ध्यान अपनी विधान सभा क्षेत्र कांठ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में तहसील कांठ की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। तहसील कांठ मुख्यालय से जिला

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मुख्यालय की दूरी लगभग 40 कि0मी0 है। तहसील कांठ में मुन्सिफ कोर्ट नहीं है। क्षेत्रीय जनता को दीवानी एवं अपराधिक मुकदमों के लिए 40 कि0मी0 दूर मुरादाबाद जाना पड़ता है। कांठ तहसील मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग एवं मुरादाबाद-जम्मुतवि उ0 रेलवे लाईन पर स्थित है। कांठ तहसील की जनसख्या लगभग 3.60 लाख जिसमें दो नगर पंचायतें, दो थाने एक विकास खण्ड तथा लगभग 228 ग्राम पंचायतें हैं। दिल्ली दीवानी एवं अपराधिक मुकदमों की पैरवी करने के कारण मुरादाबाद जाने में भारी धन एवं पैसा खर्च होता है। जबकि जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कांठ तहसील में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना के लिए क्षेत्रीय जनता, राजनैतिक एवं सामाजिक संगठन एवं तहसील बार एसोशिएशन कांठ अक्सर मांग करते रहते हैं। मैं स्वयं भी मा0 मुख्य मंत्री जी से तहसील कांठ में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना के लिए लिखित अनुरोध कर चुका हूं। तहसील कांठ में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना न हो पाने के कारण क्षेत्रीय जनता आक्रोषित है।

अतः मैं लोक महत्व के उक्त अवलम्बनीय विषय पर जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना के लिए सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ की कतिपय जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामवीर उपाध्याय-

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-हाथरस के मेरे विधान सभा क्षेत्र-सिकन्दराराऊ के विकास खण्ड-हाथरस में कई गांव की सड़कें अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं एवं उक्त पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। बारिश के दिनों में उक्त सड़कों पर पैदल चलना भी अत्यधिक कठिन हो जाता है। इन सड़कों पर हजारों ग्रामवासी, क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आने-जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं और लोग घायल हो रहे हैं। सम्बन्धित सड़कों का विवरण निम्नवत् है :--

1-लाड़पुर में लाखनू होते हुए पुरास्टेशन बेरगांव मार्ग-02 कि0मी0।

2-हाथरस जंक्शन रोड केशोपुर-ग्वारऊ व विलोखरी मार्ग-05 कि0मी0।

3-पुरा रेलवे स्टेशन मार्ग से पुरा खुर्द तक-02 कि0मी0।

4-कोका से लाखनू मार्ग तक-02 कि0मी0।

5-लाखनू कोकर मार्ग से नगला खुशाली मार्ग तक-03 कि0मी0।

6-हाथरस जलेसर रोड से गढ़ीबलना तक-02 कि0मी0।

7-हाथरस जलेसर रोड से मिर्जापुर मार्ग तक-02 कि0मी0।

8-हाथरस जंक्शन रोड से बरमाना मार्ग तक-02 कि0मी0।

9-कैशोपुर से ग्वारऊ होते हुए नूरपुर जलेसर मार्ग तक।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण किये जाने की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में औझर से लपांव के मध्य सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद चित्रकूट के मेरे विधान सभा मानिकपुर के अन्तर्गत के ग्राम औझर से लपांव जिसकी दूरी लगभग 4 कि0मी0 पड़ती है। जो कि वन विभाग के अन्तर्गत है जिसके कारण लगभग 150 किमी0 की दूरी तय करनी पड़ती है। इसी तरह ग्राम हनुमानगंज से गिवा कदैला जिसकी दूरी लगभग 5 किमी0 है। यह रोड भी वन विभाग के अन्तर्गत आती है जिसके कारण लोगों को लगभग 175 किमी0. दूरी तय करनी पड़ती है। मेरी विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर दस्यु प्रभावित क्षेत्र होने के कारण कभी भी बदमाश क्षेत्रीय जनता पर अटैक करते हैं। तो पुलिस प्रशासन को भी सीधा मार्ग न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता को सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सड़क निर्माण कराये जाने की कार्यवाही एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के पिपराइच में स्थित उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित बन्द पड़ी शुगर मिल को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजमती निषाद-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम चीनी मिल पिपराइच बहुत अच्छी चीनी मिल है उसके विस्तारीकरण के लिये वर्ष 1989 में तत्कालीन मा0 मुलायम सिंह जी की सरकार ने तीन करोड़ 70 लाख रुपया दिया था। जिसमें जमीन ली गयी और चहारदीवारी कराया गया और मशीनों के आर्डर दिये गये। वर्ष 1991 में विस्तारीकरण की कार्यवाही बन्द कर दी गयी और लगभग 12 लाख रुपया अन्य चीनी मिलों को स्थानान्तरित कर दिया गया। वर्ष 2008 में चीनी मिल को बन्द कर दिया गया, जिससे हजारों मजदूर और लाखों किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। जनहित में उक्त चीनी मिल को चलाया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के संज्ञान में लाते हुए उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम पिपराइच को चलाये जाने की सरकार से मांग करती हूं।]

जिला पंचायत बाराबंकी से सम्बद्ध किये गये राजस्व निरीक्षक की सम्बद्धता निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मराज सिंह यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बाराबंकी में राजस्व निरीक्षक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने राजस्व निरीक्षक कार्यरत हैं। राजस्व निरीक्षक के पद के क्या कर्तव्य वर्तमान सूची में निर्धारित हैं। श्री राम पाल वर्मा राजस्व निरीक्षक को कार्यालय जिला पंचायत बाराबंकी में कब से सम्बद्ध किया गया

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है इन्हें किस कार्य के लिये सम्बद्ध किया गया तथा क्या-क्या दायित्व सौंपे गये हैं। यदि इन्हें लिपिकीय कार्यों के लिये सम्बद्ध किया गया है तो क्या जिला पंचायत कार्यालय बाराबंकी में लिपिकीय कार्यों के लिए स्वीकृत पद के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं। श्री राम पाल वर्मा, राजस्व निरीक्षक द्वारा वसूली कार्य न करने से जिला पंचायत बाराबंकी में राजस्व वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण जिला पंचायत की राजस्व वसूली का लक्ष्य विगत चार वर्षों में बहुत कम रहा है जिससे शासकीय राजस्व की क्षति हुई है। श्री राम पाल वर्मा, राजस्व निरीक्षक की जिला पंचायत कार्यालय बाराबंकी में सम्बद्धता नियमों के विरुद्ध की गयी है जब से इनकी सम्बद्धता की गयी है तब से जिला पंचायत को राजस्व का काफी नुकसान हुआ है। श्री राम पाल वर्मा राजस्व निरीक्षक की सम्बद्धता निरस्त करते हुए मूल विभाग में वापस भेजा जाना आवश्यक है तथा इनकी सम्बद्धता करने वाले अधिकारी को दण्डित किये जाने की आवश्यकता है। इससे जिला पंचायत कार्यालय बाराबंकी के कर्मियों में काफी रोष एवं असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र श्री राम पाल वर्मा की सम्बद्धता निरस्त कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए आरक्षी की प्रथम पत्नी को गुजारा भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती नन्दिता शुक्ला-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम कोचवा थाना कौड़िया तहसील गोण्डा निवासी जगदीश प्रसाद मिश्र पुलिस विभाग के आरक्षी के पद पर नियुक्त थे, नियुक्ति के पूर्व इनकी शादी जामवन्ती देवी से हुई थी, जिनसे 2 बच्चे श्री भगवानदास व श्री राम राखन हैं सरकारी सेवाकाल में ही इन्होंने दूसरी शादी कमला देवी निवासी जमुनहा से कर लिया इनके भी 2 लड़का व एक लड़की है जब प्रथम पत्नी को यह ज्ञात हुआ कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली है तो इन्होंने पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रार्थना पत्र देकर सारी स्थिति से अवगत कराया जिसकी जांच सी0ओ0 सरोजनी नगर एवं महानगर तथा सी0ओ0 करनैलगंज से कराई गई और प्रकरण सही पाया गया तथा जांच अधिकारी ने तत्कालीन पुलिस उपमहानिरीक्षक, लखनऊ को रिपोर्ट सौंप दी, परन्तु पुलिस उप निरीक्षक ने उक्त आरक्षी के विरुद्ध न तो कोई दण्डात्मक कार्यवाही की और न ही गुजारा भत्ता हेतु कोई व्यवस्था का निर्देश ही दिया इसी बीच उक्त आरक्षी श्री जगदीश प्रसाद लखनऊ के थाना हसनगंज से सेवा निवृत्त हो गये तब से इनके दोनों पुत्र एवं पत्नी श्रीमती जामवन्ती देवी दर-दर की ठोकर खा रही है और श्री जगदीश प्रसाद द्वारा अपनी पुश्तैनी जमीन व घर भी गांव के ही एक व्यक्ति के हाथ बेंचकर स्वयं बाराबंकी शहर में मकान बनवाकर द्वितीय पत्नी व इनसे पैदा हुए बच्चों के साथ रह रहे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय अति महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए श्रीमती जामवन्ती देवी पत्नी जगदीश प्रसाद ग्राम कोचवा थाना कौड़िया तहसील गोण्डा को पेंशन की धनराशि से एवं अन्य सरकारी देय से हिस्सा एवं पुश्तैनी जमीन की बिक्री पर रोक हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करती हूं।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ में श्री टीकाराम बाबा के पास गोमती नदी पर पीपे का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम मगन-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत श्री टीका राम बाबा का प्रसिद्ध स्थान है। जहां पर प्रत्येक मंगलवार को मेला लगता है। जनपद के सभी क्षेत्रों से लोग हजारों-हजार संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं। नदी पार करने के लिए कोई नजदीक में पुल नहीं है। पूर्व में नदी पार करते समय तमाम घटना हो चुकी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रेरणा श्रोत स्व0 श्री राम सेवक यादव की जन्मस्थली (गांव) भी है। जनहित में पुल का निर्माण बहुत ही आवश्यक है।

अतः अतिलोक महत्व व जनहित को देखते हुए पीपे का पुल निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। इस पुल के बन जाने से सैकड़ों गांवों सहित जनपद के विभिन्न स्थानों से आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सुविधा हो जायेगी।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि जनहित को देखते हुए अत्यन्त महत्वपूर्ण उपरोक्त पीपे का पुल का निर्माण कराये जाने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष जी सम्बन्धित श्री टीकाराम बाबा के श्रद्धालु/सैकड़ों गांव की जनता व मैं स्वयं आपके व सरकार के आभारी रहेंगे।]

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा के अन्तर्गत एक भी हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

साध्वी निरंजन ज्योति-

[महोदय, जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदाहा अन्तर्गत एक भी हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज न होने के कारण इस क्षेत्र के निवासियों के बच्चों को हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की शिक्षा के लिए 20-20 किमी0 दूर जाना पड़ता है। गरीब परिवार के बच्चे इतनी अधिक दूरी तक नहीं जा पा रहे हैं जिसके कारण वे हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की शिक्षा पाने से वंचित हो रहे हैं। खण्डेह, रीवन, करहिया रतवा, छिपौली, सिजनौड़ी क्षेत्रों के लोगों के बच्चे शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं। इस क्षेत्र में एक हाईस्कूल एवं इण्टर का स्कूल खोला जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज खोले जाने की मांग करती हूं।]

800 के0वी0ए0 अनपरा ई0सी0 सोन तथा गंगा नदी लाइन क्रासिंग के निर्माण में अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि 800 के0वी0 अनपरा ई0सी0 सोन तथा गंगा नदी पर लाइन क्रासिंग के लिये बनाये जा रहे बेल

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फाउण्डेशन जो भारतीय मुद्रा एवं जापानी मुद्रा में लागत मूल्य से अधिक पर सम्बन्धित फर्म को निर्धारित मानकों के हटकर सीमेन्ट एवं स्टील रिइन्फोर्समेन्ट पर मूल्य समायोजन न देय होने के बावजूद अधिक भुगतान कर दिया गया, जो नियमों के विरुद्ध था। यह मुख्य अभियन्ता जनपद पारेषण-द्वितीय, पावर कारपोरेशन विस्तार की घोर लापरवाही का परिणाम है। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा 28-03-2007 को अपने पत्र संख्या 891वि0जा0पारे0म0(इ)/800 के0वी0 लाइन/हुंडई द्वारा मुख्य अभियन्ता पारेषण द्वितीय को अवगत कराया गया था कि फर्म को अधिक भुगतान का समायोजन 18 प्रतिशत पेनाल्टी के आधार पर किया जाए, परन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया गया हैं। मा0 ट्रिबुनल के समक्ष काउन्टर क्लेम दाखिल करने हेतु मुख्य अभियन्ता (अपटप) लखनऊ को इस टिप्पणी के साथ प्रेषित किया था कि उपरोक्त अधिक भुगतान की गई धनराशि पर इस अवधि के लिए ब्याज की वसूली की जाए, जिस अवधि में अधिक भुगतान की गई धनराशि ठेकेदार के पास रही हैं। परन्तु मुख्य अभियन्ता पारेषण द्वितीय की घोर लापरवाही के कारण उपरोक्त धनराशि 13-10-1999 से दिनांक 24-03-2007 तक की लम्बी अवधि व्यतीत होने के बावजूद ठेकेदार से ब्याज सहित धनराशि की वसूली नहीं की गई।

अतः मैं इस गम्भीर प्रकरण पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग पर सरकार से अविलम्ब वक्तव्य/कार्यवाही की मांग करता हूं।]

पाल बिरादरी के उत्थान एवं विकास हेतु कार्यालय, मुख्य तकनीकी अधिकारी भेड़ एवं ऊन, इलाहाबाद में तकनीकी अधिकारी के पद को बरकरार रखने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबली जैसल-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि उ0प्र0 में पशुपालन विभाग द्वारा लगभग 40 वर्षों से पाल बिरादरी के उत्थान हेतु भेड़ों एवं उनके विकास हेतु कार्यालय प्रयोजनाधिकारी संघन भेड़ एवं ऊन विकास प्रयोजन मिर्जापुर के अधीन कार्यालय मुख्य तकनीकी अधिकारी भेड़ एवं ऊन इलाहाबाद संचालित हैं जिसके अन्तर्गत गंगापार, जमुनापार एवं द्वाबा में कुल 43 राजकीय भेड़ एवं एवं ऊन प्रसार केन्द्र संचालित हैं। उक्त केन्द्रों से पाल बिरादरी द्वारा पाली गयी भेड़ों की समसामयिक समस्याओं के निदान एवं भेड़ तथा ऊन के विकास हेतु ग्राम स्तर पर अनेक योजनाएं (चिकित्सा टीकाकरण, दवाखाना, ऊन विकास एवं नस्ल सुधार) पशुधन प्रसार अधिकारी (भेड़ एवं ऊन) एवं भेड़ परिचरों द्वारा संचालित की जाती है। कार्यालय मुख्य तकनीकी अधिकारी भेड़ एवं ऊन इलाहाबाद से मुख्य तकनीकी अधिकारी भेड़ एवं ऊन का पद समाप्त कर दिया गया है। उक्त पद को समाप्त कर देने से पाल बिरादरी में सक्षम एवं ऊन के विकास हेतु तकनीकी संकट खड़ा होने की डर से पाल बिरादरी में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे कि पाल विरादरी में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पाल बिरादरी उत्थान एवं विकास हेतु कार्यालय मुख्य तकनीकी अधिकारी भेड़ एवं ऊन, इलाहाबाद में मुख्य तकनीकी अधिकारी के पद को बरकरार रखने एवं स्कीम को पुनः जारी करने की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव में बनियानी के पूरब डामर सड़क से मलिहाबाद पकरिया सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती-

[महोदय, कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद-सीतापुर में हमारी विधान सभा क्षेत्र 147 हरगांव में विकास खण्ड परसेण्डी के अन्तर्गत ग्राम सेलूमऊ मोतीपुर से तेंदुवा सम्पर्क मार्ग से ग्राम बनियानी के पूरब से मलिहाबाद पकरिया सम्पर्क मार्ग तक बीच का रास्ता कच्चा एवं अत्यन्त खराब है। कच्चा रास्ता होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण जनता का आना जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी रास्ते से किसान अपना गन्ना अवध शुगर मिल्स, हरगांव को ले जाते हैं। जिससे दुर्घटनायें होने की काफी संभावनायें बनी रहती हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय जनता का इसी रास्ते से मलिहाबाद होकर हरगांव कस्बा व बाजार का आना-जाना रहता है। वर्षात के दिनों में कच्चे मार्ग पर बड़े-बड़े गड्डे व कीचड़ होने की वजह से न तो पैदल और न हर किसी वाहन व साधन से आ जा सकते हैं।

अतः इस लोकहित के अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए बनियानी के पूरब डामर सड़क से मलिहाबाद पकरिया सम्पर्क मार्ग तक कच्चे रास्तों को डामर रोड बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

प्रथम सत्र 2013 के चतुर्थ बुधवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-150 का भ्रामक उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14 मार्च, 2013 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 01 सूचना प्राप्त हुई।

श्री राम चन्द्र यादव की प्रथम सत्र, 2013 के चतुर्थ बुधवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 150 का उत्तर सत्य से परे एवं भ्रामक दिये जाने के सम्बन्ध में है।

इसमें नियम यह है कि यह नियम 300 में नहीं आयेगा जब भ्रामक उत्तर है तो इसके लिए नियमों में प्राविधान है 167 है 168 हैं उसके अन्दर दीजिए। यह नहीं सुना जायेगा।

[12.07] उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2012-2013) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास संबंधी संयुक्त समिति (2012-13) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो पोषाहार निर्माता इकाई हेल्थ केयर एनर्जी फूड प्रा0लि0, बदलापुर, जौनपुर के स्थलीय निरीक्षण तथा जनपद वाराणसी एवं जौनपुर में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

† छापा नहीं गया।

शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा पर आधारित है, प्रस्तुत करती हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2012-2013) का पांचवां प्रतिवेदन

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2012-2013) का पांचवां प्रतिवेदन, जो जनपद गौतमबुद्ध नगर एवं मथुरा स्थित पोषाहार निर्माता इकाइयों के स्थलीय निरीक्षण तथा मेरठ एवं आगरा मण्डल के महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण पर आधारित है, प्रस्तुत करती हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या- 5, 6 व 7 में कुछ नहीं है।

[12.10] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14-03-2013 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से प्रथम 2 सूचनाओं को श्लाका के आधार पर ग्राह्यता हेतु स्वीकार किया जायेगा। अन्य सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री मुख्तार अंसारी, श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया', श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री सुरेश राणा, श्री अखिलेश सिंह, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री अजय कुमार 'लल्लू', डा0 मो0 मुस्लिम, कुं0 कौशल सिंह, श्री राधेश्याम, श्रीमती माधुरी वर्मा तथा श्री अनीसुर्रहमान की नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की भतीजी कु0 ललिता बोस द्वारा दायर रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्ड पीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 31-1-2013 को पारित आदेशों के अनुपालन में फैजाबाद निवासी रहे गुमनामी बाबा उर्फ भगवनजी के संबंध में आयोग का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। कौन बोलेगा अखिलेश सिंह, आप बोलिये, लेकिन एक ही बोलेगा।

*श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो मुल्क अपने शहीदों की शहादत, उनके बहे हुये लहू, उनकी कुर्बानियों और संघर्षों को भुला देता है, इतिहास के पन्ने उस मुल्क की आजादी को बहुत दिनों तक याद नहीं रखते। नेता जी सुभाष चन्द्र बोस हमारे देश के राष्ट्रनायक थे, उन्होंने इस देश को क्या दिया, आजादी के बाद आज देश नेताजी के ही आदर्शो पर चल रहा है, जयहिन्द जैसा राष्ट्रीय अभिवादन, चलो दिल्ली जैसा राष्ट्रीय आह्वाहन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसा बलिदानी मंत्र, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार उनके ही विचार थे।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राष्ट्रीय निर्माण के लिये प्लानिंग कमीशन की स्थापना किया, आज जो हम योजना आयोग बनाते हैं, इसे नेताजी ने ही बनाया था सन् 1938 में और कितने अफसोस की बात है कि आजादी के बाद एक तरीके से हम लोगों ने उनको भुला दिया। नेताजी की मृत्यु कैसे हुयी, आज तक इस विषय में कोई नहीं जानता। उनकी भतीजी ललिता बोस ने एक रिट याचिका दायर की थी, 1986 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में, कि नेताजी और गुमनामी बाबा के संबंधों की जांच की जाय। हमारे यहां की न्याय प्रणाली इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, इतनी अच्छी है कि 26 सालों के बाद 31 जनवरी, 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिट याचिका को निस्तारित किया और अपने आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार एक आयोग का निर्माण करे जो यह बतायें 3 महीने के अंदर, कि गुमनामी बाबा कौन थे, गुमनामी बाबा की चीजों को अभिलेखागार बनाकर रखा जाये और माननीय अध्यक्ष जी, गुमनामी बाबा से कौन मिलने आते थे, गुमनामी बाबा से मिलने आते थे नेताजी के बड़े भाई सुरेश चन्द्र बोस। गुमनामी बाबा से मिलने आती थीं लीला राय, जो महान क्रान्तिकारी थीं और उनकी सहयोगी थीं और जिनको संविधान सभा में रखा गया था परन्तु भारत के बंटवारे पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, संसद में उनका चित्र लगा हुआ है। गुमनामी बाबा से मिलने आते थे डा0 पवित्र मोहन राय, जो आजाद हिन्द फौज के इंटेलीजेंस इंचार्ज थे। जब लीला राय अयोध्या पहुंची, गुमनामी बाबा के सामानों को देखकर वह फफक कर रो पड़ी, कहा यह तो हमारे चाचा की हैंडराइटिंग है। आज यह देश जानना चाहता है 68 साल बीत गये, 18 अगस्त, 1945 को ताईवान में उनके एयर क्रैश की कहानी प्रसारित हुई 68 साल बीत गए लेकिन आज भी हर भारतवासी यह मानता है कि वहां पर उनकी मृत्यु नहीं हुई। हमारे देश के नेता गुमराह करते रहे जब भारतवासियों ने ताईवान सरकार से पूछा कि आप बताइए आपके नेता जी से अच्छे सम्बंध थे क्या 18 अगस्त 1945 में उनकी मृत्यु हुई। तो ताईवान सरकार ने जो जवाब दिया उसने सनसनी फैला दिया। आश्चर्यचकित जवाब दिया। उसने कहा कि पूरे 1945 में ताइवान में कोई एयरक्रैश हुआ ही नहीं तो सुभाषचन्द्र बोस की डेथ कैसे हुई। तब हमारे नेताओं ने कहना शुरू किया कि वह रूस चले गए और रूस में उनको गोली मार दी गई। अध्यक्ष जी यह राष्ट्र की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है नेता जी रूस में मरे कहां मरे आज तो उनकी मृत्यु हो चुकी होगी लेकिन हम उनकी संताने हैं हमको यह जानने का हक है कि हमारे महान नेता ने जिन्होंने हमें आजादी दिलाई उनका क्या हुआ। कई आयोग बने खोसला आयोग, शाहनवाज आयोग जिसमें नेता जी के बड़े भाई सुरेश चन्द्र बोस रखे गए थे शाहनवाज आयोग ताईवान जांच करने ही नहीं गया और उसने कह दिया कि एयरक्रैश हो गया। सुरेश बोस उनके बड़े भाई जो उसके सदस्य थे उन्होंने इससे इंकार किया है। 1971 में खोसला आयोग के सामने अपनी गवाही देते हुए सुरेश बोस ने अपनी छाती पीटकर कहा था कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जीवित हैं। यह उनके बड़े भाई ने कहा था उनके भतीजे द्विजेन्द्र नाथ बोस ने कहा कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जीवित हैं मुख्य बात यह है अहम बात यह है कि क्या हम इतने ज्यादा एहसान फरामोश हो जाएंगे हमारा खून इतना गंदा हो जाएगा कि जो व्यक्ति भारतवर्ष के दिलों में धड़कता है उस व्यक्ति को हम ऐसे भुला देंगे क्योंकि हमारे देश के नेता नहीं चाहते। माननीय अध्यक्ष जी यह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है रुस के पूर्व राष्ट्रपति श्री गोर्वाचोव 2004 में भारत आए थे तो पत्रकारों ने उनसे सुभाष चन्द्र बोस के विषय में पूछा कि बताइए हमारे सुभाष चन्द्र बोस का क्या हुआ तो उनका जो जवाब था वह बड़ा आश्चर्य चकित था उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है कि दोनों देशों की सरकारों को मिलकर

इस मसले को हल कर लेना चाहिए। सेकेण्ड वर्ड वार में नेता जी को अंग्रेजों ने युद्ध अपराधी घोषित किया था। और जो हालात थे हम यह नहीं कहते कि गुमनामी बाबा ही नेता जी थे लेकिन जो हालात थे उससे ऐसा लगता है क्योंकि उनके परिवार के लोग ही यह मानते थे। उनकी हैण्ड राइटिंग की जांच हुई जो सरकारी जांच हुई उसमें तो यह नहीं निकला लेकिन सरकारी जांच में यह नहीं बताया कि हैण्ड राइटिंग मेल खा रही है लेकिन बी0लाल पूर्व चीफ एक्जामिनर आफ क्वैश्चनिंग डाकूमेंट हैण्ड राइटिंग एक्सपर्ट जो भारतवर्ष के बहुत मशहूर हैण्ड राइटिंग एक्सपर्ट थे जो रिटायर थे उन्होंने जांच में पाया कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस और गुमनामी बाबा की हैण्ड राइटिंग मेल खाती है। अहम बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 जनवरी 2013 को आदेश किया कि उत्तर प्रदेश सरकार गुमनामी बाबा के बारे में पता लगाए। उत्तर प्रदेश सरकार फैजाबाद में एक अभिलेखागार बनाए क्योंकि फैजाबाद में अभिलेखागार नहीं है बनारस में है और उसमें अन्य चीजों के साथ गुमनामी बाबा की चीजों को रखा जाय। और एक्सपर्ट लोगों की टीम बनाए और जो कमीशन बनाए उसमें हाईकोर्ट के रिटायर जज को रखे लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आदरणीय मुलायम सिंह जी जो खुद नेता जी के प्रसंशक हैं जिन्होंने संसद में उनकी तारीफ किया जिनकी पार्टी की सरकार है आज इस सरकार की मजबूरी क्या है कि डेढ़ महीने बीत गए और डेढ़ महीने बाकी हैं अभी यह कमीशन नहीं बना अध्यक्ष जी यह राष्ट्रीय मसला है वहां पर जो पत्र मिले हैं गुरू गोवलकर जी के भी पत्र मिले हैं गुरू गोवलकर जी उनको संबोधित करते हुए उनसे मार्ग निर्देश मांगते हैं उन गुरु गोवलकर का पत्र मिला है जिनका आडवानी और अटल जैसे धुरंधर नेता आर्शीवाद लेते हैं। वहां पर मुसलमानों के पत्र मिले हैं कि आप बाहर निकलकर आइए अपने मूल स्वरूप में आइए और हमारी रक्षा कीजिए वहां पर जो पत्र मिले हैं बंगाल में एक रायटर्स बिल्डिंग है जैसे यहां विधान सभा है रायटर्स बिल्डिंग बी0बी0डी0 पार्क में है विनय, बादल, दिनेश तीन क्रांतिकारियों ने एक जालिम अंग्रेज आई0जी0को बंगाल विधान सभा में घुसकर गोली मारी थी क्योंकि उसने सुभाष चन्द्र बोस के ऊपर उसने लाठीचार्ज करके जेल में उनकी हत्या का प्रयास किया था। तो विनय, बादल, दिनेश में दिनेश के छोटे भाई....

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

सुनील दास जिनको सुभाष चन्द्र बोस सुकृत कहते थे। उनके पत्र मिले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है या तो इस पर चर्चा करायें या हम पूरे सदन से चाहेंगे क्योंकि मातृभूमि का कर्ज हमारे आपके ऊपर है, इसलिए इस सदन को समवेत स्वर से माननीय अध्यक्ष जी से कहकर प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की भतीजी ललिता बोस के ऊपर 26 साल बाद दिया है, यह सरकार उस आदेश का अनुपालन क्यों नहीं कर रही है। हम अन्य पार्टियों के सदस्यों से भी कहते हैं कि वह भी इस पर अपने विचार रखें।

श्री अध्यक्ष-

इतने लोग कहां तक बोलेंगे, अब आप माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सुभाष चन्द्र बोस जी हमारे देश की आजादी के अग्रणी नेताओं में रहे हैं। उन्होंने अपने आपको देश के लिए समर्पित कर दिया था। उनका संकल्प था कि हम देश को आजाद करा करके रहेंगे। 1918 में वह आई0सी0एस0 चुने गये, उस समय एक हिन्दुस्तानी का आई0सी0एस0 होना बहुत बड़ी बात होती थी। मान्यवर, उन्होंने उस समय आई0सी0एस0 से इस्तीफा दिया, आजादी की लड़ाई में आये, कांग्रेस में रहे, गांधी जी के साथ रहे और यहां पर उन्होंने जेल यातनाएं कीं। जब उनको लगा कि हम भारत वर्ष में रह करके देश को नहीं आजाद करा सकते हैं तो वह देश से बाहर गये और देश से बाहर जाकर उन्होंने लड़ाई लड़ी। वहीं जैसा कि 1945 में ताइवान में एयरक्राफ्ट में दुर्घटना के बाद पता चला कि वह हमारे बीच में नहीं हैं। यह सवाल हमेशा खड़ा होता रहा, खोसला शहनवाज खां की कमेटी बनाई गई और उसमें जांच हुई। गुमनामी बाबा के सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि 1980 में जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ था तो हमारे पास एक बहुत ही बुजुर्ग सन्त आये थे और उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ अयोध्या चलिये मैं आपको बहुत ही महान लोगों से मिलाना चाहता हूं। बाद में उन्होंने सुभाष चन्द्र बोस जी का नाम लिया तो हमें लगा कि चूंकि 1975 में एक बाबा जयगुरुदेव जी थे कानपुर में वह अपने आपको प्रकट करने लगे थे इसलिए हमको उस समय विश्वास नहीं हुआ। हम लोग 1986 में यहीं पर सदस्य थे और आप भी थे आपको याद है कि जब उस समय गुमनामी बाबा नहीं रहे तो यह प्रश्न आया था कि यह वही सुभाष चन्द्र बोस तो नहीं हैं। आज बहुत भारी प्रश्न हम लोगों के सामने है, जिन परिस्थितियों में उस समय उन्होंने एक्सेस फोर्स के साथ मिलकर भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सिंगापुर से बर्मा तक उनकी आजाद हिन्द फौज आई थी तो शायद उनको वार क्रिमिनल डिक्लियर किया गया था। यही तमाम ऐसे कारण हैं जिससे पर्दा उठना चाहिए। आज देश की जनता यह जानना चाहती है अपने ऐसे नेताओं के विषय में जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी के लिए दे दिया। मान्यवर, इसी सम्बन्ध में यह रिट याचिका दाखिल हुई है, उसमें एक निर्णय भी हुआ है, हालॉकि यह अन्तरिम निर्णय है लेकिन इस अन्तरिम निर्णय पर मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी की सरकार को इसके पालन में कोई भी हिचक नहीं होगी। इसमें जल्दी से आयोग गठित करके जो भी चीजें कही गई हैं उसे लागू करा दिया जाए।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, चूंकि माननीय अखिलेश सिंह जी और माननीय अनुग्रह सिंह जी द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत जो सूचना प्रस्तुत की गई है। यह बहुत ही गम्भीर है और ऐसे राष्ट्रभक्त जो इस देश की आजादी के रहनुमाओं में से एक थे, दो नाम मुख्य रूप से आते हैं, सुभाष चन्द्र बोस जी और महात्मा गांधी जी, तो मान्यवर, ऐसे महानुभाव के विषय में यह सूचना प्रस्तुत की गई है और सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो माननीय सदस्य अखिलेश सिंह जी ने और माननीय अनुग्रह सिंह जी ने जो बातें रखी हैं और सूचना में भी वह उद्धृत है और माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्देश है। मान्यवर, यह इस देश के लिए दुर्भाग्य होगा कि सुभाष चन्द्र बोस जैसे नेताओं के विषय में हम यह नहीं पता कर सके कि उनकी मौत कब हुई थी, एयरक्रैश में हुई थी, रूस में हुई थी या भारत में हुई थी, अगर हम इन तथ्यों का पता नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि यह हमारे इन तमाम

नेताओं के प्रति उदासीनता होगी, उनकी उपेक्षा होगी और उनके मान सम्मान के खिलाफ होगा। इसलिए मैं इस गम्भीर मामले पर आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने अपेक्षा की है कि एक आयोग का गठन किया जाए, विशेष रूप से गुमनामी बाबा, जो फैजाबाद में रहते थे, वही सुभाष चन्द्र बोस हैं इसका पता किया जाए। यदि ऐसा है तो उनसे संबंधित जो भी सामग्रियां हैं उसको एक संग्रहालय बनाकरके उसमें सुरक्षित रखा जाए। यह आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम समझते हैं कि यह बहुत आवश्यक है कि सुभाष चन्द्र बोस जैसे महान नेता के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए और सही मायने में ऐसे महापुरूषों के प्रति यही सम्मान होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन सब भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी अपना उत्तर देने का काम करेंगे। धन्यवाद।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है, पूरे राष्ट्र की भावना इससे जुड़ी हुई है। मैं केवल यहां तक अपने आपको सीमित रखना चाहता हूं कि 1986 में एक रिट पिटीशन हुआ, उस पर 31 जनवरी को एक आदेश हुआ हाईकोर्ट का, 31 जनवरी को आदेश होने के बाद यह अपेक्षा की गयी कि आयोग का गठन किया जाए। आयोग का गठन प्रदेश सरकार को करना है। मैं यहीं तक सीमित रखता हूं कि जब हाईकोर्ट का आदेश है और राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न को लेकर के है, तो अब तक गठन हो जाना चाहिए था, उसके गठन होने में विलम्ब नहीं होना चाहिए था। हो सकता है कि कोई बात निकल करके आये। आयोग पहले भी गठित हुए इस प्रकरण को ले करके और काफी वर्षों तक चले और अभी भी एक भ्रम की स्थिति समस्त देश में बनी हुई है। खासतौर से यह कि जहां पर एअर दुर्घटना की बात कही गयी थी, ताइवान सरकार ने कहा कि 1945 में कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी, इस तरह से इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका कोई समाधान नहीं हो पाया अभी तक। मैं प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने तीन महीने का समय दिया है तो आयोग का गठन होना चाहिए। पहले भी एक महीना टाइम दिया जाता है, 6 महीना बढ़ जाता है लेकिन गठन तो हो जाए बढ़ने की बात तब आयेगी। अगर विलम्ब होता है तो विलम्ब होने से कुछ न कुछ दिक्कत आयेगी। इसी अनुरोध के साथ आपके माध्यम से आग्रह करते हुए कि अविलम्ब गठन हो जाए और गठन होने के बाद में जो समस्या सामने आयी है उसका समाधान होने का प्रयास हो। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री प्रदीप माथुर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माथुर जी, आपकी पार्टी के श्री अखिलेश प्रताप सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह जी बोल चुके हैं, सारी चीजें रख दी हैं। अब माननीय मंत्री जी खड़े हो गये हैं, उनका जबाव सुन लीजिए।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। यह राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। गुमनामी बाबा के लिए जो हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है और 3 महीने का जो समय दिया है मैं उम्मीद करता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार उसे गम्भीरता से लेगी। क्योंकि मा0 सुभाष चन्द्र बोस जी देश के ही नहीं पूरी दुनिया के, मार्गदर्शक, पथ-प्रदर्शक थे, उनसे लोग देश की आजादी के तरीके जाना करते थे कि किस तरह से उन्होंने देश को आजाद करने के डायरेक्शन दिये थे और देश ने आजादी पायी थी। तो मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार इस मामले को गम्भीरता से ले करके आयोग जल्दी से गठित करेगी।

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आज कार्य-स्थगन की सूचना के माध्यम से मा0 अखिलेश सिंह जी ने जो बात सदन के सामने रखी है और तदुपरान्त श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी, मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 नेता भा0ज0पा0 और मा0 नेता कांग्रेस ने भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। मान्यवर, किसी को भी इस हिन्दुस्तान में जब आजादी की लड़ाई का जिक्र करना होगा तो वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का नाम लिये बिना पूरी नहीं हो सकती और नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की विचार धारा से कौन लोग सहमत थे और कौन लोग सहमत नहीं थे आज वह पीढ़ी भी हमारे सामने नहीं है। उनके जीवन काल में उस लड़ाई का जो उनका अपना तरीका था उसको किन लोगों ने स्वीकार किया और किन लोगों ने स्वीकार नहीं किया वह पीढ़ी आज हमारे सामने नहीं है। और वह सभी लोग सम्मानीय हमारे लिये हैं जिन्होंने उस रास्ते का अनुसरण किया, जिन्होंने उस रास्ते का अनुसरण नहीं किया लेकिन नेता जी सुभाष चन्द्र बोस का जो योगदान आजादी की लड़ाई में है मान्यवर, उस योगदान को उसका मूल्यांकन करने की हैसियत किसी में नहीं है वह इतना अनिवार्य था मेरा ऐसा मानना है कि चाहे आजादी की लड़ाई के जितने पन्नों का जितना भी उल्लेख कर लिया जाय लेकिन अगर एक व्यक्ति का नाम लेना होगा तो महात्मा गांधी जी, जिनकी तस्वीर के नीचे हम लोग बैठे और महात्मा गांधी के बाद अगर किसी दूसरे का नाम लेना होगा तो नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के अलावा कोई दूसरा नाम आजादी की लड़ाई में नहीं हो सकता (मेजें थपथपाई गईं) 1945 में उनकी मृत्यु की जो कथा प्रचलित है। इस सदन में बैठे हुए तमाम लोग ऐसे हैं जो 1945 में पैदा नहीं हुए होंगें। कदाचित् कोई है 1945 के पहले का मुझे नहीं पता। एक आद लोग होंगें लेकिन मान्यवर, उतने लम्बे समय से किन कारणों से देश की हुकूमत जिनके पास रही और प्रदेश की हुकूमत जिनके पास रही जिनके ऊपर सर्वाधिक जिम्मेदारी थी कि इस रहस्य पर से पर्दा उठाते और नेता जी सुभाष दुनिया के किसी कोने में अगर जीवित होते तो उनको ले आते और उनका जो सम्मान होना चाहिए था वह सम्मान राष्ट्र उनको दे सकता इससे वंचित करने का काम किसने किया, इस सवाल पर तो विचार करना पड़ेगा। नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग करने के पहले इस बात पर तो विचार कर लेना चाहिए था कि जिनके पास देश की सत्ता भी रही और प्रदेश की भी सत्ता लगातार 45 सालों तक रही आखिरकार उन्होंने किन कारणों से नेता जी को गुमनामी में रहने के लिये बाध्य किया अगर नेता जी जीवित थे। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कौन से वो लोग थे जो नेता जी के जीवित रहते चाहते ही नहीं थे कि हिन्दुस्तान में किसी हालत में उनको लाया जा सके। अगर कोई आयोग बने जो जांच तो इसकी होनी चाहिए। जांच का विषय यह है। मान्यवर, जांच का असली विषय यह है, जांच का और कोई दूसरा विषय नहीं है। (मेजें थपथपाई गई) मान्यवर, जो असल अपराधी थे उनके वारिस तो ढूंढने से कहीं न कहीं मिल जायेंगें छोटे वारिस बड़े वारिस, असली वारिस नकली वारिस। पता नहीं कौन से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन मान्यवर, उनको ढूंढना पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस दुनिया में सशरीर वह उपस्थित हैं, नहीं उपस्थित हैं जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया, उनके विषय में क्या कहा जाय। अच्छा लगा कांग्रेस के लोगों ने उठा दिया। बड़ा अच्छा लगा। कभी कभी ऐसी अनुभूति होती है और कभी कभी अपने दोष अपने सिर पर ऐसे आकर चढ़ जाते हैं कि फिर इस बात का बोध नहीं रह जाता है कि फिर इस बात का बोध नहीं रह जाता है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में गुमनामी बाबा के बारे में जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो अंतरिम आदेश दिया है, उसके बहाने से भी अगर यह बात आई है अखिलेश जी तो हम आपको बधाई देते हैं कि कम से कम आगे पीछे लम्बे समय तक इस जमात में बैठने के बाद भी यह चेतना आई, इस बात के लिये मैं बधाई देना चाहता हूं कि यह बात सदन में आई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी सरकार की दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट हमारी है। नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के सम्बन्ध में अगर किसी तरीके की कोई भ्रांति है तो दो पीढ़ियां गुजर गईं लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी भी स्पष्टता से जान सके कि और इससे निकल सके कि नहीं नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जैसे हमारे राष्ट्र नायक के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में भ्रम की स्थिति दुनिया में रह गई तो यह अच्छी बात नहीं होगी और इस सम्बन्ध में श्रीमन् न्यायालय के भी आदेश अगर है तो न्यायालय के आदेशों का तो हमेशा से सम्मान करते हैं लेकिन आज यह कार्य स्थगन का विषय है। मैं अपनी ओर से आपसे अपनी ओर से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि कार्य स्थगन का यह नोटिस जो नोटिस है इसको कार्य स्थगन के रूप मे स्वीकार न करें लेकिन सदन में इस पर चर्चा हो और विस्तार से इस पर बातें आ सकें तो सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जैसा निर्णय इसमें लें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में उल्लेख किया है पार्टी का। मान्यवर, इस देश में आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का जो शासन था उसी ने उनकी खोज के लिये जस्टिस मुखर्जी आयोग एवं खोसला तथा कर्नल शाहनवाज खां आयोग गठित किया था। उन सारे तथ्यों को इकट्ठा करके कुमारी कमला बोस ने मुकदमा दायर किया था। नेता जी के संबंध में जितने चिन्तित आप हैं, अब तो आपके नेताजी का नाम भी नेताजी हो गया है, हालांकि नेताजी का नाम वर्तमान समय में, बाहर लेना बड़ा गड़बड़ लगता है, कोई दूसरे दृष्टिकोण से देखने लगे, लेकिन वह नेताजी जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, और मोतीलाल नेहरू जी, जवाहर लाल नेहरू जी, सरदार बल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के साथ जो थे,उनकी जांच के लिए भारत सरकार ने कमेटी बनाई और उन कमेटियों से जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं उन्हीं के आधार पर... (शोर)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी ने नोटिस दिया और इन्होंने कांग्रेस को प्रमाण-पत्र भी दे दिया है कि कांग्रेस ने सारे प्रयास कर लिए, अगर कांग्रेस ने सारे प्रयास कर लिए, तो यह रिट क्यों ? मान्यवर, नेता जी सुभाषचन्द्र बोस जी के बारे में कोई भ्रम या उनके जीवित रहते उनको देश के सामने लाने की जिम्मेदारी किसकी थी ? इस पर बहस की जरूरत है क्या ? इस पर कोई सन्देह है क्या ? मैंने यही बात कही है कि अगर नेताजी जीवित थे तो वह लोग जिन्हें सत्ता प्यारी थी, देश प्यारा नहीं था, उन लोगों ने उनको रोकने का काम किया होगा तभी वह सामने नहीं आ सके।

(मेजें थपथपाई गईं)

क्योंकि उन लोगों का चेहरा बेनकाब होता जिन लोगों ने देश का बंटवारा किया। वह बातें खुलकर सामने आतीं, मान्यवर, जब नेता जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद भी सीता रमैया के लिए इस्तीफा देकर जाना पड़ा था। यह सारी बातें बेनकाब होंगी इसलिए उनको सामने नहीं लाना पड़ा।

(मेजें थपथपाई गईं।)

मान्यवर, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी इसलिए बेहतर है कि चर्चा होगी तब कह लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने अनुग्रह नारायण सिंह जी को सुना, अखिलेश जी को सुना इसमें मैं एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

एक बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

जब एक घंटे की चर्चा स्वीकार कर ली तो आप काहे पर बोल रहे हैं। आपकी सफाई अनुग्रह जी ने दे दी।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने भावावेश में कहा है कि कि हाईकोर्ट इसमें क्या करेगा, तो इसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं दुबारा कहता हूं कि सदन पर किसी मामले में हाईकोर्ट क्या करेगा।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

इन्होंने सदन की बात पर नहीं कहा, इन्होंने कहा जो मुकदमा हुआ है, उस पर कहा कि हाईकोर्ट क्या करेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

जब यह नोटिस सदन में आ गई और हम सदन में इस पर विचार कर रहे हैं तो इस पर हाईकोर्ट क्या करेगा।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है अगर मंत्री जी कह रहे हैं तो यह सत्य से परे बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

बैठिए। मैंने अनुग्रह नारायण सिंह जी को सुना, अखिलेश प्रताप सिंह जी को सुना, मंत्री जी को सुना, इसको नियम-56 में अग्राह्य करता हूं लेकिन इस पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं।

दूसरा माथुर साहब की सूचना है, इन्होंने जनपद मथुरा में दिनांक 12-3-2013 को मथुरा वृन्दावन मार्ग पर टैम्पो में सवार 11 लोगों की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, यह खाली वृन्दावन का मामला नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है और उत्तर प्रदेश में जितने भी टैम्पो या छोटे वाहन होते हैं वह इतनी ओवरलोडिंग करके चलते हैं उसमें ट्रैफिक पुलिस की मिलीभगत होती है और परिवहन विभाग लोगों की मिलीभगत होती है। एक टैम्पों में। 20-25 लोग लदकर चलते हैं उस समय पुलिस की चौकियां, पुलिस के दरोगा उनसे वसूली कर लेते हैं और उन्हें जाने देते हैं। और जब एक्सीडेंट होते हैं, तब सब के सब मारे जाते हैं। मान्यवर, इसी तरह की एक घटना है, दिनांक 12 मार्च को मथुरा से वृन्दावन एक टैम्पो जा रही थी, जिस पर 14 लोग सवार थे। एक स्कूल से आती हुई बस के साथ भिड़ी और 14 में से आन द स्पाट 11 लोगों की मृत्यु हो गई और उस मृत्यु के उपरान्त वहां पर चीत्कार, हाहाकार मच गया और उस स्थिति में मान्यवर, जो परिवहन विभाग के लोग और उनसे सम्बन्धित जितनी चौकियां हैं, मथुरा, वृन्दावन के बीच में या मथुरा-गोवर्धन के बीच में या प्रदेश में जितने भी तीर्थ-स्थल हैं, वहां पर अवैध वसूली करके ओवर लोडिंग करा कर ले जाते हैं। मान्यवर, यह जो 11 लोग थे, निहायत गरीब लोग थे, उन बस्तियों में रहने वाले मजदूर लोग थे, उनकी स्थिति ऐसी है कि उनके परिवार का भरण-पोषण करने वाला अब कोई नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार इस बात का ध्यान दे और जो 11 लोग अकाल-मृत्यु का शिकार हो गए हैं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी ट्रैफिक विभाग, परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की थी, मान्यवर, जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी तमाम ऐसे लोगों को कम्पेन्सेट करते हैं, मुआवजा देते हैं, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि एक तरफ तो आप पुलिस, ट्रैफिक विभाग और परिवहन विभाग पर सख्ती करें और इन मरने वाले लोगों को उचित मुआवजा दिलवायें, जिससे कि उनके परिवार को कुछ राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष-

यह एक्सीडेंट का मामला है। मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, इसलिए अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय मंत्री जी, कुछ तो आश्वासन दे दीजिए। वह गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप उसमें चिट्ठी लिखकर भेजिए, उसमें किसान होंगे, खेत वाले होंगे और लोग होंगे, उस मद से भी दिलाइए।

माननीय मौर्य जी, आपकी पार्टी की तरफ से आया है कि जनपद लखीमपुर के थाना धौरहवा में दिनांक 13-3-2013 को 8 वर्षीय मोनू की गोली मारकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे दल के विधायक श्री शमशेर बहादुर जी हैं, यह उनके क्षेत्र की घटना है, दो शब्द वह बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, दो शब्द बोल लीजिए।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

अध्यक्ष जी, कल सुबह साढ़े नौ बजे के करीब हमारे विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के सिसैया कलां गांव में 8 वर्षीय लड़का मोनू जो कि हासिम उर्फ गड्डे का पुत्र था, उसके सीने पर गोली मार कर हत्या कर दी गयी। दुख सभी को है, वहां पर रोष है लेकिन मान्यवर, जिस तरीके से हत्या की गयी कि वह लड़का 5-6 बच्चों के बीच में खेल रहा था। वहां पर 4-5 लोग पहुंचते हैं और पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है, बाप का नाम क्या है ? उसको चिन्हित किया। जब उसने बताया कि मेरा नाम मोनू है, बाप का नाम पूछा तो बताया कि हासिम उर्फ गड्डे है, इतना कहते ही उसके सीने पर गोली मारते हैं। मान्यवर, वह 8 साल का बच्चा था, सुबह साढ़े नौ बजे की घटना है। मान्यवर, उससे पहले 2 बार उस गांव में गोली चल चुकी थी, जिस दिन कानून-व्यवस्था पर मामला उठा था, उस दिन भी हमने बताया था कि 501(ए) के तहत् जो अपराध कायम हुआ था, 5 लोगों को गोली लगी थी, सीने में छर्रे लगे थे, उसको 324 में कर दिया गया था, मान्यवर, खड़े-खड़े जमानत हो गई थी। उन्हीं लोगों ने फिर दिनदहाड़े फिर मारकर हत्या कर दी है। मान्यवर, यह बहुत ही लोमहर्षक घटना है और बहुत ही दुखदायी घटना है। इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस पर सरकार प्रभावी कार्यवाई करे।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने कहा है, चूंकि कई घटनाओं का उल्लेख जो पहले आ चुकी हैं, उनको दोहराने से यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं बनता है लेकिन जिस विशेष घटना के बारे में उन्होंने कहा है, उसे दिखवा लेंगे और कारगर कार्यवाई होगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसमें नामजद अभियुक्त हैं, उन नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए और इस पर मान्यवर, आपके द्वारा वक्तव्य भी मंगवा लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

जब मंत्री जी कह रहे हैं कि दिखवा लेंगे तो वक्तव्य क्या ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

ठीक है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या को सुना और मंत्री जी ने उस पर कार्यवाई करने का आश्वासन दिया। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

अब आज बाकी सारी सूचनाएं अग्राह्य करता हूं। बजट है। अब वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक अनुदानों पर चर्चा।

अब आप लोग बैठिए।

(श्री संजय कपूर के बोलने का प्रयास करने पर उनका माइक आफ था)

श्री अध्यक्ष-

नहीं अब नहीं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आप अपना बजट प्रस्तुत करें।

(श्री धर्मपाल सिंह के बोलने का प्रयास करने पर उनका माइक आफ था।)

श्री अध्यक्ष-

अब नियम-56 नहीं। बैठिये। आप खुद मंत्री रहे हैं। बैठिये। माननीय मंत्री जी आप बजट रखिये।

[12.46] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 41,13,85,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,92,44,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 25,82,64,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया और बजट पेश करने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मान्यवर, वर्ष 2013-14 का बजट पेश किया गया और हमारी सरकार के एक साल पूरे हो

गये हैं। पिछला बजट जब पेश किया गया था उसके एक साल हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में जनता से वायदे किये थे। समाजवादी सरकार ने और हमारे नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने घोषणा-पत्र में वायदा किया था कि सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा मुफ्त होगी। पहला सबसे बड़ा वायदा था। क्योंकि नेता जी कहते हैं कि जो कहा जाये उसको पूरा किया जाये तो मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उस वायदे को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाये गये हैं। हमारी सरकार के आने के पहले तीन दिन की दवायें लोगों को मिलती थीं, लेकिन समाजवादी की सरकार के आते ही पांच दिन की दवायें निःशुल्क दी जा रही हैं और विशेष परिस्थितियों में गम्भीर बीमारियों में 15 दिन तक की दवायें एक साथ मुफ्त दवायें सारे अस्पतालों में दी जा रही हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष जो चल रहा है 2012-13 में दवा की खरीद में 360 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया। यह 360 करोड़ रूपया प्रदेश के सारे जनपदों में एलाट कर दिया गया और इसमें 20 प्रतिशत ऐसा रखा गया कि अगर गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए इलाज की जरूरत पड़े तो स्थानीय लेविल पर खरीद कर उनको मुफ्त इलाज कराया जाय, उसके लिए भी रख दिया गया है। हमें यह कहते हुए खुशी है कि सिर्फ एक वर्ष में 548.64 लाख रोगी का इलाज किया गया और 2013 में किया जाता रहा है, लेकिन 2013 में 569.61 लाख रोगियों का इलाज किया गया, एक साल में 21 लाख ज्यादा रोगियों का इलाज अस्पतालों में किया गया है, यह मेरी सरकार में हुआ, उनको दवायें मिलीं, उनको इलाज मिला।

इतनी भीड़ है आज लोहिया, बलरामपुर, सिविल अस्पताल में कि तीन गुना मरीज वहां पर हैं, लेकिन मान्यवर आप पूरे प्रदेश में कहीं भी जांच करा लें उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में किसी भी अस्पताल में दवाओं की कमी नहीं है। सारा पैसा दे दिया गया और अगर कोई मा0 सदस्य मुझे बतायेंगे कि कमी है तो मैं उनको आश्वस्त भी करना चाहता हूं और यह सच्चाई भी बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से दवाओं को उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं की गई है, अगर कहीं कमी होगी, तो स्थानीय स्तर पर लोगों की गड़बड़ी से होगी, अगर बताया जायेगा तो हम उसको सजा देंगे और दी गई है। मैं मान्यवर बाद में अभी आपके सामने वह पेश कर रहा हूं। मान्यवर, इन दवाओं के सिलसिले में सबसे बड़ी बात जो है, बहुत कठिनाइयां, चुनौतियां हम लोगों के सामने आ रही हैं, स्वास्थ्य विभाग में तो आप जानते ही हैं, आपके नॉलिज में है, जनता भी जानती है, लेकिन मंहगाई बढ़ रही है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज सस्ती हुई हो, लेकिन सिर्फ पैरासीटामाल टैबलेट जो घर-घर में इस्तेमाल होती है मान्यवर, पैरासीटामाल सीरप जो घर-घर इस्तेमाल होता है बच्चों के लिए, सिर्फ अभी उसकी जो खरीद हुई है, जो कान्ट्रेक्ट हुआ है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उसके दाम थे 7 रुपये 73 पैसे और हमारी सरकार में आज 5 रुपये 75 पैसे है, 02 रुपये कम है। यह ईमानदारी से मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के दिन में पैरासीटामाल मैंनें नाम इसीलिए लिया, एक इंजेक्शन था जो 33.33 रुपये में खरीदा गया, हमारी सरकार में आयरन का वह इन्जेक्शन 17 रुपये में खरीदा गया, यानी 20 रुपये कम कीमत पर। मान्यवर, जो 360 करोड़ रुपया दिया गया, उसमें इतनी दवाइयां हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है। उसके अलावा भी एन0आर0एच0एम0 घोटाले का जिक्र मैं अभी बाद में करूंगा, उससे भी 100 करोड़ रुपया और जच्चा-बच्चा, महिलाओं के लिए और दिया गया और इस तरह से आज उत्तर प्रदेश में पूरी कोशिश की गई है कि हमारे घोषणा-पत्र में जो बातें

कही गई हैं, उसको पूरा करने के लिए सारा किया जा रहा है, जो कठिनाइयां हैं, उनका सामना किया जा रहा है। उसी में कहा गया है कि मुफ्त चिकित्सा सुविधा इण्डोर के लिए, भर्ती के लिए 35 रुपये देना पड़ता था हर जगह, समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही मुख्य मंत्री जी ने आते ही वह 35 रुपये गरीबों का माफ कर दिया, अब बिना कोई पैसा दिये हुए इण्डोर की भर्ती होती है, इलाज होता है, किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी सुविधा चूंकि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को गरीबों को, उनके दरवाजे तक पहुंचाने के लिये, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, घोषणा-पत्र में भी की गयी और मुझे इस बारे में खुशी है और मा0 मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई दूंगा कि जितना पैसा उनसे मांगा गया इस मद में या स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये, मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने बड़ी उदारतापूर्वक सारा पैसा तुरन्त उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में चूंकि हम जानते थे कि अभी अस्पतालों में बहुत चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं इसलिये सबसे पहला काम ये किया गया 2012 में 108 नम्बर की एम्बुलेंस सेवा, समाजवादी स्वास्थ्य सेवा शुरू की गयी। मान्यवर, ये ऐसी एम्बुलेंस है जो 20 मिनट में प्रदेश के किसी घर में, शहरों में ही नहीं, गांव में दूरदराज गांव में 20 से लेकर 30 मिनट में पहुंच जायेगी और जब से ये स्वास्थ्य सेवा सितम्बर से शुरू की गयी है, अब तक 2 लाख 70 हजार मरीज इसका लाभ उठा चुके हैं। 988 एम्बुलेंस सरकार ने, समाजवादी सरकार ने 6 महीने के अन्दर सड़कों पर गरीबों की सेवा के लिये लगा दी हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि शायद हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है। हिन्दुस्तान ही नहीं यह दुनिया के इतिहास में नहीं है। 20 से 30 मिनट में पहुंचती, निःशुल्क है। देश के अन्दर ऐसा कोई प्रदेश नहीं है कि जहां पर हर आदमी को एम्बुलेंस फ्री दी जा रही हो। ये उत्तर प्रदेश में ही है और एक पैसा नहीं लिया जा रहा है। 988 एम्बुलेंस हम 6 महीनें में चला रहे हैं और यही नहीं वो एयर कण्डीशन एम्बुलेंस हैं। मान्यवर, अब तक उसमें 1374 महिलायें, लगभग 1400 महिलाओं की डिलिवरी उस एम्बुलेंस में हुयी है। मैं ज्यादा बात नहीं कहता क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हमें एक मौका मिला है। एक अपॉरचुनिटी मिली है जनता की सेवा के लिये, करेंगे। जितनी कठिनाइयां आयी हैं, उसका आगे जिक्र करते हैं। एम्बुलेंस में ही डिलिवरी हो गयी, बच्चा भी स्वस्थ है और मदर भी स्वस्थ है। ये एक रिकार्ड है। समाजवादी सरकार में जो कुछ किया जा रहा है। आप उसको समझें इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, इसी सिलसिले में गरीबों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिये समाजवादी पार्टी 100 हेल्थ पोस्ट अरबन, शहरी इलाकों में खोला है। अगर हम बिल्डिंग बनाते तो बहुत वक्त लगता। डाक्टर नहीं थे लेकिन तुरन्त डाक्टर नियुक्त करके 7000 अरबन हेल्थ पोस्ट कायम की गयीं। वहां एम0बी0बी0एस0 डाक्टर आये हैं, नर्स दी गयीं। इसके अलावा सारी दवायें दी गयीं। लखनऊ में ऐसे 10 अस्पताल खुले हैं, 100 अस्पताल एक साल के अन्दर खोल दिये गये हैं झुग्गी, झोपड़ी के इलाकों में क्योंकि हमारे नेता ने समाजवादी पार्टी ने वादा किया था कि हम बेसहारा गरीबों के दरवाजें तक डाक्टर ले जायेंगे, दवायें ले जायेंगे, फ्री इलाज करेंगे। उसके लिये एक साल में इतना सब कुछ हुआ है।

मान्यवर, ये नयी चीजें हुयी हैं। बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना अभी शुरू की गयी है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने अभी शुरू किया है और वह इतनी बड़ी योजना है कि सारे स्कूलों में वो डाक्टरी टीम जायेगी। 2 करोड़ बच्चों को 06 साल से लेकर 19 साल के बच्चों को या स्कूलों में जो बच्चे हैं 6 से ऊपर सबकी जांच करेगी। मान्यवर, उन जांचों में जितने भी बच्चों में गंभीर बीमारियां

निकलेंगी तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार उन बच्चों के इलाज में चाहे लाखों लगें, 10 लाख, 20 लाख, सब फ्री करायेगी, उनको अपनी एम्बुलेंस से ले जायेगी। ये स्कीमें वो हैं मान्यवर। मैं इसलिये कहना चाहता था, एन0आर0एच0एम0 का जिक्र इसलिये किया मान्यवर, कि मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन आपने सुना होगा कि एन0आर0एच0एम0 में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, 5 हजार करोड़ का। वर्ष 2005 से लेकर के पूर्ववर्ती सरकार के सारे 5 साल में 5 हजार करोड़ रूपये का घोटाला हुआ, खा गए, सरकारी धन को लूट लिया। मंत्री जी जेल में हैं, एम0एल0ए0 साहब, बहुजन समाज पार्टी के जेल में हैं, अधिकारी जेल में हैं, एक नहीं 50 अधिकारी जेल में हैं, मैंने उनको सस्पेण्ड किया है, भेजेंगे, बहुत तादाद में जेल में हैं और जो बाकी हैं, वह भी तैयार बैठे हैं, मा0 अध्यक्ष जी। क्योंकि लाइन तो अभी लगी हुई है, इतनी बड़ी बेईमानी, 5000 करोड़ रुपये लूटे, उसी एन0आर0एच0एम0 घोटाले ने जो इन्होंने किया था, जिसने उत्तर प्रदेश का मुंह काला कर दिया था। उत्तर प्रदेश बेईमानी और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाने लगा था स्वास्थ्य सेवाओं में, उसी में आज एम्बुलेंस दी जा रही हैं, उसी में आज स्वास्थ्य सेवाओं में इतना बड़ा सुधार किया जा रहा है, मैं आगे पढ़ूंगा, चूंकि उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ईमानदारी से काम करेगी, न एक पैसा गलत खर्च करने देगी, लूटने देगी, जो जनता का पैसा है, वह जनता को समर्पित किया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि खुदा की मेहरबानी से और जनता के वोटों से हम यहां आए हैं। हमें एक मौका मिला है, या जहां-जहां जो लोग हैं हमारे, सेवा करके उनका विश्वास जीतेंगे। आज स्वास्थ्य सेवाओं में जनता का विश्वास बढ़ रहा है, चूंकि आपने देखा होगा मान्यवर, मैं फीगर भी दूंगा, बहुत बड़े-बड़े अच्छे डाक्टर अस्पतालों में थे, लखनऊ में थे, लेकिन वह डाक्टर नर्सिंग होम्स में प्रैक्टिस करते थे, बहुत प्रैक्टिस करते थे, 5 सालों में तो उन अच्छे डाक्टरों को, जब मैंने उनको वहां से हटाया तब मुझे क्या परेशानी हुई, मैं जानता था, लेकिन उन डाक्टरों को उन महत्वपूर्ण पदों से हटाया गया। इसलिए कि हमें अच्छे डाक्टर चाहिए, लेकिन अच्छे डाक्टर से ज्यादा, ईमानदार और दर्दमंद दिल वाला डाक्टर चाहिए क्योंकि जो बेईमान डाक्टरों को जो रखते थे, उनको नहीं चाहेंगे, न करेंगे या रोकेंगे। अभी हम गए थे कानपुर में कितने बड़े डाक्टर को हटाया है, सस्पेण्ड किया है। मान्यवर, हमारी जिम्मेदारी है और हम सोचते हैं कि उसको पूरा करने के लिए समाजवादी सरकार में जो भी जिम्मेदारी मिली है, वह पूरा करने के लिए हम लोग सारी चीजों की कोशिश करेंगे। हम सम्मानित सदस्यों से कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे बड़ी दिक्कत जो है, वह यह हो रही है, वह आपके और हमारे सामने डाक्टरों की कमी का मामला है, मैं जानता हूं। इस मामले में हम कोई बात न छिपाएंगे और जनता के सामने जो कठिनाईयां हैं, उनको पूरी तौर से मैं कहना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में 16,283 डाक्टर के पद स्वीकृत हैं, बहुत दिनों से करते-करते आज 10740 डाक्टर हैं और लगभग 55 सौ डाक्टरों के पद खाली हैं। मान्यवर, यह बड़ी चुनौती है कि कैसे इसको भरा जाए, इसलिए पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 में जो दिक्कतें हैं, उन्हें हम जानते हैं अभी पब्लिक सर्विस कमीशन से जो डाक्टर आए हैं, वह 1325 चिकित्सक लोक सेवा आयोग से आए हैं और उसमें से सिर्फ 700 चिकित्सकों ने ज्वाइन किया है। डाक्टर गांव में नहीं जा रहे हैं, हमारी दिक्कतें हैं, उनको ज्वांइन कराया। मैंने कहा कि आपको जिस जगह चाहिए अपने जिले के अलावा, वहां पोस्टिंग दी जायेगी। बगैर पैसे के पोस्टिंग दी जायेगी, मान्यवर, यह पहली सरकार है, जिसमें डाक्टरों को उनकी च्वाइस के मुताबिक पोस्टिंग दी जा रही है, लेकिन फिर भी कठिनाइयां हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन से हमने रिकवेस्ट की है, लिखकर भेजा

है कि 5000 डाक्टरों को हमें जल्द-से-जल्द भर्ती करके दे दें। मुझे उम्मीद है कि वे करेंगे और अगर नहीं तो, जो दिक्कतें हैं मान्यवर, हम समझते हैं कि मा0 मुख्यमंत्री जी, खुद भी इस राय के हैं कि कैबिनेट में जाकर, कॉन्टरेक्ट पर फिलहाल कुछ डाक्टरों को भर्ती करके, इसे पूरा किया जाए।

मान्यवर, तो जल्दी वह कदम उठाया जा रह है। मान्यवर, नर्सों की कमी है। तो इन चीजों की बहुत कमी है। तो इसलिए जो है इनको पूरा करने के लिए हम महसूस करते हैं। सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 में जो कमियां हैं हम उनको जल्दी पूरा करना चाहते हैं। लेकिन यह साथ ही साथ यह भी है कि सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 में इसी साल में, आजादी के 64 सालों में, आज 19 अल्ट्रासाउण्ड मशीने पूरे उत्तर प्रदेश में हैं और कितने स्थान हैं 722 के करीब हैं। लेकिन हम वादा करते हैं कि इस एक साल में अगले एक साल में हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार अल्ट्रा साउण्ड और एक्स-रे मशीनें सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 में लगाकर पूरी जगह व्यवस्था कर दी जायेगी, भेज दी जायेगी। मेजों की थपथपाहट। मान्यवर सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 में बड़ी दिक्कते हैं उसमें आप सबके सहयोग की जरूरत हैं। मान्यवर, कठिनाइयां तो सभी जगह है लेकिन उनको हल करने के लिए ठोस कदम उठाये जा रहे हैं सर पूरी कोशिश की जा रही है कि उन पर जो है कारगर कदम उठाये जायें, जनता जितनी परेशानियां झेल रही हैं उनका जल्द से जल्द समाधान हो। मान्यवर, जहां तक अन्य स्टाफ की और दूसरी परेशानियां हैं यह सही है कि एक तो वैकेन्सी हैं। मान्यवर, जो बी0एस0पी0 सरकार जो पूरे पांच साल रही, उनका जो काम-धाम हुआ है, उसमें बड़े-बड़े डाक्टर जांच के घेरे में आ गये हैं, मान्यवर यह 62 लोगों की लिस्ट है जो एन0आर0एच0एम0 घोटाला है, जिनके अभियोजन कराने की स्वीकृति सरकार ने दे दी है। इस तरह से लगभग 100 सी0एम0ओ0 लेविल के लोगों पर सी0बी0आई0 ने मुकदमा किया है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मान्यवर, आपका संरक्षण है सदन का संरक्षण है जो यह बेइमान लोग हैं, ऐसे 100 लोगों के संबंध में हमने फाइल पर लिख दिया है कि इनको महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रखा जायेगा, साइड में रखा जायेगा। सरकारी नौकरियों से निकालने की तरकीब निकाली जायेगी। मान्यवर, जो पिछली सरकारों ने लूट लिया है बी0एस0पी0 सरकार में भ्रष्टाचार के कारण ही हमारी यहां पर आज सरकार बन पाई है। मान्यवर, पांच साल में एम्बुलेन्स के खरीद के नाम पर गड़बड़ी की गयी। सी0बी0आई0 जांच में यह बात आई है कि एम्बूलेंस के नाम पर मोटर साइकिल का नंबर दे दिया गया और बेईमानी के सारे रिकार्ड बी0एस0पी0 सरकार ने तोड़ दिये। शेम-शेम की आवाजें। मान्यवर, वह मोटर साइकिल भी नहीं खरीदी गयीं और वह पैसा भी ले लिया। ऐसी लूट-पाट और बैइमानी की गयी। मान्यवर, यह हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम उन्हें सजा दे पायेंगे। आखिर सबसे बड़ी सजा तो उन्हें जनता ने दे ही दी है। मान्यवर, आज भाटपाररानी, देवरिया में उप चुनाव विधान सभा सीट का हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी का प्रत्यासी 50,000 से अधिक वोटों से जीता। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्यासी को हराया और बाकी सबकी तो जमानत जब्त हो गयी। मान्यवर, जनता सरकार के अच्छाइयों पर वोट दे रही है। मान्यवर, यह पारदर्शी सरकार है। मान्यवर, पिछले सरकार में दवाओं के खरीद में माफिया, गुण्डे सब लोग लग जाते थे। हम लोगों ने इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाया है इस एक साल में। जो पहले दवाओं के खरीद में कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी होती थी उसको पारदर्शी बनाया जा रहा है। ताकि बेइमान लोग उसमें न आ सकें। मान्यवर, हमारे सरकार का लक्ष्य एक ईमानदार सरकार बनाना है। मान्यवर,

इनकी सरकार के समय में निघासन में एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई कोई मंत्री तक देखने नहीं गया। हमारी सरकार के मुख्य मंत्री मौके पर जाते हैं और पीड़ित परिवार से मिलते हैं। मेजों की थपथपाहट। और जब वहां गये मुख्य मंत्री जी दूसरे दिन तो बहुजन समाज पार्टी के लोगो ने जो अशोभनीय व्यवहार किया वह भी जनता देख रही थी। ऐसा थोड़े ही है जो किया है, क्या जनाजे के वक्त पत्थर का किया है और जिस तरह की चीज किया है यही राजनीति था। मैं बहुजन समाज पार्टी से पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी गये क्या आज तक 64 सालों में आजादी के किसी मुसलमान के जनाजे में कोई मुख्य मंत्री गया है, नहीं गया है। यह पहले मुख्य मंत्री हैं अखिलेश जी जो गये हैं, हिम्मती हैं, लड़ना जानते हैं। कह रहे हैं कि राज है राज क्या है आप लोग अनर्गल बेबुनियाद बाते जो चाहें लगायें और हम लोग देखते रहें यह कोई बात हुई। मैं कहना चाहता हूं 5 साल में क्या किया है, यह देखिये मान्यवर, हम लोग बेइमान डाक्टरों के खिलाफ क्या कर रहे हैं यह लिस्ट है सस्पेण्ड कर दिया। आप लोगों ने बेइमान डाक्टरों को जैसा संरक्षण दिया है वैसा इतिहास में नहीं मिलता।

मान्यवर, हम जानते हैं कि स्टाफ का यह हाल रहा है। जहां तक कमीं है स्टाफ की वह पूरी करेंगे लेकिन उसी के साथ-साथ जो सब चीजें हैं अभी हम पढ़ देंगे और दे देंगे नहीं तो वहां, काम तो इतना ज्यादा किया है मान्यवर, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2012 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मैंने तो बताया कि 100 अस्पताल हमने फौरन खोल दिया यह बताये बहुजन समाज पार्टी के लोग एक भी पी0एच0सी0 इन्होंने कायम की हो। एक भी पी0एच0सी0 की बिल्डिंग इन्होंने कायम की हो, कहीं खड़ी नहीं हुई, 2006 से आज तक बिल्डिंग है हमारे पास फाइल आती है कि इतना पैसा बढ़ा दीजिए तब पूरा करेंगे 2006, मंहगाई बढ़ गयी है तो मैने कहा कि जो पैसा बीच में मिला था लूट लिया वह क्या हुआ तुम्हें तो एक साल के लिए पैसा दिया गया था। ऐसी लूटपाट न एक सी0एच0सी0 का काम हुआ न एक पी0एच0सी0 बनी पत्थर की अगर कोई चीज बनी तो पत्थर के स्मारक। एक स्मारक पर कई पार्क जिसमें लूटपाट हुई और कोई चीज नहीं बनी। देखा आपने 5 साल के कार्यकाल में ऐसी कोई सरकार आयेगी जो इस तरह का काम करेगी, बतायें, हम तो आपका रिकार्ड देख रहे हैं यह सब पड़े हुए हैं 119 पड़े हुए हैं, अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि बनाये। हमने अब कह दिया है कि हम जो बजट दे रहे हैं उसको समय से आप पूरा करेंगे यह अधिकारियों से कहा है। नहीं तो आपको ब्लैकलिस्ट करेंगे और मंत्री जी हमारे पी0डब्लू0डी0 तो बरखास्त ही कर देंगे, हम समझते हैं कि आप इनको बतायेंगे वह तो मैंने डरा दिया है हमारे तब तक पूरे हो जायेंगे। एक भी नहीं पूरे हुए मान्यवर, ऐसी कभी सरकार मैंने देखा नहीं इतने करोड़ इन्होंने लूटा उसका कोई हिसाब किताब नहीं करता 119 सी0एच0सी0 5 साल में बनी हैं अब हमने कह दिया है कि सी0एच0सी0 एक साल में बनेगी पी0एच0सी0 एक साल में बनेगी बिल्डिंग और अधिकारियों से कह दिया कि यह जाल बट्टा बन्द करो कि बनने के बाद कहो कि अब डाक्टर आयेगा, कम्पाउण्डर आयेगा जब पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 का आर्डर दिया जायेगा उसी दिन वह भी तैयार कर लो कि कितने डाक्टर आयेंगे और कहां आयेंगे इसलिए जैसे बनेगी वैसे उसको चालू कर देंगे, मान्यवर, तब्दीली ला रहे हैं, चेंज ला रहे हैं बदलाव ला रहे हैं और इतनी चीजों के बाद मान्यवर, आपने थोड़ा मैंने देखा कि शायद घड़ी की तरफ देख रहे थे। इनका कच्चा चिट्ठा बहुत ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष-

आप कह लें बड़ा विभाग है इसमें परिवार कल्याण भी है।

श्री अहमद हसन-

यह आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अल्ट्रासाउन्ड मशीन वगैरह की खरीद नहीं हुयी। हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम ज्यादा बड़ी बात नहीं कहेंगे हम जानते हैं कि कठिनाइयां बहुत हैं लेकिन कठिनाइयों और चुनौतियों से हमको लड़ना है, जनता ने इसीलिये हमको भेजा है, समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ लड़ेगी। तो इसलिये मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि ....

श्री अध्यक्ष-

यह स्वास्थ्य का बजट है, आप पूरी बात बता दें। बहुत सी बातें जरूरी है।

श्री अहमद हसन-

हम सारी बात का जवाब दे देंगे। मान्यवर, प्रत्येक विकास खंड मुख्यालय पर सभी सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, इसे हमने पूरा कर दिया। स्कूल और कालेजों में पढ़ने वाली लड़कियों की चिकित्सा सुविधायें मुफ्त दी जायेंगी, वह भी पूरा कर दिया, इस प्रकार तीन चीजें तो पूरी कर दी और सबसे बड़ी बात जो की गयी, सब जगह लिखा जाता है केवल सरकारी स्कूलों के लिये लेकिन इस दफा यह कहा गया कि जो बच्चे चाहे संस्कृत विद्यालय के हों, अरबी फारसी मदरसे के हों, यह सरकार सारे बच्चों का इलाज करायेगी और उनको वही सुविधायें देगी जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलती है। यह बात हम आपके सामने कहना चाहते हैं। मान्यवर, इनके जमाने में निर्माण कार्य की हालत बहुत खराब हुयी, एन0आर0एच0एम0 की थोड़े जिलों की अभी जांच हुयी है, बहुत ज्यादा बजट उसमें लिखा भी गया है और अब कुछ उपकरण दिये भी गये हैं और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अगले 6 महीने में यह सारे उपकरण पहुंच जायें। मान्यवर, ट्रामा सेंटर की भी सरकार व्यवस्था कर रही है। 13 जनपदों में यह फौरन दिये जा रहे हैं और यह जल्द बनवा दिये जायेंगे और बाकी में हम सोचते हैं कि ट्रामा सेंटर की जो कमियां है, उसको किसी तरह से पूरा कर दिया जाय। इसे हम अगले 6 महीने में कर देगे। चूंकि अस्पतालों में अभी वह सुविधायें नही हैं जो लोगों को मिलना चाहिये। इसलिये 250 एम्बुलेंस मोबाइल अस्पताल उसमें डाक्टर भी होगें, दवायें भी होंगी, यह हम लोग पहले फेज में भेजेंगे और आगे ऐसा करेंगे कि गरीबों के दरवाजे पर डाक्टर और दवायें भेजने की हम व्यवस्था कर देंगे। मान्यवर, यह सब चीजें इसलिये हो गयी कि एन0आर0एच0एम0 घोटाले का इतना पैसा बचा हुआ है कि पैसा ही पैसा चारों तरफ है अगर ईमानदारी से काम किया जाय, मुझे तो लगता है कि इसमें काफी काम हो सकता है। जहां तक महिलाओं की मृत्यु दर की बात है तो उसमें भारी कमी आई है। एक चीज और बहुत ज्यादा हमारे विभाग में जो सुधार हुआ है लेकिन अभी हम उससे संतुष्ट इसलिये नहीं कि अभी बहुत कुछ करना है, यह नहीं समझना चाहिये कि मंजिल पर हम लोग पहुंच गये। टीकाकरण के संबंध में कहना चाहता हूं कि अभी अहलूवालिया साहब आये थे, चूंकि राधा मोहन जी बहुत कोड करते हैं, इसलिये मैं तथ्य उन्हीं के सामने कह देता हूं जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि आपने ठीक कहा था बहुजन समाज पार्टी के जमाने में 40 प्रतिशत टीकाकरण था देश में सबसे नीचे। मैं स्वास्थ्य सेवाओं को,

डाक्टरों को, नर्सों को सबको मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने टीकाकरण में केवल एक साल में 66 प्रतिशत तक कर दिया और देश में इस समय उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा है। यह एक अच्छी उपलब्धि है। चूंकि दवायें हैं, इंजेक्शन हैं, इसलिये किया जा रहा है और सबसे ज्यादा यह भी कोशिश की गयी कि जहां लोगों को सजा दी गयी है, माननीय अध्यक्ष जी, आप तो इस विभाग में रहे हैं, सब जानते हैं। वहीं प्रोत्साहन के लिये भी कुछ होना चाहिये था तो करीब एक साल के अंदर हमने अपने विभाग में 5 हजार हर लेविल के जो अच्छे डाक्टर थे, हर स्टाफ, नर्स वगैरह सबको प्रमोशन दिया है। कोशिश करेंगे कि जो इनकी दिक्कतें हैं, उसे दूर करें। इसीलिये हम चाहते हैं कि इन्होंने अच्छा इसमें काम किया है। मैं कुछ बांतें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, आर्शीवाद योजना वाली बात तो मैं कह ही चुका हूं। सबसे ज्यादा दिक्कत के बारे में बताना चाहता हूं। डा0 अग्रवाल साहब गोरखपुर के हैं वह जानते हैं इंसेफ्लाइटिस के बारे में यह गंभीर बीमारी है आंकड़ों में तो मरीजों की तादात कम हुई है लेकिन जितना होना चाहिए उतना शायद न हो इस पर मैं आपसे भी बात कर लूंगा मैं भी गोरखपुर मेडिकल कालेज गया था इंसेफ्लाइटिस से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की समाज वादी पार्टी की सरकार जितनी सुविधाएं चाहिए वह देगी। क्योंकि इंसेफ्लाइटिस से गरीबों के बच्चे ही मरते हैं।

अध्यक्ष जी समाज वादी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो यह लोग समझ नहीं पाए लोग कहते हैं कि समाजवादी एम्बुलेंस सेवा उत्तर प्रदेश में कैसे पापुलर है। यह जितनी यहां पापुलर है उतनी कहीं नहीं है। यह आप लोग भी जानते हैं कि जो अमीर है वह हमेशा नर्सिंग होम में जाएगा जो गरीब है मिडिल क्लास का आदमी वह हमारे अस्पताल में आएगा। तो हम उसको मुफ्त सेवा दे रहे हैं यह हम उन पर कोई अहसान नहीं कर रहे हैं यह उनका हक है। मान्यवर, आगे आने वाले बजट में आप देखेंगे कि हम लोग शायद एक्स-रे वगैरह भी फ्री कर देंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो वायदा किया है उसे हर तरीके से पूरा किया जाएगा। जहां तक पोलियो की बात है यह अगले अप्रैल में इस बीमारी के बारे में डिक्लेयर हो जाएगा कि हमारा देश पोलियो मुक्त हो गया और दुनियां भर में हमारा नाम हो जाएगा। यह दुनियां की सबसे बड़ी बीमारी थी जब मुलायम सिंह जी की सरकार पहली बार सत्ता में आई थी तो सबसे बड़ा जन जागृति अभियान अल्पसंख्यकों में उन्होंने चलाया था हम लोगों ने इसको अभियान के रूप में लिया था और हम लोगों का यह सौभाग्य है कि आज पोलियो का बिल्कुल खात्मा हो चुका है। अप्रैल में ऐलान होगा और दुनियां में उत्तर प्रदेश का पहला नाम होगा। माननीय सदस्यों से मैं एक ही बात कहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग के सम्बंध में हर चीज से ऊपर उठ जाना चाहिए। हम कोई अच्छा काम करें तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए लेकिन इस पर आंख बंद कर ली जाती है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए कि कोई कर नहीं सकता है। हर चीज में रिकार्ड कायम किया है। नौजवान हैं लैपटाप पर तो वह लहर उठी है कि उस लहर का अंदाजा आपको नहीं होगा। जो खिलौना और झुनझुना आप कहते थे अब आपको एहसास होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है जो काम करने के तरीके हैं उत्तर प्रदेश किधर जाएगा। आप लोग भ्रम में हैं इसलिए मैंने कहा कि उस भ्रम को दूर कर लीजिए गांव-गांव में लैपटाप तीसरी जनरेशन को लैपटाप जिसके बारे में हमें नहीं जानकारी है लेकिन मेरे ग्रैण्डसन को जानकारी होगी। हमें खुशी है कि हम उस युग में जिन्दा हैं कि ऐसा नौजवान मुख्य मंत्री यहां हैं। जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जा रहा है। यह फख्र की बात है, घमण्ड की बात है गौरव की बात है वह ईमानदारी से काम कर रहे हैं हमारे सदस्य सभी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मैं एक

बार फिर आपको धन्यवाद दूंगा। मैं विपक्ष से अपील करूंगा कि स्वास्थ्य सेवाओं में हमारी सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। भेदभाव वाली सरकार चली गई। वह तो प्रमोशन में भेदभाव करती थी। अब आपको जो भी सुविधा होगी सरकार उसे देगी। हम जानते हैं कि आप चुनकर आते हैं आपके पास मरीज पहले दौड़ेगा हमारे पास नहीं आएगा। आप हमें जो भी दिक्कतें बताएंगे उसको हम दूर करेंगे। हमारे सारे सदस्य आते रहते हैं यह शायद पहली सरकार है और पहले मुख्य मंत्री हैं जिनके पास सारे सदस्य जाते हैं वरना हम लोगों ने 14 साल में इनकी माननीय मुख्य मंत्री जी से भेंट नहीं किया। इसलिए जो है मैं आपसे यही अपील करूंगा कि हमारा जो बजट है, हम अस्पतालों के बेड बहुत बढ़ा रहे हैं, बहुत सुविधाएं ला रहे हैं। मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आप हमारा बजट भी पास करायें, हमें सहयोग भी करें। चूंकि आज उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है लेकिन आने वाले दिनों में हमारी आने वाली नस्लों को वह बुरे दिन न देखना पड़े जो बहुजन समाज पार्टी के पांच साल के कार्यकाल में देखने पड़े। मैं सही कह रहा हूं मैंने जहां चाय पी वह गैंगस्टर ऐक्ट में बन्द हो गया, एकदम नेक, हम कभी सोचते नहीं थे आज हम लोग सरकार में आ गये, बहुत अकेला है बहुत तकलीफ में है। आप नहीं समझते कि ऐसे-ऐसे लोग जिन पर कोई केस नहीं उन पर गुण्डा ऐक्ट चला दिया।

माननीय अध्यक्ष जी, एक ऐसी भी सरकार आई है जिसके समय में आतंकवाद के नाम पर पिछले पांच साल में हजारों मुसलमान जेलों में बन्द हो गये। हमारी सरकार के एक साल के कार्यकाल में कोई नहीं बन्द हुआ, इससे हम जानते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश किधर जा रहा है। आप हमारा सहयोग करो, आप अपने पोलिटिकल एजेण्डे को देखो लेकिन पोलिटिकल एजेण्डा यह नहीं होना चाहिए कि आपके मुखिया ने जो कहा आप वह जरूर बोलेंगे। आप बोलो लेकिन जब सच्चाई सामने आये तो चुप रहना चाहिए। मैं तो ....

(इस समय 01 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठाता प्रो0 शिवाकान्त ओझा पीठासीन हुए।)

चाहता हूं कि समाज का कल्याण हो, यह तो हमें मौका मिला है कोई रोज का मौका नहीं है, आज ऊपर वाले ने मौका दे दिया जनता ने दे दिया, रोज तो नहीं मिलेगा, हम लोग चाहते हैं कि अपारचुनिटी के इस मौके को, जो जिम्मेदारियां हम लोगों को मिली हैं उसको हम पूरी तरह से पूरा करें इसके लिए हमें खुदा साहस दे। मैं अपने विभाग के कार्यक्रमों के संचालन में विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप इसमें सहयोग करें और कटौती का प्रस्ताव बिना रखे हमारे बजट को पास कर दें। हम आपसे पहले ही कह देते हैं आप हमारे पुराने साथी हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के बजट पर हम सभी ने माननीय मंत्री जी को सुना। माननीय मंत्री जी ने पिछले चार-पांच वर्षों की जो स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट थी, उसके सन्दर्भ में अपने कार्यक्रम हम सबके सामने रखे। अगर मोटा-मोटा देखें तो यह जो बजट है यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एन0आर0एच0एम0 के जो मानक हैं, जिसके अचीव करने के लिए टार्गेट फिक्स किये हैं। उनको पूरा करने और अपने विभाग का जो एच0आर0 है उसके बीच फंसा हुआ बजट दिखता है। आपने स्वयं माना है कि धन की कमी नहीं है, आपकी बहुत सारी बातों से यह भी स्पष्ट है कि उस धन के सदुपयोग के लिए आप संकल्पबद्ध हैं। मान्यवर, जो सी0एच0सी0, पी0एच0सी0, सब सेण्टर्स और जिला अस्पतालों का अपग्रेडेशन जो आपके माध्यम से सदन में रखा गया है इसके लिए एक छोटी लाइन भर पूरी नहीं लगती है कि डाक्टरों की कमी है। एक लाख की आबादी के मानक पर आप सी0एच0सी0 खोलने जा रहे हैं और 30 हजार की आबादी पर आप पी0एच0सी0 का ढांचा खड़ा कर चुके हैं। एन0आर0एच0एम0 को आप उन योजनाओं की पूर्ति के लिए जटिल प्रसव, जो चौबीस घण्टे, सातों दिन देने का वायदा सदन में भी किया है और बजट पुस्तिका में भी है। मान्यवर, आप संजीदा हैं मुझे कहने में जरा भी झिझक नहीं। लेकिन इसके विशेषज्ञ चिकित्सक कहां हैं ? आपके पास गायनी नहीं हैं, आपके पास एनेस्थेटिक नहीं हैं, आपके पास बच्चों के डाक्टर नहीं हैं, फार्मासिस्ट की कमी है, स्टाफ नर्स की कमी है। ये कमी एक रात में हो गयी हो, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस पर जितना ध्यान देने की जरूरत है उतना ध्यान अभी नहीं दिया जा रहा है। हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जो साधन है, एम्बुलेंस की योजना आपकी है, मुझे तो लगता है कि 108 योजना को और बढ़ा दीजिए। इसमें तो मैं चाहूंगा कि यह जो आपका पब्लिक-प्राइवेट में है उसका भी उल्लेख जरूर आप करें। यह जी0वी0के0 रेड्डी तमिलनाडु के लोग हैं जो इसमें अपनी सेवायें दे रहे हैं, ऐसे लोग और खोजे। यह बात सबके सामने खुली हुई है कि बड़ा इफराद में पैसा है, विश्व के मानक, अन्तर्राष्ट्रीय मानक, वर्ल्ड बैंक के अनुदान सब एक निश्चित अपेक्षा के साथ हमें दिये जा रहे हैं। शिशु मृत्यु दर को आप कण्ट्रोल में करेंगे, मातृ मृत्यु दर को आप कण्ट्रोल में करेंगे। आदरणीय डॉ0 साहब और अनेक बुद्धिजीवियों ने यहां पर बताया हुआ है कि भारत के अन्य राज्यों के सापेक्ष में हमारा प्रदेश बहुत पीछे है। वह आंकड़े मेरे पास भी हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जहां हमें शिशु मृत्यु दर के लिए 36 प्रति हजार बच्चे का लक्ष्य था, वह हम 57 एचीव कर पाये, बारहवीं पंचवर्षीय योजना में अब वह 32 है। प्रति लाख पर मातृ मृत्यु दर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 258 के सापेक्ष 359 है, अब आपके पास में 200 का लक्ष्य है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के सापेक्ष हमको पैसा मिल रहा है, वह इन्फ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इसको चलाने का, क्योंकि माननीय मंत्री जी गाड़ी बगैर तेल के चल नहीं पायेगी, बड़ी संख्या में आपको मेडिकल कालेज, पैरा मेड़िकल कालेज खोलने पड़ेंगे। एम0सी0आई0 आपके रास्ते में एक बाधा आ सकती है। आप स्थानीय मेडिकल कालेजेज हैं उसमें डिप्लोमा की सीट बढ़ा सकते हैं। पहले आपके कानपुर में

हार्ट के लिए डिप्लोमा होता था डिप-कार्ट का, वह बंद है। आपने अल्ट्रासाउण्ड, एक्स-रे की बात कही है, यह आवश्यक है, लेकिन आप सर्वे करायें। आपके पास अधिकारियों की फौज है और आपकी नीयत है मेहनत करने की। लेकिन आपके पास रेडियोलॉजिस्ट बहुत कम हैं। आपने डाक्टरों को प्रोत्साहन की बात की है लेकिन सदन में यह बात कैसे आयेगी कि इस विभाग में कितना बड़ा अचम्भा है कि एम0बी0बी0एस0 और एम0डी0 दोनों का वेतनमान एक है। यह बात सदन में आनी चाहिए कि एम0बी0बी0एस0 और एम0डी0 दोनों एक ही तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, मायने वह काम ही नहीं कर रहे हैं। सोलह-साढ़े सोलह सौ जो एम0डी0 हैं आने वाले समय में रिटायर हो करके वापस जायेंगे। नये एम0डी0 तो आपके पास आप रिकार्ड देख लीजियेगा 2006-2007 के बाद आ ही नहीं रहे। विशेषज्ञ चिकित्सक, हम वादा कर रहे हैं कि हम सी0एच0सी0 के माध्यम से, पी0एच0सी0 के माध्यम से, जिला अस्पताल के माध्यम से हम उनको विशेषज्ञ सुविधा देंगें।

हमारी नीयत साफ हो सकती है लेकिन यह नीयत साफ हमारी पूरी कैसी होगी, यह बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि आने वाले समय में इसकी सबसे बड़ी कमी आने वाली है, इससे आपको लड़ाई लड़नी है और यह इतनी आसान लड़ाई नहीं है। 7 हजार से ऊपर आपके पी0एच0सी0 खुलने वाले हैं। सब सेन्टर आपके प्रति 5 हजार पर हैं। 20 हजार से ऊपर तो अभी आपके पास सब सेन्टर चल रहे हैं। सी0एच0सी0 हैं, जिला अस्पताल हैं, आप उसमें ट्रामा अभी आप ट्रामा कह रहे थे कि उसको अप ग्रेड करेंगें। आपके पास आप कितने आंकड़ा लगा लीजियेगा यह जो आपने कहा है कि 5500 डाक्टरों की कमी है, आप ही के मानकों के अनुसार कम से कम 20 हजार डाक्टरों की कमी है और यह एक दिन में डाक्टर नहीं पैदा होने वाला। मैं आपसे कहता हूं कि इन परिस्थितियों में केन्द्र सरकार में शायद इस पर विचार भी चला है कि 3 साल में एक डिप्लोमा करके ऐसा ह्यूमन रिसोर्स डेवलेप किया जाय कुछ ऐसी मानव शक्ति जनित की जाय जो इस समय जो विश्व के स्वास्थ्य मानक हैं उनको पूरा करने के लिये ढांचा बनाने के लिये जो पैसा दिया जा चुका है, या जो आगे आयेगा उसको चलाने के लिये काम तो कर सके। आपके पास प्रदेश में बी0डी0एस0 बहुत बडी संख्या में हैं। आप बी0डी0एस0 का सदुपयोग कर सकते हैं। फार्मासिस्ट आपके पास बहुत बड़ी संख्या में हैं, आप उनका सदुपयोग कर सकते हैं। प्राइमरी चिकित्सा देने के लिये फार्मासिस्ट सफीशियंट हैं। व्यवहार पक्ष में अगर आप देखेंगें तो अगर एम0बी0बी0एस0 नहीं होता तो वही सर्दी की दवा दे देता है, वही मरहम पट्टी कर देता है। और अगर कहीं गम्भीर रोग है तो वो उसको आगे के लिये भेज देता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जननी सुरक्षा योजना। योजनाएं अच्छी है। मैं साहब राजनीति में बहुत ज्यादा विश्वास न करते हुए सजेस्टिव भावना से कह रहा हूं हर दल ने कहीं न कहीं कोई न कोई अच्छी योजना बनाई होती है। दिक्कत आती है उसके जमीन स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन की। जननी सुरक्षा योजना है, बढ़ रही है, एम्बेलेंस के कारण भी आपके प्रदेश में लगभग 50-60 लाख माताएं होंगी जो प्रतिवर्ष प्रसव के लिये। आपने 27 लाख का लक्ष्य लिया। मेरे पास आपके ही विभाग के आंकड़े हैं। इसमें आपने 19,52,120 दिया है, 72.30 का लक्ष्य अचीव किया लेकिन इसमें मैं एक ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा 27 लाख में 13,500 बी0पी0एल0 परिवार लिये। अगर इसका प्रतिशत आप सुनेंगे, 27 लाख का लक्ष्य था 19 लाख 52 हजार, 120 करीब। 72.30 जो है आपकी सुरक्षित प्रसव हुए। इसमें 13 हजार 500 बी0पी0एल0

के हैं। यह फरवरी 2012 से फरवरी 2013 का आंकड़ा है। इसमें थोड़ी नहीं चिन्ता बहुत बढ़ जायेगी। 13500 में से 3627 सुरक्षित प्रसव हुए। कुल 27 लाख में तो आपका प्रतिशत है 72.3 और अगर बी0पी0एल0 परिवार का देख लें तो उसमें है 26.86 यह आपकी बजट पुस्तिका में है। प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 8 लाख बी0पी0एल0 परिवार हैं और सुरक्षित प्रसव की सबको आवश्यकता है, सबकी जरूरत है। लेकिन बी0पी0एल0 को हमें लगता है कि आप हम सभी एक मत से सहमत होंगें और इसी फरवरी का जो आपका परफारमेंन्स है उसमें पूरा 72.3 है और उसमें से बी0पी0एल0 निकालते हैं तो 26 प्रतिशत। आप इसकी ओर ध्यान देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, सदर्न जो प्रोविन्सेस है, दक्षिणी राज्य हैं। दक्षिणी राज्य हैं उनके उदाहरण स्पष्ट हैं वहां पर अपेक्षाकृत मानक के अनुसार है। कई जगह तो मानक से बहुत ऊपर है। लेकिन उन राज्यों के अगर आप कुछ पिछले कार्यकलाप देखें तो बहुत सारी चीजें क्लीयर हो जाएंगी। चिकित्सा का ह्यूमेन रिसोर्स डेवलप करने का साधन बहुत पहले से था। कालेजेज बने, पैरामेडिकल कालेज बने साथ में उन्होंने एक काम और किया उन्होंने अपने यहां काम कराने वाले जो चिकित्सा संवर्ग के लोग हैं उनको कहीं न कहीं वरीयता दी।

उनको अपग्रेड किया, अपने यहां की स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाओं में कोई सीट रिजर्व की, मैं रिजर्वेशन को एक अलग दृष्टिकोण से कहना चाहता हूं, जो पिछली बार डा0 राधा मोहन दास जी ने बहुत गम्भीर बात कही। प्राइवेट कालेज में बच्चे बढ़ी फीस पर पढ़ रहे हैं लेकिन सरकारी कालेजेज में इतनी कम फीस है कि सरकार उन पर बहुत बड़ा खर्चा कर रही है और वह बहुत बड़ा खर्चा समाज का होता है तो कम से कम ऐसी सर्विस के लोग जो उस समाज की सेवा कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं, चिकित्सा के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में, उनके लिए कोई सीट हो,उनको कुछ अपग्रेड करें इससे आपके पास स्किल डेवलपमेंट होगा, इसके लिए मा0 मंत्री जी ने, दुबारा दोहरा रहा हूं, और संकोच के साथ दोहरा रहा हूं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय उदाहरण कभी-कभी सेमिनार की शोभा बनते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग का ख्याल बनाने वाले लोगों की बातों की लफ्फाजी पर कुछ यथार्थ के भी उदाहरण हैं। जिनको हमें सोचने, समझने, सीखने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए उसमें से पचास के दशक का, जब चीन था, चीन आज हर जगह उदाहरण है, पूरी दुनिया में उदाहरण है लेकिन वहां पर एक वेयर फुट डाक्टर करके कल्पना बनी थी जिसमें बहुत बड़ी संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य से प्रशिक्षित लोगों को गांव भेजा और उन्होंने बड़ा काम कर दिया। विश्व की बड़ी-बड़ी संस्थाओं ने उसकी तारीफ की और वह वेयर फुट डाक्टर का जो कान्सेप्ट है अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के बाद स्वतः क्षरण में भी चला गया। चीन की जब उतरोत्तर प्रगति हुई और चीन के नागरिकों को अपनी अधिक अच्छी चिकित्सा सुविधा लेने की क्षमता वृद्धि हुई तो उन्होंने अपने आप को उस व्यवस्था से निकाला और स्पेशलाइजेशन की तरफ आगे बढ़े। आपने दवाओं के ऊपर बात कही आपने यह इशारा भी किया है कि जो खराब काम करने वाले लोग हैं।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मैं एक बात कहकर अपनी और आपकी दोनों की मदद करना चाहता हूं जो अपग्रेडेशन की बात आपने कही है उसमें किन लोगों के अपग्रेडेशन से मतलब है आप स्पष्ट कर देंगे तो थोड़ा और क्लीयर हो जाएगा।

श्री मनीष असीजा-

किस संदर्भ में अपग्रेडेशन।

श्री अम्बिका चौधरी-

जो आप अपग्रेडेशन की बात कर रहे थे उसको स्पष्ट करने के लिए मैंने कहा।

श्री मनीष असीजा-

चाइना के उदाहरण में मैं कह रहा हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

वेयर फुट डाक्टरों की बात अलग हो गई लेकिन जो आप शिक्षण संस्थाओं की बात कर रहे थे।

श्री मनीष असीजा-

जैसे एम0बी0बी0एस0 हैं, तो उनको एम0डी0एम0एम0 या डिप्लोमा के कोर्स कराये जा सकते हैं। स्पेशलाइज किया जा सकता है क्योंकि आपके सी0एच0सी0 स्पेशलाइज डाक्टरों के लिए तो खुले हैं। इससे पहले मैं बात कर चुका हूं तब आप थे नहीं। सी0एच0सी0 में आपको स्पेशलाइजेशन की सेवा देनी है और आपके पास स्पेशलाइज डाक्टर नहीं हैं। आप खुद देखिए 1600 डाक्टर के भरोसे आप कैसे करेंगे। थोड़ा सा पीठ का संरक्षण और साथ में सदन का संरक्षण, क्योंकि यह मेरा पहला साल है।

श्री अम्बिका चौधरी-

बहुत अच्छा रख रहे हैं।

श्री मनीष असीजा-

दवाओं की बात आपने करी है। दवाओं में आपने अपने प्रयास बोले हैं मैं इसकी ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें अभी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। रेट कान्ट्रैक्ट आपके होते हैं लेकिन कुछ ऐसी दवायें जो बहुत सस्ते दर पर डालकर वह अन्दर घुस जाते है फिर वह सप्लाई में दिक्कत देते हैं। आपने पैरासीटामॉल का उदाहरण दिया, ठीक है। यह जानी पहचानी बात है, सभी विधायक जान रहे होंगे, वह जिला अस्पताल से सम्बद्ध होंगे किसी कारण से, पैरासीटामॉल है, सेप्ट्रान है, ये चलन में रहने वाली एण्टीबोयोटिक है, सेट्रिजिन है जो एलर्जी में प्रयोग आती है, मैट्रोनीडाजोल है, यह पेट की तकलीफों में प्रयोग होती है। मान्यवर, आप देखें, अक्सर इनकी शार्टेज पड़ती है। शार्टेज क्यों पड़ती है क्योंकि इसको इतनी कम दर पर टेण्डर भर दिया जाता है कि सप्लाई में इसकी दिक्कत होती है। कटौती प्रस्ताव में मैं बोल रहा हूं, मान्यवर, कुत्ते के इन्जेक्शन की कमी दूर हुई है, कहने में संकोच नहीं है लेकिन इन दवाओं की कमी बहुत है। मान्यवर, एक और सुझाव देना चाहता हूं, आपके यहां यू0पी0डी0पी0एल0 दवाओं का कारखाना अमौसी के सामने है, अरबों का उसका ढांचा है। सरकारी उपक्रमों का क्या हाल होता है, वह उसका है, करोड़ों रूपये की आपकी तनख्वाह जा रही है। जब आपके पास फण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर है, इच्छा शक्ति है तो इस पर भी आप प्रयास कर सकते हैं, इस पर भी आप पब्लिक प्राइवेट मोड पर काम ले सकते हैं। आपकी बहुत बड़ी परिसम्पत्ति है। दवाओं के बारे में एक और सुझाव मैं देना चाहता हूं। आप इसकी सेम्पलिंग करें और सेम्पलिंग आप ड्रग इन्सपेक्टर के माध्यम से न करें। सी0एम0ओ0 के स्टोर से ड्रग इन्सपेक्टर की हिम्मत नहीं है कि कोई भी दवा उठा ले और उसकी जांच कराये। वह भी प्रदेश की लैबोरेटरी पर।

इसके लिए सेन्ट्रल ड्रग लैबोरेटरी है, बाम्बे की और कैलकटा की, इनका बड़ा नाम है। आपका ड्रग इन्सपेक्टर जब स्थानीय तौर पर किन्हीं दवाओं की चेकिंग करता है और प्रदेश की किसी लैबोरेटरी पर उसका सेम्पुल फेल होता है तो उसकी चुनौती इन्हीं लैबोरेटरीज पर जाती है और उनकी जो राय है, वह अन्तिम मानी जाती है, सर्वोच्च नियामक संस्थाओं के रूप में जाना जाता है। यह मेरा आपको सुझाव है। एक सुझाव मैं आपको और देना चाहता हूं, चार कम्पनियां घुस गईं, चारों कम्पनियों ने एक रुपया पैरासीटामॉल का लगा दिया, दवाओं की शार्टेज है, वह नहीं दे रहे। ई0एस0आई0सी0, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का जो हास्पिटल है, इसमें एक पैटर्न है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीन वरीयताओं पर रेट लिए जाते हैं, जैसे नम्बर-1 का एक रुपया है, नम्बर-2 का सवा रूपया है, नम्बर-3 का डेढ़ रुपया है, यह मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अब अगर इसमें नम्बर-1 वाला दवा कम देता है, जरूरत के समय नहीं देता है तो हम दूसरी वरीयता वाले रेट पर दवा खरीदेंगे और उसका जो रेट डिफरेन्स है, उससे कम्पेन्सेट करेंगे। इस व्यवस्था का आप अध्ययन कराइये और लागू कर सकते हैं तो यह निश्चित रूप से पैसे के सदुपयोग और यह जो सप्लाई माफिया का काकस है, इसको तोड़ने के लिए लाभदायक है। मान्यवर, यह जो दवायें मैंने बोली हैं, 70 परसेण्ट हास्पिटल इसी पर चल रहे हैं। लोकल परचेज, सभी जानते हैं, सीएमओ साहब को 15 परसेण्ट, सीएमएस साहब को 20 परसेण्ट। आपने पिछली बार बजट में कहा था कि विधायकों के साथ बैठूंगा। आप मिलते हैं, यह बात ठीक है लेकिन मैं तो आपको सुझाव देना चाहता हूं कि आपके जो विधायक हैं, आपके जो हाथ हैं, यह प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने वाले होंगे, यह मेरा आपको सुझाव है। मान्यवर, इस समय मैं आपकी ही दवाओं का उदाहरण दे रहा हूं। एनआरएचएम में बाल पुष्टाहार में अभी 23 फरवरी को आपके यहां से एक आर्डर निकला है, ओआरएस और जिंक सल्फेट, इनकी सप्लाई मांगी गयी है। 31 मार्च तक यह सप्लाई देनी है। आपके यहां ओआरएस बनाने वाली जो रजिस्टर्ड कम्पनी है, जिस्ट फार्मास्यूटिकल इन्दौर, इनकी कैपेसिटी मेरी जानकारी में है, 2 लाख पाउच प्रतिदिन बनाने की है। पूरे प्रदेश में इसकी खरीद है, कम से कम भी अनुमान लगा लिया जाए तो यह 4-5 करोड़ पाउच की जरूरत है। ऐसे ही जिंक सल्फेट की 10-12 करोड़ गोलियों की जरूरत है। आपके एनआरएचएम की डिमाण्ड दवाओं के लिए जो आखिरी के दौर में निकली है, इसकी पुनर्रावृत्ति न हो, इस पैसे का सदुपयोग हो, यह मेरा सुझाव है। एन0आर0एच0एम0 के बड़े मामलों की चर्चा है। 5 हजार करोड़, 2 हजार करोड़ और वह बड़े स्तर पर होना लाजमी है क्योंकि जहां का माहौल है वहीं की चीजें दिखती हैं। मैं मेरे माहौल का आपको निवेदन करना चाहता हूं। वी0एच0एस0सी0 विलेज हैल्थ एण्ड सेनीटेशन कमेटी और सबसेंटर अनटाइड।

एक ग्राम सभा के स्तर पर है और एक पांच हजार की आबादी के स्तर पर है। प्रतिवर्ष इनको दस-दस हजार रुपये मिलता है। एक में आपको फावड़ा है, बाल्टी है, ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन की गोलियां हैं और दूसरे में आपके ग्लब्स हैं या कोई थर्मामीटर वगैरह है इस प्रकार की चीजें हैं। प्रधान और ए0एन0एम0 इसके ज्वाइंट सिग्नेचरी होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने 75 जिले की खबर निकलवा लें। छोटी जगह के लिए थोड़ा पैसा भी बहुत जरूरत का होता है और बड़ी जगह पर बहुत पैसा जरूरत का नहीं होता। यह लगभग हम सबको महसूस हो गया है। 10-10 हजार रूपये करके एक-एक जिलें में 20-50 लाख का फण्ड पड़ा हुआ है। और इसका कोई पुरसाहाल नहीं है। आपका एक कान्सेप्ट और है। मैं तारीफ करने में संकोच न कर पाऊंगा। यह जो

आपने सी0एच0सी0 पर आश्रय स्थल बनाने का विचार किया है उसके लिए आपने 15 करोड़ रुपये भी डिक्लेयर किये हैं। यह ठीक है लेकिन इसमें मेरा आपको सुझाव है। 15 करोड़ में कुछ नहीं होने वाला है। यह आप सी0एच0सी0 के स्थान पर जिला अस्पताल पर बनाने का प्रयास करें। क्योंकि सी0एच0सी0 का दायरा एक लाख की आबादी का है और जिला अस्पताल की आबादी का दायरा 20-25 लाख की आबादी का है। दूर से आये मरीज के तीमारदारों को रात गुजारने के लिए छत की जरूरत ज्यादा है। इसमें आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सदुपयोग कर सकते हैं। पोस्टमार्टम का बुरा हाल है। आपने इसका प्रोवीजन किया है लेकिन अभी भी नाक पर रुमाल रखकर वहां तक लोग पहुंच पाते हैं। आपको तो करना पड़ा क्योंकि कोर्ट के भी आर्डर आये हैं। कोर्ट ने तो यहां तक सुझाया है कि एक्स-रे लगना चाहिए गनशॉट इंजरी नहीं पता लगती है। उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं। ज्यादातर पोस्टमार्टम कैसे हो रहे हैं यह हम सब लोग जानते हैं। हमारे फिरोजाबाद में एक सेवार्थ संस्थान एक मिले जुले लोगों की संस्था है। उसने पोस्टमार्टम 6 फ्रीजर का बनाया है और मथुरा में भी बनाया है। उसमें उनके परिजनों के लिए बैठने का एक ठीक स्थान है। पूरा बढ़िया अपग्रेडेड पोस्टमार्टम की बिल्डिंग है उसकी फ्रीजर है एक अच्छी टेबल है, ए0सी0 लगा हुआ है। जिन्दगी के आखिरी सफर में उसके परिवार के लोगों को कोई चीज चैन नहीं देती है लेकिन फिर भी बेचेन न करे। पोस्टमार्टम के बाद उसको प्लास्टिक और कपड़ा मुफ्त दिया जाता है आप कहीं पता कर लें 500 रुपये से कम नहीं कोई लेता है। उसके शव को गन्तव्य तक पहुंचाने के लिए नो प्राफिट नो लास पर शव वाहन प्रोवाइड किया जाता हैं आप इस तरह के कन्सेप्ट देख लें। इस तरह के काम करने वालों का उत्साह बढ़ायें। ज्यादातर ऐसे लोग पैसा नहीं लेंगे। और एन0जी0ओ0 की भरमार है जो पैसा ही लेगी। इसके लिए आपको सीधा आना पड़ेगा। इसमें राजनीतिक ब्रेक खत्म करने पड़ेंगे। ठीक लोग अगर आपके सामने आयेंगे, बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे यहां पर डायलिसिस का भी काम हो रहा है। यह भी सेवार्थ हो रहा है। इसमें फ्रिजनेस करके कम्पनी है उसकी हम लोगों ने चार मशीनें लगायी हैं। हम माने बहुत सारे लोगों ने। उसमें सरकारी अस्पतालों की डायलिसिस की दर शायद एक हजार रूपया है। और डायलिजर का रेट अलग है। जो डायलेजर यानी जो कृत्रिम किडनी का काम करती है, वह बाजार में हजार, बारह सौ की मिलती है, नो-प्राफिट नो-लास पर छः सौ रूपये की मिलती है। किसी को भी यह तकलीफ न हो, लेकिन जिसको किडनी की तकलीफ होती है, उसके घर पर आप पूछ लीजिए वह इस मशीन के बगैर जिन्दा रह ही नहीं सकता, वह इस पर ही निर्भर रहता है। मुफ्त उसकी डायलिसिस होती है, डायलेजर उसको छः सौ रुपये का मिलता है, चार मशीनें चलती हैं और चार घण्टे, तीन शिफ्ट में यानी बारह घण्टे काम चलता है, सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती है। इस प्रकार का भी कार्य आप आगे बढ़ा सकते हैं।

आरोग्य निधि का कान्सेप्ट अच्छा है, पहले शायद पांच करोड़ था, अब पच्चीस करोड़ है, आप पता कर लीजिए व्यवहारिक स्तर पर यह बिल्कुल फेल है। इसमें सरकारी कार्यवाही बढ़िया हुई, पहले डी0एम0 को परमीशन दी थी, कमिश्नर को 35 हजार तक की परमीशन थी, प्रदेश स्तर पर डेढ़ लाख थी, सीधे-सीधे डी0एम0 को एथार्टी दी है, डेढ़ लाख की। यह कागज की जंग तो जीत ली आपने, हालत यह है कि उसमें आपने जो नामिनी कर दी हैं, हास्पिटल कर दिये हैं 6-7 मेडिकल कालेज, एक एस0जी0पी0जी0आई0, एक राम मनोहर लोहिया ऐसे कर के 8-9 कालेज हैं कि इनके

स्टीमेट बनेंगे और इन्हीं के द्वारा इलाज होगा, इन्हीं को पैसा डायरेक्ट चला जायेगा। इन अस्पतालों की आप चेकिंग कर लीजिए कितने ऑनकोलाजिस्ट हैं, आप कैंसर की सुविधान देना चाहते हैं, कितने गैसट्रोलाजिस्ट हैं, आप किडनी के अमाशय के काम देना चाहते हैं, सुविधा देना चाहते हैं, मैं यह सुझाव मा0 अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि इसके लिए इन कालेज के विशेषज्ञों के स्टीमेट बनाने की व्यवस्था ठीक है, क्योंकि प्राइवेट आदमी गड़बड़ झाला कर सकता है, लेकिन अगर वह स्टीमेट बन जाय तो उस स्टीमेट के बराबर धनराशि अगर आप उस परिवार के किसी व्यक्ति को दे दें तो कम से कम वह अपना इलाज तो कहीं और करा लेगा। यह बात मैंने कही थी आपके एक-दो अधिकारियों से, उनका जवाब था कि नहीं वह सब पैसा खा जायेगा, तो यह मुझे उनकी संवेदनशून्यता लगी क्योंकि जिसको कैंसर की बीमारी है, जिसको किडनी की बीमारी है, जिसके फेफड़ा गल रहे हैं, वह अपने इलाज के लिए दर-दर भटक रहा है, उसको पैसा मिलेगा तो वह खा जायेगा यह बहुत कठोर और बहुत अव्यवहारिक और बन्द कमरे की सोंच का मुझको उत्तर मिला था मैं इसे सुनकर बड़ा व्यथित हुआ। मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं, एम्स रायबरेली में बनने जा रहा है या उसकी घोषणा है। आज मा0 मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में भी कैंसर अस्पताल की घोषणा की है, प्रदेश के सापेक्ष अगर आप देखें तो लखनऊ का परिक्षेत्र बहुत संतृप्त है, अगर आपको मेडिकल की सुविधायें पहुंचानी हैं तो ऐसी जगह पर ज्यादा पहुंचाइये वहां पर वरीयता रखिये जहां पर इसकी ज्यादा जरूरत हो, पूर्वान्चल, बुन्देलखण्ड यहां पर सीट पर खड़ा हर व्यक्ति यह सोंचेगा कि मेरे यहां बन जाय, मेरा नाम हो जाय, मैं सोचता हूं कि इससे काम नहीं चलेगा, आप इस पर विचार करिये, एम्स अगर लगे तो कहीं पूर्वान्चल में लगे, बुन्देलखण्ड में लगे। मेरी हैसियत भी नहीं है कि देश की इतनी बड़ी नेता के विचार के हिसाब से आलोचना करें, लेकिन मेरी जो समझ में आ रहा था, वह मैंनें कहा। निजी क्षेत्र में कुछ लोग अगर सौ बेड का हास्पिटल लगाते हैं, कमिटेड हैं, उनकी बैकग्राउण्ड अच्छी है, तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जा सकता है। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, पैरा मेडिकल का काम आप कर सकते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं मा0 मंत्री जी, आपके पास जो प्रसव है, उस पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, 27 लाख का टारगेट, आपने 72-73 परसेण्ट कर लिया, 55-60 लाख को अचीव करना है आपको। कम लक्ष्य रखकर अधिक प्राप्ति का जो आपका दावा है, अगर वह आपको कोई पीछे से देता है, वह आप बोलते हैं, आप इस तरफ भी ध्यान दीजिए, आप हाईयस्ट लक्ष्य रखिये फिर उसके अचीवमेण्ट के बारे में आपको सोंचना चाहिए। कुछ और छोटे सुझाव हैं, पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 की बिल्डिंगे बन रही हैं, कुछ ऐसे इन्फ्रास्ट्रेक्चर हैं, जहां मैं यह बात खुल कर बोलता हूं कि केवल इन्फ्रास्ट्रेक्चर बनाने से काम नहीं होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको करने से बहुत बेहतर काम होगा। एक सी0आई0 मशीन आती है, 8 से 15 लाख के बीच में आती है, उससे हड्डी ऑटो एनालाइजर उसमें साफ दिखता है, हड्डी के आपरेशन उसमें हो जाते हैं, हड्डी जोड़ने की कैपासिटी डाक्टर की बहुत अधिक बढ़ जाती है। आपके पास अगर विशेषज्ञ चिकित्सक कम हैं। हमारे पास फौज में लड़ने वाले 100 सिपाही हैं तो हम उनको क्यों थ्री नॉट थ्री क्यों दें। 15000 के सामने हम उनको लाइट मशीन गन दे दें। थोड़ा परफार्मेंस तो बेहतर होगा। इस मशीन की क्षमता बहुत बढ़िया है। ऐसे ही ब्लड टेस्ट सेल काउण्टर है, टी0एल0सी0, डी0एल0सी0 डाक्टर साहब सब कुछ जानते हैं। एक बार में ही सब कुछ निकल आयेगा। आपके जो लैब टेक्नीशियन हैं, उसको अगर

ये मशीन मिल जाती है तो वो इस मशीन के माध्यम से कई गुना काम कर देगा। मशीन कोई बहुत ज्यादा महंगी नहीं है।

तीन-चार लाख से लेकर दस-पन्द्रह लाख के बीच में है। ये तो मॉडल के ऊपर है। ये तो आप चेंज कर सकते हैं। फेको मशीन आंख के आपरेशन के लिये, आपके पास आई सर्जन हैं। आपकी एक मशीन है एम0आई0पी0एच0 डाक्टर साहब उसको बेहतर जानते होंगे। वो दूरबीन विधि से पाइल्स का, मुझे लगता कि जितने चांदसी या बंगाली डाक्टर हैं, ये भी बहुत बड़ी मात्रा में परेशानी हैं। इसमें ये स्टेपल हो जाता है, बगैर चीरे के, बगैर खून निकाले। कुछ नहीं, बस दो दिन के अन्दर छुट्टी। ये मेरा सुझाव है कि इसे प्रत्येक जिला स्तर पर जिला अस्पताल में लगाया जाये। जिला अस्पताल साहब एक जमाने में हर जिले की शान और रौनक हुआ करते थे। आज बदहाल हैं, आज कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। थकी इमारते हैं ये, किसी की राह देख रही हैं। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन का नाम हुआ करता था। डी0एम0 और एस0पी0 के बराबर हैसियत थी। हमारे पास प्रदेश में बड़े अस्पताल बनाने का जहां लक्ष्य है वहां पर निचले स्तर पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। जिला अस्पताल का आप देखिये। बड़े-बड़े मेडिकल कालेज से ज्यादा कुछ जिला अस्पतालों के पास जगह है। आज जगह की सबसे बड़ी कमी है। कोई योजना होती है, जब वह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाती है तो खबर आती है कि हमारे पास जमीन नहीं है। जमीन है तो बंजर है जिसको एलॉट नहीं किया जा सकता। जिला अस्पताल आपके पास बहुत मजबूत लैण्ड बैंक का साधन है। इनके ऊपर आप काम करिये। हर जिला अस्पताल में आप यूनिवर्सिटी के बराबर जगह पायेंगे। ये मेरा आपसे कहना है। मेरी लगभग सब बातें आयी हैं। मैं आपसे एक और स्पेसिफिक बात कहना चाहता हूं कि लखीमपुर जिला मुख्यालय में जिला अस्पताल तक 108 नम्बर नहीं जाती। 108 की जो एम्बुलेंस है वो कहती है कि पसगवां से मोहम्मदीपुर पी0एच0सी0 तक तो पहुंचा देंगे लेकिन उससे आगे जिला मुख्यालय तक हम नहीं ले जायेंगे और जिला मुख्यालय है आपका 90 किलोमीटर पर तो ये जो एम्बुलेंस की कुछ इस प्रकार की गतिविधियां हैं, उनको भी मैं समझता हूं कि आपके ध्यान की जरूरत है। ''पोलिटिक्स इज मेडिसिन ऐट लार्ज।'' बोलने से पहले यहां सब कोटेशन बोलते हैं। मैंने बहुत मेहनत करके एक कोटेशन याद किया और एक शेर याद किया। शेर इसलिये भी दूंगा कि नौसिखिया बॉलर जब बॉल फेंकेगा तो चतुर बल्लेबाज देखिये कैसे बल्ला लाता है लेकिन अगर मुझे कोई जवाब न मिले इसलिये कहता हूं कि :-

ये काम नहीं आसां इंसान को मुश्किल है

दुनिया में भला होना, दुनिया का भला करना।

*चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री नितिन अग्रवाल)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है। मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। एक कहावत है मान्यवर, अंग्रेजी की कि ''हेल्थ इज वेल्थ'' लेकिन जो पिछली बहुजन समाज पार्टी की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार थी, उन्होंने हेल्थ से वेल्थ बनाने का काम किया। ऐसी लूट मान्यवर पिछले पांच साल में स्वास्थ्य विभाग में हुयी। हर डिस्ट्रिक में परिवार कल्याण का एक अलग से सी0एम0ओ0 बैठा दिया गया, जिसका सिर्फ यह काम था कि कमीशन ऊपर पहुंचाना। सी0एम0ओ0 को बुलाया जाता था, उससे कहा जाता था कि इतना बजट हम रिलीज करेंगे। इसका कितना परसेन्ट कमीशन तुम हमें दोगे। मान्यवर, वैसे तो ज्यादा समय नहीं है मैं बहुत कम बोलूंगा, कुछ आंकड़े हम जरूर सदन के सामने पेश करना चाहते हैं। हमारी सरकार संकल्पित है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं को उस निचले समाज तक, उन असहाय लोगों के बीच, गरीबों के बीच हम पहुंचाएं, जो उनका अधिकार है, जैसा कि मा0 मंत्री जी ने अभी कहा था कि हमारी सरकार आते ही बी0पी0एल0 परिवार के लोगों को हम निःशुल्क सुविधा जिला अस्पतालों में दे रहे हैं, मरीजों का भर्ती शुल्क पूरी तरीके से माफ कर दिया गया है। मान्यवर, हमने 48 डिस्ट्रिक्स में 100 बेड में मैटरनिटी हास्पिटल सेंक्शन किए 960 करोड़ की लागत से, जिससे कि उन जिलो में जो महिलाएं, हमारी माताएं, जिनको आज प्रसव की अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उन अस्पतालों में बेहतर, सबसे लेटेस्ट तकनीक के सारे उपकरण लगे होंगे, जिससे उनको सबसे अच्छी सुविधाएं मिल पायेंगी। मान्यवर, 234 करोड़ रुपये से 78 सी0एच0सी0 में 30 बेड के वार्ड बनाए जा रहे हैं और 60 करोड़ की लागत से 12 सी0एच0सी0 में 50 बेड के मैटरनिटी वार्ड अलग से बनाए जा रहे हैं, जिससे हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, बेहतर और वर्ल्ड क्लॉस मेडिकल फैसलिटी उपलब्ध करा सकें। मान्यवर, वैसे तो योजनाएं बहुत-सी हैं, अगर मैं सब योजनाओं को डीटेल में बोलूंगा तो शाम हो जायेगी। मैं सिर्फ दो योजनाओं को सदन के बीच रखना चाहता हूं। एक जननी-शिशु सुरक्षा योजना है, मान्यवर, हम लोगों को संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है कि हमारे प्रदेश की जननी और उसका बच्चा, दोनों स्वस्थ रहें, वैसे यह शुरू में देखा जाता था कि जब प्रसव होता था तो या तो मां की हेल्थ खराब हो जाती थी या बच्चे की हेल्थ खराब हो जाती थी, लेकिन हम लोगों का संकल्प है कि दोनों लोग सुरक्षित रहें, मैं उसके कुछ मुख्य बिन्दु हैं, उनको सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। सामान्य प्रसव में अब हम लोग 2 से 3 दिन तक और सिजेरियन के केसेज में 7 से 8 दिन तक हम माता को अस्पताल में रखते हैं, जिससे उसका अच्छी तरह से उपचार हो जाए। मान्यवर, यदि किसी महिला को खून की कमी होती है तो उसकी पूरी जांच, चाहे खून की जितनी भी जांचें होती हैं और खून चढ़ाने हेतु आवश्यक जांचे और खून चढ़ाने हेतु सर्विस शुल्क हम नहीं ले रहे हैं। मान्यवर, घर में नवजात शिशु के अधिक बीमार होने पर, चिकित्सालय पहुंचने तक उपचार हेतु आवश्यक जांचें और औषधियां तथा ठीक होने के बाद घर पहुंचाने की हम लोग निःशुल्क सुविधा, उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोगों ने राज्य स्तर पर एक टोल फ्री नंबर शुरू किया जो 18001801900 है, जिसमें अगर किसी को कोई शिकायत है तो अपनी शिकायत उसमें दर्ज करा सकता है। मान्यवर, ये कुछ आंकड़े हैं। इसमें जनवरी, 2013 तक के आंकड़े हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्लाइंट जिनका हमने फ्री ट्रीटमेंट किया है, वह 9 लाख 31 हजार 021 है, और नंबर ऑफ क्लाइंट जिनको हम लोगों ने घर वापस पहुंचाया है वे 3 लाख 17 हजार 447 हैं। एम्बुलेन्स की सेवा मा0 मंत्री जी ने सदन के सामने रखी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है और 988 एम्बुलेन्स जो खरीदी गई हैं, वह हर ब्लॉक लेविल पर एक, हर डिस्ट्रिक लेविल पर 2 एम्बुलेन्स की सुविधा दी गयी है। मा0 मंत्री जी ने संख्या भी उसकी रखी है।

मान्यवर, एक कैम्पेन के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा, पोलियो के बारे में मा0 मंत्री जी ने बताया कि पोलियो पूरी तरीके से, उत्तर प्रदेश में इरेडीकेट हो चुका है। मीजल्स एक बहुत बड़ी बीमारी है, देश की नहीं बल्कि विश्व की बहुत बड़ी बीमारी है और हमारा देश में लगभग 60 प्रतिशत, 1 लाख 70 हजार बच्चे पूरे विश्व में मीजल्स से प्रभावित होते हैं और हमारे देश में 60 प्रतिशत बच्चे मीजल्स की बीमारी से प्रभावित हैं। कैम्पेन हमारी सरकार ने चलवाए, मीजल्स कैचअप राउण्ड कन्डेक्टेड, जो कैम्पेन 21 जिलों में 3 दिसम्बर, 2012 से शुरू किया, जो बहुत सफल रहा, सभी बच्चे 9 महीने से 10 साल तक के बच्चों का इसमें टीकाकरण किया जाता है और हम अभिभावकों को खास तौर से उसके बारे में बताते हैं कि आप लोग अगर हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, तो जैसे पोलियो हमने उत्तर प्रदेश में इरेडीकेट किया, वैसे मीजल्स भी हम इस प्रदेश से इरेडीकेट करने में सफल होंगे। मान्यवर, 90 लाख 99 हजार 472 बच्चों को, कैम्पेन के माध्यम से टीकाकरण किया गया है और इस कैम्पेन का अभी 4 दिन पहले दूसरा फेज का शुभारंभ हुआ था, जिसमें मैं गया था और हमारा लक्ष्य है कि हम प्रदेश में मीजल्स से प्रभावित होने वाले बच्चों को, पूरी तरीके से हम इस बीमारी को खत्म कर सकें। बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, सिर्फ दो मिनट का समय और दे दें। बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना का मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी ने जनवरी, 2013 में शुभारंभ किया। अभी कुछ दिन पहले इस सदन में जोर से चर्चा हो रही थी, विपक्ष के मा0 सदस्य बहुत शोर मचा रहे थे कि जो मॉल न्यूट्रिशियन्स से बच्चे विकलांग हो रहे हैं, उसका आप लोग क्या कर रहे हैं ? उसके बारे में कोई योजना है। मान्यवर, बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना का शुभारंभ मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा 31-01-2013 को किया गया और 1014 मेडिकल टीम कार्यरत हैं और 23 फरवरी, 2013 तक 7 हजार विद्यालयों में भ्रमण हुआ उन टीमों का, जिसमें 9 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, और यह योजना हम लोग की अभी कार्यरत है, अभी चल रही है। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव मैं जरूर देना चाहूंगा मा0 मंत्री जी को कि क्लीनिकल इस्टेब्लिसमेंट एक्ट हमारे यहां पेण्डिग पड़ा हुआ है, पार्लियामेंट से उसको पास कर दिया गया है। क्लीनिकल इस्टेब्लिसमेंट एक्ट, वह एक्ट है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि अर्बन क्षेत्रों में जो डॉक्टर्स छोटे-छोटे क्लीनिक खोल लेते हैं, जहां पर कोई सुविधा नहीं होती, जहां पर डाक्टर उस लेविल के नहीं होते और आम जनता को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। उस एक्ट को अगर हम पास कर लेंगे तो उसमें यह साफ लिखा है कि डॉक्टर्स को क्लीनिक खोलने के लिए क्या-क्या आवश्यकताएं होंगी, कितनी जगह होनी चाहिए, कौन-कौन सी मशीनें होनी चाहिए, कौन-कौन से डॉक्टर्स उसमें होने चाहिए, डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ? ये अगर हम लोग एक्ट यहां पर पास कर दें तो हम शहरी क्षेत्रों में भी बहुत बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। मान्यवर, टेक्नीकल स्टॉफ की मा0 मंत्री जी ने बात की थी, हम लोगों के पास टेक्नीकल स्टॉफ की बहुत कमी है। मा0 मंत्री जी, ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कनाडा की यूनिवर्सिटी है, उसके एक बोर्ड मेम्बर ने मुझसे संपर्क किया था और वह हिन्दुस्तान आ भी रहे हैं और लखनऊ में 20 तारीख को आएंगे। वह आपसे और

मा0 मुख्य मंत्री जी से मिलना चाहते हैं। वह यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में अपनी एक यूनिवर्सिटी खोलना चाहती है, जो सारी एलाइड्स सर्विसेज की ट्रेनिंग देगी। टेक्नीकल स्टॉफ, जितना भी लैब टेक्नीशियन है, एक्स-रे मशीन पर हम टेक्नीशियन रखते हैं, हम लोग अल्ट्रासाउंड मशीन पर टेक्नीशियन रखते हैं। वह सारी ट्रेनिंग वह देना चाहते हैं और राज्य सरकार से पी0पी0पी0 मॉडल पर कुछ योजनाओं पर वह अपनी भागीदारी करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनसे जरूर मिलिएगा और कोशिश करिएगा उन लोगों को यू0पी0 में काम करने का मौका बने। मान्यवर, जैसे कि डाक्टर्स की भी कमी हम लोगों के पास बहुत ज्यादा है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 नितिन जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, मैं अपनी बात खत्म करूंगा यह कह कर कि हमारी सरकार संकल्पित है, आम आदमी को, गरीबों को बेहतर साज-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और हमारी कोशिश यही है, हम कोशिश कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं कि हम गरीबों को, आम जनता को, मजलूमों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे भाजपा नेता मा0 असीजा जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए मौका दिया, मैं आपको बहुत-बहुत, धन्यवाद देता हूं। वैसे तो हमारे मा0 असीजा जी ने सारी बातें रख दीं।

मान्यवर, वैसे तो हमारे मनीष असीजा जी ने सारी बातें रख दी हैं। मैं अपने जनपद शाहजहांपुर के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूं, मान्यवर, जो हमारा जिला अस्पताल है उसमें 43 डाक्टर होने चाहिए। अभी मंत्री जी ने जानकारी दी डाक्टरों की कमी है। मान्यवर, यह बहुत ज्यादा कमी है। हमारे यहां 43 के सापेक्ष 22 डाक्टर हैं। महिला जिला अस्पताल में 13 डाक्टर होने चाहिए, उसमें मात्र 06 पोस्टेड हैं और कार्यरत केवल 02 ही हैं। मान्यवर, डाक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। मान्यवर, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जिला अस्पतालों में इलाज के लिए उनके साथ भेद-भाव किया जाता है। मान्यवर, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो घटनायें-दुर्घटनायें हो जाती हैं, मार-पीट हो जाती है उसमें बड़े पैमाने पर हमारे डाक्टर लोग पक्षपात करते हैं, चाहे वह किसी दबाव में डाक्टर हों चाहे वह अपने दूसरे हिसाब से करते हों। मान्यवर, हमारे यहां एक दिन की घटना है मैं वहां पर अपने गांव में ही मौजूद था। अजीतपुर गांव में रात को 08.00 बजे थाना निगोही अन्तर्गत घटना होती है उस गांव में नन्ही देवी पत्नी सेवाराम उसको पूरी तरह से मारा-पीटा गया। गांव के लोग अस्पताल लेकर आये, अभी मंत्री जी 108 नम्बर ऐम्बुलेन्स की बात कर रहे थे। 108 ऐम्बुलेन्स पहले उनको लेकर गयी रात को और पांच किलोमीटर चलने के बाद फिर गांव वापस आ गयी। रात को लगभग 12 बजे उन गांव वालों ने मुझको फोन किया। संयोग से मेरा फोन स्विच आफ था। इसलिए जब मैंने सुबह देखा तो गांव वालों ने मुझे पूरी बात बतायी कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है कि उस ऐम्बुलेन्स गाड़ी के बजाय दूसरी गाड़ी से उनको जिला अस्पताल भेजा गया, और उनका इलाज नहीं हो

पा रहा है। मैंने जिला अधिकारी को फोन किया, मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी फोन किया और यह कहा कि इलाज में कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए। मैं स्वयं अस्पताल गया और वहां डाक्टर कमरूलजहां खान से मैंने बात की।

श्री अधिष्ठाता-

यह बात तो आप लिखकर भी दे सकते हैं।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, दो मिनट सुन लें।

श्री रोशन लाल वर्मा-

तो इस तरीके से मान्यवर, अस्पतालों में भी गरीब जनता के साथ बदले की भावना से काम किया जा रहा है नहीं होना चाहिए और हमारे नारायण दास अरोरा सी0एम0एस0 साहब हैं जो हमारे शाहजहांपुर में नियुक्त हुए हैं, रामपुर में 6 बार सी0एम0एस0 द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय वर्मा जी, शिकायत तो आप लिख करके दे दीजिएगा कार्यवाही हो जायेगी।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, उनकी सर्विस पुस्तिका में भी अन्तर है हमारे यहां से ये जूनियर डाक्टर श्री नारायण दास अरोरा की गलत ढंग से नियुक्ति की गई, मा0 मंत्री जी कह रहे थे कि वहां पर जो भी डाक्टर होंगे, जो सीनियर होंगे उनको नियुक्ति दी जायेगी लेकिन हमारे शाहजहांपुर में जूनियर डाक्टरों की नियुक्ति की गयी और मैं अन्त में क्योंकि मान्यवर, इधर लोग सुनना नहीं चाहते हैं इसलिए अन्त में दो बातें कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। आज नेता जी सुभाष चन्द्र बोस पर चर्चा भी है। मान्यवर,

है लिये हथियार दुशमन ताक में बैठा उधर,
और हम तैयार हैं सीना लिये इधर,
खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है,
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से,
सर जो उठ जाते हैं वे झुकते नहीं ललकार से,
और भड़केगा जो शोला- सा हमारे दिल में है।

*श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस लोकप्रिय बजट भाषण पर मुझे भी कुछ कहने को अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। स्वास्थ्य विभाग की कड़ी आलोचना किया करता था जब मैं क्षेत्र में रहता था लेकिन इस वर्ष मैंने पाया कि यह सरकार, हमारे माननीय मंत्री जी ने जिस ढंग का बयान दिया है वह हकीकत है और हकीकतन विश्वासतन मैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपको बताना चाहूंगा कि जितनी चीजें इन्होंने कहा है बहुत सच्चाई पाया है। इसमें जहां भी जो जनोपयोगी चीजें थीं लोकहित में थीं उसके कार्यान्वयन में जो गति आपने पकड़ा दिया है उसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं। हमारे यहां मैं सब चीज देख करके बता रहा हूं कि पहले दवाइयां नहीं मिलती थी। जो 8-8 साल से 10-10 साल से सपा के भी जिम्मे बनकर तैयार थी चाहे वह सीएचसी रेहटी का हो चाहे पीएचसी नेहरूनगर का हो, चाहे ट्रामा सेन्टर हो उन सबों में कोई डाक्टर नहीं एप्वाइंट हुआ था लेकिन इस सरकार के आते ही माननीय मंत्री जी ने एक ही सही एक-एक दो-दो डाक्टर की नियुक्ति किया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे यहां एक स्थल है सई नदी का किनारा जहां आये दिन घटनाएं घटती हैं और अभी 11-11 लोग हलाक हुए उसी के बाद एक ट्रामा सेन्टर बहुत दिन से खुला है, लिप पुत करके तैयार है और उसमें आज तक न दवा न डाक्टर की व्यवस्था हुई है। हमारे माननीय मंत्री जी ने उसे तैयार तो करा दिया लेकिन अब इतनी दुर्घटनायें हो रही हैं कि अगर तत्काल कोई पहुंच जाता तो शायद उसमें कुछ लोग जिन्दा हो जाते। इसलिये मैं चाहूंगा कि उस ट्रामा सेंटर में तत्काल डाक्टर और दवा की व्यवस्था की जाये। हमारे यहां जो सी0एच0सी0 जानी भी नहीं जाती थीं, जो केवल कागज पर दर्ज रहा करती थी, वह यथार्थ की धरती पर उतरा है। इसलिये जहां भी जिस ढंग की सुलभता होनी चाहिये, वह है। मैं ऐसी अवस्था में माननीय मंत्री जी का बड़ा स्वागत करता हूं, सरकार का स्वागत करता हूं, आशावान हूं कि जो भी हमारे क्षेत्र में थोड़ी बहुत कमी है, उसमें आपने किया लेकिन अधूरा है आशा है कि उन सी0एच0सी0, उन पी0एच0सी0, ट्रामा सेंटर को बिल्कुल मूर्त रूप प्रदान कर दें। मैं इसी के साथ आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपके बजट भाषण पर विशेष बल देता हूं।

श्री सुदेश शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस चिकित्सा विभाग के बजट पर संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत साधुवाद। बड़े विद्वान सदस्यों ने इस पर अपने विचार रख दिये हैं, मैं कोई बहुत ज्यादा लम्बी चौड़ी बातें न कहकर सिर्फ एक-दो सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। यह आई0एस0एम0 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों का उत्तर प्रदेश में यू0पी0आई0एन0सी0 एक्ट 1939 के तहत आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक दवाओं के उपयोग को कानूनी वैधता लगभग 60-70 वर्षों से चल रही थी और आई0एस0एम0 के चिकित्सक जो हैं, वह इंस्टीट्यूशनली क्वालीफाइड डाक्टर हैं, जिसमें भारतीय चिकित्सा के साथ एलोपैथिक विषय जैसे गायनी, मेडिसिन, सर्जरी, ई0एंड0टी0 और ई0टी0सी0 पढ़ाये जाते हैं तथा आयुर्वेद और एलोपैथिक अस्पताल में इनकी इंटर्नशिप कराई जाती है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय शर्मा जी अभी आयुर्वेद का बजट आयेगा। तब इस बारे में बात कहियेगा।

श्री सुदेश शर्मा-

मान्यवर, यह चिकित्सा का बजट है और यह उसी से संबंधित है। मान्यवर, जो बी0एम0एस0 डाक्टर हैं, मैं उसके बारे में कहना चाह रहा हूं और यह लगभग 60 हजार की संख्या में डाक्टर पंजीकृत हैं। अभी जो बात मेडिकल कालेज की आ रही है, डाक्टरों की कमी की आ रही है तो मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि वह लोग आज भी अपनी सेवायें दे रहे हैं तो उन

चिकित्सकों को क्यों नहीं बहाल करके जिनके रजिस्ट्रेशन कैन्सिल करा दिये गये थे और हाईकोर्ट ने 1994 में एक आदेश दिया था लेकिन उसमें एक आदेश केन्द्र सरकार का था और उसी के तहत एमेन्डमेंट करके कई प्रदेशों ने जैसे महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, बिहार और जम्मू उन सबने उनकी सेवायें बहाल की हैं, आज भी वह बी0एम0एस0 डाक्टर अपनी सेवायें दे रहे हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि वह आज पर्चे पर अपना नाम न लिखकर सिर्फ दवा लिखते हैं और सी0एम0ओ0 तथा अन्य स्तर पर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, धन कमाई की जाती है और आज भी वह बराबर सेवायें दे रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि उनको अपने नियमों में एमेन्डमेंट करके उनकी सेवायें बहाल की जायें, उनके पंजीकरण को बहाल किया जाये तो इससे निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा योगदान चिकित्सा के क्षेत्र में उनको मिल पायेगा, यह मैं कहना चाहता हूं और अभी पिछले दिनों डाक्टरों से माननीय मुख्य मंत्री जी की भी मीटिंग हुयी थी उसमें उन्होंने 6 सप्ताह के अंदर एमेन्डमेंट कराने का आश्वासन दिया था, मैं इसी संबंध में आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं। दूसरा मेरा विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर है, वहां पर ई0एस0आई0 हास्पिटल के नाम पर बहुत बड़ी जगह है, मैं समझता हूं। शायद बीसों-तीसों एकड़ जगह है। आज ई0एस0आई0 के नाम पर वहां मजदूर तो रहे नहीं इलाज कराने के लिए क्योंकि तमाम मिलें बंद हो चुकी हैं। अब वहां पर डाक्टर भी है स्टाफ भी है और पूरी मशीनरी भी है उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक अच्छा सुझाव हो सकता है वहां आस पास का तमाम ग्रामीण क्षेत्र है तो उसमें उसका लाभ लिया जाय और आपके पास इतनी जगह उपलब्ध है मशीनरी उपलब्ध है, डाक्टर्स उपलब्ध हैं जैसे बी0पी0एल0कार्ड वाले हैं या आम मरीजों के लिए भी उस अस्पताल को खोला जाय जिससे वह लोग उसमें चिकित्सा का लाभ ले सकें। आज भी वहां पर आपके डाक्टर्स बैठे हुए हैं लेकिन उनमें इलाज कराने वाला जो ई0एस0आई0 कार्ड मजदूरों को मुहैया होते हैं केवल वह नहीं हैं इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसको दिखवा लें और वहां और मशीनरी स्थापित करेंगे तो जिले को लाभ होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, थोड़ा आपसे आग्रह होगा कि हमारे नए माननीय सदस्य ने कटौती रखी है और हम सबने देखा है कि कितने विश्वास के साथ उन्होंने सारे बिन्दुओं को हमारे बीच रखा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं सुन रहा था अपने नए राज्य मंत्री जी को भी हम लोगों को सुनने का अवसर मिला। मुझे समझ में नहीं आता कि माननीय मंत्री जी बार-बार यह क्यों कह रहे हैं कि इनके पास पैसा बहुत है। अभी दो दिनों पूर्व बेसिक शिक्षा का बजट प्रस्तुत हुआ 20,900 करोड़ का बजट था। आपका बजट कुल मिलाकर 7187 करोड़ का है। अगर आप अपने सारे प्लान आउटलेट्स को जोड़ लें तो साढ़े तीन प्रतिशत है। अगर जिस आंकड़े को हम लोग लेते हैं जी0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो स्वास्थ्य पर कितना खर्च करती है। अगर हम जी0डी0पी0 के हिसाब से जोड़ने लगें तो यह .9 प्रतिशत भी नहीं है। जब तक इस बजट को हम बढ़ाएंगे नहीं समस्याएं जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वह पूरी होंगी नहीं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक लड़ाई आपको प्रदेश में लड़नी है और एक लड़ाई आपको अपने मंत्रि-मण्डल में लड़नी है। यह जो पूरा का पूरा योजनागत व्यय होता है उस व्यय में स्वास्थ्य सुविधाओं

का हिस्सा कैसे बढ़ सके क्योंकि जब तक यह नहीं बढ़ेगा तब तक आप कितना भी चाह लें स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय बैठे हैं पूरे दुनिया के आंकड़े देख डालें कितना स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करते हैं अगर अमेरिका, यू0के0 को छोड़ दें तो जो चीन है, भूटान है यह जो छोटे आस-पास के राज्य हैं उनके खर्चे जोड़ डालिए प्रति व्यक्ति के उसके मुकाबले हम लोग कहीं खड़े तक नहीं होते हैं। इस नाते प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाएंगे नहीं हम बेहतर सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। आपने कहा कि दवाओं पर हमने 360 करोड़ की व्यवस्था की। यह 360 करोड़ रुपए 20 करोड़ जनसंख्या के बीच है यानी एक व्यक्ति पर 18 रुपए आता है आपने कहा कि पांच हजार लाख मरीज गए मैं सुन रहा था अगर 55 करोड़ मरीज गए और 360 करोड़ रुपया आपने खर्च किया दवा के ऊपर तो एक मरीज पर आपका कुल खर्चा आया 6 रुपए का। प्रश्न यह है कि आप एक मरीज पर 6 रुपया भी खर्च कर रहे हैं और यह भी दावा कर रहे हैं कि वहां जितने मरीज जा रहे हैं हम उनको दवा भी दे रहे है और 15-15 दिन की दवा दे रहे हैं जैसा आपने सदन में कहा। प्रश्न यह है कि जब पैसा आपके पास है ही नहीं कुल खर्चा आपका 360 करोड़ का हुआ तो यह दोनों बातें आपकी एक साथ कैसे हो सकती हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमें सारी लड़ाई इस बात की लड़नी चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग के साथ यह जो लगातार अन्याय होता है इस अन्याय को दूर कैसे कराया जाय। जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं उसके हिसाब से आपके पास 31 हजार 700 सब सेंटर होने चाहिए जबकि हैं आपके पास 20 हजार। आपके पास 5100 से 5200 पी0एच0सी0 होनी चाहिए जबकि हैं आपके पास 3600 आपके पास 1200 से 1300 सी0एच0सी0 होनी चाहिए जबकि आपके पास 773 होंगी। 773 मान लेता हूं। जो आज आपका लक्ष्य है सवा लाख की आबादी और एक लाख की आबादी का, उस जनसंख्या पर जोड़ने की कोशिश करें तो आपकी पी0एच0सी0 की, सी0एच0सी0 की और सब सेन्टर की संख्या ही कम है और उस संख्या पर हम डाक्टर कितने भेज पा रहे हैं। आपने कहा कि 16 हजार समथिंग, आपने कहा मैं नोट कर रहा था 16 हजार 283, स्थिति क्या है अगर सरकारी सेवा में उत्तर प्रदेश के डाक्टरों की संख्या जोड़ी जाए और यदि आपकी संख्या मैं सही मान लूं तो 18 हजार 281 नागरिक पर एक डाक्टर है। क्या यह देश के औसत के बराबर है देश का औसत 12 हजार का है। हिमाचल प्रदेश में 1394 नागरिकों पर एक डाक्टर है। इतने बड़े प्रान्त में एक तो हमने पद कम सृजित किये और जो पद सृजित किये उन पर नियुक्तियां हम नहीं कर पा रहे हैं।

आपने स्वयं स्वीकार किया कि 5500 या 5000 के आस-पास पद खाली हैं और आज भी हम नियुक्ति की उसी प्रक्रिया में चल रहे हैं आज भी हम मानकर चल रहे हैं कि हम लोक सेवा आयोग में अधियाचन भेजेंगे, लोक सेवा से वह स्वीकृत होगा दो साल में, तीन साल में, चार साल में। मैं कहते-कहते थक गया, हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि आप लोगों को यह बात समझ में क्यों नहीं आती कि हम इन अधिकारियों को समझा दें कि मेडिकल कालेजों, जिला अस्पतालों, पी0एच0सीज0 और सी0एच0सीज0 में डाक्टरों की नियुक्तियां लोक सेवा आयोग से कराने का मतलब है कि हम इन पोस्टों को कभी नहीं भर पायेंगे। होता क्या है कि जो डाक्टर पढ़ करके निकलते हैं वह नौकरी के लिए चार साल इन्तजार नहीं करते, वह चले जाते हैं प्रैक्टिस में और एक बार प्रैक्टिस में जाकर जब वह लाख-दो लाख रुपया महीना कमाते हैं, फिर आप उनसे कहते हो आओ हमारे यहां

ग्रेड सर्विस पर आ जाओ तो वह आपके यहां ताकने नहीं आयेंगे, इसीलिए जैसा कि आपने कहा कि 2500 नियुक्तियां हुईं उसमें से 700 लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्यों करेंगे ज्वाइन। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह कर रहा हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं मैं उनसे भी आग्रह करूंगा क्योंकि आपने उनका जिक्र किया है। सरकार को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि डाक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया बदली जाए। जब नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं बदली जायेगी आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें किसी भी जिला अस्पताल या पीएचसी, सीएचसी के लिए आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। आखिर इंजीनियरिंग कालेज से आप कैम्पस इन्टरव्यू करते हैं, वही कैम्पस इन्टरव्यू आप मेडिकल कालेज से क्यों नहीं कर सकते, इसमें कौन सी बाध्यता है। हम कानून बनाते हैं, हम क्या कानून सदन में बनाकर सेवा नियमावली में परिवर्तन नहीं कर सकते। कौन बैठता है लोक सेवा आयोग में, जो नियुक्ति के लिए बैठते हैं वह क्या डाक्टरों के इन्टरव्यू के लायक भी होते हैं क्या। आप प्रत्यक्ष नियुक्ति क्यों नहीं कर सकते और जिस दिन आप .....

(इस समय 02 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

करेंगे आपको डाक्टर्स मिलने लगेंगे। यह जो सारी सेवाएं हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं माननीय मंत्री जी क्योंकि पैसा आप ही लगायेंगे, पैसा केन्द्र सरकार भी देगी। अभी आपने जिक्र किया कि मैं सारी सी0एच0सी0 में अल्ट्रासाउन्ड मशीन भेज दूंगा। सारी सी0एच0सी0 में अल्ट्रासाउन्ड भेजने से अल्ट्रसाउन्ड होने लगेगा क्या। अगर आपकी 7 सौ, 8 सौ सी0एच0सी0 में 181 या 200 रेडियोलॉजिस्ट हैं तो बाकी अल्ट्रासाउन्ड करेगा कौन। मशीनें भेज करके आप पैसा बरबाद करेंगे, यही वह लोग कर रहे हैं। हमें इस बात को इन्हें समझाना चाहिए कि अगर हम सीएचसी में सुविधाएं देने जा रहे हैं तो हमें उन मशीनों का उपयोग करने वाले डाक्टर देने पड़ेंगे। अगर डाक्टर हम नहीं दे पायेंगे तो आखिर यह चलेंगी कैसे। नर्सेज की कितनी कमी है, जो हमारा औसत है जो औसत माना जाता है वह है एक डाक्टर पर तीन नर्स होनी चहिए। आज की स्थिति क्या है आप जानते होंगे, एक डाक्टर पर आधी नर्स यानी कि दो डाक्टर पर एक नर्स। हमारी स्थिति यह है हम नर्सिंग कालेज तक नहीं खोल पा रहे हैं। हम जब तक नर्सेज को ट्रेनिंग दे करके उनकी संख्या को बढ़ायेंगे नहीं, तब तक यह सारी चीजें यह बिल्डिंग खड़ी कर दीजिए, एम्बुलेंस दे दीजिए, दवाएं दे दीजिए, सारे अस्पताल दे दीजिए आखिर उन्हें चलायेगा कौन, चलायेगा तो डाक्टर।

इस नाते कहीं न कहीं इन डाक्टर और नर्सेज की जो भीषण कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए हम लोगों को योजना बनानी पड़ेगी। माननीय मंत्री जी, अगर आपको याद हो तो इसके लिए हमने पिछले सत्र में भी यही बात कही थी, साल भर गुजर गया ऐसे ही पांच साल का समय गुजर जायेगा और दूसरी सरकार आ जायेगी। आखिर कब इस बात की हम हिम्मत जुटायेंगे कि यह परम्परागत तरीके से दकियानूसी तरीके से अधिकारियों के द्वारा जबरन बनाये हुए तन्त्र से मुक्ति पा करके हम प्रदेश और देश की आवश्यकता के हिसाब से अपनी नीतियों को खुद खड़ा कर सकें। जब तक इसको हम नहीं करेंगे माननीय मंत्री जी हम कभी भी इन समस्याओं का निदान नहीं कर पायेंगे। आपके पास पैसा कितना है पैसे की कमी जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान निकलेगा नहीं। आज आपकी जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं कुल मिलाकर एक चौथाई खर्चा करती हैं, तीन चौथाई खर्चा नागरिकों की अपनी जेब से होता है। उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं आउट

ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडीचर के, वह तीन चौथाई नागरिक आज भी अपनी जेब से करता है, क्यों करता है, वह क्यों नहीं जा रहा है पी.एच.सी. में, हम सुविधायें देते चले जा रहे हैं लेकिन पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 में जाने वालों की संख्या बढ़ी नहीं है, जनसंख्या के हिसाब से वह संख्या घटी है। हम जिला अस्पतालों में सुविधायें देते चले जा रहे हैं लेकिन भर्ती होने वालों की संख्या जब आबादी के अनुपात से निकालने की कोशिश करते हैं तो आबादी के अनुपात में घटती जा रही है।

क्योंकि वह संतुष्टि, मैं आबादी की बात कर रहा हूं, औसतन की बात कर रहा हूं। आप निकाल दीजिए। मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं जो कह रहा हूं उस पर स्टैण्ड कर रहा हूं। मैं सिर्फ पापूलेशन के रेशियो में कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह सत्य है, आंकड़े हैं इस बात के। हमें अपने पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 तक नागरिकों की पहुंच बढ़ानी है तो हमें उन्हें यह विश्वास देना पड़ेगा कि जाने पर डाक्टर मिलेगा। आज स्थिति यह है कि 3 पी0एच0सी0 एक डाक्टर चला लेता है। आप भी जानते होंगे इस बात को। स्वाभाविक है यह बात अगर कुल मिलाकर 3600-3700 पी0एच0सी0 चला रहे हैं और 700-800 सी0एच0सी0 चला रहे हैं और अगर 70 जिला अस्पताल और 70 महिला अस्पताल चला रहे हैं कुल डाक्टरों की संख्या आपने स्वयं बताया कि 10,000 के आस-पास है। आखिर आप खुद सोचिये कि इन पी0एच0सी0, पर हम कहां डाक्टर भेज पा रहे हैं ? इसलिए जब तक हम डाक्टरों को भेजने का प्रयास नहीं करेंगे साथ में उन्हें दवायें उसके अनुरूप उपलब्ध नहीं करायेंगे तब तक जो विश्वास हम लोगों को जीतना चाहिए वह हम जीतने में सफल नहीं होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात डाक्टरों की कमी के बारे में है। एक जिला अस्पताल, एक मेडिकल कालेज के लिए जो कुछ हमें चाहिए माननीय मंत्री जी वह सब कुछ जिला अस्पताल में उपलब्ध है। हर जिला अस्पताल के पास 300-400 बेड होंगे। हम इस बात की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे ? हम कहते हैं कि 3 साल के डाक्टर बनायेंगे जिला अस्पताल में, हम क्यों 3 साल के डाक्टर जिला अस्पताल में बनायेंगे ? हम जिला अस्पताल में 5 साल के डाक्टर क्यों नहीं बना सकते ? हम हर जिला अस्पताल को जिला अस्पताल सह-मेडिकल कालेज क्यों नहीं बना सकते। जिस दिन यह हिम्मत कर ले जायेंगे और वहां जो डाक्टरों की कमी का आप रोना रोते हैं, जिस दिन डाक्टरों को लगने लगेगा कि हम कन्सल्टेंट/प्रोफेसर होंगें, कन्सल्टेंट/एसोसियेट प्रोफेसर होंगे, कन्सल्टेंट/असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे जो डाक्टरों की कमी जिला अस्पताल में है वह भी पूरी हो जायेगी और साथ में हर जिला अस्पताल में बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के एक मेडिकल कालेज आप खोलते हैं, कभी जोड़कर देखिये, कितना खर्चा आता है ? आप बिल्डिंग बना भी लेते हैं तो डॉक्टर्स नहीं दे पाते, टीचर्स नहीं दे पाते। आप अपने उन्हीं डाक्टरों को जो एम0डी0 हैं, एम0डी0 मेडिसिन हैं, एम0डी0 गॉयनी हैं उनको आप टीचर्स, लेक्चर्स और एसोसियेट प्रोफेसर की पोस्ट दे करके इन्हीं जिला अस्पतालों को 3 साल के डाक्टर बनाने की जगह पर हर जनपद में एक मेन मेडिकल कालेज क्यों नहीं बना सकते ? जब आप ऐसा प्रयास करेंगें, मा0 मंत्री जी तो पांच साल, सात साल के अन्दर धीरे-धीरे डाक्टरों की इतनी बड़ी संख्या आपको मिलेगी, जिस कमी से हम जूझ रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, मैं यह कह रहा हूं कि दृष्टि आनी चाहिए और दृष्टि तब आयेगी जब आप निर्णय खुद लेंगे, निर्णय क्रांतिकारी लेंगे, निर्णय बिना इस बात की चिंता के लेंगे कि लोग क्या कहेंगे ? 70 जिला अस्पताल क्यों

नहीं 70 मेडिकल कालेज बन सकते हैं। भारत सरकार इस बात को कहती है, भारत सरकार का जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है वह इस बात की घोषणा करती है कि हर जनपद में एक मेडिकल कालेज खोला जाना चाहिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अगर किसी जिले में 250-300 बेड का अस्पताल है तो वहां मेडिकल कालेज खोला जा सकता है और वह अस्पताल उससे सम्बद्ध हो जायेगा। पिछले 4-5 सालों में मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया ने अपने रूल्स चेंज कर दिये हैं। उनका कहना यह है कि पहले आप अपना अस्पताल बनाइये और 75 से 80 प्रतिशत उसमें मरीजों की हाजिरी दिखाइये तथा कम से कम 3 साल का चलता हुआ हास्पिटल होना चाहिए। आप वाकिफ हैं कि इस वक्त 500 करोड़ से कम में एक अच्छा अस्पताल नहीं बन सकता, अच्छा मेडिकल कालेज बनाने के लिए काफी धन चाहिए। फिर बाद में उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक बनाने के लिए, क्लास रूम्स, लेक्चर्रस, प्रोफेसर्स, सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर, तो मेरे ख्याल से सिवाय उन लोगों के जिनके पास नम्बर-दो का पैसा हो कोई संस्था या मिशनरी तो इस काम को कर नहीं सकती।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आपकी बात कुछ हद तक सत्य भी हो सकती है लेकिन पूरी हद तक नहीं क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कालेज तो हम लोगों ने बहुत खोल लिये और आपने खुद देखा और जाना होगा कि इन प्राइवेट मेडिकल कालेजों से पढ़कर जो बच्चे निकल रहे हैं वह आपके सरकारी अस्पतालों में काम करने नहीं आ रहे हैं। जिन लोगों ने 50 से 80 लाख रुपया दे करके, (मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि ठीक है, वह सरकारी अस्पतालों में काम नहीं कर रहे हैं लेकिन मरीज तो देख ही रहे हैं और आप भी तो मरीज देख रहे हैं।) वह एक अलग विषय है। हम यहां प्राइवेट मरीज की बात करने के लिये नहीं बैठे हैं। हम इस बात की चुनौती देते हैं कि प्रदेश के हर नागरिक को एफोर्डेबिल सीमा के अन्दर इलाज उपलब्ध करायेंगें। हमारी लड़ाई इस बात की नहीं है कि किसी प्राइवेट क्लीनिक पर बैठकर 500 रुपये की फीस लेकर कौन मरीज देख रहा है कि नहीं। हमारी प्राथमिकता उन डाक्टरों की नहीं है जो प्रैक्टिस करने जायेंगें। हमारी प्राथमिकता उन डाक्टरों की है जो पढ़ाई लिखाई करके वापस कहीं न कहीं सरकारी सिस्टम में आ करके मरीजों का इलाज करने की कोशिश करेंगें। अगर हम यह मान लेंगें कि हमें प्रेक्टिश्नर्स पर आधारित होकर अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करना है तब तो सारी समस्याओं का समाधान बिना हल किये ही निकल आयेगा।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

इतने महान विचारों के लिये तो इसमें कई बरस लगेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

नहीं ऐसा नहीं है, कई सौ बरस नहीं लगने वाले हैं। आप करके तो देखिये 70 कालेज आपके पास हैं। यही तो समस्या है, हम यह मान लेते हैं कि किसी भी प्रयोग को करने के लिये बहुत समय लग जायेगा। नहीं ऐसा नहीं है। मैं लगातार दो बातों को कहता आया हूं निजी मेडिकल कालेज

में जो लोग पढ़ते हैं, वह लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सरकारी मेडिकल कालेज में हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। जब हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं तो हम उनके साथ एक क्लाज क्यों नहीं जोड़ते कि तुम फ्री में पढ़ना चाहते हो। आर्मीज में पढ़ने वाले आर्मी में 20 साल की नौकरी करते हैं आर्मी के अंदर। उत्तराखंड में इस बात की व्यवस्था की गई कि जो लोग सरकारी मेडिकल कालेज में पढ़ेंगे वो सरकार की 5 साल नौकरी करेंगें। हम लोग क्यों नहीं इस बात की व्यवस्था कर पा रहे हैं कि हमारे राजकीय मेडिकल कालेज में जो लोग पढ़ करके निकलेंगे उन्हें 5 साल या 10 साल सरकारी सेवा करनी होगी। अगर हम उनसे नौकरी नहीं करा पा रहे हैं, अगर हम अपने डाक्टर्स की संख्या नहीं बढ़ा पायेंगे तो यह सारी बिल्डिंग खड़ा कर देने से, यह सारी सुविधा मुहैया करा देने से स्वास्थ्य सेवा नहीं दे पायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। बहुत लोगों को बोलना है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं तो खत्म ही कर रहा था। एक विषय आ गया इसलिये इस विषय के बारे में अपनी बात रखनी थी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इधर से एम0 चन्द्रा।

(माननीय सदस्य श्री चन्द्रा एवं माननीय सदस्य श्री अनूप गुप्ता के बोलने के लिये एक साथ खड़े होने पर)

चन्द्रा जी आप रुक जाएं। अनूप गुप्ता जी बोल लें, तब आपका नम्बर आयेगा। आप बैठ जायं। आप थोड़ी देर बाद बोल लें।

*श्री अनूप कुमार गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं स्वास्थ्य विभाग के बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह पहली ऐसी समाजवादी पार्टी की सरकार है कि आज गांव-गांव के अन्दर व्यक्ति जान गया है कि 108 नम्बर मिलायेंगें तो तुरन्त हमारे यहां एम्बुलेंस खड़ी होगी। मैंने स्वयं दो बार इस नम्बर पर फोन करके देखा। एक बार मैं जा रहा था नेशनल हाई-वे पर एक एक्सीडेंट हो गया था मैंने सोचा 108 नम्बर मिलाकर चेक करता हूं। मैंने फोन मिलाया उसने पूरा पता नोट किया और बार-बार फोन करके पूछते रहे कि आपका मरीज कैसा रहा। मुझे बड़ी अच्छी सेवा लगी। दूसरा मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में भ्रमण पर गया था गांव के अंदर एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया था। मैंने 108 नम्बर मिलाया और तुरन्त 15 मिनट के अन्दर एम्बुलेंस पहुंच गई। ऐसी स्वास्थ्य सेवा जो उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू हुई हैं मैं उसके लिये अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को इन्होंने संविदा के ऊपर इतने अधिक डाक्टर रखे, कम्पाउन्डर रखे जहां पर पूरी की पूरी तरीके से जगह खाली थी, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 में कोई संविदा पर भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाने को तैयार नहीं था, सभी अस्पतालों में दवा मिल रही है। 2 साल पहले देखा होता कुत्ता काटने का इन्जेक्शन नहीं मिलता था, आदमी अस्पताल का चक्कर लगाता रहता था लेकिन इन्जेक्शन नहीं मिलता था तब प्राइवेट बाहर से लेना पड़ता था। मान्यवर, कुछ सुझाव मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को देना चाहूंगा। जिस प्रकार से हमारे यहां पिसावां में महमूदाबाद में 100-100 बेड का आपने अस्पताल स्वीकृत किया है लेकिन उसका काम नहीं शुरू हो पा रहा है। हमने कार्य शुरू न होने का कारण पूछा तो पता चला कि 3-3, 4-4 जगह का एक जगह पर बना दिया गया है। जब से यह एन0आर0एच0एम0 का भूत आया है, तब से वहां पर कोई संस्थाएं काम नहीं करना चाहती हैं, सब भाग गई हैं कि हम उसमें काम नहीं कर पायेंगें तो यह जो अधूरे काम पड़े हुए हैं मान्यवर, उनको पूरा कराने का काम करें। हमारे सीतापुर में एक महिला और एक पुरुष अस्पताल है। कई अस्पताल ऐसे हैं जो आधे अधूरे पड़े हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा कराने का काम करें। मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लखनऊ के अन्दर एक बहुत बड़ा कैंसर अस्पताल बनने जा रहा है लोगों को अब बम्बई नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं मा0 मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

(मेजें थपथपाई गईं)

स्वास्थ्य के लिए जो कदम समाजवादी पार्टी की सरकार ने उठाए हैं उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद् देना चाहता हूं। हमारे नेता ने पहले कहा था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी और पढ़ाई सस्ती होगी, मैं मांग करता हूं अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हमारे सीतापुर में जो नेशनल हाई-वे बना हुआ है और शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई सभी के रास्ते उधर से निकलते हैं, वहां एक ट्रामा सेन्टर की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जब यहां नेपाल तक का मरीज हमारे लखनऊ में आता है तो अगर यहां पर ट्रामा सेंटर हो जाएगा तो बहुत सुविधा हो जाएगी। हमारे यहां सीतापुर में कुछ डाक्टरों की बहुत कमी है उसको भी पूरा करा दें आपने मुझे बजट भाषण के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मा0 असीजा जी के कटौती के प्रस्ताव पर अपना बल देते हुए मैं चन्द सुझाव आपके समक्ष रखना चाहता हूं और आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमने पूर्व के बजट में भी कहा था कि हमारे यहां एक सी0एच0सी0 अस्पताल है उसका नाम तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है लेकिन आज भी एडीशनल पी0एच0सी0 की तरह ट्रीट होता है। पी0एच0सी0 से कहीं सी0एच0सी0 को संचालित होते हुए, मुझे नहीं लगता कि किसी ने देखा हो, अगर देखना हो तो हमारे यहां चले आइए, पी0एच0सी0 से संचालित सी0एच0सी0 हास्पिटल होता है। और मैंने कई बार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवरही की चर्चा की कुशीनगर जनपद में, लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियों में, प्रमुख सचिव साहब को भी, मंत्री जी को भी लिखकर दिया, लेकिन आज तक उस पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाई। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि इन्सेफेलाइटिस से सबसे ज्यादा पीड़ित हमारा तीन ब्लाक है सेवरही, दुधही, तमकुही,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और वहां अधिकतर लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इन्सेफेलाइटिस के नाते कई मरीजों की हर साल मौत भी हो जाती है और काल के गाल में समा जाते हैं। गोरखपुर मेडिकल कालेज में इसकी समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, जाते हैं, लेकिन तमाम लोग बाहर रहकर किसी तरह उसमें दाखिला भी नहीं मिल पाता है और उसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इन्सेफेलाइटिस के लिए हमने तमाम इंतजाम किए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिला अस्पताल कुशीनगर में भी एक वार्ड इन्सेफेलाइटिस के लिए बना है और आपके प्रयासों से बना है मैं चाहूंगा उसकी संख्या कुछ बढ़ाई जाए। ताकि इन्सेफेलाइटिस के मरीज जो गोरखपुर मेडिकल कालेज में जाना पड़ता है उनका इलाज जिला अस्पताल या हमारे यहां की सी0एच0सी0 में हो सके। मान्यवर, दवा के छिड़काव के लिए दस हजार की योजना है, जो वहां के एन0एम0 और प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से पैसा निकलता है और दवा का छिड़काव गांव-गांव में होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा वह पैसा एन0एम0 प्रधान जी लोग मिलकर ज्यादातर छिड़काव के बजाय उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो दवा छिड़काव का दस हजार है उसको बढ़ाया जाए और अपने देखरेख में जिलाधिकारियों की देख-रेख में एस0डी0एम0 की देखरेख में दवा के छिड़काव की व्यवस्था की जाए। मच्छरों का प्रकोप तो वैसे ही ज्यादा है लखनऊ शहर में भी, जहां हम लोग रह रहे हैं मच्छरों की स्थिति ज्यादा है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि 'जननी सुरक्षा', जननी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण योजना है इसे मातृत्व की योजना के नाते, कम से कम जो बच्चा पैदा करने वाली मां हैं जो मां प्रसव, बच्चा पैदा करती है उसको एक सहयोग राशि दी जाती है। भारत सरकार इस योजना को चलाती है, इसमें आशा कार्यकत्री बहुत मेहनत करती हैं। एक छोटी सी राशि उनको दी जाती है जिसके नाते वह गांव-गांव में जाती हैं और गांव से मरीजों को ले आती हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो आप उनको डेढ़ सौ रुपये देते हैं उसमें अगर वृद्धि और कर सकते हैं जिससे और भी अधिक संख्या में, जो प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिलायें हैं उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाने में सहायक बन सकें। और सबसे बड़ी चीज यह है, बजट में चर्चा चल रही थी, डाक्टरों की कमी की। सबसे ज्यादा कमी अगर है तो महिला डाक्टरों की कमी है। मान्यवर, मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहां पडरौना जो जिला अस्पताल है, वहां महिला डाक्टर मात्र एक है और सी0एच0सी0 और पी0एस0सी0 में तो बहुत ही कम हैं।

महिला डाक्टर पासआउट होती हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, अगर उसमें थोड़ी छूट दी जाए और जैसा माननीय डाक्टर साहब ने कहा है कि कैम्पस सलेक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा महिला डाक्टर को हम जो कैम्पस में पढ़ने के लिए आती हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा वरीयता दें तो शायद महिला डाक्टरों की कमी की पूर्ति हो सकती है जिससे काफी बड़ा बदलाव आ सकता है और कुत्तों के इन्जेक्शन के बारे में अभी चर्चा हो रही थी। माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, हमारे जनपद में जिला अस्पताल में यह हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन सी0एच0सी0, पी0एस0सी0 में इनकी काफी कमी है। जरा दिखवा लीजिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण इन्जेक्शन है, खरीदने के लिए जाना पड़ता है, काफी मंहगा मिलता है और स्वास्थ्य विभाग में यह व्यवस्था है, अगर आप चाहेंगे तो यह आराम से उपलब्ध हो सकता है। माननीय मंत्री जी, मैं

आपको बधाई देना चाहता हूं, यह जो 108 की सुविधा है, वास्तव में यह बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। एक लड़का लखनऊ आ रहा था और मोटर साइकिल से बेचारा चला आ रहा था, मेरे पास ही आ रहा था, हाटा में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसने तुरन्त हाई-वे पर 108 नम्बर पर फोन किया और तुरन्त एम्बुलेंस सेवा आई और उसकी जान की रक्षा हुई, नहीं तो शायद रात के 11.00 बजे न कोई उसको उठा पाता, न देख पाता, लेकिन 108 के कारण उसका जीवन बचा। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मैं बहुत लम्बा-चौड़ा नहीं बोलूंगा क्योंकि बजट काफी अच्छा है और माननीय असीजा जी ने सारे सुझाव दे दिए हैं तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मान्यवर, भ्रूण हत्या की चर्चा चल रही थी। कुशीनगर जनपद में 2002 में जब सर्वे हुआ तो 1000 में 973 बालिका थीं और इस समय जब सर्वे हुआ है तो 1000 में 901, कितनी तेजी के साथ भ्रूण हत्या हो रही है। मान्यवर, उस दिन मैं आपके सामने बोलने के लिए उठा भी था लेकिन आपने बोलने का मौका नहीं दिया था। कहना चाहूंगा कि इस भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान चलाना तो बहुत जरूरी ही है लेकिन मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर भ्रूण हत्या कराने वाले लोग जिसके तहत् वह जांच कराते हैं, अल्ट्रासाउण्ड के मातहत्, ऐसे लोग अगर मिलते हैं तो उनके खिलाफ तो कार्यवाई करिए ही, जिले में बैठे सी0एम0ओ0 के खिलाफ कार्यवाई करिए। अगर 2-4 सी0एम0ओ0 सस्पेंड हो जायेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो अवैध तरीके से अल्ट्रासाउण्ड चल रहा है, यह स्थिति हो पायेगी और इस पर नियन्त्रण हो सकता है। एक मांग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि एक एम्स की स्थापना तो रायबरेली में हो रही है लेकिन मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा पीड़ित पूर्वांचल है, गोरखपुर है। गोरखपुर की स्थिति यह है कि वहां बिहार के मोतीहारी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, चारों तरफ के पेशेन्ट आते हैं और यू0पी0 में तो सबसे खराब स्थिति में है, पूर्वांचल में एक ही मेडिकल कालेज गोरखपुर में है और उसकी भी दशा बहुत अच्छी नहीं है तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि यू0पी0 और बिहार की सीमा होने के नाते गोरखपुर मण्डल भी है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि गोरखपुर में भी एक एम्स की स्थापना कर दी जाए। इसके लिए बड़ा जनान्दोलन चल रहा है, काफी लोगों का समर्थन भी है। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अनूप सण्डा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य विभाग के बजट पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार जो डाक्टर लोहिया के सिद्धान्तों पर चलने वाली सरकार है और समाजवादी आन्दोलन के दौरान इस देश के समाजवादियों ने नारा दिया था कि रोटी, कपड़ा सस्ती होगी दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधायी देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में

डा0 लोहिया के उस सपने को उत्तर प्रदेश में साकार करने की दिशा में सरकार ने अपना कदम आगे बढ़ाया है। मान्यवर पिछली सरकार में हम लोगों ने देखा है कि जब गांव का गरीब आदमी अस्पताल में जाता था तो एक-एक काम के लिए उसको पैसा देना पड़ता था। दवायें नहीं मिलती थीं। गरीब असहाय मरीज जो मार्ग दुर्घटना का शिकार होते थे उनके दर्द को कोई समझने वाला नहीं था लेकिन मान्यवर, इस सरकार में मा0 मुख्य मंत्री जी की संवेदनशीलता थी कि गांव का वह गरीब आदमी जिसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था उसके लिए 108 नम्बर की एम्बुलेंस सुविधा देकर गांव के गलियारों तक लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है। जिससे आज उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बदलाव की सरकार है गरीबों की सरकार है गरीबों के दर्द को महसूस करने वाली सरकार है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए भी बधायी देना चाहता हूं कि सुल्तानपुर का जो महिला चिकित्सालय था उसकी दशा बड़ी बदहाल थी। माननीय मंत्री जी बहुत सालों तक सुल्तानपुर के प्रभारी मंत्री रहे हैं और जानते भी हैं कि सुल्तानपुर के महिला चिकित्सालय और नर्क की तुलना की जाये तो उसमें फर्क नहीं था। लेकिन मा0 मंत्री जी ने पहले ही वर्ष में सुल्तानपुर की जनता को यह सौगात दी है कि महिला चिकित्सालय में सौ बैडों की बढ़ोत्तरी हो रही है। भवन निर्माण का काम शुरू होने वाला है। सुल्तानपुर का गरीब असहाय मरीज इस सरकार को दुआयें दे रहा है। मान्यवर, हम आपके संज्ञान में कुछ बातें और लाना चाहते हैं अभी हमारे कई मित्रों ने ए0आर0वी0 यानि कि एंटी रेबीज वेक्सीन की उपलब्धता की बात उठायी। मान्यवर, पिछली सरकारों में स्वयं जाकर प्रयास करने के बावजूद भी 6-6 महीने जिला चिकित्सालयों में एंटी रेबीज वेक्सीन उपलब्ध नहीं होती थी। लोग तरसते रहे। हम सब जानते हैं कि कुत्ता काटने से हाइड्रोफोबिया रोग से ग्रसित होकर जो लोग मरते हैं उनकी मौत कितनी दर्दनाक होती है। मान्यवर, उनके दर्द को भी उस सरकार ने नहीं समझा।

यह बधाई की बात है कि आज पूरे प्रदेश में आम आदमी को एंटी रेबीज वेक्सीन उपलब्ध हो रही है और गरीब आदमी जब अस्पताल में जाता है तो उसको लगता है कि हमारी अपनी सरकार में हमारी अपनी व्यवस्था है। और हर तरीके से उनको सुविधा दी जा रही है, उनको दवायें मिल रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सुल्तानपुर एक बड़ा जिला है और पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है। वहां के लोगों की अपनी समस्यायें हैं। मान्यवर, कई वर्षों पहले वहां पर एक ब्लड बैंक शुरू हो गया और इस सरकार के सहयोग से 24 घण्टे वह ब्लड बैंक चल रहा है। कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी है। जिसकी वजह से वहां पर जैसे बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। मान्यवर, इस पर एक दृष्टि डाल लेंगे तो पूरे जनपद के 20 लाख लोगों का कल्याण हो जाएगा। मान्यवर, सुल्तानपुर जिला चिकित्सालय में जो आई0सी0यू0 बना हुआ है अगर आई0सी0यू0 में चले जाइये, आई0सी0यू0 में कबाड़ पड़ा हैं। यह तो आपकी दृष्टि पड़ी तो कम से कम बैठने लायक हो गया। लेकिन माननीय मंत्री जी उस पर भी आपकी कृपा की जरूरत है। और एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं आप जानते हैं कि बरसात के दिनों में जो सांप काटने के केस आते हैं उसमें एक स्थिति ऐसी होती है कि वह जहर मरीज के शरीर में ऐसा फैल जाता है कि उसकी धड़कन बंद हो जाती है और उसका इलाज सिर्फ एक है कि इसको 48 घण्टे वेंटीलेटर पर रखकर किसी तरह से कृत्रिम रूप से उसकी धड़कनों को चलाया जाये और 48 घण्टे बाद जैसे-जैसे जहर का

असर खत्म होने लगेगा वह मरीज पुनः सामान्य स्थिति की तरफ लौटने लगेगा। मान्यवर, प्रदेश के बहुत से चिकित्सालयों में अगर वेंटीलेटर की सुविधा नहीं उपलब्ध है तो वहां वेंटीलेटर की सुविधा उपलब्ध हो जाये। पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने विधान सभा में तमाम बार प्रश्न लगाये। लेकिन कभी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप मंत्री जी संवेदनशील हैं, अगर पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिला चिकित्सालय पर वेण्टीलेटर की व्यवस्था हो जाये तो जो हजारों मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं, उनकी प्राणा रक्षा हो सकेगी और हम सारे लोग जानते हैं कि इलाज के अभाव में जिला चिकित्सालय में जाने वाले स्नेक बाइट के ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोग होते हैं। मान्यवर, अन्त में अपने क्षेत्र की बात कहते हुए कि हमारे विधान सभा क्षेत्र सुल्तानपुर में लउहरदक्षिण, लखनपुर, गोंड़वा और फतेहपुरसंगत चार जगहें ऐसी हैं मान्यवर, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना अति आवश्यक है, जो सुदूर अंचल हैं जहां पर ग्रामीणों को अपने इलाज के लिए, जिला मुख्यालय की तरफ छोटी-छोटी बीमारियों में भागना पड़ता है। अगर इनकी तरफ भी आपकी दृष्टि हो जायेगी तो वहां की जनता का कल्याण होगा। मान्यवर, पुनः एक बार मैं मा0 मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देते हुए कि आपकी निगाह उन लोगों तक गई है, जिनकी झोपड़ियों में, जिनकी जिन्दगी में अंधेरा था, जिनके दर्द को किसी ने नहीं समझा, मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री उमाशंकर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मनीष असीजा के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी, जिस तरह से असीजा जी और डा0 अग्रवाल जी ने जिस तरह से स्वास्थ्य के बारे में सुझाव दिये, निश्चित रूप से डा0 अग्रवाल जी को काफी अनुभव था, मैं कुछ अपनी क्षेत्रीय समस्याओं तक अपने आप को सीमित रखूंगा, इसके लिए चूंकि सदन में मा0 मुख्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। मान्यवर, बलिया जनपद एक ऐसा जनपद है, जहां पर कोई भी उच्च स्तरीय चिकित्सा की सुविधा नहीं हैं। मान्यवर, सामान्य चर्चा में भी हमने कहा था कि अगर बलिया में किसी का मोटर साईकिल से भी ऐक्सीडेन्ट हो जाय और उसके अगर हेड इन्जरी हो जाती है तो उसे या तो बनारस लेकर जाना पड़ेगा या तो गोरखपुर लेकर जाना पड़ेगा, तो आप सोंच सकते हैं कि हेड इन्जरी वाले हमारे जो मरीज हैं जो ऐक्सीडेन्ट वाले हैं वह वहां तक जा नहीं पाते हैं, रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है और शायद मा0 मुख्य मंत्री जी अपने बलिया दौरा के समय भी आपने वहां घोषणा किया था कि अगर हमें समय मिलेगा तो हम बलिया में एक ट्रामा सेण्टर जरूर खोलेंगे। मान्यवर, अगर इस तरह की वहां कोई व्यवस्था हो जाय तो मान्यवर, आज हालात भी ऐसे बने हुए हैं, चूंकि हमारे जनपद की फेफना विधान सभा की रहने वाली एक छात्रा जिससे पूरा विश्व वाकिफ है, दिल्ली में जो उसके साथ घटना हुई। तो मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि कम से कम एक ट्रामा सेण्टर बलिया को उस लड़की के ही नाम पर मिल जाय, तो बहुत-बहुत बधाई मिलेगी। जिस तरह से आज हम लोगों ने भी अखबारों के माध्यम से पढ़ा कि प्रदेश में कैंसर हास्पिटल खोलने के लिए सहमति आपने दिया है, इसके लिए हम लोग आपको बधाई दे रहे है, तमाम लोगों के भी फोन आ रहे हैं कि यह बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि हम जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके लिए लोगों को बाम्बे जाना पड़ता था, तो आज हमारी विधायक निधि में भी जो व्यवस्था है कि हम इनका इलाज करा सकते हैं, लेकिन हम वहां नहीं दे सकते हैं। कम से कम यह हमारे प्रदेश में रहेगा तो आपके चाहे राहत कोष से हो या हमारी विधायक निधि से हो हम इसको दे सकते हैं। मान्यवर, दूसरी समस्या जो हमारे मा0 सदस्यों ने जाहिर कि आज डाक्टरों की बहुत कमी है, डाक्टरों की कमी तो है ही, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पर आपको यह चिन्ता करनी पड़ेगी कि डाक्टर वहां रूकते क्यों नहीं है, वहां पर डाक्टर रहते क्यों नहीं हैं। मान्यवर, जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, कम से कम पूरे प्रदेश में आपको एक बार यह तय कर लेना चाहिए कि हम वहां पर डाक्टरों का आवास बना दें। अगर हम डाक्टरों का आवास बना देंगे, तो मजबूर होकर वह वहां पर रूकेंगे। तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जैसे रसड़ा है बलिया जनपद का वहां पर एक भी डाक्टर के लिए एक भी आवास नहीं है। हम कैसे उम्मीद करें कि वह डाक्टर वहां पर रहेंगे। हम लोग अगर उनसे रुकने की बात भी करते हैं तो वह कहते हैं कि हम यहां रहे कहां, हमारे लायक यहां हमकों प्राइवेट के मकान नहीं मिल रहे हैं, तो जो हमारा एक स्टेटस है, कम से कम उसको मेन्टेन करते हुए, उनके लिए आवास होना चाहिए। पूरे प्रदेश की यह समस्या है, जहां पर डाक्टर नहीं रुकते हैं और डाक्टरों की कमी तो है ही। मान्यवर, दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, जो हर जगह की है, जिस पर आपने अभी चिन्ता भी जाहिर की है, उसमें चाहे किसी की भी गलती हो। जितने निर्माणाधीन सी0एच0सी0 या पी0एच0सी0 हैं, एक हमारे पास सूची है, कोई 2006 से है, कोई 2007 से है, कोई 2010 से है, कोई 80 परसेण्ट काम करा कर भाग गया, कोई 70 परसेण्ट काम करा कर भाग गया, लेकिन अब वहां के क्षेत्र की या गांव की जनता का उसमें क्या दोष है, अब जो भी एक डिसीजन, इसके पीछे चाहे जिसकी भी गलती रही हो। लगातार चर्चा हो रही है कि लोग घोटाले में गये, जेल गये। जेल गये, जो जैसा था ठीक है। इधर की गलती है जो गलती किया, उसकी सजा पाया। मान लीजिये, लोगों ने सजा दी लेकिन हम वो गलती क्यों करने जा रहे हैं। भई, हमको तो निष्पक्ष हो करके कि जो निर्माणाधीन हैं 70, 80 परसेण्ट काम हो गया है। हम उसको पूरा करा करके वहां की जनता को सौंप दें। वहां पर डाक्टरों की पोस्टिंग कर दें। तमाम ऐसी जगह हैं, आप एक बार चिह्नित करा लें। मैं स्वागत करता हूं, आप कार्यवाही करिये, मैं कार्यवाही करने के लिये नहीं रोक रहा हूं। हम एक सुझाव दे रहे हैं कि जो तमाम एक लिस्ट हमारे क्षेत्र के लोगों ने लिया, उसमें 9, 10 ऐसे हैं। जहां पर 60 से 70 परसेण्ट काम हुआ है और लोग भाग भी गये हैं, विभाग उसको हैण्ड ओवर भी नहीं कर रहा है और यही नहीं हुआ है मान्यवर, एक चीज जहां पर हैण्डओवर भी हो गया है या जहां 100 परसेण्ट काम की रिपोर्ट भी आ गयी है। जैसे रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। वहां पर डाक्टरों को प्रैक्टिस करने के लिये कक्ष तैयार है लेकिन वहां पर इसकी व्यवस्था नहीं की गयी, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं की गयी। आप इस तरह के जो हैं उनको चिह्नित कर लीजिये। हालांकि इसी तरह की समस्यायें हैं। दूसरा मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा जिसके लिये हम लोगों के पास लोग आते हैं हालांकि बजट अच्छा है। पर्याप्त बजट भी रखा है तो ये प्रयास करिये कि हर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रैबीज का इंजेक्शन मिले क्योंकि लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें रैबीज का इंजेक्शन नहीं मिल रहा है फिर उसके लिये हम लोग सी0एम0ओ0 साहब को फोन करते हैं फिर वो कहते हैं कि आप उनको यहां भेज दीजिये तो कम से कम अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रैबीज का इंजेक्शन मिलने लगेगा। ये रैबीज ऐसी चीज नहीं है कि हम भी ले लेंगे। ये टानिक की

शीशी तो है नहीं। जो लोग नीडी हैं, जिसको आवश्यकता है वही लेगा। लोग आकर कहते हैं और इतनी छोटी बात के लिये अगर लोग हम लोगों के पास आते हैं। अब उसके लिये हम सी0एम0ओ0 से बात करते हैं, दो दिन बाद उनका मोबाइल मिलता है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री उमाशंकर-

चलिये मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री माइकल चन्द्रा-

परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सेशन में पहली बार आप मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद देता हूं इसके लिये। कई बार कोशिश की लेकिन पता नहीं क्यों नम्बर नहीं आया, दूसरे लोग बीच में कूद जाते हैं। आज आ गया है। सर, बात ये है कि मानवता के लिये, इंसानियत के लिये जो लोग कदम बढ़ाते हैं वो पूजे जाते हैं और पूजे कौन जाते हैं, वो जो मानवता की रक्षा के लिये आगे बढ़ते हैं और मानव का शरीर सबसे कीमती चीज है। आज सर्वप्रथम बधाई देना चाहूंगा अपने स्वास्थ्य मंत्री साहब को जिन्होंने इतना अच्छा बजट लाकर न केवल प्रदेश की जनता के लिये बल्कि इस मानवता के लिये बहुत बड़ा काम किया है। इसके एक-एक प्वाइण्ट को आप देखियेगा। इसके साथ-साथ आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को कि उन्होंने 108 जैसी सेवा देकर न केवल प्रदेश की जनता का बल्कि मानव समाज के लिये बहुत बड़ा कार्य किया है। मैं गवाह हूं इस बात का कि अभी पीछे गंगा स्नान के दिन हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। चौदह आदमी एक ही परिवार के एक तटबंध के नीचे दब गये जिसमें से 6 आदमियों की वहां डेथ हो गयी और 8 आदमी तड़प रहे थे। अगर ये 108 नम्बर की सर्विस न होती तो ये आठ के आठ भी मर जाते। इस 108 सर्विस की तीन गाड़ियां वहां पर पहुंच गयीं। मैं वहां पर था और उन आठ लोगों की जिंदगी बचाने का काम केवल 108 वालों ने किया है। इसके अलावा जितनी प्रसव से पीड़ित महिलायें होती हैं, यह उन सबके लिये एक वरदान सिद्ध हो रही है। लोग दिल से दुआयें दे रहे हैं, परमात्मा देख रहा है, ईश्वर देख रहा है और इस सबके साथ साथ हमारे साथ जनता की दुआयें आ रही हैं। इस बात को देखकर और ये बात करते हैं कि आप किनकी बात कर रहे हैं कि

चमन बेच डाला, गगन बेच डाला,

और कुछ नहीं मिला तो जनता का कफन बेच डाला।

12 करोड़ से जनता का बनाया हुआ हास्पिटल आदरणीय मुलायम सिंह यादव साहब का मेरे क्षेत्र में आज भी खड़ा हुआ है। 12 करोड़ रुपया उसमें लगा। सन् 2007 में बनकर तैयार हो गया। बहन जी सत्तानशीं हुयीं, उसकी आज दुर्दशा जाकर देखियेगा। उसमें जो मशीनें लगी थीं, वो सब चोरी करके ले गये, बेंच दी गयीं। आज उसमें सिर्फ पशु बंध रहे हैं। 12 करोड़ की मशीन आज तक पड़ी हैं। मैं इस विषय में आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से 3 बार मिल चुका हूं, लिखकर भी दिया है। मैंने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही नहीं, मेरे क्षेत्र के बाकी लोगों ने भी लिखकर दिया है कि उस हास्पिटल को जल्दी से जल्दी तैयार कराया जाये। इंसानियत की बात जहां तक आ जाती है कि आज जो भी स्वास्थ्य सेवायें हैं। किसी भी क्षेत्र में जाकर के आप देखियेगा। मेरे यहां से लेकर बिना कोई पैसा दिये डाक्टर जितने भी हैं, अपनी जगह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और जनता इस संदेश को लेकर जा रही है कि आज स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत बड़ा सुधार आया है। मान्यवर, हमारे यहां बछरॉयूं, अमरोहा, जे0पी0 नगर में अस्पताल है, उसमें काम अधूरा है। मैंने माननीय मुंख्यमंत्री जी को पत्र भी भेजा है। वहां के लिए धन स्वीकृत करने का कष्ट करें। ताकि वहां पर सभी स्टाफ की पूर्ति हो सके और उपकरण लग सकें। मान्यवर, वहां पिछली सरकार में स्थिति यह हो गयी थी कि वहां जुए का अड्डा बन गया था, वैश्यावृत्ति होती थी और लोग बैठे-बैठे बीड़ी पिया करते थे, और अनरगल काम किया करते थे। मान्यवर, आज वहां स्थिति सुधरी है। एक डाक्टर है और स्वीपर है। वहां डाक्टर और स्टाफ दिया जाय। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं विपक्ष के साथियों से कि कोई इन्सान बुरा नहीं होता है, दूसरे लोग उसे बुरा समझते हैं। हर इन्सान के अन्दर इन्सानियत होती है। लेकिन पिछली सरकार में कुछ ऐसी बातें हुई जिससे पत्थर तो लगे, मूर्तियां तो लगीं लेकिन जनता की जरूरत की चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। अस्पतालों में बदहाली रही। वहां खास किस्म और खास जाति के लोगों का वर्चस्व हो गया और सारी व्यवस्था बदहाल हो गयी। मान्यवर, आज जब से हमारी सरकार आयी है माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी कार्य हो रहा है और यह प्रदेश के विकास में एक माइल स्टोन सिद्ध होगा। यह हमारी सरकार मानवता के लिए इन्सानियत के लिए काम करने वाली सरकार है। मान्यवर, हमारे यहां एक एक्सीडेन्ट हुआ था, उसमें छः आदमी एट दी स्पाट मारे गये थे, उनको ट्रामा सेन्टर, मेरठ ले जाया गया था। एक सौ आठ ऐम्बुलेन्स सेवा से भेजा गया था, वह जिन्दगी मौत से जूझते रहे। मान्यवर, इसीलिए हमारे यहां आज 108 ऐम्बुलेन्स सेवा के विस्तार अस्पतालों में सर्जरी और एक्स-रे की व्यवस्था आदि की बहुत जरुरत है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया धन्यवाद।

*सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आज यह आम जनता से जुड़ा हुआ बजट प्रस्तुत हुआ है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मुख्य मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं इसलिए मैं अपने क्षेत्र की दो-तीन बाते कहना चाहूंगी। मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने बजट पेश किया है, वह सारे समाज को छूता हुआ बजट पेश किया है। मान्यवर, आज एक बात बताना चाहती हूं कि हमारे यहां हमीरपुर में एक महिला को ट्रैक्टर से चोट लग गयी उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मान्यवर, वहां पर एक्स-रे की मशीन है परन्तु उसे चलाने वाला कोई नहीं है और न ही कोई विशेषज्ञ डाक्टर है। उन्हें बाहर से एक्स-रे कराना पड़ा जबकि वह बी0पी0एल0 कार्ड धारक है। उसको सर्जरी के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया। उसको दवायें बाहर से मंगानी पड़ी। माननीय मुख्य मंत्री जी यह स्थिति है हमारे हमीरपुर जिला अस्पताल की। मान्यवर, बुन्देलखण्ड सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इसमें हमीरपुर काफी पिछड़ा है। मान्यवर, झांसी में, बांदा में तो अच्छी व्यवस्था है लेकिन हमीरपुर जिला अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं है। हमीरपुर जिला

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अस्पताल में आप आई0सी0यू0, सिटी-स्कैन, और एक्स-रे मशीन संचालन की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। मान्यवर, वहां किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसको कानपुर रेफर कर दिया जाता है। हमारे यहां जो महिला चिकित्सालय है, वहां जो प्रसव पीड़िता महिलायें जाती हैं उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। उनको भी कानपुर रेफर कर दिया जाता है। हमारा हमीरपुर का जिला अस्पताल बहुत बड़ा है लेकिन कोई सुविधा नहीं है। वहां सभी सुविधाओं की व्यवस्था मुख्य मंत्री जी करायें। मान्यवर, कोई भी डाक्टर तहसील से नीचे की जगहों पर नहीं जाना चाहता है, सी0एच0सी0 जैसी जगहों पर भी डाक्टर नहीं जा रहे हैं, कम्पाउण्डर बैठे मिलते हैं। आप यहां से आदेश जारी कर दें, और रोस्टर जारी कर दें कि हफ्ते में चार दिन डाक्टर लोग अनिवार्य रूप से सी0एच0सी0 में बैठेंगे। इससे जनता को बहुत फायदा होगा। मैंने मुख्य मंत्री जी को हमीरपुर की स्वास्थ्य सेवाओं के बदहाली के बारे में एक पत्र भी दिया है आप उस पर कार्यवाही करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी आप हमीरपुर में एक मेडिकल कालेज देने का काम करें, तो इससे आपका बहुत नाम होगा। धन्यवाद।

*श्री देवेन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे चिकित्सा स्वास्थ्य के बजट भाषण के समर्थन में बोलने का अवसर दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आज बड़ी खुशी हुई मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि कैंसर जो एक घातक बीमारी थी, जो कैंसर रोगी पीड़ित थे उनके परिवार बिल्कुल बरबाद हो जाते थे, जिनके घर में ऐसे लोग थे उनका परिवार बरबाद हो जाता था, खाने तक को नहीं रह जाता था, वह बेकार हो जाते थे उनके लिए जो उन्होंने कैंसर के लिए हास्पिटल की लखनऊ में घोषणा की है हम उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को और 108 जो एम्बुलेंस सेवा है, हर गरीब के दरवाजे पर पहुंचने के लिए जो उन्होंने सेवा उपलब्ध कराई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। अभी हमारे साथी लल्लू जी कह रहे थे कि जब महिला अस्पताल से जननी के बच्चा होने के बाद जब उसको घर पहुंचाते हैं तो डेढ़ सौ रुपया देते हैं डेढ़ सौ नहीं माननीय अध्यक्ष जी मैं बता देना चाहता हूं कि 1400 रुपया उस महिला को मिलता है और उसे अपने घर तक पहुंचाया जाता है।

दूसरा, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कुछ जिलों में जो उन्होंने ट्रामा सेन्टर की घोषणा की है एक ट्रामा सेन्टर हमारे जनपद हाथरस में मेरी विधान सभा सादाबाद है जो नेशनल हाई-वे पर पूरी विधान सभा पड़ती है, में खोला जाय। सादाबाद से राजीव गढ़ और आगरा की दूरी 55-55, 50-50 कि0मी0 है उधर हाथरस से सिकन्दराराऊ की दूरी 40 किमी0 है, कांसगंज से बरेली रोड यह पूरा हमारे 3-4 नेशनल हाइ-वे हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे यहां आये दिन एक्सीडेन्ट होते रहते हैं मैं ट्रामा सेन्टर के लिए उनसे अनुरोध कर चुका हूं हमारे यहां जमीन भी उपलब्ध है, एक ट्रामा सेन्टर हमारी विधान सभा सादाबाद में या जनपद हाथरस में खोला जाय। एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरी सादाबाद विधान सभा बहुत बड़ी विधान सभा है वहां पर मात्र 30 बेड का हास्पिटल है वहां पर 100 बेड का हास्पिटल करने की कृपा करें जिससे कि वहां के गरीब लोगों को मदद मिल सके। पिछली सरकार के द्वारा, यह सारे सदन को पता है कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एन0आर0एच0एम0 में कई हजार के घोटाले किये बसपा सरकार ने और यहां तक कि डाक्टरों की हत्या तक हो गयी इनकी सरकार में तो मैं कहना चाहता हूं कि उस सरकार की तुलना में हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार को हर व्यक्ति चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो वह इस बात को कहने लगा है कि स्वास्थ्य सेवा चाहे कोई सरकार आई हो किसी भी सरकार में इतनी स्वास्थ्य सेवा अच्छी नहीं हुई मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी सेवा उपलब्ध कराई है उसके लिए मैं उनको बार-बार बधाई देता हूं। दूसरा अभी एक और चीज है पिछली सरकार में जो दवा पैरासीटामाल 7.75 रुपये में खरीदी जाती है इस सरकार में 5.75 रुपये में वह दवा खरीदी जा रही है ऐसे में जो दवा खरीदी जा रही है 2 रुपये की कम लागत से उसके लिए वह बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। एक साल के अन्दर जो हमारे माननीय मंत्री जी ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने 100 अस्पताल खोले हैं उसके लिए वह बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में हर हास्पिटल में कुत्तों के जो इंजेक्शन हैं जो उन्होंने पहुंचायें हैं उसके लिए वह बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। जो अभी सर्प की बात चल रही थी जो वास्तव में सही है मैं इसके लिए भी सहमत हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो सर्प के काटे लोग हैं वह बच नहीं पाते हैं, कम मात्रा में बचते हैं अगर उनके लिए विशेष सुविधा हो जाय तो इससे ज्यादा लोगों की जान बचेगी और जो 108 शुरू हुई है इससे वास्तव में लोगों को राहत मिलती है। मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

कुंवर कौशल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य विभाग के बजट में आपने मुझे कुछ सुझाव देने का अवसर दिया। मान्यवर, सन् 1993 में महराजगंज जिले के नौतनवां कस्बे के बाईपास पर उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय मुलायम सिंह जी ने एक 30 शैय्या के अस्पताल का शिलान्यास किया था और उसमें हमने अपनी 3 एकड़ जमीन दान देने का काम किया था वह अस्पताल हमारे स्वर्गीय कुंवर घनश्याम सिंह जी के नाम से बनाया गया। आपसे इतना कहना है कि उस समय नेताजी ने घोषणा की थी कि इस 30 शैय्या के अस्पताल को हम 100 शैय्या में परिवर्तित करेंगे। हम चाहेंगे कि उस अस्पताल को 100 शैय्या में परिवर्तित किया जाये और वर्तमान में वहां जो एक्स-रे प्लान्ट पड़ा हुआ है, वह 10 साल से नहीं चल रहा है, आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस एक्स-रे प्लांट को चलवाने की कृपा की जाये। हमारे यहां से हमारे जिले की दूरी 80 किमी0 पड़ती है, अगर किसी आदमी का पैर टूट जाता है और उसे मेडिकल करवाना पड़ता है तो उसको चार बार जाना और आना पड़ता है। तो हम एक चीज तो यह कहेंगे। दूसरा सुझाव मैं माननीय मंत्री जी को दूँगा कि उत्तर प्रदेश के जितने स्वास्थ्य केन्द्र हैं, सब जगह पर जनरेटर रखे हुये हैं, लेकिन अगर इसकी जांच कराई जाये, हम लोग भी जनरेटर चलाते हैं तो एक दिन में एक हजार रूपये का तेल खर्च होता है, बहुत खर्च होता है तो, लेकिन किन कारणों से एक-एक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 60-60 हजार रुपये का तेल खर्च किया जाता है, जबकि उसमें आधे से ज्यादा जनरेटर खराब पड़े हुये हैं। उसके बाद यह पैसा किन परिस्थितियों में निकाला जाता है और सरकार का धन दोहन किस तरह से किया जाता है, इस चीज को भी आप संज्ञान में रखें। दूसरा जो आशाओं के द्वारा धन दोहन अस्पताल पर किया जा रहा है जो आशायें गांव में जाकर हमारे गरीबों की सेवा करती हैं, उनसे पैसा

लेकर उनकी तनख्वाह निकाली जाती है। इन चीजों पर प्रतिबंध लगना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी स्वास्थ्य का आगे भी बजट है, चिकित्सा शिक्षा है और इस पर 3 घन्टे से ज्यादा चर्चा हो गयी।

(श्री उपेन्द्र तिवारी के बोलना प्रारम्भ करने पर)

अभी मैनें मौका दिया नहीं है, आप ऐसे ही बोलने लगे, लिखा ही नहीं जायेगा, चाहे जितना बोलो। न तो वह कार्यवाही का अंग बनेगा, इसी तरह बोलते रह जाओगे।

श्री राजबली जैसल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय सदस्य श्री असीजा के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, केवल क्षेत्र के बारे में कुछ बात रखना चाहेंगे। वैसे हमारे माननीय सदस्य जी ने बताया कि वास्तव में प्रदेश में डाक्टरों की बड़े पैमाने पर कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिये आयोग आड़े हाथ आ जाता है, उसकी नियमावली में थोड़ा संशोधन की आवश्यकता है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में एक कोरांव सी0एच0सी0 है, जो शहर से लगभग 60 किमी0 की दूरी पर है, वहां पर महिला डाक्टर न होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है, चूंकि 60 किमी0 हमारा सी0एच0सी0 पड़ता है और वहां से 25 किमी0 विधान सभा क्षेत्र पड़ता है। इस प्रकार 85 किमी0 की दूरी तय करके लोगों को शहर में आना पड़ता है। वहां पर अगर एक महिला डाक्टर की नियुक्ति हो जायेगी तो अच्छा रहेगा। हमारा क्षेत्र जो कोरांव विधान सभा है, पहले मेजा विधान सभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम कोरांव हो गया है। वहां का अन्तिम बड़ोखर क्षेत्र पड़ता है, जहां पर एक पी0एच0सी0 बनी हुयी है और वहां पर कोई कर्मचारी और डाक्टर न होने से लोगों को प्राथमिक उपचार के लिये भी दिक्कत होती है, हमने कई बार सी0एम0ओ0 से बात की तो उन्होंने कहा कि 80 किमी0 दूर कोई डाक्टर रहना नहीं चाहता, हमने यह भी कहा था कि उसमें सहूलियत के लिये आप उनकी 3 दिन उपस्थिति सुनिश्चित कर दीजिये तो अच्छा रहेगा और सप्ताह में 3 दिन डाक्टर वहां बैठने लगें तो कुछ न कुछ परेशानी कम हो सकती है। हमारे यहां एक सी0एच0सी0 मेजा मुख्यालय पर स्थित है, जहां पर 8-10 साल पहले उस अस्पताल के परिसर में हत्या हो जाने के कारण डाक्टर वहां रहना पसंद नहीं किये चूँकि उस अस्पताल से सटा महिला पालीटेक्निक भी बन गया है, आपका फायर स्टेशन का भवन भी बन गया है और सरकारी आगंनबाड़ी केन्द्र भी बन गये हैं, अब वहां डाक्टर को रहने में कोई असुविधा नहीं है, लेकिन अभी उस बिल्डिंग में साज-सज्जा और सफाई की आवश्यकता है, अगर सी0एच0सी0 मेजा में साज-सफाई हो जाये। तो वहां डाक्टर रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। मान्यवर, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी हैं हम उनसे एक दिन मिले थे अभी हमारे एक साथी ने आशाओं के बारे में चर्चा किया हमारी एक सी0एच0सी0 मांडा में पड़ती है जो उधर के विधायक पाण्डे जी और हमारा मिला

जुला है वहां पर जो अधीक्षक हैं उनसे किसी को शिकायत नहीं है लेकिन वहां पर एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा खासतौर से माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं वहां पर एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं जो इस बात का वहां उल्लेख करते रहते हैं कि मैं सैफई का रहने वाला हूं और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा वह डेढ़ सौ रुपए आशाओं से ले लेते हैं तभी चेक देने का काम करते हैं मैंने लिखकर भी दिया है। मैं चाहता हूं कि अगर वह आपके सम्बंधी हो सकते हैं जैसा कि वह कह रहे हैं या आपको बदनाम कर रहे हैं तो उनको अच्छी जगह लखनऊ या [xxx] में कर दें। इसके लिए कई आशाओं से हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र भी मैंने स्वास्थ्य राज्य मंत्री को दिया है। इस पर जरूर ध्यान देंगे क्योंकि आशाएं धूप में बरसात में मेहनत करती हैं इसलिए हम ज्यादा न कहते हुए यहीं पर अपनी बात समाप्त करते हैं।

*श्री अम्बिका चौधरी-

अभी माननीय जैसल साहब जो कह रहे थे एक अजीब स्थिति है सैफई का नाम आते ही एक प्रतिक्रिया इन लोगों में हो जाती है यह बताना बड़ा मुश्किल है [x x x] का नाम वह है जो एक ग्राम को सचमुच में कैसा होना चाहिए यह दुनियां को दिखाने लायक हमारे पास गांव है। एक गांव को कैसा विकसित किया जाना चाहिए हमारे नेता ने यह कहा था कि अपने गांव को विकसित करने का काम करो और उसके लिए जितना कार्य करना चाहोगे हम उसको प्रोत्साहित करेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इनकी जो पीड़ा है और सब तो ठीक है लेकिन जो [x x x] का नाम आया है उसको निकलवा देंगे वह अन्यथा कारणों से कहा गया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। [x x x] शब्द निकाल दिया जाएगा।

डा0 मोहम्मद अयूब-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक नई शुरूआत की है 108 की और पिछली सरकारों के कम्परीजन में स्वास्थ्य सेवाओं में स्थिति बेहतर हुई है। लोगों को इससे फायदा हो रहा है। दो चीजें हैं जिन पर मेरा थोड़ा सुझाव है जो मेडिकल अफसर के सृजित पद हैं उनमें से पांच हजार से ज्यादा पद खाली हैं। प्रदेश में बी0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0 और जो डेंटल डाक्टर हैं जिसको बी0डी0एस0 कहते हैं इनकी संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। पिछली सरकारों ने भी इन तरीके की डिग्री होल्डर्स को जो डाक्टर्स थे उनको एम0ओ0सी0एच0 के नाम से मेडिकल आफीसर फार कम्यूनिटी हेल्थ के पद सृजित करके इनकी नियुक्ति की थी। इनका कार्य स्वास्थ्य सेवा न होकर बल्कि परिवार कल्याण का जो काम है जिसके लिए यह पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं तो परिवार कल्याण का काम इनको सुपुर्द किया गया था और वह बहुत दिनों से बीसों साल से वह एम0ओ0सी0एच0 आज भी हैं और सेवा दे रहे हैं और इसके लिए वह सक्षम हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश एम0बी0बी0एस0 डाक्टर, स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट की बहुत ही कमी है उत्तर प्रदेश में और इसको पूरा कर पाना मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में यह पासिबुल है ऐसी स्थिति में यह एक विकल्प बेहतर है कि उन्हें

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

एम0ओ0सी0एच0 के नाम से नियुक्त किया जाय और जो एलोपैथिक डाक्टर हैं उनको स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगाया जाय परिवार कल्याण का काम उनसे लिया जाता है जो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। जो एम0ओ0सी0एच0 किया जाय जैसे बी0ए0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0 और बी0डी0एस0 लोग हैं इनकी नियुक्ति करके एम0ओ0सी0एच0 पर नियुक्त किया जाय और परिवार कल्याण का काम इनसे लिया जाय। इससे विगत सरकार में एम0ओ0सी0एच0 पद सृजित करके किया गया है। इस तरह से बेरोजगारी की जो इन डिग्री होल्डर डाक्टरों की समस्या है, जो आयुष डाक्टर या बी0डी0एस0 डाक्टर हैं इनकी भी रोजगार की समस्या हल हो जायेगी। सरकार की जो समस्या है स्वास्थ्य सेवा के साथ-साथ परिवार कल्याण की जो सेवा है वह भी सुधर जायेगी और जो कम डाक्टरों की समस्या है वह भी दूर हो जायेगी। अगर ऐसा किया जाये तो यह प्रदेश के लिए और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अच्छा होगा, धन्यवाद।

(माननीय सदस्य श्री मनीष असीजा का नाम पुकारे जाने एवं श्री उपेन्द्र तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, आप अगले बजट में बोल लीजिएगा।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, गरीबों के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

गरीबों के बारे में मेडिकल कालेज वाले पर बोल लीजिएगा। माननीय असीजा जी, आप शुरू करें।

चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)-

मान्यवर, मैं भी दो मिनट बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप जवाब देंगे कि बोलेंगे।

श्री शंखलाल मांझी-

मान्यवर, जवाब नहीं बल्कि अपनी ओर से विभाग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय असीजा जी के बाद बोल लीजिएगा, यही नियम है, जो कटौती का प्रस्ताव रखते हैं वह बोलते हैं। माननीय तिवारी जी, आप लिख करके दे दो हम कार्यवाही में लिखवा देंगे। मैंने माननीय असीजा जी को बुला लिया आप फिर बीच में कूद पड़े। क्या आप जबर्दस्ती बोलेंगे। आप बैठ जाएं मेडिकल कालेज वाले पर आपको जितना बोलना होगा बोलियेगा।

*श्री उपेन्द्र तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 108 नम्बर की एम्बुलेंस सेवा जो आपने प्रारम्भ की है, यह सराहनीय है और कैंसर रोगियों के इलाज के लिए लोगों को दूर-दूर जाना पड़ता था आपने इसके लिए जो सेंटर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खुला है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। एक चीज के लिए और धन्यवाद देना चाहता हूं, जो होर्डिंग पर हम लोग देखे थे कि मुफ्त दवाई और मुफ्त पढ़ाई दोनों दिशा में माननीय मुख्य मंत्री जी का और इस सरकार का सराहनीय कदम रहा है इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहता हूं। जो हकीकत है उसे मैं कहूंगा ही कहूंगा। थोड़ा सा निचले स्तर पर डाक्टर के लेबिल पर सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। क्योंकि समाज में 70 प्रतिशत गरीब, किसान और मजदूर तबका है जो अपना इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पतालों में जाता है, जो तीस परसेंट लोग हैं जब उनको इलाज की आवश्यकता होती है तो वह प्राइवेट नर्सिंग होम दिल्ली, लखनऊ, बनारस कहीं भी चले जाते हैं। स्थिति अस्पताल में यह है कि हम जैसे लोग किसी व्यक्ति के आपरेशन के लिए कहते हैं तो डाक्टरों की मानसिकता खराब है, सरकार की नीयत पर शक नहीं है। डाक्टरों के तौर तरीका पर हम कहना चाहता हूं कि वह अपनी फीस अलग से तय कर लेते हैं कि हास्पिटल में मैं आपरेशन करूंगा तो अपनी फीस तीन हजार रुपए लूंगा। अगर हम लोगों का एप्रोच होता है तो कहते हैं कि तुम्हारा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है इसी तरह से एक महीने तक परेशान करेंगे उसके बाद वह मजबूर होकर आपरेशन करायेगा। मैं अपनी विधान सभा की बात करूंगा कि नरही 39 बेड की सी0एच0सी0 है, एक साल पहले वन सियार, जंगली सुवर ने काट दिया जिसमें 6 लोग घायल हो गये। मैं अचानक दौरा करने के लिए चला गया उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उस समय तो सी0एच0सी0 में 6 डाक्टरों की ड्यूटी थी लेकिन मौके पर एक भी डाक्टर नहीं और वहां डाक्टरों के रहने के लिए भी व्यवस्था है, तब मैंने डी0एम0 को फोन खटखटाया, सब लोग गये और जब मैंने हास्पिटल को सर्च किया तो 39 बेड के स्थान पर 20 ही बेड मिले 19 बेड गायब हैं। वहां एक्स-रे मशीन है, इसी तरह से रतसर सी0एच0सी0 है और तमाम इस तरह के जो प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं अगर थोड़ा सा नकेल डाक्टरों पर कसा जाए तो गरीब तबके का दोहन न हो। हॉस्पिटल में दवाइयां पहुंच रही हैं, रैबीज इंजेक्शन भी पहुंचा है लेकिन एक जगह थोड़ा और शिकंजा कसने की जरूरत है कि जो दवा की सप्लाई करने वाले लोग हैं, जो उपयोग की दवाइयां हैं वह कम जा रही हैं और जो बिना उपयोग की दवाइयां हैं वह ज्यादा सप्लाई कर दे रहे हैं। इस चीज को रोकने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

अब समय हो गया, आप कृपया बैठ जाएं।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ी सी दो-तीन बातें मैं और कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

दो-तीन चीजें और कहना चाहूंगा। हमारे यहां चित्तू पाण्डेय आजादी की लड़ाई में सबसे आगे रहे उनको सभी जानते हैं। ब0स0पा0 के शासनकाल में चित्तू पाण्डेय जिला अस्पताल का नाम बदल दिया गया था।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, अब आपका लिखा नहीं जा रहा है।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिला अस्पताल का नाम पुनः बहाल करके चित्तू पाण्डेय कर दिया जाए। एक चीज के लिए और धन्यवाद दूंगा..

श्री अध्यक्ष-

अब बैठ जाइये, माननीय मंत्री जी।

श्री शंखलाल मांझी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण बजट के पक्ष में बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा स्वास्थ्य विभाग का जो मूल मंत्र है कि स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ चिन्तन देगा और स्वस्थ चिन्तन से ही प्रदेश और देश समृद्ध होगा। इसको पूरा करने के लिए हमारे विभाग ने, पूरे प्रदेश में 20 करोड़ जनता के लिए 115 जिला स्तरीय, पुरुष, महिला और संयुक्त अस्पताल से, 3 सुपर स्पेशिलटी हॉस्पिटल से और 773 सी0एच0सी0, 3496 पी0एच0सी0 और 20521 उप केन्द्रों के माध्यम से पूरे प्रदेश के हमारे स्थाई, अस्थायी, संविदा और मानदेय भत्तों के रूप में दो लाख स्वास्थ्य परिवार के माध्यम से इस सूबे के 20 करोड़ जनता का यह विभाग सेवा करता है। माननीय मंत्री जी ने अभी हमारे मुख्य मंत्री जी की जो विकास नीति है वह गांव, गरीब, किसान का है और इसीलिए वह ग्रामोन्मुखी बजट सम्पूर्ण रूप से और खासतौर से हमारे स्वास्थ्य विभाग में खास तबज्जो दिया गया है। माननीय मंत्री जी ने अभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के बारे में विस्तार से बताया है। हमारी जो योजनायें हैं जिन योजनाओं को सूबे में अब से पहले की सरकार से, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता में इस सरकारी अस्पताल जिसको खैराती अस्पताल कहा जाता है उससे मोह भंग हो गया था, जाना बंद कर दिया था। वर्तमान सरकार में जब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी हम लोगों के सिर पर आया तो यह एक कठिन चुनौती थी। हम लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर जो पहली जरूरी चीज थी कि अस्पताल में डाक्टरों की उपस्थिति। डाक्टर अस्पताल में उपस्थित नहीं रहते थे और जब रहते भी थे, बाहर मरीज तड़फड़ाता रहता था और अन्दर एम0आर0 से बैठ करके कमीशन तय किया करते थे। इसलिए पहली जरूरी प्राथमिकता थी डाक्टरों की उपस्थिति और उस पर हम लोगों ने प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया और डाक्टरों की उपस्थिति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराया गया। 8.00 बजे से 2.00 बजे तक एम0आर0 की इन्ट्रेन्स पर पूरी तरह से रोक लगाया गया। दवा अस्पतालों में ही मिले, जिस तरह से पिछली सरकार में अरबों रुपये की दवाइयां कागज पर खरीद कर और कागज पर बंटवारा कर दिया गया था और उसका असर यह हुआ था कि पूरे प्रदेश की जनता को अस्पताल में दवा मिलती नहीं थी केवल दवा की पर्ची मिलती थी, बाहर से दवा ले आते थे और भारी कमीशन डाक्टर भी कमाता था। इस पर रोक लगाने के लिए अस्पताल में सम्पूर्ण दवा उपलब्ध रहे, इसलिए यह सख्त आदेश दिया गया कि किसी भी दशा में पूरे प्रदेश में कोई भी डाक्टर बाहर की दवा नहीं लिखेगा और कहीं बाहर की दवा लिखते हुए डाक्टर पाया जायेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। उसी की कड़ी में दर्जनों मुख्यालयों में और तमाम जिला अस्पतालों में निरीक्षण के दौरान जो भी डाक्टर की शिकायत आयी उनके खिलाफ सस्पेंशन तक की कार्यवाही की गयी और उसका असर यह हुआ है कि पूरे प्रदेश में आज बाहर की दवाइयां लिखनी बंद हो गयी हैं। अस्तपाल में ही दवा उपलब्ध

रहे इसलिये यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये जो पहले एक जगह से केन्द्रीय भंडारण से सी0एम0एस0टी0 से दवा एक साथ खरीदी जाती थी और भारी कमीशन का भ्रष्टाचार किया जाता था उस पर रोक लगाने के लिये इसको जिला स्तर से ही दवाइयां उपलब्ध हो सकें, जिला स्तर पर ही दवाइयों की खरीददारी हो सके, उसके आर0सी0 रेट पर हो सके इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया और उसी की देन है कि आज पूरे प्रदेश में इसी वित्तीय वर्ष में 2012-2013 का जो है उसमें लगभग 20 से 22 लाख अतिरिक्त, सम्पूर्ण नहीं, अतिरिक्त मरीजों की भारी वृद्धि हुई है। मरीजों को 3 से 5 दिन की दवाइयां दिया गया। माननीय मंत्री जी ने पहले ही कहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी अभी माननीय मंत्री जी अंतिम उत्तर देंगे। समय 4 बजे से खत्म हो रहा है। जो मंत्री जी कह चुके हैं, उसी को क्यों दोहरा रहे हैं कोई नई बात हो तो बताइये।

श्री शंखलाल मांझी-

ठीक है, संक्षेप में कर देता हूं। डाक्टर साहब नियुक्तियों के बारे में अभी असीजा जी ने भी कहा और आपका भी सुझाव आया है। हम भी माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं, से कहेंगे, आपका यह सुझाव हमको सही प्रतीत होता है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से या जो डाक्टरों की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठे हुए अधिकारियों के द्वारा जो चयन किया जाता है, मैं समझता हूं कि टेक्नीकल परसन वह नहीं हैं, अगर उनके बदले में हमारे विभाग में मेडिकल कालेज हैं वहां से, जो खुद हमारे लेविल फोर तक के डाक्टर हैं, अनुभवी डाक्टर हैं, इनके माध्यम से अगर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी भी हैं...

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। अभी माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री शंखलाल मांझी-

माननीय असीजा साहब ने..

श्री अध्यक्ष-

अब असीजा जी का उत्तर यह देंगे न अंतिम। आप उत्तर न दीजिये। आप केवल सपोर्ट करने के लिये हैं। जब आपके कैबिनेट मंत्री बैठे हैं तो उत्तर वह देंगे।

श्री शंखलाल मांझी-

मान्यवर, हम आपकी आज्ञा से जरा सा भी अलग नहीं हटेंगे। आपको पता है, मैं कम बोलता हूं। अगर आपको लग रहा है तो मैं बैठ जाता हूं। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

[श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य मनीष असीजा का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य नीरज (कुशवाहा) मौर्य के बोलने के लिये खड़े होने पर]

श्री अध्यक्ष-

नीरज जी अभी आपका नम्बर आयेगा, अभी बजट है स्वास्थ्य का। आप बैठ जाओ, मेरी बात मान लो। आप कल भी बोले हैं, परसों भी बोले हैं। कट मोशन रखे हो। असीजा जी, आप संक्षेप में कहें।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए इस परिचर्चा में जो अनेक सुझाव आये हैं, वह मैं समझता हूं कि बहुमूल्य हैं। एक साथी ने यहां वैन्टीलेटर की बात उठाई है, यह भी एक जिला अस्पताल के लिये बहुत आवश्यक है और लाइफ सेविंग इन्स्ट्रूमेंट है जो न केवल सांप काटे के लिये अपितु और भी जो ट्रामा सिचुएशन है, उसमें लाभदायक रहेगा। माननीय डाक्टर साहब ने अभी जो भर्ती के बारे में अपना सुझाव दिया है, उस पर बल देते हुए मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि जहां गजेटेड डाक्टर्स को तो आपने डायरेक्ट पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती की जगह आपने कैम्पस से भर्ती करने का प्राविधान करने की बात कही है। वहीं जो नॉन गजेटेड पोस्ट है उसको भी प्रोत्साहन देने के लिये मैं चाहता हूं कि कोई आयोग का गठन हो क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो भर्ती होती है उसमें सिफारिश, दबाव और फिर वह बदले हुए क्रम में आरोपों में मामला बदलता है और भर्ती की प्रक्रिया बाधित रहती है। मैं आपके द्वारा जो एक और योजना है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपने 63 जिला अस्पतालों को इन्डीपेंडेन्ट फीडर के माध्यम से जोड़कर उसमें निर्बाध विद्युत आपूर्ति का विचार रखा है। यह जनोपयोगी है, सेविंग भी इसमें होगी, लेकिन इसका व्यवहार पक्ष आपको जांचने की आवश्यकता है। फिरोजबाद जिला अस्पताल में पिछले दो साल से इसके टेण्डर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लेकिन अभी तक 33 की केबिल न आने के कारण से प्रस्ताव रुका है। यह एक जिला अस्पताल की स्थिति है इसकी क्लोज मानीटरिंग करेंगे तो आपके उद्देश्य की पूर्ति गतिशील होगी। इसके साथ जैसा कि डाक्टर साहब का भी सुझाव है कि आयुष पद्धति के डाक्टरों को भी हम ह्यूमैन रिर्सोसेज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारी हिमांचल, उत्तरांचल और पंजाब की राज्य सरकारें हैं वह इस प्रकार का प्रयोग कर रही हैं। आप उनके मॉडल का अध्ययन करिए, वहां पर फार्मासिस्ट और आयुष औषधि के विशेषज्ञों को, जो प्राथमिक स्वास्थ्य है यह भी बहुत बड़ा क्षेत्र है बीमारी यहीं से आगे बढ़ती हैं मैं समझता हूं कि आप इस पर विचार करें। एक सुझाव और देना चाहता हूं कि पहले सी0एम0ओ0 लेबल पर पहले फागिंग और दवाओं के छिड़काव बड़े स्तर पर होते थे, फंड अभी भी है। डब्लू0एच0ओ0 के मानक के कीटनाशक दवाओं का छिड़काव प्रभावी और सघन ढंग से हो यह सुनिश्चित सी0एम0ओ0 के माध्यम से किया जा सकता है। इस पर भी महज रस्मी खाना पूर्ति न हो, मैं चाहता हूं कि इस पर भी आप ध्यान दें। इसके अतिरिक्त एक साथी ने जो सुझाव दिया है उससे मैं सहमत हूं। डाक्टर्स जो हैं हम जिन क्षेत्रों में, उन्हें भेजना चाह रहे हैं, वैसे तो देश की सीमा की सुरक्षा के लिए लोग, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं लेकिन वह पेशा और विचार अलग मन में धारित करके वह जाते हैं इसलिए उन्हें इतना दिक्कत नहीं होती है। डाक्टर थोड़ा सा अपने को सेफ साइड में रखना चाहता है और अपने परिवार के लिए विशेष परिस्थितियां चाहता है। पी0एच0सी0 पर हम चाहते हैं कि वह रात्रि में रुके, मेरा इसमें एक सुझाव यह है और एक साथी से जुड़ा है कि सी0एच0सी0 लेवल पर अगर आप वर्किंग हास्टल्स या उनके रेजीडेंशियल हब बना दें तो अपने आप में जो एक लाख की आबादी के स्तर तक, उनके रहने का जो बात है, अभी तो आप देखिए कि जो व्यवहारिक बात है कानपुर, बनारस, लखनऊ, गोरखपुर ज्यादा रहना चाहता है छोटे जिलों मे आना तक नहीं चाहता है। वहां से सी0एच0सी0 पर आना और सी0एच0सी0 से पी0एच0सी0 पर आना, तो

अगर सी0एच0सी0 पर उनके रहने की व्यवस्था ठीक हो तो बेहतर रहेगा। इसके साथ ही यह आपसे जुड़ा विभाग नहीं है,लेकिन जैसी मुझे जानकारी मिली है, मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हैं सब बीमारियों के बहुत से कारणों में से एक बड़ा कारण खाने-पीने के सामान में मिलावट भी है। तो मैं यह चाहता हूं कि आज की इस बजट चर्चा में आप इस पर भी विशेष ध्यान दे दें। मान्यवर, फूड सेफ्टी एण्ड स्टैन्डर्ड एक्ट 2006, शायद यह हमारे यहां भी लागू हुआ है लेकिन शायद इसका तंत्र ठीक से यहां विकसित हो जाए और विशेष रूप से उपभोक्ताओं को जागृत करने के लिए एक मोबाइल रेन्ज चल सकती है। कड़े दंड के प्राविधान हो सकते हैं मिलावटी खाद्यान्नों पर अंकुश लगे, मिलावटी दूध है, बहुत सारी चीजें हैं हम सब इनसे भिज्ञ हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, समाप्त करें।

श्री मनीष असीजा-

इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि इन सुझावों पर ध्यान देते हुए प्रदेश के जनहित में काम करें। धन्यवाद।

श्री अहमद हसन-

मा0 अध्यक्ष महोदय, बहुत देर से चर्चा हो रही थी और हमारे विभाग के लिए बहुत उपयोगी और बहुमूल्य सुझाव भी आए हैं मैं मा0 सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे उम्मीद है और उसमें बहुत से ऐसे सुझाव हैं जिनसे हमें मदद मिलेगी और मा0 मुख्य मंत्री जी का संरक्षण भी है इसलिए उसको पालन करने में दिक्कत भी नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि चारों तरफ से 108 की प्रशंसा हुई (मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर और इसके बारे में कहीं-कहीं थोड़ी सी गलतफहमी है, यह बीस से तीस मिनट में पहुंचती है इसमें कोई शिकायत नहीं है लेकिन इसका एरिया जो है वह सबसे नियरेस्ट जो सरकारी अस्पताल है उसमें दाखिल करायेगी। यह जो आपकी सी0एच0सी0 और पी0एच0सी और जिला अस्पताल हैं वह उसी के हैं और इसी कड़ी में बहुत जल्द मुख्य मंत्री जी का एप्रूवल भी हो गया है अगले तीन महीनों में एक हजार और एम्बुलेंस आएंगी।

(मेजें थपथपाई गईं)

और 102 नम्बर से संचालित होगी, सिर्फ 3 महीने के अन्दर। 102 नम्बर पर आप टेलीफोन करेंगे, गर्भवती महिलाओं के लिए जायेगी, लायेगी, फिर अस्पताल से लाकर छोड़ेगी। उस पर सारा इन्तजाम होगा कि अगर डिलेवरी की स्थिति में भी है। इस एम्बुलेंस सेवा पर बहुत बड़ा जनता का सहयोग मिलेगा। यह बात सही है कि जिला अस्पतालों में अभी पूरी तौर से सारी सुविधा बताई गई है, नहीं है लेकिन जो जनता की दिक्कते हैं, हमारी सरकार गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए जो प्रतिबद्ध है, अब ऐसा होगा, यह मेरे ख्याल से एक महीने के अन्दर, जो भी मरीज जिले के सरकारी अस्पताल में होगा और उसको यदि जरूरत पड़ेगी, उसे पी0जी0आई0 जाना हो, ट्रामा सेण्टर जाना हो या उत्तर प्रदेश के किसी बड़े से बड़े अस्पताल में जाना होगा तो जिला अस्पताल में एम्बुलेंस जायेगी और उसको बिल्कुल फ्री, सीधे ट्रामा सेण्टर में या दूसरे अस्पताल में दाखिल करेगी। इसकी जरूरत

इसलिए पड़ी कि गरीब आदमी ट्रामा सेण्टर में रात भर इन्तजार करता है और दाखिल नहीं हो पाता। इन एम्बुलेंस सर्विसेज का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि अगर एम्बुलेंस से मरीज दाखिल होगा तो डाक्टर की जिम्मेदारी होगी कि मरीज का ठीक से इलाज करे। तो इन तीन बातों का अगले तीन महीने में पालन हो जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी उदारतापूर्वक फण्ड भी दे दिया, पैसा भी दे दिया और हम उनको बधाई भी देंगे और धन्यवाद भी देंगे कि बहुत बड़ी मदद हुई है। दूसरी बात जो उपकरणों की हो रही है, उसके बाद डाक्टर पर आऊंगा। मान्यवर, उपकरण की खरीद के बारे में चूंकि यह बात अपनी जगह सही है और हम लोग चाहते हैं कि गरीबों के लिए जो अस्पताल हैं, डिजिटल एक्सरे 1 करोड़ 25 लाख, आज तक हिन्दुस्तान के किसी सरकारी अस्पताल में तो नहीं लगा है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने 3 महीने पहले, हमने मांगा और लोहिया अस्पताल में हम लोगों ने भेज दिया है। आपके सामने यह बात नहीं कहनी चाहिए लेकिन कहना भी पड़ता है कि पुराने जमाने में जो जाल-बट्टा और घपला हुआ है, उसकी वजह से खरीददारी में कुछ डाक्टर डरते बहुत हैं। कहा गया कि इण्टरनेट पर डालिए और किसी किस्म की कहीं गड़बड़ी होगी तो वहां पर आपका मामला बिल्कुल साफ कर देंगे, सस्पेंड तो फौरन करेंगे और ज्यादातर उम्मीद तो यही है कि आप बर्खास्त होकर घर चले जायेंगे। मान्यवर, लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है, ईमानदारी से काम भी हो रहा है। जो डिजिटल एक्सरे है, यहीं नहीं है, जो डिजिटल एक्सरे हिन्दुस्तान के किसी सरकारी अस्पताल में नहीं होगा, वह डिजिटल एक्सरे हम लोग जिले से सारे अस्पतालों में भेज देंगे और उसी के साथ यह भी करेंगे कि जो उनको चलाते हैं वह भी साथ रहें। अभी तक यह होता था और यह सबसे बड़ी दिक्कत रही है कि आजादी के 64 वर्ष में और खास तौर से पिछले 5 सालों में कि अगर एक्सरे या ऐसी कोई चीज होती थी, लेकिन टेक्नीशियन नहीं होता था। अब जो जायेगा, वह साथ-साथ जायेगा। इसलिए इसमें जो आपने कहा है, वह हम मानते हैं, महसूस करते हैं लेकिन यह दिक्कतें हम लोग जल्द दूर करेंगे। तीसरी बात सबसे ज्यादा बहस बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 के बारे में की और कहा कि जिसको जेल जाना था, वह जेल चले गए। मान्यवर, 2006 से बहुजन समाज पार्टी की सरकार में न तो कोई सी0एच0सी0 बनी और न पी0एच0सी0 बनी, सब लूटमार हुई, तो आपका कहना ठीक था और आप यह यकीन मानिए कि हम लोगों ने यह महशूस किया और गुस्सा भी बहुत आ रहा था।

अगर इतनी बड़ी तादात में 5 हजार करोड़ की बिल्डिंगे बहुजन समाज पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार के कारण जनता को समर्पित नहीं हो पायीं यह जनता के हितों के साथ बड़ा भारी धोखा है। मान्यवर, अगर यह बिल्डिंगें पहले बन जातीं तो कितने करोड़ रुपये का फायदा होता क्योंकि महंगाई बढ़ गयी है।

हमने जितनी भी फाइलें आयी हैं कि ज्यादा पैसा लगना है कम्प्लीट कैसे होगी जो भी आयी हैं हमने उसमें 24 घण्टे की देर नहीं की आप जितनी चाहे देख लें। मा0 मुख्य मंत्री जी को फाइलें भेजी जाती हैं क्योंकि बहुत सी फाइलें हम नहीं कर सकते मा0 मुख्य मंत्री जी ने किसी फाइल पर 12 घण्टे से ज्यादा नहीं लगाया है। हम लोग चाहते हैं कि पीछे नहीं देखना है, हम चाहते हैं कि पीछे जो नुकसान हुआ है जो तकलीफें हुयी हैं हमारी आने वाली नस्लों को वह तकलीफें न झेलनी पड़ें। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या में पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 के

उद्घाटन होंगे। बहुत सी जगहों पर तो मैं चला जाऊंगा बहुत बड़ा जिला अस्पताल वगैरह नहीं बना होगा तो मुख्य मंत्री जी जायेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अस्पताल में बहुत ही गरीब आदमी आता है। आप किसी भी अस्पताल में चले जाइये, 50-40-30 लाख रुपये आज भी है। क्योंकि सेंट्रल परचेज को बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने लूट का अड्डा बना रखा था। मैंने पूरा बंद कर दिया। कोई सेंट्रल परचेज नहीं। जिलों में जो सी0एम0ओ0 हैं वह करेंगे और उनको पैसा भी भेज दिया गया है। पुरानी सरकार में यह दिक्कत होती थी कि 10 प्रतिशत यहां से लेकर तब पैसा यहां से जाता था। मैंने कहा है कि अगर 24 घण्टे में पैसा नहीं जाएगा तो सस्पेंड कर देंगे। उसमें काफी सुधार हुआ है। अभी डाक्टर तक तो काम बन गया है लेकिन अब बाबू पर भी आ रहे हैं। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। डाक्टरों की कमी है। हम यह मानते हैं। दवाओं के बारे में कोई गड़बड़ नहीं होगी। मा0 श्री मनीष जी ने कहा कि आप देखें कि दवा कैसे खरीदी जाती है। मैं इस जालबट्टे में नहीं पड़ूंगा। दवा खरीद से मेरा कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन जो गड़बड़ करेगा उसको बर्खास्त भी जरूर करूंगा, भगाऊंगा और जो बेईमान माफिया हैं उनको इन दवाओं से हटा दूंगा। चाहे कुछ भी करना पड़े। दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा डा0 राधा मोहन जी, आज 5 हजार डाक्टरों की कमी है। लेकिन जो हैं पहले इनको ठीक करना पड़ेगा कि यह ठीक हैं कि नहीं। 5 हजार आने का सवाल बाद में। आपने देखा होगा कि डाक्टर किस तरह से नर्सिंग होम में प्रेक्टिस करते हैं। आपने कहा कि पी0एच0सी0 पर डाक्टर नहीं बैठते हैं आपने सुविधाओं का जिक्र किया। लेकिन मैं कहता हूं कि कितने डाक्टर ऐसे हैं जिनको वहां रहना चाहिए और वहां रह रहे हैं लेकिन बैठ नहीं रहे हैं। हफ्ते में तीन दिन भी नहीं जाते हैं। लेकिन उनकी तनख्वाह पूरी निकलती है सी0एम0ओ0 के दफ्तर से और आधा पैसा सी0एम0ओ0 लेता है और आधा पैसा डाक्टर की तनख्वाह में जाता है। यह पुरानी सरकार में परम्परा बन गई थी, इस परम्परा को तोड़ना है और इसलिए 75 में 65 सी0एम0ओ0 का ट्रान्सफर किया गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं किसी सी0एम0ओ0 से आप पूछ लीजिए कि हम लोगों ने ट्रान्सफर-पोस्टिंग में, पहले उनको तो 50 लाख देना ही पड़ता था, लेकिन हमारी सरकार ने एक पैसा भी नहीं लिया है औ न लेंगे, इसीलिए हम उम्मीद भी करते हैं कि सी0एम0ओ0 ईमानदारी से काम करेंगे, अगर हम नहीं लेते हैं तो हम उनसे उम्मीद करते हैं। ट्रान्सफर पोस्टिंग में यही हाल है हमने यहां तक कह दिया जहां डाक्टर जाना चाहे, हम उसको कर देंगे, दिक्कते हैं, लेकिन जनता के दर्द के साथ उनको जुड़ना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी की सरकार में। हम लोगों से जनता को उम्मीद है, आपका समर्थन है, आज तो हमारा दिल आपने बड़ा कर दिया इस तरह से बहस करके, इस सरकार का, यही तो हम कहते थे कि मा0 मुख्य मंत्री जी 24 घण्टे, मैं कह रहा हूं जिस ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमको बड़ा समर्थन मिलता है और इसीलिए हम आश्वस्त रहते हैं तो इसीलिए मैंने कहा कि डाक्टरों की भर्ती के सवाल पर आपने ठीक कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन से दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से कान्ट्रेक्ट पर करके चूंकि सरकार दिक्कतों को देख कर बैठी नहीं रहेगी, जनता को जितने डाक्टर हैं, हम कान्ट्रेक्ट पर जैसे भी चाहेंगे जो ले जाना पड़ेगा कैबिनेट में मा0 मुख्य मंत्री जी का अप्रूवल पहले ही है कि किसी भी तरह से डाक्टरों की जो कमी है, उसको पूरा करना बहुत आवश्यक है। आखिर में हम ज्यादा बात न कह कर एक बात और कहना चाहेंगे कि आपने कहा कि स्पेशलिस्ट डाक्टर कहां से मिलेंगे, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जिन डाक्टरों ने स्पेशलिस्ट डाक्टर एनेस्थीसिया

के 200 डाक्टर ऐसे थे जिन्होंनें पिछले पांच सालों में एनेस्थीसिया में स्पेशलाइजेशन किया, फिर सी0एच0सी0 में चले गये और यह लिखाया नहीं कि यह हमारा स्पेशलाइजेशन है, 200 डाक्टर हैं और वहां पर वह नर्सिंगहोम में जाकर प्रैक्टिस करते रहे, सी0एच0सी0 पर बैठते नहीं थे, बेईमानी करते रहे 200 डाक्टर। इसी तरह से हर विभाग में जो सबसे बड़ी कठिनाई उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो सबसे बड़ी दिक्कत और कठिनाई है और जनता को राहत और भलाई मिलने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है, वह करप्सन है, बेईमानी है, तो उन डाक्टरों ने लिखाया भी नहीं कि हम स्पेशलिस्ट हैं। मैंने उनको बुलाया था और उनसे कहा था कि आपको हम बर्खास्त कर देंगे, 80 लाख रुपया सरकार का खर्च हुआ है आपकी ट्रेनिंग में आपने लिखाया नहीं फिर वहीं चले गये। अब मैंने आर्डर कर दिया है कि जब कोई डाक्टर ट्रेनिंग पर भेजा जायेगा, उसके बाद वह आयेगा हेडक्वार्टर पर और उसकी पोस्टिंग वहीं दी जायेगी। ऐसे बहुत स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन यह है कि डाक्टरों में भी काफी सुधार हुआ है, हमारे साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन अभी बहुत मुश्किल से कहीं लड़खड़ाते ज्यादा हैं, गड़बड़ करते हैं, लेकिन थोड़ा अंकुश में हैं। इसी के साथ-साथ यह बात है कि नर्सिगहोम वालों को भी मैंने कहा जो आपने कहा प्रेगनेन्सी के सिलसिले में जो हो रहा है, उसमें जागृति की भी जरूरत है, ऐक्शन की भी जरूरत है और नर्सिगहोम वालों को हमने वार्निंग दी है कि ऐसा है कि सी0एम0ओ0 साहब को तो हम फौरन ही ठिकाने लगा देंगे, लेकिन आपके नर्सिगहोम को भी हम सील कर देंगे, अगर किसी भी जगह गर्भवती महिलाओं के बच्चा पैदा होने से पहले उनके बच्चों को मार दिया जायेगा, तो हमने कहा है कि हम आपके नर्सिंगहोम को बन्द कर देंगे और यह करके दिखा भी देंगे तो इससे असर भी पड़ा है। पिछले बीस सालों में एक भी केस पीएमडीटी में नहीं आया है न सजा हुई है, एक-दो दिखावे के लिए हुए हैं। अब मैं आपको और सदन को बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिखावे की कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है, मैंने डाक्टरों से भी कहा है हम आपकी परफार्मेन्स नहीं देखेंगे कि आपने कितने फर्जी टीके लगाये जो करो वह सही करो। जनता अब बदलाव चाहती है, देश बदलाव चाहता है, नौजवान पीढ़ी चेन्ज चाहती है, वह चेन्ज का मौका जनता ने हमको दे दिया है और हम लोग आपको आश्वस्त भी करना चाहते हैं और मुख्य मंत्री जी ने तो इस समय लैपटॉप भी दे दिया है अब तो रोज ही हमारा हिसाब किताब लड़के-बच्चे लेते रहेंगे घर से, तो पारदर्शिता के कदम में मा0 मुख्य मंत्री जी आपका यह लैपटॉप बहुत महत्वपूर्ण कदम है, इसके लिए मैं आपको बधाई भी दूंगा और करप्सन पर भी, बेईमान पर भी इससे लगाम लगेगी, लोग जानेंगे कि कौन क्या कर रहा है। मैं एक बार फिर आप सबसे अपील करूंगा कि आप बजट को पास कर दें। जनता की उम्मीदें और खासतौर से जो हमारे श्री अनूप सण्डा, सपा, श्री उमांशकर सिंह, बसपा, सुश्री निरंजन ज्योति, बी0जे0पी0, श्री देवेन्द्र अग्रवाल, श्री कौशल सिंह, कांग्रेस, श्री राजबली जैसल, श्री उपेन्द्र तिवारी, डा0 अयूब साहब, श्री शंखलाल मांझी जी, श्री मनीष असीजा जी, श्री नितिन अग्रवाल साहब, श्री सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी साहब, श्री सुदेश शर्मा साहब, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल साहब, ये जब हम लखनऊ में एस0एस0पी0/डी0आई0जी0 थे, तबके साथी हैं, अच्छे हैं, संजीदा हैं। श्री अनूप कुमार गुप्ता जी, अजय कुमार जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके जो भी सुझाव हैं, हम उन पर पूरी तरह से गौर करेंगे, पूरा अमल करेंगे। आप लोग अपने कटौती प्रस्ताव को वापस लेने का कष्ट करें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी, आपके संज्ञान में यह विषय है। हम लोगों ने भी दिया था, आप भी जानते हैं। चाहे वो सी0आर0 मशीन हों, चाहे वो ऑटो एनेलाइजर हों, चाहे वो हृदयरोग अस्पताल के रेगुलेटर हों। आपको पता है कि गोरखपुर चिकित्सालय में सब खराब पड़े हैं, आपकी जानकारी में है। कृपया इनको ठीक करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 41 अरब, 13 करोड़, 85 लाख, 24 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 04 अरब, 92 करोड़, 44 लाख, 13 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 25 अरब, 82 करोड़, 64 लाख, 11 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदानों की मागों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन)

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, निवेदन यह करना है कि अभी चिकित्सा शिक्षा की 3 मदें हैं और श्रम विभाग की भी हैं और मत्स्य विभाग का भी बजट है। श्रीमन्, कल, परसों, नरसों, तीन दिन 15, 16, 17 को सदन की बैठक है नहीं, इसलिये मान्यवर, बहुत सारे सदस्यों ने अपने जाने की मेरे पास सूचना भी दी तो मान्यवर, समय को उसी हिसाब से देख लेंगे कि समय उसी हिसाब से रहे, तय कर दें मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, इसमें एक यह ही चिकित्सा शिक्षा जो मेडिकल कालेज से सम्बन्धित है, उन्हीं पर ज्यादा है और जो श्रम विभाग है उसमें ज्यादा बहस नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा अनुरोध यह है कि मैं प्रस्ताव रख देता हूं और कटौती आ जाए, अगर कोई बहुत आवश्यक प्रश्न होगा तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा। अन्यथा, मान्यवर, समय अगर नहीं बचायेंगे तो आगे चलकर दिक्कत आएगी।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, सभी दलों के एक-एक मा0 सदस्य बोल लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

तो फिर तो मुझे बोलना ही होगा।

श्री अध्यक्ष-

तो पहले चिकित्सा शिक्षा करेंगे कि श्रम रखेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, श्रम पहले है।

श्री अध्यक्ष-

श्रम पहले ले लीजिए। हम चाहते थे कि चिकित्सा शिक्षा जरूरी था इसको पहले ले लेते।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, पहले इसको समाप्त कर लें, जल्दी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,44,27,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 8,45,63,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने प्रस्ताव रख दिया है। इस पर कटौती रखवा कर इसका समापन करवायें, मैं उत्तर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, कटौती रखवा देते हैं, आप उत्तर दे दीजिएगा।

डा0 मो0 अयूब-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि को घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मा0 अध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग और श्रम नियोजन, यह दोनों विभाग मुख्यतः गरीब जनता, जो उत्तर प्रदेश की आबादी का बहुतायत हिस्सा है, उसके बारे में है। इसलिए यह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो समाज सदियों से पीड़ित है, जिसमें मुसलमान भी हैं, अति पिछड़ा वर्ग भी है, जिसमें शाक्य, सैनी, मौर्या, कुशवाहा, बिन्द, कश्यप, मल्लाह, कहार, कुम्हार, लोहार, बढ़ई हैं, ऐसी बहुत-सारी बिरादरियां हैं। इन सभी बिरादरियों में, जो सदियों से इस तरह की मजदूरी करते चले आ रहे हैं और तरह-तरह से समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसी तरीके से, ये अभी जो भी अपना काम कर रहे हैं, चाहे वे बुनाई कर रहे हों, या अन्य काम कर रहे हों। मान्यवर, किसान के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं मजदूर है, तो वह बुनाई के काम में हैं, जो अपने देशवासियों को वस्त्र मुहैया करता है। बुनाई हथकरघा से होता है और पॉवरलूम के जरिए भी होता है। मान्यवर, उसी तरीके से समाज की सेवा में लगे हुए, बुनाई करने वाले, रुई बुनने वाले और दरी बनाने वाले मजदूर हैं। इसी तरीके से तांबे के बर्तन बनाने वाले, ताला बनाने वाले मजदूर भी हैं। यह बहुत सारे मजदूर हैं जो छोटे-मोटे काम धन्धों में लगे हैं। मान्यवर, इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। एक संगठित श्रमिक और दूसरे असंगठित श्रमिक। मान्यवर, जो ज्यादातर् सरकारी सुविधायें हैं वह संगठित क्षेत्र के मजदूरों को उपलब्ध हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं या बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों में काम करते हैं। लेकिन जो दूसरे वर्ग के मजदूर हैं असंगठित हैं और बड़ी संख्या में हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है। उनके लिए सुरक्षा और विकास के कोई प्राविधान नहीं हैं। मान्यवर, हम जिन मजदूरों की बात करते हैं यह वह मजदूर भी हैं जो खेती-बाड़ी में मजदूरी करते हैं। जो बुनाई में लगे हुए हैं, बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों को बनाने का काम करते हैं। घरों को बनाने का काम करते हैं, रंगाई-पुताई का काम करते हैं उनके लिए न तो कोई समुचित व्यवस्था है और न ही कोई समुचित इंतजाम हैं। मान्यवर, जो मजदूर हैं, उनके लिए नीतियां तो बनाई गयी हैं चाहे वह मातृ कल्याण हों या दुर्घटना-बीमा हो या स्वास्थ्य सुविधायें हों लेकिन उनका पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। इसके लिए जो महत्वपूर्ण कारण

जिम्मेदार हैं, वह है प्रापर संस्थायें जो हैं उनका समुचित रूप से न होना। मान्यवर, हमारे लेबर-कमिश्नर के अधीन डिप्टी लेबर-कमिश्नर होते हैं। वह पद काफी जिलों में रिक्त हैं, जिस कारण एक-एक ऐसे अधिकारी को दो-दो, तीन-तीन जिलों का काम देखना पड़ रहा है। इससे नियोजकों को तो फायदा है परन्तु मजदूरों के लिए यह फायदेमंद नहीं हो रहा है। मान्यवर, सबसे पहली जरूरत है कि श्रम विभाग के अधीन जो अधिकारियों का ढांचा लेबर कमिश्नर, डिप्टी लेबर कमिश्नर, असिस्टेण्ट लेबर कमिश्नर इन सभी पदों की पूर्ति सभी जिलों में होनी चाहिए। ताकि जितने भी मजदूर हैं, और उनकी जो समस्यायें हैं उनका निदान हो सके और उन पर कार्यवाही हो कर उनके नियोजकों से मिलकर, उनका समाधान निकाला जा सके। यह सबसे जरूरी है। दूसरी चीज है बीड़ी के मजदूर हैं वह थोड़ी सी कमाई में जीते हैं। हथकरघा के मजदूर हैं उनका न्यूनतम वेतन बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में जितने भी मजदूर हैं, चाहे वह बुनाई से जुड़े हुए हों, उनको 50-70 रुपये का मेहनताना मिल पाता है। जो बहुत कम है, इस तरीके से बुनकर हैं उनकी मजदूरी बहुत कम हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनका न्यूनतम् वेतन सुनिश्चित कराने का काम करे, और उसका पालन भी किया जाय। मान्यवर, जिस तरीके से इस सरकार ने किसानों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है, वह अच्छी बात है। लेकिन उनसे भी पिछड़े असहाय और कमजोर हमारे मजदूर हैं उनको भी कम से कम पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा यह सरकार देने का काम करे। मान्यवर, बहुत से मजदूर कर्ज में डूबे हुए हैं, चाहे वह कर्ज उन्होंने बैंकों से लिया हो। बहुत से मजदूर लोग अपने काम की वस्तुओं को खरीदने के लिए बैंकों से कर्ज लेते हैं। या साहूकारों से कर्ज लेते हैं, आपने अभी किसानों के लिए चार प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने की बात कहीं है वह अच्छी बात है लेकिन वह चार प्रतिशत भी खत्म किया जाना चाहिए। मान्यवर, जो पावर-लूम में लगे मजदूर हैं उन्होंने कर्जा ले रखा है, लेकिन आज वह असहाय हैं और कुपोषण से पीड़ित हैं जिस कारण अपने कर्जे को अदा नहीं कर पा रहे हैं ऐसे लोगों का कर्जा माफ कराने की बात सरकार को करानी चाहिए। और उन्हें ब्याज मुक्त कर्ज दिलाना चाहिए ताकि वह अपना करघा आदि खरीदकर रोजगार कर सकें। मान्यवर, जो आपने किसानों के लिए बिजली-दरों में माफी की घोषणा की है, उसका मैं समर्थन करता हूं, यह बहुत ही उपयोगी निर्णय है। मान्यवर, आज बुनकर किसानों से भी ज्यादा परेशान हैं। किसान के पास तो भूमि है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। उनके पास अपने हथकरघे और श्रम के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसी हालत में अगर उसका कर्ज माफ नहीं हो जाता है तो उसको और दिक्कत होगी उसको परिवार चलाने में और दिक्कत होगी। हमारा सरकार को यह सुझाव है कि जिस तरीके से किसान भाइयों का कर्ज माफ हुआ है उसी तरीके से बुनकरों के जो कर्ज हैं जिन्होंने हथकरघा के लिए कर्ज लिया है या जिन्होंने पावरलूम के लिए कर्ज लिया है वह कर्ज माफ किये जायें। यह मेरी जानकारी में है कि करीब-करीब 50 हजार से ज्यादा जो तांबे के बर्तन बनाने वाले मुरादाबाद में ऐसे कारीगर हैं जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया है मगर वह बैंक का कर्ज नहीं वापस कर पाते हैं हमारा सरकार को सुझाव है यह छोटे कर्ज हैं बहुत गरीब लोग हैं छोटे मजदूर हैं इनके कर्ज माफ किये जाये।

मैं दूसरी चीज सेवायोजन में कहना चाहूंगा कि चूंकि आज जो भी सेवायोजन विभाग कार्य कर रहा है। सभी जिलो में उनमें प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर उनके नामों को भेजा जाता है। चूंकि यह बुनकर समाज जिस समाज की मैं बात कर रहा हूं चाहे वह मुसलमान हो चाहे अति पिछड़े वर्ग के लोग हों चाहे दलित वर्ग के लोग हों यह लोग पढ़ने में भी और सामाजिक हैसियत में भी

कमजोर हैं यह जागरूक भी कम हैं, यह सेवायोजन में जा करके अपना नाम नहीं लिखाते तो मेरा सुझाव है सरकार को कि जो गरीब हैं पिछड़े हैं सामाजिक आधार पर और जो जागरूक नहीं है तो अति पिछड़े वर्ग का अति दलित वर्ग का और मुसलमानों का अलग से उसमें रजिस्टर बनाया जाय और उनको उसी हिसाब से जो सरकार की मंशा है जो पिछड़े वर्ग हैं जो मुसलमान हैं उनको वरीयता दी जाय और जो अति दलित वर्ग हैं उनको वरीयता दी जाय जो गरीब वर्ग हैं उनको वरीयता दी जाय तो उनको सेवायोजन में वरीयता दिया जाय ताकि उनको समुचित लाभ मिल सके। मैं इसी के साथ अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए आप सभी का धन्यवाद करते हैं।

*श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, आपने मुझे श्रम विभाग की कटौती डा0 अयूब साहब द्वारा जो रखी गयी है, उस पर बल देने के लिए और उसी से सम्बद्ध होते हुए कुछ कहने के लिए मुझे समय दिया है मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, समाज का सबसे शोषित और सबसे निचला तबका जो होता है वह श्रमिक है, उसके पास जमीन नहीं है उसके पास व्यापार नहीं है उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। मान्यवर, तो सिर्फ वह अपने शारीरिक श्रम के द्वारा जो ईश्वर ने उसको शरीर दिया है उससे श्रम करके, कार्य करके उससे रोजी कमाना चाहता है उससे अपने परिवार का भरण-पोषण करना चाहता है। हमारे महापुरुषों द्वारा कि एक श्रमिक को शर्म न महसूस हो अपमान न महसूस हो, समाज में समय-समय पर श्रमदान करके डलिया उठाकर, फावड़ा उठाकर के काम करने के लिए यह संदेश देने का काम किया है कि तुम अगर समाज में काम कर रहे हो तो हम भी समाज में काम करके तुम्हारी इस भागीदारी को बताना चाहते हैं कि तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें पैसे भले ही कम मिल रहे हैं, तुम्हारी आर्थिक आय बहुत ही कम है लेकिन जो योगदान है तुम्हारा वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि चाहे जिस क्षेत्र में आप जायं खेती के क्षेत्र में जायं तो वहां भी श्रमिक की मजदूर की जरूरत पड़ती है, कारखानों में जायं तो श्रमिक की जरूरत पड़ती है, फर्नीचर बनाना हो तो श्रमिक की जरूरत पड़ती है दीवाल का काम किसी में कोई ऐसा कार्य नहीं होगा कि जिसमें श्रमिक की जरूरत नहीं पड़ती है, राजनीतिक लोग भी अपने राजनीतिक कार्य के लिए श्रमिकों को लगाकर ही पोस्टर लगाने का काम और झण्डे और पोस्टर लगवाने का काम उन श्रमिकों के द्वारा कराते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा उन श्रमिकों को चयनित करके उनसे कार्य कराया जाता है। मान्यवर, समय-समय पर अधिनियम बने, कारखाना अधिनियम बना। कारखाना नियमावली बनी, वेतन संदाय अधिनियम बना, उत्तर प्रदेश वेतन संदाय नियमावली बनी, उत्तर प्रदेश मातृत्व हितलाभ नियमावली बनी, समय-समय पर नियमावलियां बनती गयीं, इनके बनाने का उद्देश्य सिर्फ यह था कि एक श्रमिक को उसके श्रम का उचित मूल्य मिलें लेकिन अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में श्रमिक की क्या दुर्दशा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोग, मध्य उत्तर प्रदेश से लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं। मेरे जिले से लोग पंजाब जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं मान्यवर, आदिकाल से यह परम्परा चली आ रही लेकिन उनके पूर्वज खुशकिस्मत थे कि जो मजदूरी करने के लिये विदेशों में गये, वह वहां पर रहकर कालान्तर में उनकी पीढ़ियां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सिर्फ वेतन विसंगति है, इसीलिये लोग भिन्न-भिन्न प्रान्तों को जाने का कार्य करते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद में 11 चीनी मिले हैं, उन्होंने हथकरघा, पावरलूम, दरी उद्योग, हैन्डलूम की बात कर दी, लेकिन हमारे यहां इन 11 चीनी मिलों में कम से कम 15000 श्रमिक काम करता है। हमारे विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत ऐरा चीनी मिल है, मनरेगा में भी जो रेट मिल रहा है, वह रेट भी इस चीनी मिल के श्रमिकों को नहीं मिल रहा है, जो निर्धारित वेतनमान है, वह नहीं मिल रहा है, लेकिन श्रमिक सिर्फ इस सहारे पर वहां काम करने जा रहा है, वह कम मूल्य पर इसलिये काम कर रहा है क्योंकि मिल प्रबन्धन के लोग उससे यह कहते हैं कि तुम 4-6 महीने काम करोगे तो तुम्हारा प्रमोशन करके तुम्हें परमानेंट कर दिया जायेगा। तो मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि उसकी विस्तृत जांच करा ली जाये और जिन लोगों को निर्धारित वेतन/सेलरी नहीं मिल रही है, उनको सेलरी दिलाई जाये। मान्यवर, सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का काम श्रमिक करते हैं, हमारे यहां 500-700 श्रमिकों का मिल प्रबन्धन से टकराव हुआ है बी0एल0सी0 के हस्तक्षेप के बाद वहां पर यूनियनें इकट्ठा हुयी हैं, यूनियन इकट्ठा होने के बाद उन्होंने पुलिस और प्रशासन की बेजा बात उठाकर एक गरीब को पैसा देने के लिये मना किया है, मैं चाहता हूं कि लखीमपुर में डी0एल0सी0 की स्थापना की जाय और इन श्रमिकों को निर्धारित वेतनमान दिलाया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं संक्षेप में कुछ बिन्दु बताऊंगा। अच्छा होता यदि श्रम मंत्री जी यहां पर होते।

श्री अध्यक्ष-

उनका स्वास्थ्य खराब है।

*श्री सतीश महाना-

मुझे पता नहीं था मैं क्षमा चाहता हूं। मान्यवर, मैं, जो कटौती का प्रस्ताव डा0 अयूब जी ने रखा है, उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह श्रम एवं सेवायोजन कार्यालयों को खोला क्यों गया था, इनके खोलने के पीछे उद्देश्य क्या थे, सबसे पहली बात जो इंडस्ट्रीज हैं, वह हमारा औद्योगीकरण करे और औद्योगीकरण के साथ मजदूरों को रोजगार के अवसर मिले, यह महत्वपूर्ण बात है। जब तक रोजगार का अवसर नहीं होगा, तब तक श्रमिक को अपना भरण-पोषण करने के लिये अवसर नहीं मिलेगा तो वह अपना पेट कहां से पालेगा। तो इंडस्ट्री और लेबर एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। कभी-कभी ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत होती है कि यहां पर इंडस्ट्रीज बढ़ें। कई ऐसे अवसर होते हैं कि वहां पर लेबर प्राब्लम है, इसलिये वहां पर इंडस्ट्रीज आना नहीं चाहती। इंडस्ट्री आयेंगी नही तो लेबर को अवसर नहीं मिलेगा। हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, यदि मैं विस्तार से बताऊंगा तो बहुत लम्बा हो जायेगा। मान्यवर, आप स्वंय इस विभाग के माननीय मंत्री रहे हैं, आपको सब पता है। इसलिये मैनें कहा कि कोआर्डीनेशन इन बिटवीन इंडस्ट्रलिस्ट एंड लेबर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो श्रमिक हैं, उनका भी पूरा हित होना चाहिये। लेकिन श्रमिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हमारे को मिलना चाहिये। चाहे जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हों। मान्यवर, चाहे जो मजबूरी हो, तब तक होता रहा तब-तब इण्डस्ट्री में ताला लगता रहा। जिस समय इण्डस्ट्री में ताला लग जाता है जिस समय इण्डस्ट्री चला जाता है उस समय मजदूर के पास रोजगार भी नहीं रह जाता है। जब इस बात के लिए विचार करेंगे कि देश के हित करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम हम जो काम करेंगे उसका पूरा दाम लेंगे हमारा जो अधिकार है हम उसको पूरा लेंगे लेकिन इण्डस्ट्री के हित में प्रदेश के हित में भी काम करेंगे। ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत होती है जिसकी जिम्मेदारी श्रम विभाग की होती है। ई0एस0आई0हास्पिटल के बारे में हमारे मित्र कह रहे थे जितनी भी बात उन्होंने कही स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत यह उसके साथ-साथ ई0एस0आई0 वालों के पास भी भेज दिया जाय क्योंकि ई0एस0आई इनसे गवर्न होता है इन्होंने कुछ क्वालिटी सक्रिलस की बात कही है एक बात कही है कि लेबर जो सबसे छोटा काम करता है कूड़े को बीनने का काम इससे छोटा काम कोई भी मजदूर नहीं करता है उसके हित के बारे में हम क्या सोच सकते हैं उसको हम कैसे संरक्षण दे सकते हैं उसको क्या सुविधा दे सकते हैं यह महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सरकार के एजेण्डे में सरकार के भाषण में सब जगह वह बात आती है वह है बेरोजगारी भत्ते की। रोजगार के अवसर प्रदान करना और बेरोजगारी भत्ता देना यह सरकार के लिए सबसे इम्पार्टेंट काम है। 63 लाख बेरोजगारों में से 10 लाख लोगों को आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं उसके नाम पर अपना ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। 75 प्रतिशत हमने काम कर दिया। क्या काम कर दिया आप उनको बेरोजगारी भत्ता के साथ-साथ रोजगार के अवसर कैसे प्रदान करेंगे यह आपने कहीं नहीं बताया किसी भी जगह सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि हम जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं हम उनके लिए यह-यह रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। आपके पास इण्डस्ट्री नहीं है आप कहां से कराएंगे। आपके पास विकास के लिए कोई योजना नहीं है आप कहां से कराएंगे। सिर्फ हजार रुपया दे देने से आप समझेंगे कि उनका पेट भर जाएगा तो न उनका पेट भरने वाला है न उनका भला होने वाला है। न प्रदेश का भला होने वाला है। अंततोगत्वा सरकार का भी भला होने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिए। केवल दो मिनट में अपनी बात कह लीजिए।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, लेबर कालोनी की बात कहकर खत्म करूंगा। वैसे आप जब आदेश करेंगे मैं बैठ जाऊंगा। भत्ता मान्यवर, साढ़े 8 करोड़ दिया गया नवम्बर तक और भत्ते पर खर्च किया गया साढ़े 12 करोड़ यह बड़ी अजीब बात है। यह मैं ही नहीं कह रहा हूं सारे अखबार और टेलीवीजन चिल्लाते रहे। सरकार की तरफ से कोई प्रतिकार नहीं आया।

*श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)-

अखबार का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

श्री सतीश महाना-

सरकार ने जो लिखकर दिया है उसका संज्ञान लिया जाएगा। मैं सरकारी कागज के आधार पर बोल रहा हूं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं।

श्री शाहिद मंजूर-

आप डिटेल मंगवा लीजिए कितने सौ करोड़ बांटा गया है यह पता चल जाएगा।

श्री सतीश महाना-

जितना बताया गया उतना मैं बता रहा हूं। आप सुनने का धीरज रखें परेशान क्यों हो रहे हैं। अभी तो अध्यक्ष जी ने शार्ट में कहा है लम्बा कहा होता तो आप कितने परेशान होते। शार्ट में आप उठ खड़े हुए। मान्यवर, यह फैक्ट है यह सरकार के द्वारा सूचना दी गई है। अन्त में आपकी अनुमति से श्रमिक कालोनियों के बारे में जरूर कहना चाहूंगा श्रमिक कालोनियों का निस्तारण होना चाहिए जो वहां पर रहने वाले श्रमिक हैं उनको नि:शुल्क अथवा न्यूनतम दर पर कालोनी दी जानी चाहिए। सरकारों का काम प्राफिट कमाना नहीं है सरकारों का काम इस प्रदेश की जनता का हित करना है। कानपुर की जो बी0आई0सी0 की जो मिलें हैं वह बंद हैं। उन मिलों को चलाने के लिए भारत सरकार ने कोई प्रपोजल बनाया है क्या है मुझे मालूम नहीं है। अखबारों का मैं संज्ञान नहीं ले रहा जो सरकारी कागज है वह मेरे पास है इसमें लिखा है कि भारत सरकार ने इन मिलों को चलाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है उसमें क्या है यह मुझे पता नहीं लेकिन यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के पास है वह क्या प्रस्ताव है सरकार जानकारी कर ले उस प्रस्ताव का निस्तारण हो सकता है कि नहीं हो सकता है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के विवाद में हमारे बी0आई0सी0 की मिलें बंद पड़ी हैं जब वह मिलें चलेंगी तो हमारों लोगों को रोजगार मिलेगा उनको प्राथमिकता के ऊपर चलाने का ध्यान कर लें। आपने इतनी अनुमति दी इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुदेश शर्मा-

आपने श्रम विभाग के बजट पर डा0 अयूब के कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मात्र एक मिनट में सुझाव देकर अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे बड़े भाई कह ही रहे थे कि आजकल हमारे बड़े भाई कह ही रहे थे कि श्रमिक तो रहे नहीं, ज्यादातर उद्योग बन्द हो चुके हैं लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला श्रमिकों की आवासीय कॉलोनियों का है मैं उसमें आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह 1952 के अन्तर्गत अन्य राज्यों की भांति श्रमिक बस्तियों में निर्मित भवनों को उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में 39 श्रमिक कॉलोनियों में 30,643 भवन श्रमिकों के लिए बनाये गये थे तथा 1978 में भारत सरकार के निर्माण एवं आवास विभाग के पत्रांक सं0-14024/17-177 एच0आई0 नई दिल्ली 1978 के आदेशानुसार दिल्ली, उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों ने मूल लागत के बीस प्रतिशत की तदर्थ छूट देते हुए शेष धनराशि 15 वर्षों की आसान किश्तों में भुगतान हेतु श्रमिकों को भवनों का मालिकाना हक दे दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन प्रदेशों में उन श्रमिकों को मालिकाना हक उस आदेश के तहत मिल चुका है और उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग ने भी पत्रांक सं0-515/36-4-94/16/92 दिनांक 21 फरवरी, 1995 द्वारा आदेश दिये गये थे लेकिन इसके उपरान्त भी उत्तर प्रदेश में आज तक भारत सरकार के 9 फरवरी, 1978 के आदेश का पालन नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन कॉलोनियों में पिछले 50-50 सालों से श्रमिक रह रहे हैं हमारे यहां मोदीनगर के अन्दर, डबल स्टोरी, सुचेतापुरी, हरमुखपुरी ऐसी कॉलोनियां हैं जिनमें तमाम श्रमिक रह रहे हैं और वह लगभग चालीस-चालीस, पचास-पचास वर्ष से रह रहे हैं, माननीय सदस्य बता रहे हैं कि इलाहाबाद नैनी में भी, लेकिन जो श्रम विभाग ने किराये पर दे रखी

थी जैसे मिल के मालिक मोदी थे, उनको किराये पर दे रखी थी। अब पिछले लगभग 15 से 20 वर्षों से श्रम विभाग को कोई किराया मोदियों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है और पिछले मजदूर उन मकानों में बैठा हुआ है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि अन्य प्रदेशों में लागू हो चुका है कि उन श्रमिकों से जो भी न्यूनतम आप जमा कराना चाहें करा लें लेकिन उन्हें उन भवनों का मालिकाना हक दिलवा दें, इससे श्रम विभाग को राजस्व भी आयेगा, आज इससे श्रम विभाग का नुकसान ही हो रहा है। अतः मान्यवर, यह भी एक बहुत बड़ा कदम होगा, कल संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा था कि जमीने पड़ी हुई हैं मोदियों का अभी वहां पर हिसाब नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको उसका मालिकाना हक मिले। दूसरी चीज जो मैं उस समय जो गलती से कह गया था जो ई0एस0आई0 वाली बात मैं कहना चाह रहा था कि मोदी नगर के अन्दर एक बहुत बड़ी जगह 30-35 एकड़ जगह होगी वहां पर ई0एस0आई0 हास्पिटल चल रहा है लेकिन अब जब मान्यवर, वहां श्रमिक ही नहीं रह गये, जो श्रमिकों को कार्ड इश्यू होते हैं वह भी नहीं हैं, तो ऐसे में आम आदमी के लिए, वहां जो और मजदूर तबका रह रहा है या जो आस-पास का किसान है उस हास्पिटल में उनको इलाज की सुविधा मुहैय्या हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। वहां डाक्टर भी हैं, मशीनरी भी है, केवल जरूरत है संज्ञान लेने की कि उनको सुविधा मुहैय्या करा दी जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सतीश कुमार निगम ''एडवोकेट''-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे श्रम विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह सही है कि हम जिस शहर से आते हैं अगर हम श्रम विभाग पर नहीं बोलेंगे तो हमें लगेगा कि हमने अपने शहर के प्रति अन्याय कर दिया है क्योंकि हमारा शहर तो श्रमिकों का शहर है। यह सही है कि आज हमारे शहर के हालात बहुत खराब हो गये हैं। जो आम आदमी और गरीब आदमी बहुत परेशानी में था विशेषकर सामने बैठे जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं इनकी सरकार में बहुत ही बद्तर हालत हुई है। हम अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने मजदूरों, गरीबों के लिए सोचा और यह सही है कि बजट में जिस ऑटो रिक्शा, मोटराइज रिक्शा देने की बात कही गई है वह उन्हीं श्रमिकों को ख्याल करके की गई है जो बहुत गरीब हैं श्रमिक हैं। साथ ही साथ हमारे यहां यह भी कहा गया है कि हम लोग गरीबों को साइकिल भी देंगे और यह सही है कि बजट में प्राविधानित भी है और बहुत अल्प समय में गरीबों तक पहुंचेगी भी। यह हमारे मुख्य मंत्री जी की सोच का एक बड़ा हिस्सा है कि समाजवादी पार्टी गरीबों, मजदूरों और कमजोर लोगों के लिए काम करती है और करना चाहती है। सामने बैठे हुए लोग दम्भ तो बहुत भरते हैं कि दलितों के, गरीबों के रहनुमा हैं, हमदर्द हम हैं लेकिन सच्चाई की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के अलावा आज तक गरीबों का दर्द सुनने यह कभी नहीं गये और इनकी जो नेता हैं वह तो इतने पर्दे में जाती हैं कि गरीब अपनी बात भी नहीं कह सकता है, उन तक पहुंच भी नहीं सकता है, दौलत की बेटी हैं। वह गरीबों का दर्द नहीं समझ सकती हैं। एक बात और कहना चाहता हूं श्रमिक कॉलोनियों के सिलसिले में। यह बात सही है कि ऐसी बहुत सी कॉलोनियों आजादी के बाद श्रमिकों के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा बनायी गयी थीं और कालान्तर में कई राज्यों में यह कालोनी गरीबों को उनके मालिकाना हक के रूप में दे दी गयी। उड़ीसा सरकार ने मात्र एक रुपये ले करके दे दिया,

दिल्ली सरकार ने 7000 रुपये ले करके दे दिया और मध्य प्रदेश सरकार ने 5000 रुपये ले करके दे दिया। हमने भी जब पूर्व में श्री मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्य मंत्री थे तो एक प्रस्ताव दिया था, तब बेशक मैं इस सदन का सदस्य नहीं था लेकिन मेरे दिल में उन मजदूरों के लिए दर्द था और यह अहसास था कि इसका हक उन्हें मिल जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले भी हमने मा0 मुख्य मंत्री जी से इसके लिए सिफारिश किया था और गुजारिश किया था कि यह अब गरीबों को मिल जानी चाहिए क्योंकि इस पर लगने वाला व्यय तो हम उठाते हैं, इससे लाभ कुछ भी हमें नहीं मिलता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सिद्धान्तः इस पर सहमति भी व्यक्त की थी और श्रम मंत्री जी आज हमारे बीच में नहीं हैं उनसे भी मेरी बात हुई, बहुत जल्दी हमारी सरकार इस पर फैसला लेने जा रही है। इसके लिए मा0 मुख्यमंत्री जी और मा0 श्रम मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देते हैं और मेरा मानना है कि इस कदम से जो समाजवादी पार्टी की असली गरीबों के लिए काम करने की सोच है वह अपने आप गरीबों तक, जब वह सुविधा पहुंचेगी तो उन्हें एहसास हो जायेगा हमारे लोगों को अच्छा लगेगा, गरीबों को अच्छा लगेगा। मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं इस बात के लिए कि हमारी यह बात मानने के लिए आपका भी योगदान हो और बहुत-बहुत शुभकामनायें देता हूं गरीबों के लिए हमारी सरकार सोच रही है, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष-

मा0 डाक्टर साहब आप कुछ बोलेंगे या मंत्री जी जवाब दे दें ? आप उत्तर दे दीजिएगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं डॉ0 अयूब साहब का, आदरणीय शमशेर सिंह जी जो अपनी बात कहकर और समस्याओं की समाधान के बिना चले गये, सतीश महाना जी, निगम साहब और सुदेश शर्मा जी, वह भी अपनी बात कह कर सीट से अपने विचलित हैं। मान्यवर, इन लोगों ने अपनी चर्चा के दौरान जिन समस्याओं का उल्लेख किया है। मैं अत्यन्त संक्षेप में प्रयास करूंगा कि उन तक सही जानकारी पहुंचायी जाए। जब हम आज श्रम विभाग का बजट लेकर माननीय सदन में हाजिर हैं तो हम बताना चाहते हैं, मुख्य रूप से दो कार्य इस विभाग के जिम्मे है, जो बजट हम ले करके आये हैं, एक तो श्रमिकों के हितों की रक्षा कैसे की जाए ? उनके हितों की रक्षा के लिए जो कानून हैं, जो अधिनियमित 38 कानून हैं, उन कानूनों का पालन कैसे हो रहा है निश्चित रूप से उनका पालन कैसे कराया जाए ? उनके कल्याण के लिए जो योजनायें अनुमन्य हैं, उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, उनके कल्याण के लिए योजनायें बनायी कौन सी जांए और श्रीमन् जिनको रोजगार नहीं मिल सका है, उनको रोजगार कैसे दिये जांय ? ये दो हिस्से हैं। एक सेवायोजन का और दूसरा श्रमिक कल्याण का, ये दो मुख्य रूप से कार्य हैं। आपने कुछ बातों का जिक्र किया है, पहले जानकारी दुरुस्त कर दूं, थोड़े-थोड़े बिन्दुओं में और बहुत संक्षेप में अपनी बात रख दूंगा। महाना जी को अखबारों पर विश्वास है, मैंने बहुत पहले कहा था कि मत भरोसा कीजिए। इतना भरोसा अखबार की कतरनों पर करना ठीक नहीं है सुन तो लें। सुनेंगें तो बताऊंगा नहीं तो चुन हो जाऊंगा। मान्यवर, अखबारों की कतरनों से सूड जी एक बड़े प्रसिद्ध कवि थे। मान्यवर, आपके निकट कई बार मैंने उनको देखा है। अब तो नहीं हैं दुनिया में। तो सूड जी कतरनें सुनाते थे और अखबारों की दो कतरनों को एक साथ पढ़ देते थे और मान्यवर, एक अजीब व्यंग्य हो जाता था। जैसे उन्होंने एक बार

कहा कि सर्कस से भालू भागा और एक राजनैतिक पार्टी का नाम लिया, उसके नेता का फलां का इस्तीफा तो लोग बहुत हंसते थे। एक बहुत ही कुरूप नेता राष्ट्रीय स्तर के थे, उनका नाम लिया और कहा पेरिस में विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता और उनका नाम लेकर कहा फलां विदेश रवाना। तो अखबारों की कतरनों पर भरोसा न करें महाना जी, कहीं दूसरी जगह चले जायेंगे काम गड़बड़ा जायेगा। मान्यवर, स्थिति यह है, अब यह इतना भरोसा करेंगे अखबारों पर तो कैसे काम चलेगा। श्रीमन्, आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में मान्यवर, जो बेरोजगारी भत्ता है, इससे एक लहर पैदा हुई है तमाम जगहों पर और इससे आपको यह नजर आ गया कि साहब 8 करोड़ रुपया दिया। 8 करोड़ रुपया तो एक कैंप में वितरित करने जाने वालों की भी राशि नहीं हो सकती है। आप अंदाजा कर लीजिये, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 8 करोड़ नहीं दिया गया। 4 अरब, 42 करोड़ लिख लीजिये ठीक से। 4 अरब, 42 करोड़, 48 लाख 71 हजार दिया। अब हिसाब जोड़ लीजिये। मान्यवर, इसमें से 10 लाख 91 हजार 204 पात्रों को तो हम दे चुके हैं। अभी मान्यवर, 1 लाख 40 हजार 114 लोगों का परीक्षण हम देख रहे हैं। लेकिन श्रीमन्, इतनी बड़ी राशि को अखबार पढ़कर 8 करोड़ कह देंगे महाना जी। महाना जी तो इतने वरिष्ठतम लोगों में से इस सदन के सदस्यों में से हैं, बाकी अन्य लोग आपसे क्या सीखेंगे ? कैसे करेंगे, आप बताइये। आप इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा, बताइये। आप अपने आंकड़े ठीक कर लीजिये। आपसे कम से कम उम्मीद है कि आप आंकड़े ठीक करेंगे। मान्यवर, डा0 अय्यूब साहब ने कई बातें कही हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी चिन्ता अपनी जगह सही हो सकती है लेकिन यह अतिरिक्त हो गई जितनी होनी चाहिए उसके अतिरिक्त है। इसको हमको देखना पड़ेगा। हथकरघा मजदूरों के लिये चूंकि सदन में मौजूद हैं इसलिये मैंने नहीं कहा। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी, हमारी सरकार और विशेषकर हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय अहमद हसन साहब ने हथकरघा मजदूरों के सवाल पर जब-जब हमारी सरकार बनी है तो उनको जितनी सुविधा देने की तरफदारी उन्होंने की है और उनके कल्याण के लिये काम किया गया उत्तर प्रदेश में, इसके पहले कभी नहीं किया गया है। हमेशा उनकी चिन्ता अहमद हसन साहब ने किया है और करके सरकार से उसका प्रबन्ध किया। उनकी न्यूनतम मजदूरी जो आपने कही वह एक भ्रम हो जाता है मान्यवर। अगर वह स्वयं सेवा योजित है तो उसकी स्थिति खराब हो सकती है लेकिन आप उसको श्रमिक नहीं कह सकते। बड़ा अंतर है दोनों का। छोटा है, 20 रुपया कमाता है और अपने घर में रहकर रोजगार करता है तो उसे मजदूर नहीं कह सकते। मजदूर कहने के लिये उसे किसी दूसरे की सेवायोजन में नौकर की तरह से श्रमिक की तरह से रहने की बाध्यता है। हम उसी सीमा में बोलेंगे, जहां तक बुनकरों के लिये, उनके कल्याण का सवाल है, उनके बिजली के शुल्क को माफ करने का तो मान्यवर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही उनकी बिजली को किसानों की भांति दिये जाने का प्रबन्ध किया था, फिक्स चार्ज पर किया था मीटर हटाकर। (मेजें थपथपाई गईं)। किसने किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। यह घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ होने वाला नहीं है। अकेले समाजवादी पार्टी है जो इसकी चिन्ता करती है और बुनकरों का इंतजाम करती है। बुनकरों की बेहतरी के लिये हमारी नीति है वह अलग विभाग है। आज श्रम विभाग में हम बुनकरों की चर्चा करें। मान्यवर, अन्य भी कई चर्चाएं आपने ऐसी कीं जिनको हम नहीं करना चाहते लेकिन न्यूनतम मजदूरी का जहां तक प्रश्न है, जो श्रीमन्, 179 रुपया 89 पैसा यह 1-10-2012 से है। यह मंहगाई भत्ता जोड़कर है इसलिये मान्यवर जो कृषि उद्योग में, बीड़ी उद्योग में अन्य उद्योगों जो लोग

अलग-अलग हैं उनके लिये अलग-अलग स्पैसिफिकेशन्स हैं। आपने कहा, जो रंगाई पुताई करते हैं उनके कल्याण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है मान्यवर, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 15 योजनायें हैं ऐसे मजदूर जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन भवन निर्माण में, और ऐसे कामों में सबसे ज्यादा मजदूर लगा हुआ है। आज विकास का जब दौर है तो सबसे ज्यादा मजदूर उस क्षेत्र में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में पहली बार यह हो रहा है भवन एवं अन्य निर्माण एवं विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत श्रमिकों के हित लाभ मूलभूत योजनाओं के लिए 15 योजनायें चल रही हैं एक यह है भवन एवं सनिर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 1996 के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश के लिए, मान्यवर, यह देखिए मातृत्व हित लाभ योजना, शिशु हित लाभ योजना, दुर्घटना सहायता योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, मृत्यु एवं अन्त्येष्टि सहायता योजना, गम्भीर बीमारी सहायता योजना, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन योजना, एम्बुलेंस सहायता योजना, बालिका आर्शीवाद योजना, पुत्री विवाह अनुदान योजना, क्षमता पेंशन योजना, औजार क्रय हेतु आर्थिक सहायता योजना, सौर ऊर्जा सहायता योजना, आवास सहायता योजना चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं का जब हम उल्लेख करते हैं तो इसमें तमाम बजट में प्राविजन्स हैं। फंड्स हैं और उनमें हम उनको उसका लाभ देने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे ही छोड़ देने का काम किया है हम अपनी सरकार की ओर से जिम्मेदारी से बात कहना चाहते हैं कि उन मजदूरों के लिए तमाम योजनायें चला रहे हैं और उन योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम किया है। कोरी कल्पना यह नहीं है इसके लिए बजट प्राविजन किया है आपके पास बजट साहित्य है आप देख लीजिए। मान्यवर, बाल श्रम की चर्चा नहीं हुई इसलिए मैं इस दिशा में नहीं जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

जल्दी खत्म करिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, महिला श्रमिकों से संबंधित सुविधाओं और कार्य दशाओं के बारे में बात नहीं आई लेकिन मान्यवर, कानून बनाकर पुरुष और महिला की मजदूरी अलग-अलग होती थी महिला को मजदूरी कम दी जाती थी। अब पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान मजदूरी दिया जाए इसका भी हमने प्राविधान किया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद् द्वारा संचालित योजनाओं में श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों की अगर वह मेडीटोरियस हैं तो सलेक्टेड लिस्ट है उनकी, उनको भी स्कालरशिप देने का काम करते हैं। राज्य कर्मचारी बीमा योजना में मैं बाद में आऊंगा, जो संगठित क्षेत्र के हैं उनके लिए..

श्री अध्यक्ष-

खत्म करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

बस खत्म ही है। मान्यवर, बस दो तीन समस्याओं का उल्लेख करना रह गया है। मान्यवर, मा0 सदस्य ने मोदीनगर की समस्या का उल्लेख किया। नियम-51 की आपकी सूचना थी उस पर भी हमने एक दिन आपको सूचना देने का काम किया सरकार की ओर से, मेरे पास सूचना है मैं दिखाता हूं..

श्री अध्यक्ष-

कहां आप दिखाने जा रहे हैं अपनी बात कहिए। मा0 सदस्य आपको संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वस्त कर दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, नियम-51 के तहत इनकी सूचना थी उसकी भी सूचना आई संयोग से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने सरकार की ओर से बहुत जिम्मेदारी से एक बात कही वह उस जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं इस नाते उन्होंने कहा है कि इसको गम्भीरता से दिखवा करके और जो संवेदनशीलता है जो वहां के मजदूर इन कालोनियों में रह रहे हैं। फैक्ट्री बन्द हो गई दो सवाल पैदा होते हैं सरकार ने एक रुपये में उनको जमीन दी थी और वह जमीन के मालिक बन बैठे हैं तो उसका भी समाधान हो और मजदूरों को जो उनका देय हो वह दिया जाए। मान्यवर, 19 मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने समझौता कर लिया और रुपया लेकर चले गए। बाकी मजदूर ऐसे हैं उन्होंने प्रबन्धन से समझौता नहीं किया और उनमें रह रहे हैं प्रबन्धन का यह कहना है कि जितना इनका बकाया है, जितना इनका ड्यूज है उससे ज्यादा मूल्य का इनका घर है जिसमें यह रह रहे हैं। इस कारण इसमें बात तय नहीं हो रही है। मैं इसमें अपने को रोकूंगा कि कल मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने अलग से इस पर बात कही है सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। इसलिए इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।

श्री सुदेश शर्मा-

यह दूसरा मामला है। वह मजदूरों के भुगतान का मामला है

श्री अध्यक्ष-

कई दिन से आप इस पर लड़ रहे हो वहीं जाकर अनशन वनशन करते क्यों नहीं ? मंत्री जी आगे बढ़ें। आप बोलते रहें।

(श्री सुदेश शर्मा के कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

आप मंत्री जी की बात सुनिए। यह बहस नहीं हो रही है। बैठिए, आप नियम-51 की सूचना पर कल बोल चुके हैं, रोज उसी पर बोल रहे हैं। अब बैठिए।

श्री सुदेश शर्मा-

मंत्री जी, गुमराह कर रहे हैं, यह गलत है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि सरकार ज्यादा संवेदनशीलता दिखा रही है इसलिए यह गलत का आरोप लगा रहे हैं। मान्यवर, भारत सरकार राज्य कर्मचारी बीमा निगम नई दिल्ली का उस भूमि पर मालिकाना हक है। भारत सरकार से बात किए बगैर कैसे होगा और माननीय मंत्री जी ने उसको हल करने के लिए कहा है, आपको धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन आप दूसरी बात कर रहे हैं। मान्यवर, इसी के साथ जो बेरोजगारी भत्ता के रूप में ऐसी योजना चला करके इस सरकार ने न सिर्फ अपने चुनावी घोषणा-पत्र को पूरा करने का काम किया है।

(श्री सुदेश शर्मा के पुनः कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह कोई बात नहीं मानेंगे, जो चाहेंगे कहेंगे। मंत्री जी, आप बोलिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जबर्दस्ती है। मान्यवर, इनकी पूरी समस्या का निदान होगा, यह मैंने कह दिया है। इसी के साथ माननीय सदस्यों द्वारा जो शंका उठायी गयी थी, उसका संक्षेप में समाधान कर दिया है और आपने कानपुर की जिन मिलों को चलाये जाने की बात कही है, उस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। नीति विषयक मामला है, इसलिए इस समय मैं उसका उत्तर आपको नहीं दे सकता हूं। नीति विषयक मामला है, विचार में है और हम हर हालत में दोनों काम करना चाहते हैं, हम नए उद्योगों की भी स्थापना करना चाहते हैं कि प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल सके और जो हमारे पुराने बीमार उद्योग हैं, उनको कैसे चलाया जा सके, सरकार इस पर निरन्तर विचार कर रही है। चूंकि यह नीति विषयक है इसलिए इसके फैक्ट्स के बारे में मैं आज सदन को जानकारी दे पाने में समर्थ नहीं हूं इसी के साथ मैं पुनः सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए आग्रह करता हूं कि डाक्टर साहब आप यह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह भारत सरकार की जमीन है, वह क्या है, जरा बता दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

वह कानपुर का मामला नहीं है, मैंने मोदीनगर का बताया है।

डा0 मो0 अयूब-

मान्यवर, मुझे लगता है कि कुछ समझने में भ्रम हो गया है। बुनकर और बुनाई से रिलेटेड मजदूर को समझने में मुझे लगता है, भ्रम हो गया है। मैं आपकी ही मदद कर रहा हूं, आप सुन लें। जिस तरीके से खेती के लिए छोटे किसान हैं और उन किसानों के साथ मजदूर काम करता है, उसको खेतिहर मजदूर कहते हैं। उसी तरीके से बुनाई में जितने मजदूर काम करते हैं, उन सबके पास न तो हथकरघा है, न सबके पास पावरलूम है। उसमें एक बहुत बड़ी तादाद है जो सिर्फ मजदूरी करता है। मैं उन मजदूरों की बात कर रहा हूं जो असंगठित हैं। जितने मजदूर बुनाई में काम करते हैं, उसमें 75 परसेण्ट लोग कोई साहूकार के पास काम करते हैं, कोई दूसरे के यहां काम करते हैं। मान्यवर, मैं उन मजदूरों की बात कर रहा हूं जो 50 से 70 रुपये पाते हैं, वह बुनकर मजदूर हैं जो बुनाई का काम करते हैं। एक बात तो यह सरकार संज्ञान में ले ले कि बुनकर दो हिस्से में बंटा है, एक जो खुद मालिक है, जिस तरीके से छोटे किसान और एक वह जो हैण्डलूम या पावरलूम पर मजदूरी करने वाले बुनकर मजदूर हैं, मैं उनकी इसमें बात कर रहा हूं। दूसरा जो सेवायोजन में मैंने कहा।

श्री अध्यक्ष-

जो आपने कहा, मंत्री जी ने उसका उत्तर दे दिया। इतना सरकार से प्रश्न नहीं किया जाता। एक बार आपने जो बोल दिया, वह बात आपकी आ गई।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि सेवायोजन में मैंने व्यवस्था की है लेकिन समयाभाव के कारण मैंने उत्तर नहीं दिया। मान्यवर, अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजित करने के लिए तथा बैंक आदि से ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में अलग से किया जा रहा है, उसके लिए

मान्यवर, शिविर आयोजित किए गए हैं। बेरोजगार विकलांगजनों के लिए अलग से शिविर आयोजित किए गए हैं और श्रीमन्, ऐसा है कि उनके लिए कोचिंग की भी व्यवस्था है प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र की व्यवस्था की गयी है और अलग से अल्पसंख्यकों के लिए चूंकि अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा संचालित योजनायें हैं इसलिए मैंने इसका आज उल्लेख नहीं किया। लेकिन वह उसमें शामिल हैं। उनके लिए नियोजन का अलग से समुचित प्रबंध है। जो आप बात कहना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार दफ्तर में अलग से रजिस्टर रख दिया जाये इससे अल्पसंख्यकों का भला होने वाला नहीं है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उनके नियोजन के लिए अलग से यह सारे प्रबंध हैं। हम समयाभाव के कारण इसका उत्तर आपको नहीं बता सके।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 02 अरब, 44 करोड़, 27 लाख, 10 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 08 अरब, 45 करोड़, 63 लाख, 75 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[5.05] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदानों की मागों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) तथा अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 23,46,72,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,69,33,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। 31 मार्च,

2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,56,72,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

डा0 अरूण कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। माननीय अध्यक्ष जी, आज सुबह से हम चिकित्सा पर ही सुन रहे हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। उन्होंने भी अपनी पीड़ा कई जगह बतायी। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेडिकल शिक्षा का काम है हमारे प्रदेश में सफल एवं योग्य चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ का विकास कर दिया जाये ताकि वह हमारी जरूरतों पर खरे उतर सकें। लोगों को स्वस्थ रखें तथा बीमार होने पर जल्द और अच्छा इलाज कर सकें। मरीजों को जल्दी ठीक कर सकें। इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कई तरह के इलाज उपलब्ध हैं। सबसे पहला तो जो कार्पोरेट सेक्टर है जोकि काफी महंगे हैं। गरीब आदमी की पहुंच से दूर हैं। थर्ड पार्टी पेमेंट हो या इंश्योरेंश हो तब तो ठीक है वरना बहुत मुश्किल। दूसरा एम्स टाइप हास्पिटल हैं, जिनमें बहुत भीड़ होती है, सुपरस्पेशलिस्ट डाक्टर होते हैं, लेकिन वहां पर इलाज मुफ्त नही होता है और आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं वह अस्पताल भी। तीसरे हैं प्राइवेट बड़े हास्पिटल जोकि काफी मंहगे हैं, आम आदमी वहां भी नहीं पहुंच पाता, फिर आते हैं दरम्यानी मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट हास्पिटल जो भी काफी मंहगे हैं, आम आदमी जिसमें कुछ पहुंच पाते हैं, कुछ नहीं पहुंच पाते हैं। सबसे ज्यादा जहां आदमी पहुंचते हैं, जो हमारे सरकारी अस्पताल या जिन्हें कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल और वहां पर जो सहूलियतें हैं, पहले से बेहतर जरूर हैं, लेकिन अभी भी वह सहूलियतें ना-काफी हैं। हम चाहते हैं कि मेडिकल शिक्षा एक ऐसी हो ताकि हम ऐसे डाक्टर प्रोड्यूस कर सकें जो ज्यादा लोगों को कम पैसे में अच्छा इलाज उपलब्ध कर सकें। हम चाहते हैं 'गुड हेल्थ फॉर आल पीपुल रादरदेन एक्सीलेन्स फॉर फ्यू' जितने ज्यादा लोगों को हम जितनी ही अच्छी सेहत दे सकें उतना ही अच्छा है, क्योंकि यू0पी0 की हालत और जगहों की अपेक्षा सेहत के मामले में ज्यादा खराब है।

श्री अध्यक्ष-

अरे, चिकित्सा शिक्षा है, आप प्रशिक्षण पर बोल रहे हैं।

डा0 अरूण कुमार-

ठीक है मान्यवर, मैं चिकित्सा शिक्षा के बारे में यह कहूंगा कि हमको ऐसे डाक्टर्स प्रोड्यूस करना है, ऐसे स्पेशलिस्ट डाक्टर प्रड्यूस करना है, जो स्पेशलिस्ट ऑर मल्टी-स्पेशलिटी के हों, 'जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन' तो खाली एम0बी0बी0एस0 खाली ग्रेजुएट हो गया, हमको ऐसे डाक्टर चाहिए, 'दे ऑर गुड जैक ऑफ आल', तो हमें चाहिए स्पेशलिस्ट डाक्टर ऑफ मल्टीपिल स्पेशलिटी, जिस तरीके से मल्टीपिल वर्क एमपीडब्ल्यू होता है, मल्टी परपज वर्क होता है, उसी तरह से हमको मल्टीपिल स्पेशलिस्ट डाक्टर चाहिए, खाली एमबीबीएस के बाद, जिस तरह से एम0डी0 मेडिसिन में होता है, एम0डी0 पीडियाट्रिक्स में होता है, अलग-अलग सब्जेक्ट में होता है, उसी तरह से मैं चाहता

हूं कि एम0डी0 फैमिली मेडिसिन का कोर्स हमारे कालेजेज में शुरू किया जाय ताकि एमबीबीएस के बाद एक दफा जो प्रमुख सब्जेक्ट हैं जैसे कम्युनिटी मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स मेडिसिन और जो भी हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, जिनकी आम आदमी को ज्यादा जरूरत पड़ती है, उनका एक पूरा कोर्स बनाया जाय और लोगों को एम0डी0 फेमिली मेडिसिन का कोर्स मेडिकल कालेजों में शुरू किया जाय और इसके क्वालीफाई डाक्टर्स अगर हम अपने ब्लाक स्तर के अस्पतालों में पोस्ट करेंगें, जहां पर और चीजों के स्पेशलिस्ट एकदम उपलब्ध नहीं हैं, तो यह उनका भी काम करेंगे और मरीजों को बेहतर सेवा कम डाक्टर की उपस्थिति में दे पायेंगे। हमारे किसी भी कालेज में फैमिली मेडिसिन कोर्स नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे मेडिकल कालेजों में इसकी सीट शुरू की जाय। दूसरी चीज हमारे यहां स्पेशलिस्ट की बहुत ज्यादा कमी है, हमारे यहां हम जो कालेज खोलते हैं, उसमें भी फैकेल्टी की कमी है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं वह खुद देख रहे होंगे कि हमारे जो नए मेडिकल कालेज खुल रहे हैं उनमें फैकेल्टी का इन्तजाम किस तरह से हो रहा है, कितनी दिक्कत होती है। हम चाहते हैं, हमारे ग्रामवासियों को बेहतर सेवा मिल सके और कम्युनिटी हेल्थ सेण्टर पर ही मिल जाय तो ज्यादा अच्छा है। मैं इसके साथ ही यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां और ज्यादा मेडिकल कालेज खोलने की जरूरत है, हर मण्डल के अन्दर कम से कम दो सरकारी मेडिकल कालेज तो होने ही चाहिए तभी हम अपने यहां के लिए स्वास्थ्य के लिए डाक्टर्स और स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस कर पायेंगे। हमारे यहां डाक्टरों की काफी कमी है, हास्पिटल हैं बड़े-बड़े लेकिन हमको उन्हें मेडिकल कालेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्राइवेट कालेज भी खुले हुए हैं और यहां कई प्राइवेट कालेज हैं, लेकिन प्राइवेट कालेज में बच्चों का बहुत ज्यादा शोषण होता है, चाहे वह संतोष मेडिकल कालेज गाजियाबाद हो या सुभारती मेडिकल कालेज मेरठ का हो, इन सभी में बहुत ज्यादा लोगों को तंग किया जाता है और उनसे बड़ी रकमें वसूली जाती हैं और मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर भी कुछ लगाम होनी चाहिए कि किस तरह से एडमीशन कर रहे हैं, ताकि इस बात को देखा जाय कि उनके लिए भी कुछ तो रूल्स होने चाहिए कि तुम किस तरह से अपने यहां एडमीशन करोगे, चाहे डेण्टल कालेज हों प्राइवेट या प्राइवेट मेडिकल कालेज इनके लिए रूल्स बनाना जरूरी है और मैं आपको यह बता दूं श्रीमन् हमारे प्रदेशीय स्तर की सर्विसेज में पी0एम0एस0 सर्विसेज में इन प्राइवेट मेडिकल कालेज का पढ़ा हुआ लड़का नहीं आयेगा वह तो अपना अस्पताल या अपने पिता का नर्सिंगहोम सम्भालेगा। हमारे यहां जो अस्पताल में गरीब आदमियों की सेवा करने आयेगा वह इन सरकारी अस्पतालों का पढ़ा हुआ साधारण लड़का और मेहनतकस लड़का ही आकर सेवा करेगा और साथ में ही मैं यह भी कहूंगा कि आप जो नए मेडिकल कालेज खोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, काफी-काफी इन पर खर्चा कर रहे हैं वह भी बहुत अच्छी बात है लेकिन हम अपने पुरानों को नजर अन्दाज न करें। मालूम पड़ा पुराने अस्पताल का इन्फ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है। वहां पर बहुतों में अभी भी सी0टी0 स्कैन और एम0आर0आई0 मशीन नहीं है और आप नयों के लिये इंतजाम कर रहे हैं। ठीक है, आप नयों के लिये इंतजाम करिये लेकिन जो पुराने हैं, उनमें भी किसी तरह की कमी न आने पाये और उनकी भी फैकल्टी का पूरी तरह से ख्याल रखा जाये। तीसरी चीज यह है कि जहां तक डाक्टरों की कमी है तो मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से हमारे मैनेजमेण्ट और टेक्निकल कालेजों में डायरेक्ट सेलेक्शन होता है उसी तरीके से डाक्टरों के लिये कैम्पस सेलेक्शन किया जाये और मेडिकल एजूकेशन को डाक्टरों के ही ऊपर छोड़ा जाये, आई0ए0एस0 की दखलन्दाजी कम की जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूंगा कि हमें एक स्पेशलिस्ट

ऑफ मल्टीपल फैकल्टी, डिप्लोमा या एम0 डी0 इन मेडिसिन प्लानिंग का कोर्स शुरू करना चाहिये। धन्यवाद।

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, अनुदान संख्या-33-चिकित्सा शिक्षा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दिया जाये। कमी का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। इसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं, आभारी हूं तथा कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, वैसे तो प्रदेश में और देश में बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनमें से प्रमुख रूप से एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, इलेक्ट्रोपैथिक और नेचुरोपैथी जैसी चिकित्सा पद्धतियां बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धतियां हैं।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब, अगर आप सब पर कटौती रख देते और इन लोगों को बोलने को कहते तो ज्यादा बेहतर होता, जल्दी से हो जाता। वर्मा जी, बोलिये, आप बोलिये।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मान्यवर, आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रमुख रूप से उसके चार आयाम हैं। प्रथम चिकित्सा क्रिया कलाप जिसमें से....

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें अगयश जी का कोई दोष नहीं है। मान्यवर, ये जो तमाम विपक्षी दलों के नेतागण हैं। अपने सदस्यों के साथ छल करते हैं। मान्यवर, उनको ठीक से तैयार होने का मौका नहीं देते और अचानक खड़ा कर देते हैं कि इस पर नहीं, उस पर चलो अब। हाकी की फील्ड में प्रैक्टिस कराते हैं और वॉलीबॉल खेलने भेज देते हैं।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मान्यवर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। इसके प्रमुख रूप से चार आयाम होते हैं। प्रथम चिकित्सकीय क्रियाकलाप, द्वितीय औषधि निर्माण, तृतीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण और चतुर्थ भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश के क्रिया कलाप। मान्यवर, चिकित्सा क्रियाकलापों के अन्तर्गत हमारे उत्तर प्रदेश में 2354 चिकित्सालय हैं।

(इस समय 5 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुए।)

(सत्ता पक्ष के कई मा0 सदस्यों के बीच में टोकने पर)

किस पर बोलना है, आयुर्वेदिक पर ही तो बोलना है।

श्री अधिष्ठाता-

आप आयुर्वेदिक पर बोलिए।

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

मान्यवर, मैं तो आयुर्वेदिक पर ही बोल रहा हूं।

(सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों के बीच में बोलने पर)

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, ये जो संसदीय कार्य मंत्री जी इस समय बैठे हैं, इनसे कहिए कि नये सदस्यों का सम्मान करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अधिष्ठाता जी, डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं और मैं सिर्फ सम्मान नहीं करता, हमेशा मद्द करने की कोशिश करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

हम भी मदद कर रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं। मदद के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि अगयश जी आप उस रिपोर्ट को न पढ़े, जो आप सुझाव देना चाहते हैं, वह सुझाव बताएं।

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

हां, मैं वही सुझाव दे रहा हूं। मान्यवर, जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उन सभी चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, क्योंकि और सब चिकित्सा पद्धतियां जो भी हैं, जब रोग हो जाता है, तब उनका उपयोग किया जाता है, उन रोगों को समाप्त करने के लिए लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो रोग को उत्पन्न ही नहीं होने देती, यह ऐसी चिकित्सा व्यवस्था है। इस आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत 4 आयाम हैं पहला चिकित्सकीय क्रिया-कलाप जिसके अन्तर्गत 2354 आयुर्वेदिक चिकित्सालय, हमारे प्रदेश में हैं और जिनमें कि 10 हजार 597 शैय्याएं हैं, और इस प्रकार से हमारे प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था बहुत कम है। परिस्थितयों को देखते हुए क्योंकि इसका महत्व है, इस दृष्टिकोण से चिकित्सालय बहुत कम हैं और जो भी चिकित्सालय हैं, उन चिकित्सालयों में भवन नहीं हैं और भवन जो किराए पर लिये हुए हैं, उनका किराया न अदा होने के कारण सामान्यतया जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अस्पताल हैं, वह लगभग बंद होने की कगार पर हैं। औषधि निर्माण एक दूसरा इनका आयाम है जिसके अन्तर्गत राजकीय औषधि निर्माणशालाएं हैं, एक हमारे जनपद पीलीभीत में है और एक लखनऊ में है। इस प्रकार से हमारे यहां जनपद पीलीभीत में राजकीय औषधि निर्माणशाला भी है, उसको और भी अधिक विकसित करने की जरूरत है। वह औषधि निर्माण करने में आर्थिक सुविधाओं के अभाव में बहुत पीछे है, उसको अब और अधिक आर्थिक सहयोग देने की आवश्यकता है। मान्यवर, एक शिक्षा चिकित्सा एवं प्रशिक्षण केन्द्र भी हमारे जनपद पीलीभीत में, लखनऊ में, झांसी में, बरेली में, मुजफ्फरनगर, अर्तरा-बांदा में, हड़िया-इलाहाबाद और वाराणसी में 8 शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र हैं। यूनानी पद्धति के भी दो केन्द्र हैं एक इलाहाबाद में और एक लखनऊ में है। इस प्रकार से यह प्रशिक्षण का कार्य भी आयुर्वेदिक क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी गति देने की आवश्यकता है। मान्यवर, भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश, भी पंजीकरण करने का काम करता है। यह उत्तर प्रदेश अनुदान मेडिशन एक्ट 1939 के

अंतगर्त अपना कार्य करता है। इसी प्रकार से हमारे यहां जनपद पीलीभीत में, आयुर्वेदिक चिकित्सालय की ओर ध्यान आकृर्षित करूंगा कि वहां पर जितने भी आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, वह सभी किराये के भवनों में हैं और सभी बंद होने की कगार पर हैं। मैं एक यह भी व्यवस्था चाहूंगा कि जो आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी हमारे जनपद पीलीभीत में हैं, उनका अब तक कोई कार्यालय नहीं बना हुआ है, उनके कार्यालय भी बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके महत्व को देखते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सा को विकसित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं अपेक्षा ही नहीं विश्वास करता हूं जबसे यह सरकार बनी है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए सशंय की बात नहीं है, कार्य गतिशील है, इसलिए उम्मीद है कि यह चिकित्सा की जो पुरानी पद्धत्तियां हैं उनके विकास पर ध्यान देगी। हमारे पीलीभीत में जो दिक्कतें हैं वह दूर करेगी, जो किराये के भवन में चल रहे हैं, उनके अपने भवन हो जायेंगे और जो हमारे यहां आयुर्वेदिक अधिकारी के बैठने की दिक्कत हैं उनके लिए जिला मुख्यालय पर कार्यालय भवन उपलब्ध कराने का काम यह सरकार करगी। धन्यवाद।

*श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, मैं आपके अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर कर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देदश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर आज से 26 साल पहले की बात कह रहा हूं। सपा की सरकार चौथी बार बनी है। पर आप द्वारा मांगी गयी व्यवस्था आज तक लागू नहीं है वह जस की तस है। मान्यवर, आप हमसे उम्र पूंछ रहे हैं आप योग्यता पूछे, छोटी उम्र में ध्रुव और प्रहलाद ने भी नाम कमाया था आज होली प्रहलाद के नाम पर मनाई जाती है। मान्यवर, 26 साल पहले माता प्रसाद पाण्डेय जी अध्यक्ष विधान सभा ने प्रश्न पूंछा था जो 02 जुलाई, 1987 का है। वह इस प्रकार से है:-

''श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी का स्पष्टीकरण चाहता हूं, जिलों में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक तीनों प्रकार की व्यवस्थायें चल रही हैं। हर जिले में यह व्यवस्थायें हैं। होम्योपैथिक अस्पतालों का नियंत्रण सी0एम0ओ0 करता है। अगर डाक्टर नहीं है, कम्पाउण्डर वहां नहीं बैठता है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करनी है तो सी0एम0ओ0 अधिकृत नहीं है। डाइरेक्टरेट है, निदेशक होता है उनका, यह अधिकार उसे दिया गया है, ट्रान्सफर करना हो, कोई अन्य कार्यवाही करनी हो तो वह करेगा, नियंत्रण सी0एम0ओ0 का, कार्यवाही डाइरेक्टरेट करेगा। सारे डाक्टर, डाइरेक्टरेट में घूमते रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि क्या सी0एम0ओ0 को अधिकार देंगें तबादले का, कार्यवाही करने का।''

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फिर माता प्रसाद पाण्डेय जी ने ट्रान्सफर के बारे में पूंछा तो श्री लोकपति त्रिपाठी माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर दिया कि ''ट्रांसफर सी0एम0ओ0 का अधिकार है।''

श्री अम्बिका चौधरी-

अब व्यवस्था थोड़ी ठीक हो गयी है।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, यह आप ही का चिकित्सा शिक्षा विभाग का बजट साहित्य है। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में जिसकी आबादी लगभग 20 करोड़ है के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में मात्र 07 स्नातक राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं निजी क्षेत्र में 03 मेडिकल कालेज ही स्थापित हैं जबकि महाराष्ट्र जैसे छोटे प्रदेश में 46, मध्य प्रदेश में 21, गुजरात में 16, पश्चिम बंगाल में 13 इसी प्रकार अन्य प्रदेशों में इनकी संख्या बहुत अधिक है। हमारे यहां केवल संख्या 20 करोड़ और डाक्टर कितने निकलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में केवल 300 डाक्टर निकलते हैं, क्या करेंगे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि होम्योपैथिक आज ऐसी दवाई हैं कि एलोपैथिक के पास आज कोई जाना नहीं चाहता क्योकि एलोपैथिक के खाने से साइड इफेक्ट पड़ता है और जो व्यक्ति जाता है एलोपैथिक के डाक्टर अगर कोई बीमारी होती है तो दूसरी बीमारी का भी इलाज कर देते हैं बीमारी एक होती है दवाई से दूसरी बीमारी तैयार हो जाती है। यह मैं नहीं कह रहा हूं इसको आप सब जानते हैं। होम्योपैथिक एक ऐसी दवाई है मैं अपनी बात कहना चाहता हूं मैं कमर से एक साल बीमार रहा, मैं चल नहीं पाता था, चारपाई पर पड़ा रहता था मैं सोचता था हे प्रभु, मुझे मौत दे दो और जब एलोपैथिक डाक्टर के पास जाते थे तो कहते थे कि पैसा लाओ आपरेशन कराओ। इसके अलावा कुछ नहीं क्योंकि एलोपैथिक में माल है और होम्योपैथिक की 10 रुपये की दवा से मैं ठीक हो गया। मैं इसलिए होम्योपैथिक की बात करना चाहता हूं कि कम पैसे में दवाई और वह बड़ी-बड़ी दवाई से वह ठीक होता है इससे एक बीमारी नहीं, अस्थमा हो तो एलोपैथिक इंकार कर दे, गठिया हो तो एलोपैथिक इंकार कर दे, कैंसर हो तो एलोपैथिक इंकार कर दे बहुत बड़ी बीमारी तो एलोपैथिक इंकार कर दे होम्योपैथिक मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि होम्योपैथिक उसको ठीक कर देती है। और उसका बजट 256 करोड़ मान्यवर, 500 करोड़ उसका होना चाहिए और यह बजट इसलिए होना चाहिए कि आज एलोपैथिक से ज्यादा होम्योपैथिक की तरफ लोग जा रहे हैं। आज माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि वह लैपटाप कहे थे लैपटाप बांटे हैं। अभी कहा गया था हमारे डाक्टर साहब ने कहा था कि आज अपने घर पर बैठ करके पूरे प्रदेश की जानकारी कर लेंगे जब कोई नये नियम आते हैं, जब कोई नई व्यवस्था आती है और जब कोई नई व्यवस्था की अच्छाई होती है, नाम होता है तो उसको करना चाहिए। सस्ते काम को नहीं करना चाहते हैं चाहे डग्गामारी हो रही हो, चाहे चोरी हो रही हो, चले जाइये कानपुर के हैलेट में, उर्सला में, सतीश निगम जानते हैं जब खुब चिल्लाओं, खूब फोन से कहो तो एक आध एलपी की दवाई होती है नहीं तो पर्चे आज भी लिखे जाते हैं। होम्योपैथिक की दवाई में पर्चे नहीं, कम पैसे में डाक्टर होम्योपैथिक की दवाई आपके हाथ में रख देता है। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं जहां भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं उन सरकारी अस्पतालों में होम्योपैथिक का अलग से एक छोटा सा अस्पताल होना चाहिए और उसमें पूरी दवा होनी चाहिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन सरकार यह कर देगी एलोपैथिक की तरफ नहीं सीधे लोग होम्योपैथिक की तरफ जायेंगे जिसको लोग छोटा समझते हैं, जिसको लोग पीछे समझते हैं मैं आपको

बताना चाहता हूं यह होम्योपैथिक की उत्तर प्रदेश भर में कोई व्यवस्था नहीं है। होम्योपैथ की दवाई अगर उत्तर प्रदेश भर में जहां-जहां अस्पताल हैं पूछ लिया जाय तो डाक्टर की हालत क्या है वह कहता है कि मैं क्या करूं सरकार कुछ देती ही नहीं है, मैं क्या करूं शीशी हमारे पास है नहीं, सरकार पैसा ही नहीं देती है, मैं क्या करू मेरे पास जापानी या कोई-कोई दवाई का साधन नहीं है।

(इस समय 05 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठसीन हुए।)

और केवल उनके पास टिंचर होता है। किसी भी अस्पताल में आप चले जाइये, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से गुजारिश करता हूं कि यह जांच कर लें, हमें मालूम है कि यह सरकार जांच नहीं करेगी, अगर सरकार जांच करेगी तो केवल हाथी वालों की करेगी और उन हाथी वालों की, जिन्होंने हाथी बनाये और गन्ना खा नहीं पाये क्योंकि पत्थर का हाथी तो गन्ना नहीं खाता। अभी गन्ने के मूल्य का झगड़ा चल रहा था तो कहा गया कि पत्थर वाले हाथी गन्ना कहां खाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या बढ़िया लड़ाई है तुम मुझको कहो, हम तुमको कहें। कबड्डी, कबड्डी, कबड्डी, कबड्डी, कबड्डी खेलें। क्या ये सरकार है और क्या पूर्व की सरकार है। कितनी लुटेरी सरकार थी। हम पहले यह समझते थे, जब मैं इस मन्दिर में नहीं आ पाया था तो मुझे लगता था कि इस मंदिर में जो बोला जाता है वह सही होता है।

(श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या के खड़े होने पर)

पत्थर की मूर्ति बनाने वाले बगल के पड़ोसी को क्यों परेशान कर रहे हो। अरे भाजपा बनाती है तो पत्थर में राम बनाती है, पत्थर में दुर्गा बनाती है लेकिन हाथी बनाकर नहीं खड़ा करती है। माननीय अध्यक्ष जी आ गये।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, आपकी बात आ गयी, आपने कट मोशन रख दिया। अब समाप्त करें।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि इस सचिवालय में नीचे होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी है, वहां दिखवा लिया जाये, वहां शीशी नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, आप पहले अपने घर को सजा लीजिये, तब दूसरों की बात करिये।

श्री अध्यक्ष-

अब इनका लिखा नहीं जायेगा। अब ओझा जी बोल लें, तब बाजपेयी जी आप बोलियेगा।

*प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं चिकित्सा शिक्षा एलोपैथ, चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेद यूनानी, चिकित्सा शिक्षा होम्यापैथ के रखे गये बजट प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से एलोपैथिक शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुये हैं। मात्र 6 मेडिकल कालेज से शुरू करके हम करीब 15 मेडिकल कालेज खड़े किये हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी आज कई मेडिकल कालेज खड़े है। सुपर स्पेशियलिटी के हम और संस्थान खड़े कर रहे हैं, यह अच्छा लक्षण इस प्रदेश के भीतर चिकित्सा शिक्षा के विकास और उससे संबंधित लोगों के लिये है। मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं। अभी चिकित्सा स्वास्थ्य की चर्चा हो रही थी, जिसके अन्तर्गत सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टर्स की बड़ी कमी है, यह बात बताई गयी। मेरी जानकारी के अनुसार सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टर हमको 35 हजार चाहिये, मेडिकल कालेजेज को छोड़कर। अगर हम मेडिकल कालेजेज के सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टर्स की संख्या को जोड़ लें तो यह संख्या करीब 41 हजार हो जायेगी सिर्फ सी0एच0सी में पी0एच0सी0 में डिस्ट्रिक हास्पिटल्स में इनमें हमको 33 हजार चाहिए। मेडिकल कालेज में अलग चाहिए। संस्थानों में अलग चाहिए बड़े बड़े हास्पिटल्स हैं उनके लिए हमें अलग से सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए। स्पेशलिस्ट भी चाहिए और सुपर स्पेशलाइजेशन वाले भी चाहिए। सवाल है कि यह पूर्ति कैसे होगी। मैं कहना चाह रहा हूं मेरा सुझाव इस संदर्भ में है मेरी जानकारी के अन्तर्गत एम0सी0आई0 में हमको 400 सीटें पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एलाट की गई हैं 400 सीटें अगर हम भर लें तो बड़ी संख्या में आने वाले दिनों के भीतर हम इसका निदान कर सकते हैं। जो हमको आवश्यकता है उसका कुछ न कुछ हिस्सा हम सुपर स्पेशलाइजेशन की पूर्ति कर सकते हैं। उसमें मेरा एक और सुझाव है माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या है मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के 6 प्रान्तों के भीतर पंजाब है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, राजस्थान है, तमिलनाडु है जहां पर 40 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत जो प्रान्तीय चिकित्सा संवर्ग के लोग हैं उनको सुपर स्पेशलाइजेशन में वरीयता दी जाती है। कहीं पांच साल में दी जाती कहीं तीन साल में दी जाती कहीं दो साल में दी जाती है। इससे इनके संवर्ग को जो डिस्ट्रिक हास्पिटल में आने वाले हैं सी0एच0सी0 में आने वाले हैं पी0एच0सी0 में आने वाले हैं उनको बड़ी सुविधा होगी हमारा ख्याल है कि 10 साल में हम इस काम को कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं आपके बहुत सारे कालेजेज हैं जहां टीचर्स के अभाव में प्रोफेसर्स के अभाव में एसोसिएट प्रोफेसर के अभाव में रीडर्स के अभाव में एम0सी0आई0 आपको सीटें बढ़ाने की अनुमति नहीं दे रहा है। आपके पास उपकरण नहीं हैं पैसा आपने बड़ी भारी मात्रा में एलाट किया है मैं सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि वह इस विभाग के मंत्री भी हैं काफी बड़ी मात्रा में आपने पैसा एलाट किया उसका सदुपयोग क्यों नहीं हो रहा है क्यों सीटें बढ़ाने का आग्रह नहीं हो रहा है ? क्यों उपकरण नहीं लिए जा रहे हैं एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं हमने 28 फरवरी 2011 को इलाहाबाद मेडिकल कालेज के लिए 13 करोड़ रुपए स्वीकृत किए तत्कालीन समय में। मैं आरोप नहीं लगाता लेकिन कहते हुए कष्ट हो रहा है। इलाहाबाद मेडिकल कालेज से हम जुड़े हुए हैं हमारा प्रतापगढ़ इलाहाबाद के बगल में है। हम बराबर आते जाते रहते हैं हमारे क्षेत्र के मरीज भी जाते रहते हैं। जिस निमित्त पैसा दिया गया उस पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ वह पैसा कहां चला गया कौन खा गया पैसा मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि यह जो 13 करोड़ का बजट है जो फाल्स सीलिंग के लिए था, जो लैबोरेटरी ठीक करने के लिए था जो आडीटोरियम ठीक करने के लिए था जो इमरजेंसी ठीक करने के लिए था ओटीज ठीक करने के लिए था कि संक्रमण से बच जाएं वह सारे के सारे पैसे लिपाई पोताई करके बरबाद कर दिए गए एक साल के भीतर डेढ़ साल के भीतर मेरा आग्रह है कि इसकी जांच करा ली जाए जो भी दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय। इसके अलावा मैं आयुर्वेदिक शिक्षा के बारे में बात करना चाहता हूं। अभी कटौती का प्रस्ताव रखते हुए कहा गया कि हमारा देश आयुर्वेदिक शिक्षा से युक्त देश रहा है। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार है हमारी राष्ट्रीय सोच की सरकार है। आयुर्वेदिक तो हमारी अपनी शिक्षा है हमारी अपनी चिकित्सा है। जितने आयुर्वेदिक कालेज थे उनमें बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही है। हद तो तब है कि विगत सरकारों के अन्तर्गत लखनऊ जैसे आयुर्वेदिक कालेज के भीतर पोस्ट

ग्रेजुएट पढ़ाने वाले टीचर्स का घोर अभाव है। यही बनारस का हाल है यही हड़िया का हाल है, यही बांदा की हालत है यही अतर्रा की हालत है यही पीलीभीत की हालत है। सब जगह आप अपने नार्म से प्रोफेसर की भर्ती क्यों नहीं करते। उनकी उपयोगिता क्यों नहीं प्रयोग करते। आपको पोस्ट ग्रेजुएट कराने की वह मान्यता नहीं दे रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपके पास फैकल्टी नहीं है। फैकल्टी क्यों नहीं बनती। मान्यवर, इसके अलावा देहातों में जो आपके आयुर्वेदिक हास्पिटल चल रहे हैं करीब-करीब भवन विहीन हैं डाक्टर्स करीब-करीब नदारत हैं। दवाएं नहीं मिल रही हैं, इस बजट में आपने अच्छी व्यवस्था की है। दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त कीजिए।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पतालों के भवनों का निर्माण किया जाए, दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएं और इनके भी पोस्ट-ग्रेजुएट पैदा किये जाएं। एक सवाल पैदा किया था माननीय सदस्य ने मैं उससे सहमत हूं। बी0ए0एम0एम0एस0 की डिग्री देते हैं बैचलर ऑफ मार्डन मेडिसिन एण्ड सर्जरी। किन्ही कारणों से उस पर रोक लगा दी, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि मार्डन मेडिसिन एण्ड सर्जरी की डिग्री है, अगर यह डिग्री इनके पास है तो इनको मान्यता मिलनी चाहिए, सरकार इस पर ध्यान दे।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त करूंगा। मान्यवर, होम्योपैथी में हमने अच्छी प्रगति करने का प्रयत्न किया है जैसे कि यूनानी में किया है। लेकिन हम होम्योपैथिक पोस्ट ग्रेजुएट कालेज क्यों नहीं खोल पा रहे हैं। होम्योपैथिक पोस्ट ग्रेजुएट कालेज जब खुलेंगे तभी हम उनके पोस्ट ग्रेजुएट पैदा कर पायेंगे, तभी हम उस पर शोध कर पायेंगे। होम्योपैथिक जो सचमुच सस्ती पद्धति है और आम जनता को आसानी से सुलभ हो सकती है उसमें हमको और भी रिसर्च की व्यवस्था करनी चाहिए, यह मेरा सुझाव है, धन्यवाद।

*श्री नदीम जावेद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मेडिकल एजूकेशन सबजेक्ट पर रखे गये कट-मोशन के पक्ष में बोलने का समय दिया है। समय का बहुत ख्याल रखूंगा और तीन-चार महत्वपूर्ण बातों को आपके माध्यम से इस सदन से शेयर करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हेल्थ का जो प्रपोजल है प्रस्ताव है उसको भी पढ़ा और मेडिकल एजूकेशन के ताल्लुक से जो राज्य सरकार की सोच है वह भी मैंने पढ़ा और उसको देखने का मौका मिला। हमारे मित्रों ने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से कई महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। लेकिन जो मैं समझता हूं कि इसमें कुछ चीजें मिसिंग हैं और इसमें सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी है वह विजन की है। किसी भी सरकार के लिए या किसी भी नेतृत्व के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वह यह है कि उसका विजन क्या है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विजन का मतलब होता है कि नेतृत्व के पास वह सोच जो भविष्य की चुनौतियों को समझ सके और देख सके। आने वाला समय और आने वाले समय की चुनौतियां क्या हैं। मैं समझता हूं कि मेडिकल एजूकेशन पर और हेल्थ के इश्यू पर दो तरह की चुनौतियां हैं। एक तो हमारी शार्ट टर्म चुनौती है कि जो हमारा इक्जिस्टिंग सिस्टम है उस सिस्टम को रिफार्म कैसे किया जाए, उस सिस्टम को बेहतर कैसे किया जाए। और दूसरा हमारा तरीका होना चाहिए कि हमारा भविष्य कैसे ज्यादा बेहतर हो सकता है। एक एक्जाम्पिल देना चाहता हूं दो महीने पहले एक स्टूडेंट मीट थी, एक बहुत बड़ी छात्रों की संसद थीं एम0आई0टी0, पुणे में। उमर अब्दुल्ला साहब भी आये थे, मेधा पाटेकर जी भी आई थीं।

श्री अध्यक्ष-

मैं भी गया था।

श्री नदीम जावेद-

राज्य के मुख्य मंत्री जी को भी आना था लेकिन वह आखिरी समय में नहीं आ पाये थे। जिन लोगों ने इनवाइट किया था राहुल करार ने, वह मेडिकल कालेज भी चलाते हैं तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि आपने इतना बड़ा इंस्टीट्यूटशन्स बनाया कैसे। उन्होंने कहा कि हमारे पिता जी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया में जिस तरीके से पी0पी0पी0 मॉडल पर मेडिकल कालेज चलाये जाते हैं क्योंकि डाक्टरों की बहुत ज्यादा जरूरत है और जिसका इशारा माननीय मंत्री जी भी बार-बार कर रहे थे। महाराष्ट्र में भी यही प्राब्लम थी तो पी0पी0पी0 मॉडल पर नये मेडिकल कालेज आने चाहिए। तो लेट वसंत दादा पाटिल उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उस आर्टिकल को पढ़ा और उनको बुलाया, उसके बाद महाराष्ट्र में प्राईवेट मेडिकल कालेजेज आये जिसके कारण डॉक्टर्स बहुत बड़ी संख्या में पैदा हो गये। मैं जो बात मूलतः कहना चाहता हूं कि जब प्रस्ताव माननीय मंत्री जी रख रहे थे तो एक बात की तरफ वह बार-बार इशारा कर रहे थे और यह कह रहे थे कि डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है, 5500 डॉक्टर्स की हमें जरूरत है। रूरल इंडिया में और खास तौर से ग्रामीण उत्तर प्रदेश में और खास करके गांव में कोई डाक्टर काम करने को तैयार नहीं है। ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है, गांव से सेमी अरबन, सेमी अरबन से अरबन, अरबन से मेट्रो की तरफ जा रहा है। चैलेंज यह है कि हमारे डॉक्टर्स को कैसे ग्रामीण भारत में रोकना। एक महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं, भारत सरकार ने 44 नर्सिंग कालेजेज की मान्यता उत्तर प्रदेश को पिछले एक साल से दे रखी है। गुलाम नबी आजाद साहब मुख्यमंत्री जी से मिल करके जा चुके हैं केवल एक बात कि भारत सरकार के साथ राज्य सरकर का एम0ओ0यू0 साइन होना चाहिए, एक साल से कोशिश हो रही है लेकिन भारत सरकार के साथ एम0ओ0यू0 साइन नहीं हो पाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह जो चुनौती की बात हुई यह केवल उत्तर प्रदेश की चुनौती नहीं है, देश की भी चुनौती है कि ग्रामीण भारत से डाक्टरों का पलायन हो रहा है। पलायन रोकने के लिए भारत सरकार ने एक योजना बनायी है। बी0यू0एम0एस0 जिसकी आप चर्चा कर रहे थे या बी0ए0एम0एस0 और उसके बाद जो एम0बी0बी0एस0 के बीच में बेसिक हेल्थ के लिए एक कोर्स शुरू कर रहे हैं उसके लिए भारत सरकार ने तैयारी कर ली, हेल्थ मिनिस्ट्री ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया को एक प्रोजेक्ट दिखाया, एक प्रंजेन्टेशन दिखायी। उसको उन्होंने एप्रूव किया। वह प्लानिंग कमीशन में गया, प्लानिंग कमीशन ने कहा कि हां भारत सरकार ने इस बार इस पर पैसा

एलाट किया है और कोशिश यह है कि जहां पर मेडिकल कालेज नहीं है या जहां पर मेडिकल कालेज का इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पर इस तरह के कालेज बनाये जांए। उसके लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल सबने प्रपोजल डाल दिया है भारत सरकार में। एक उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसका अभी तक उस सब्जेक्ट पर कोई काम नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई प्रपोजल भारत सरकार में नहीं पहुंच पाया है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये चुनौतियां हैं, आपको इन चुनौतियों को समझते हुए फेस करना पड़ेगा केवल यह कि इस बार हमने 10 लाख पेशेन्ट हमारे पास हैं, अगले साल 12 लाख लोगों का इलाज कर दिया, कम से कम मुझे लगता है कि बात बनती हुई दिखायी नहीं देती है। एक बात आपने और कई साथियों ने कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए कही थी, वह यह कही थी कि जो होम्योपैथ और आयुर्वेद है उस पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, यूरोप के देश में होम्यापैथ तो बेसिकली जर्मनी से आया ही है लेकिन वहां पर फिर नये सिरे से काम हो रहा है लेकिन हमारे प्रदेश के अन्दर जो रिसर्च वर्क होना चाहिए, जो उस पर इन्टेलेक्चुयल वर्क होना चाहिए जो उस पर गहराई के साथ चिंतन होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि केवल बड़े इंस्टीट्यूशन बनाकर ही बात नहीं बनेगी जब तक कि आप रिसर्च वर्क नहीं करेंगे और उसकी डेप्थ में नहीं जायेंगे, बात बनने वाली नहीं है। अध्यक्ष जी, एक अंतिम बात कह कर समाप्त करता हूं और वह यह है कि, के0जी0एम0सी0 में, प्रदीप माथुर जी चले गये उन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी दी है कि इसे जरूर मा0 अध्यक्ष जी के सामने रख दीजिएगा कि के0जी0एम0सी0 में जो प्रमोशन का मापदण्ड है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और इसको मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है, इसको मा0 अम्बिका चौधरी जी ने भी स्वीकार किया है, उसकी डिटेल मैं बाद में लाकर आपको दे दूंगा। उसमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति का प्रमोशन होता है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, सिस्टम क्या है और किस आधार पर वह बढ़ाया जा रहा है और किस आधार पर उसको जिम्मेदारी दी जा रही है ? मैं एक बार फिर दिल की गहराईयों से आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझको यहां पर इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बोलने का मौका दिया। नौजवान साथी भी पीछे बैठे हुए हैं वह भी वजीर बने हैं और दिल्ली यूनिसर्विटी के स्टूडेण्ट रहे हैं। मैं खासतौर से उनसे यह उम्मीद करता हूं माननीय मंत्री जी के साथ-साथ कि वह इस दिशा में जरूर काम करेंगे। मैंने पिछली बार भी बोलते हुए कहा था कि यह जो सरकार बनी है वह केवल लैपटॉप बांटने की सरकार नहीं है। इस सरकार को उत्तर प्रदेश को बदलने की चुनौती है और उस चुनौती को स्वीकार करने की जिम्मेदारी आपको जरूर होनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हुए फैज-अहमद-फैज का एक बड़ी नज्म है और मुझे बहुत पसन्द है उस नज्म के साथ बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी बड़े कीमती शेर सुनाते हैं इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत उनको फॉलो कर सकूं कि-

''ये दाग दाग उजाला ये शबनुजीदा सहर,
वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं,
ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे
यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं,
चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई।''

*डा0 संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश की जनता आप पर विश्वास करके बहुत बड़ा समय इस देश की कांग्रेस पार्टी को दिया था कि इस देश की कांग्रेस पार्टी इस देश को नया विजन देगी, कोई इस तरह से प्रयास करेगी। लेकिन नदीम साहब बड़ा दुःख होता है कि आप जैसे नौजवान यह प्रश्न खड़ा करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के सामने। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपका राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश से ही चुन करके जाता है लेकिन आज उस राष्ट्रीय नेतृत्व के रहते उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा हुई है इससे आप अपने आपको बचा नहीं सकते।

यह उत्तर प्रदेश जहां आपकी सरकार ने माननीय अध्यक्ष जी हमें अफसोस होता है जब कभी-कभी आपके राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश से कहते हैं कि हमारे रायबरेली को बिजली नहीं, हमारे अमेठी को बिजली नहीं। आखिर इंतजाम देश की आजादी के बाद अगर इस हिन्दुस्तान को सजाने और संवारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी को दिया था तो इस देश की कांग्रेस पार्टी को दिया था लेकिन इस देश की कांग्रेस पार्टी ने गांव को, गरीब को गंवार बना करके किसान को, मजदूर को, अपाहिज बना करके, यह धन्य है उत्तर प्रदेश की महान जनता जो माननीय मुलायम सिंह जी का जैसा नेतृत्व पैदा करके इस देश के अन्दर एक नई सोच देने का काम किया है।

श्री नदीम जावेद-

अध्यक्ष जी, मैं एक शेर सुना दूं। मैं बेसिकली सब्जेक्ट पर बोल रहा था और मैं समझता हूं कि सरकार की आलोचना करना मकसद भी नहीं था। सर, फ़ैज़ का एक शेर सुन लीजिये। माननीय सदस्य हमारे मित्र हैं और भाई हैं। फैज़ का एक और शेर सुन लीजिये। भाई साहब एक शेर सुनिये अपने लिये।

वह बात जिसका फसाने में जिक्र न था,

वह बात जिसका फसाने में जिक्र न था,

वह बात उनको बहुत नागंवार गुजरी है।

श्री अध्यक्ष-

विषय पर बोलकर खत्म करिये जल्दी। जाना है सबको, बहुतों की गाड़ी छूट जायेगी।

डा0 संग्राम यादव-

जहां इस देश के अंदर..

मनोरंजन कर मंत्री (श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय)-

माननीय अध्यक्ष जी, नदीम भाई ने एक शेर सुनाया है, सिर्फ एक मिनट। देखिये कॉग्रेस पार्टी ने जो देश की दुर्दशा की है, वह किसी से छिपी नहीं है। सिर्फ दो लाइन-

करेंगें किसी की क्या वह रहनुमाई

लुटा के जो खुद कारवां आ गये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 संग्राम यादव-

अध्यक्ष जी, यह सही है हमारे माननीय मंत्री जी ने जो चिकित्सा शिक्षा पर, होम्योपैथी पर बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसको बल प्रदान करते हुए उसकी सराहना करता हूं। जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनके समय में भी उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल कालेज बनाने का काम हुआ था। सुपर स्पेशलिटीज हास्पिटल जो सैफई के अन्दर बना, आजमगढ़ के अंदर जो सुपर स्पेशलिटीज हास्पिटल बना, कन्नौज के अंदर बना, जालौन के अंदर बना। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का एक विजन है, वह उत्तर प्रदेश को बदलना चाहते हैं, केवल वाणी से नहीं। लैपटाप देखने में किसी को कुछ लगता हो लेकिन उसके पीछे जो सोच थी मैंने 11 तारीख को अवसर देखा था इसी लखनऊ की सरजमीं पर बड़ी तादात में किसानों के बेटे आये थे, मजदूरों के बेटे आये थे। यहां तक कि हजरतगंज की एक दुकान में एक सैलून में काम करने वाला मुसलमान नौजवान का बेटा भी आया था। मैं उसका नाम भी दे सकता हूं रियासत नाम का मुसलमान जब वह अपने घर लैपटाप लेकर गया तो लगता था कि वह अपने सपनों की दिशा मे आगे बढ़ने का काम कर रहा है। आपने कौन सा देश को विजन दिया है। आपने कौन सा ऐसा देश के अंदर काम किया। देश की आजादी के बाद इस देश के अंदर देश के लोगों को अगर सबसे ज्यादा धोखा देने का काम किया तो इस देश की कांग्रेस पार्टी थी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इसी भावनाओं के साथ कि जो हमारे माननीय मंत्री जी ने बजट दिया है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो आज इतनी ईमानदारी के साथ बजट प्रस्तुत किया है और उसमें आजमगढ़ को विशेष महत्व देने का काम किया है, उसके लिये मैं उनका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देते हुए इस बजट की सराहना करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेई जी कभी नहीं आते, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जरा उनकी बात सुनो। वह मंत्री भी रहे हैं आयुर्वेद के, इस विभाग के।

*डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव पर बल देने का अवसर आपने मुझे प्रदान किया। मैं केवल एक बिन्दु पर इस सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और ध्यानाकर्षण भी उस बिन्दु पर करना चाहता हूं जिससे यह सरकार सैद्धान्तिक भी सहमत है और विचारधारा से भी सहमत है। केवल उस काम को कर नहीं पा रही। उत्तर प्रदेश में यूनानी के, आयुर्वेद के और होम्योपैथिक के वे ग्रेज्युएटस जो आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक कालेज से निकलते हैं उनको मिश्रित चिकित्सा प्रणाली में चिकित्सा करने का अधिकार है। वह आवश्यकता पड़ने पर एलोपैथिक औषधियों का और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिये भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1939 के अधीन अधिकृत हैं। मान्यवर, इस संबंध में दो बातें कहना चाहता हूं मेरे सामने ओझा जी बैठे हैं यह चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे सरकार में, तो ओझा जी ने सरकार की तरफ से आश्वासन दिया था कि सरकार इस पर सहमत है, मैं विलम्ब के कारणों से इसको पढ़ नहीं रहा हूं समय लगेगा, सरकार उससे सहमत है और सरकार इस अधिकार का प्रयोग करने जा रही है। उसके बाद वह कानून नहीं बन पाया, उस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासनादेश का नवीनीकरण नहीं हो पाया, बाद में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई और रामवीर उपाध्याय जी उसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे, उस समय भी यह प्रश्न आया सदन में, सरकार ने उस समय भी आश्वासन दिया विषय केवल इतना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1939, और उसके अधीन पंजीयन पैरा-1, 2 और 3 में जो पंजीकृत चिकित्सक हैं। उनको यू0पी0 मेडिसिन ऐक्ट की धारा-1939(1) व 41(2) के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्सा करने का अधिकार उनको प्राप्त है। इस अधिकार के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा परिषद् ने एक शासनादेश जारी करके, एक जी0ओ0 जारी करके, उनको चिकित्सा का अधिकार दे रखा है। मान्यवर, उसके बाद केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम बना, उसमें भी यह अधिकार हमको है और केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम ने अपने दिनांक 19-05-2004 के आदेश में स्पष्ट कहा है कि-द इंस्टीट्यूशनरी क्वालीफाइड प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेद यूनानी आर एलिजिवल टू प्रेक्टिस रेस्पेक्टिव सिस्टम विथ मार्डन साइंटिफिक मेडिसन इन्क्लूडिंग सर्जरी गायनोकालाजी ऑफ एनेस्थालॉजी, ई0एन0टी0 एक्सेट्रा। सरकार यह मानकर चल रही है कि जो बात अभी नदीम साहब ने और अभी हमारे पूर्व वक्ता भदौरिया साहब ने भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलोपैथिक का चिकित्सक,जो मेडिकल कालेजों से पास करके निकल रहा है वह जा नहीं रहा है। यह चिन्ता का विषय है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए महरूम करना भी, किसी सरकार का उद्देश्य नहीं हो सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक और यूनानी के चिकित्सक गांव में जाकर काम कर रहे हैं तो इनको जो अधिकार मिला हुआ है 1939 के ऐक्ट में, शासनादेश जारी करके, उस अधिकार को, एक हाईकोर्ट का आर्डर हुआ, और एक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हुआ, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वर्तमान कानून में यदि संबंधित राज्य अपने ऐक्ट में संशोधन करके यह अधिकार देना चाहे तो दे सकते हैं इस गजट आर्डर से यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है। यहां यह प्रश्न लम्बित है मान्यवर, सरकार का आश्वासन है और प्रश्न केवल इतना है कि क्या इसके लिए ऐक्ट में केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम जो 1939 है उसमें संशोधन करके इस बात को जोड़ा जाए और इसकी धारा-4 में एक संशोधन प्रस्तावित है। मैं अपनी बात को बल देने के लिए कहना चाहता हूं प्लानिंग कमीशन की चर्चा अभी नदीम भाई ने की थी, यह 12वें प्लानिंग कमीशन ने अपने 20.161 के बिन्दु में स्पष्ट किया है कि इण्डियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के चिकित्सकों को मार्डन साइंटिफिक मेडिसिन के प्रयोग का विधिक अधिकार दिया जाए तथा उसका लाभ प्रदेश की गरीब जनता को मिले। इस रिपोर्ट में यह भी दुःख व्यक्त किया कि आजादी के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, नागपुर सम्मेलन में इन्ट्रीग्रेटेड मेडिसिन का जो सपना देखा था जिसे हमारे आई0एस0एम0 चिकित्सक आधुनिक विधा का प्रयोग करते हुए देश को नया आयाम देंगे अभी तक लागू नहीं हुआ है। मान्यवर, इस संबंध में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जो लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष हैं मा0 सुषमा स्वराज जी ने 2004 में सदन में कहा था और आश्वासन के बाद सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उन्होंने आग्रह किया था कि आप आपका जो यू0पी0 इण्डियन मेडिसिन सिस्टम का राज्य का ऐक्ट है उसमें संशोधन करके, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों को यह अधिकार प्रदान करें। प्लानिंग कमीशन कह रहा है लीडर सेल कह रहा है भारत सरकार कह रही है उत्तर प्रदेश सरकार भी इससे सहमत है कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1939 की धारा-4 में संशोधन करके या कुछ जोड़कर, इन चिकित्सकों को जो अधिकार सरकार दे सकती है वह अधिकार सरकार नहीं दे रही हैं। सरकार के भारतीय चिकित्सा परिषद् के एक आदेश के द्वारा यह अधिकार उनको प्राप्त है और वह गांव-गांव

दूरस्थ इलाकों में वह चिकित्सा का काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद, मैं एक विसंगति की ओर आपका ध्यान और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक लाइन और बोलूंगा- चिकित्सा स्वास्थ्य सचिव ने एक आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट आर्डर पर, फाइल है चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने हाईकोर्ट आर्डर के संदर्भ में अपनी फाइल से सीधा आदेश जारी कर दिया और सी0एम0ओ0 को कार्यवाई के लिए अधिकृत कर दिया। मैं केवल सदन में आज इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा आपके माध्यम से सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं, सरकार सहमत है तब फिर भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1939 की धारा-4 में जोड़कर इस एलोपैथिक चिकित्सा के अधिकार को आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों को देने का काम यह सरकार करे, यह तो मेरा सरकार से आग्रह है, तब तक जब तक इस काम को सरकार करती है, अच्छा हो कि वह जो शासनादेश/गजट आर्डर जारी है, उसका नवीनीकरण कर दे और सी0एम0ओ0 को तब तक कार्यवाई करने से रोके, चिकित्सकों का उत्पीड़न रोके क्योंकि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी जाती है। समाज में 100, 200, 500 रोगियों को रोज देखने वाला प्रामाणिक चिकित्सक जब एक सी0एम0ओ0 पुलिस लेकर उसके दरवाजे से गिरफ्तार करके थाने पर ले आता है तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी जाती है और सरकार की प्रतिष्ठा भी जाती है कि उसके शासनादेश से वह चिकित्सा का काम कर रहा है और वह बाधित हो रहा है। मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सरकार को उस पर विचार करना चाहिए, यह सरकार का आश्वासन है, सदन का आश्वासन है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1939 में केन्द्रीय अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए संशोधन करके इसके चिकित्सा के अधिकार को दे दे। साथ ही साथ चिकित्सा के अधिकार को देने के साथ तब तक सी0एम0ओज0 को जो कार्यवाही करने का जो आदेश चिकित्सा शिक्षा सचिव, संजय अग्रवाल जी के द्वारा जारी है, उस आदेश को तब तक के लिए स्थगित कर दें। एक लाइन और कहना चाहता हूं, मान्यवर, केवल इसकी प्रामाणिकता के बारे में कि सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा जो चल रही है, इस सरकार के कार्यकाल में उसमें सब आयुर्वेदिक चिकित्सक कम्युनिटी हेल्थ सर्विस में एप्वाइंट हो रहे हैं, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सक एप्वाइंट हो रहे हैं और वहां वह एलोपैथी चिकित्सा कर रहे हैं। गांव में सीएचसी पर बैठकर मरीजों की चिकित्सा कर रहे हैं, प्राइवेट प्रेक्टिस में उनको चिकित्सा का अधिकार नहीं है, इस विसंगति को दूर करने के लिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं और मेरा आग्रह है कि इन नौजवान आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों के साथ सरकार न्याय करे, दिए गए आश्वासन का पालन करे और देश तथा प्रदेश की जनता की आवश्यकता के अनुरूप सरकार इस पर निर्णय ले, ऐसा आग्रह करते हुए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री राधेश्याम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस अत्यन्त महत्वपूर्ण चिकित्सा शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया, हम आपको बधाई देना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, हम उसका समर्थन करते हैं। हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि पूर्वांचल का एक मात्र मेडिकल कालेज, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज है। पहली बार जब 2003-04 में सरकार बनी तो जापानी बुखार, मस्तिष्क ज्वर की बीमारी से जो लोग पीड़ित होते थे, उनके इलाज के इन्तजाम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 73 लाख रुपया दिया, 2005 में मस्तिष्क ज्वर के वार्ड के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपया दिया और जो पूर्वांचल के गरीब लोग, बिहार से लेकर नेपाल की सीमा तक के लोग जो गोरखपुर मेडिकल कालेज में इलाज कराने आते थे, अगर उनका बच्चा विकलांग हो जाता था तो उसको 25 हजार रुपया समाजवादी पार्टी की सरकार में 2003 से 2007 तक मिलता था, जिसकी मृत्यु हो जाती थी, उसको 50 हजार रुपया मिलता था। 2007 के बाद इस योजना को बन्द कर दिया गया। हम बधाई देना चाहते हैं, प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को जो सरकार बनने के बाद पूर्वांचल के उन गरीब किसानों को जो मस्तिष्क ज्वार से मरने के बाद 1 लाख रुपया और विकलांग होने पर 50 हजार रुपया देने की घोषणा की है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से 2-3 सुझाव देना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी को कि गोरखपुर मेडिकल कालेज में इस समय वर्तमान में जो हृदय रोग के डाक्टर थे, डा0 मुकुल मिश्रा जी, उनका ट्रान्सफर हो गया है और वह लखनऊ चले आए हैं, कोई डाक्टर नहीं है। हृदय रोग का इंतजाम मेडिकल कालेज में नहीं है। गुर्दे के उपचार हेतु डायलिसिस का नवीनीकरण कराया जाये। केंसर के उपचार हेतु मशीन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कालेज में है लेकिन गोरखपुर मेडिकल कालेज में नहीं है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि गोरखपुर मेडिकल कालेज में भी कैंसर उपचार के मशीन की व्यवस्था करायी जाये। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं। नर्सेज स्कूल का भवन बनकर तैयार है। जहां नर्सों की ट्रेनिंग होती है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी की गोरखपुर से भी उसकी मान्यता मिल गयी है। आपसे आग्रह करेंगे कि सरकार उस यूनिवर्सिटी को चलाये वहां सफाई कर्मियों का इंतजाम करे, सुरक्षा का इंतजाम करे और मात्र पूर्वांचल में जो एक मेडिकल कालेज गोरखपुर है उसका जीर्णोद्धार करें। जो माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

*श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चिकित्सा शिक्षा के बजट पर कटौती पर बल देने के लिए बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आज स्वास्थ्य का भी बजट था, चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण का भी बजट था। सुबह जैसे ही बजट शुरू हुआ तो माननीय मंत्री जी ने और सारे सदन ने चिंता जाहिर की कि हमारे यहां डाक्टरों की कमी है और जो हमारा चिकित्सा प्रशिक्षण विभाग है इसी से हमारे डाक्टर बनते हैं। आदरणीय डाक्टर साहब ने भी सुबह सुझाव दिया कि जो हमारे मेडिकल कालेज में डाक्टर प्रशिक्षण ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं उनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट हो कि उनको हमारे यहां कुछ दिन सेवाएं करनी पड़े। मान्यवर, कुछ दिन पहले मैं कहीं पढ़ रहा था तो मेरी जानकारी में आया कि राजस्थान में जो एम0बी0बी0एस0 करने वाले छात्र हैं उनके साथ शायद यह कम्पलसरी कर दिया गया है कि कम से कम आपको दो साल ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवायें देनी हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि इसको दिखवा लिया जाये और यदि ऐसा संभव है तो उसको लागू करने की बात यहां करायी जाये। चिकित्सा शिक्षा ऐसा महकमा है कि हर तबके को इसकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। खासतौर से जो गांव के रहने वाले गरीब लोग हैं उनको इसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। एक बार पहले यह विषय यहां उठा था कि जब हमारे पास कोई गरीब

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आता है कहीं से उसको किसी डाक्टर ने ट्रांसफर किया कि आपका पी0जी0आई0 में इलाज होगा। तो हम लोग पत्र लिखते हैं तो उसका संज्ञान नहीं लिया जाता। अभी मैं आपको एक वाकया बताना चाहूंगा कि केजी0एम0सी0 में हमारे क्षेत्र का एक बहुत ही गरीब आदमी उसका नाम बहाउद्दीन है उसकी छोटी सी बेटी यहां एडमिट थी मेरा पत्र वह लेकर गया उसको कोई सहयोग नहीं मिला। मैं लखनऊ में था मैंने उससे बात की मैं स्वयं वहां गया। क्योंकि मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं संज्ञान ले लेंगे। वहां एक डाक्टर साहब शायद उनका नाम डाक्टर बागलू था मैं उनसे मिला भी। उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया और जब मैं वहां से चला आया। तो मरीज से उन्होंने कहा कि तुम्हारी सिफारिश विधायक जी ने की है मैं तुम्हारा इलाज फ्री में करना चाहता हूं। एक विपन्नता का फार्म भर दें। उसने कहा कि साहब चाहे विपन्नता का भरवाइये या हमसे पैसा लेकर करिये लेकिन मेरी बेटी का आपरेशन हो जाये एक दो दिन में और मान्यवर, डाक्टर को लोग भगवान समझते हैं उन्होंने फार्म भरवाने के चक्कर में दस-बारह दिन लगा दिये और उसकी बेटी का देहान्त हो गया। मैं आपसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जब हम लोग कहीं सिफारिश करते हैं तो उसमें कहीं मेरा स्वार्थ नहीं रहता है। हम लोग पत्र लिखते हैं जिससे कि उसको मदद मिल जाये। वैसे कोई बीमार व्यक्ति किसी डाक्टर के पास पहुंचता है तो उसको स्वयं देखना चाहिए उसमें हम लोगों की सिफारिश की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग सिफारिश करते हैं तो कम से कम एक यहां से निर्देश चला जाये कि उस पर ध्यान दिया जाये। जिससे कि ऐसी घटनायें न हो सकें। चूंकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं। मान्यवर, हमारे जनपद में एक पुराना अस्पताल है और जिला अस्पताल अब शहर के बाहर बन गया है। तो जो पुराना अस्पताल है उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है और ऐसा ही एक मेरे क्षेत्र में भी है वहां भी एक नया अस्पताल बन गया है। हमारे क्षेत्र में जो जलालाबाद नगर में अस्पताल है वहां तो लोगों ने कब्जा करके दुकाने आदि बनानी शुरू कर दी हैं और जो शाहजहांपुर में अस्पताल है वह अच्छा भवन है। बड़ा अच्छा भवन है और ऐसा ही एक मेरे क्षेत्र में भी है, वहां भी नया अस्पताल बन गया है, हमारे क्षेत्र में जो जलालाबाद नगर में अस्पताल है वहां तो लोगों ने कब्जा कर के दुकाने वगैरह बना लीं और जो शाहजहांपुर में अस्पताल है, वह अच्छा भवन है मैंने एक बार पहले भी यहां पर प्रश्न लगाया था कि अगर उसको सिटी अस्पताल का दर्जा दे दिया जाय तो जो शहर के लोग हैं उनको चिकित्सा का लाभ भी मिलेगा। मान्यवर, अन्त में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यहां पर हमारे राज्यमंत्री जी बैठे हैं, इन्होंनें अभी यहां सदन में चर्चा की थी, कुपोषण के बारे में।

श्री अध्यक्ष-

अब कुपोषण इसमें कहां से आ गया ?

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

कुपोषण की शिकायत को लेकर आपने कहा था सदन में हंगामा हुआ था और आपने कोई टीम बनाकर उसकी जांच कराई है, जैसे अभी सरकार की तरफ से फसली बीमा के लिए हम लोगों को सूचनाएं दी गईं कि ऐसे-ऐसे बीमा होता है तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो टीमें गईं थीं, कहां-कहां गई थीं, हम लोगों को भी उसकी जानकारी मिल जाय, जिससे कि हम लोग भी अपने क्षेत्र में बता सकें। मान्यवर, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मै आपका आभारी हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्रीमती रूबी प्रसाद-

धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चिकित्सा शिक्षा के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने जनपद सोनभद्र के दुद्धी विधान सभा के दुद्धी के तीनों विकास खण्ड जिसमें न्योरपुर ब्लाक हमारी विधान सभा में रेडजोन घोषित हुआ है, वहां पर प्रत्येक साल हमारे दुद्धी विधान सभा के तीनों ब्लाक बभनी, न्योरपुर और दुद्धी, जिसमें न्योरपुर में सर्वाधिक मौत मलेरिया, पीएफ और टीबी से होता है, लेकिन सरकारी रजिस्टर में इसका कोई लेखा-जोखा नहीं होता है और हमेशा स्वास्थ्य विभाग सरकार को गुमराह करने की कोशिश करता है और उसे अज्ञात बीमारी शो करती है, जबकि मलेरिया बाहुल्य क्षेत्र है, रेडजोन घोषित है न्योरपुर ब्लाक, पी0एफ0आर0 पी0 फाल्सीफेरप नामक मच्छर के काटने से यह बीमारी होती है, दिमागी मलेरिया, इस पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करनाा चाहिए। वहां पर फिण्डोना का छिड़कांव होता था, लेकिन उसका कोई असर मच्छर पर नहीं होता और तीनों ब्लाक में प्रत्येक वर्ष 400-500 मौत होती हैं और साथ ही साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराना चाहती हूं कि प्रत्येक सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 पर कम से कम जो एम0एम0आर0 का टीकाकरण होता है, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 पर इसकी व्यवस्था की जाय ताकि निजिनरूबेला वायरस से मरने वालों की संख्या कम हो सके। इसके साथ ही साथ लाइफ सेविंग ड्रग्स की प्रत्येक सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 पर व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष-

अरे, वह बजट खत्म हो गया है, चिकित्सा शिक्षा चल रहा है। अब आप बैठिये। मा0 डाक्टर साहब आप बोल दें दो मिनट बस खत्म हो जाय, भड़ाना साहब आप बैठ जांय, डाक्टर साहब आपकी बात कह देंगे।

श्री रवीन्द्र भड़ाना-

माननीय अध्यक्ष जी, बस दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, मान्यवर, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पहले पूरे प्रदेश में गांव-गांव में डी0डी0टी0 का छिड़काव होता था, जिससे मच्छर समाप्त हो जायं।

श्री अध्यक्ष-

वह दूसरा विषय है, यह चिकित्सा शिक्षा है, अब आप बैठिये।

श्री रवीन्द्र भड़ाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मेडिकल कालेजों के द्वारा छात्रों का अभिभावकों का खुला शोषण हो रहा है, प्रवेश के नाम पर 50-50 लाख की लूट हो रही है। मेरे क्षेत्र में सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ पड़ता है। मान्यवर, वहां पर 50-50 लाख रुपये बच्चों से लूटा जा रहा है। मान्यवर, सरकार इसको दिखवाये और उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही करे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, अब आप बैठ जाइये, डा0 साहब आप बोलिये।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके पूर्व कि मैं दो-तीन समस्याओं को आपको गिनाऊं, अगर मैं आभार प्रकट न करूं तो शायद यह लोकतंत्र के प्रति अन्याय होगा। इसी सदन में पिछले सत्र में जब मा0 मुख्यमंत्री जब पहली बार मुख्य मंत्री बने थे, हम लोग गोरखपुर में इन्सेफ्लाइटिस का विषय लेकर के आते थे, लगातार दसियों दिन तक हम लोग इन्सेफ्लाइटिस के मुद्दे को सदन में उठाते रहे और किसी भी पार्टी का हम और किसी भी मुख्य मंत्री का हक है। मैं गोरखपुर और पूर्वांचल के नागरिकों की ओर से ये आभार प्रकट कर रहा हूं। गोरखपुर के मेडिकल कालेज में 500 बेड का एक बच्चों का अस्पताल बनाने की घोषणा हुयी है। मैं इसके प्रति आभार प्रकट करता हूं। लम्बा बजट है अभी 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मैं जानता हूं कि अगर घोषणा हुयी है तो इसके लिये धन की कमी नहीं आयेगी। मैं इससे आश्वस्त हो सकता हूं। दूसरी चीज जो एक बात मैंने इस सदन में उठायी थी। अगर अध्यक्ष महोदय आपको स्मरण हो उस समय आप थे सदन में। पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में जो लोग इन्सेफ्लाइटिस से मर जाते थे उनको 25 हजार और जो विकलांग हो जाते थे उनको 50 हजार मिलता था। मुझे खुशी है इस बात की वर्तमान मुख्य मंत्री ने उसे स्वीकार किया और उस राशि को न सिर्फ दिया बल्कि दूना बढ़ा करके दिया। अब जो मरते हैं उन्हें 50 हजार और जो विकलांग होते हैं उनको 01 लाख मिलता है। तीसरी जो हम लोगों की मांग थी कि वहां एक शोध केन्द्र है जो करीब करीब बन्द पड़ा हुआ है। उसके लिये संसाधन दिये जाने चाहिये और मुझे खुशी है। मैं इस सदन के माध्यम से वो यहां हैं नहीं, आपसे आग्रह करूंगा कि ये आभार उन तक पहुंचना चाहिये। उन्होंने 72 करोड़ रुपये की व्यवस्था की। सारे पोस्ट एडवर्टाइज़ हुये हैं और उनके इण्टरव्यूज चल रहे हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, बी0आर0डी0 कालेज पूर्वांचल का सबसे बड़ा एवं अकेला मेडिकल कालेज है। किया गया है मैं इससे इनकार नहीं करता और इसीलिये मैंने आभार प्रकट किया है लेकिन बहुत कुछ किया जाना है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, बस मैं खत्म कर रहा हूं। इससे आप भी इनकार नहीं करेंगे। अभी सपा के मा0 सदस्य राधेश्याम सिंह ने जो बातें कहीं मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज की मान्यता की डिग्री, एम0बी0बी0एस0 की मान्यता की डिग्री फिर फंस जायेगी। अगर डा0 मुकुल मिश्रा और डा0 ठक्कर जैसे लोग जो बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज छोड़ करके जा चुके हैं। उन जगह पर किसी चिकित्सक की, किसी अन्य विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं की जायेगी। जिस कोबाल्ट थैरेपी की बात मा0 सदस्य राधेश्याम सिंह जी कर रहे थे। हमारे पास वहां डाक्टर है, बहुत क्वालीफाइड डाक्टर है, बहुत अच्छा डाक्टर है। डा0 कैसर या ऐसे ही कुछ नाम है लेकिन कोबाल्ट थैरेपी की मशीन न होने से हम मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं इसलिये इस सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि उस मशीन की भी यथाशीघ्र व्यवस्था होनी चाहिये। शेष बातें अध्यक्ष महोदय, मैं बस खत्म कर रहा हूं। जो एम्स की बात हम लोगों ने लगातार की है। चूंकि अब तो रायबरेली में बन रहा है। हम उसे रोक नहीं सकते हैं। इस सरकार का यह स्टैण्ड रहा है कि सरकार रायबरेली के साथ-साथ पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड में इन दोनों जगहों के लिये मा0 मुख्य मंत्री जी ने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भारत सरकार को पत्र लिखकर भेजा था कि अगर केन्द्र सरकार की सहमति हो तो वह जमीन देने के लिये तैयार हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मा0 मुख्यमंत्री भारत सरकार से बात करें। रायबरेली में तो निर्माण शुरू हो गया है लेकिन इसके साथ पूर्वांचल में और बुन्देलखण्ड में दोनों जगहों पर ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंज की स्थापना हो जिससे पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की दृष्टि से और वस्तुतः चिकित्सकों की कमी की दृष्टि से जो बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान हो सके। धन्यवाद।

डा0 मो0 अयूब-

मा0 अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से और प्रदेशों ने डाक्टरों की कमी का समाधान किया है दक्षिण के प्रदेशों ने और पश्चिम के प्रदेशों ने। मैं समझता हूं कि सरकार का इतना बड़ा बजट नहीं है मेडिकल कालेज खोलने के लिये, जो सरकारी मेडिकल कालेज हैं उनको बनाने के लिये। ऐसे में प्राइवेट मेडिकल कालेजों को विशेष सहायता दे करके उनको बनाया जा सकता है और उसमें जो बच्चे गरीब हैं। उन बच्चों के दाखिले का एक तिहाई या आधा हिस्सा रखा जा सकता है और सरकार उनको सस्ते दाम पर भूमि और कुछ अनुदान देकर के मेडिकल कालेज बनाने में सहायता कर सकती है। अगर आज सिर्फ सरकार के बजट से केवल 2, 3 मेडिकल कालेज खुले हैं, अभी नये मेडिकल कालेज उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। मगर इन दो तीन मेडिकल कालेज से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। इसके लिये जरूरी है कि पी0पी0 मॉडल पर जैसे अभी नदीम भाई ने कहा है कि पी0पी0 मॉडल पर प्राइवेट मेडिकल कालेज खोल करके उनमें गरीब मरीजों का प्रतिशत रखा जाये और शिक्षा के लिये बच्चों को रखा जाये। इस तरह से बहुत कम समय में, बहुत ज्यादा मेडिकल कालेज खोल करके डाक्टरों की जो कमी की समस्या है, वह पूरी की जा सकती है। जिस तरीके से पूरे भारत वर्ष में आई0आई0टीज0 में शिक्षकों की कमी है। उसी तरीके से पूरे भारत वर्ष में मेडिकल कालेजों में शिक्षकों की कमी है, प्रोफेसर की कमी है, और सुपर स्पेशिएलिस्टों की कमी है, उसका एक ही कारण है कि जो विज्ञान पढ़ाता है, जो उर्दू पढ़ाता है, जो संस्कृत पढ़ाता है, जो हिस्ट्री पढ़ाता है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, उसकी भी तनख्वाह उतनी ही है, जितनी तनख्वाह डॉक्टरों की है। ऐसे में किसी भी अच्छे डाक्टर को, जो बाहर रहकर के बहुत सारा धन कमा सकता है, वह फिर मेडिकल कालेज में रहना पसंद नहीं करता, तो मेरा सुझाव है कि या तो उसे प्रैक्टिस करने की छूट दी जाए और दूसरा यदि छूट नहीं मुमकिन है तो उसको विशेष भत्ता दिया जाए, विशेष उसका इन्क्रीमेंट दिया जाए जिस तरह से अन्य सर्विसेज में है, आई0ए0एस0 का प्रमोशन 5 साल में हो जाता है और क्लास-ए वॉन का प्रमोशन धीरे होता है, उसी तरीके से, जब तक इन्सेटिंव नहीं दिया जायेगा। अच्छे डाक्टर मेडिकल कालेज में न रह करके प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, तो यह व्यवस्था दूसरी रख दी जाए, तो टीचर की जो कमी है मेडिकल कालेजेज में और जो सुपर स्पेशियलिस्ट की कमी है, उनका बढ़ाया जाए, ये मेरा सुझाव है, मैं समझता हूं कि इन पर ध्यान दिया जायेगा। धन्यवाद।

*श्री राजेश त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं शासन का ध्यान चिकित्सा शिक्षा विभाग के होम्योपैथी विभाग की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं और मा0 मंत्री जी अवगत ही होंगे कि गोरखपुर और अलीगढ़ में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का निर्माण चल रहा है और वह अपने अंतिम चरण

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में लगभग है, लेकिन उसके पद सृजन की कार्यवाही की पत्रावली शासन में लंबित है और मेरा अनुरोध है कि जब पद सृजन होगा तो फिर अगले साल से, सरकार ने अपने जवाब में कहा भी है कि अगले साल से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे, यह मा0 मुख्य मंत्री जी की तरफ से जवाब आया है। मगर यदि पद सृजन की कार्यवाही नहीं होगी, पद सृजित नहीं होंगे तो मा0 मुख्य मंत्री जी का जो जवाब आया है, वह उनके अपने ही जवाब गलत हो जाएंगे। इस नाते मैं चाहता हूं कि जो पत्रावली लंबित है, उस पर पद सृजन की कार्यवाही करा दी जाए। दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता था कि मा0 मंत्री जी अवगत होंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो होम्योपैथिक मेडिकल कालेज हैं, उनमें 100 प्रोफेसर चाहिए, जो इस समय केवल दो हैं। मेरा अनुरोध यह है कि जो आपका आयोग है, उस पर इस बात का दबाव डाला जाए कि शीघ्र-से-शीघ्र ये पद भरे जाएं और वहां पर जो प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर की जो कमी है, वह पूरी हो। होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में जो परास्नातक की पढ़ाई नहीं हो रही है, उसके लिए हमारे पास तीन मेडिकल कालेजों की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें तेजी करायी जाए, ताकि हमारे यहां से होम्योपैथिक के भी परास्नातक के भी स्टूडेन्ट्स निकल सकें और आखिरी बात कहकर मैं आपनी बात को समाप्त कह रहा हूं कि होम्योपैथिक का जो निदेशालय है, मेरी जो जानकारी है, हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो, मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि वहां पर एक जूनियर व्यक्ति को डायरेक्टर के पद पर बैठाने की कोशिश हो रही है। वह पिछली सरकार में भी कोशिश हुई थी, परन्तु क्योंकि मैं इस विभाग से राज्य मंत्री के रूप में जुड़ा था, और मैंने केवल एक ही सवाल किया था कि वह कारण बताया जाए कि सबसे जूनियर आदमी को, सबसे सीनियर जगह पर क्यों बैठा दिया जाए ? कहीं वह गलती न हो, मैं केवल संज्ञान में आपके डालना चाहता हूं बाकि होम्योपैथ पर इस सरकार का ध्यान जाए, मैं इसका अनुरोध कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, जवाब देकर पास करायें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, समय की काफी पाबंधी के बावजूद भी इतने मा0 सदस्यों ने भाग लिया है इससे यह पता चलता है मान्यवर, कि इसके प्रति लोगों की दिलचस्पी कितनी है और अपने बहुत आवश्यक कार्यों को भी छोड़कर के भी लोगों ने इस चर्चा में जो भाग लेने की बात की है मान्यवर, श्रीमन् डॉ0 अरूण कुमार जी, अगयश रामसरन वर्मा जी, रघुनंदन सिंह भदौरिया जी, प्रो0 शिवाकान्त ओझा जी, नदीम साहब, संग्राम यादव जी, श्री लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी, राधेश्याम सिंह जी, नीरज जी, रूबी प्रसाद जो बोल के चली गई। कल उन्हें समय मत दीजिएगा। जो बोल के चला जाए, बिना बोले भी जाया जा सकता था, आप समय भी लें, विषय के बाहर भी बोलें और सुने भी नहीं तो अगले दिन समय नहीं मिलना चाहिए। श्री रवीन्द्र भड़ाना जी, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी, डा0 अयूब साहब, राजेश त्रिपाठी जी। मान्यवर, इतने सदस्यों ने इसमें भाग लिया। मान्यवर, और बहुत-बहुत बहुमूल्य सुझाव आये। मान्यवर, सुझाव ही नहीं आये, बल्कि ऐसी-ऐसी जानकारियां इस सदन में आई हैं, जो सचमुच में चुभने वाली हैं। मान्यवर, सरकार अपने प्रयासों को सर्वोत्तम कहकर, निकल जाय, तो उससे पूरी बात नहीं होती। मान्यवर, यह ऐसी जानकारी है जिनसे सरकार को सामना करना पड़ेगा और इन कठिनाइयों की वास्तविकता को समझना ही पड़ेगा। इन कठिनाइयों को कैसे हल किया जा सकता है इसको हमारी सरकार देखेगी। मान्यवर, लोक सेवा आयोग की जो बात है, उसमें सरकार को

रास्ता निकालना होगा लेकिन यह महसूस करना होगा कि लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया में जो इतनी जटिलता है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है उसको समझना भी होगा। मान्यवर, अभी अग्रवाल साहब ने एम0सी0आई0 की मान्यता की बात कही। मान्यवर, झांसी और गोरखपुर मेडिकल कालेज की मान्यता समाप्त होने के सम्बन्ध में कई बार चर्चा होती है, तो यह परेशानी वाली बात है इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका हल निकले। अभी बात आई कि प्राइवेट मेडिकल कालेज खोल दिए जायें, मान्यवर, जितने हैं उनकी फेकल्टी इतनी खराब है, तुलनात्मक दृष्टि से कि उसमें सब कुछ देखने की जरूरत है। मान्यवर, मुजफ्फरनगर में प्राइवेट मेडिकल कालेज है, वहां दिल्ली के मुकाबले प्रोफेसर कैसे आयेंगे, वह तैयार नहीं हैं, यह हमारे एक सहयोगी का है, उसमें दिल्ली और मेरठ से रोज उन लोगों को लाया जाता है और छोड़ा जाता है। यह तो स्थिति है। बलिया, जौनपुर में आप कहें कि प्राइवेट मेडिकल कालेज खोल दियें जायें तो उसमें आप प्रोफेसरों को कैसे रख पायेंगे, आप उन्हें तीन लाख तनख्वाह भी दे देंगे तब भी वह शायद आने को तैयार होंगे ? तो यह बड़ा सवाल है। मान्यवर, हमारे यहां पी0जी0आई0 और मेडिकल कालेजेज से कई प्रोफेसर नौकरी छोड़कर प्राइवेट मेडिकल कालेज में चले गये हैं। अब औरों को रिटेन करना और जो जगह खाली है उनकी पूर्ति करना एक बड़ा सवाल है। इन दोनों परिस्थितियों को हमें समझना पड़ेगा। सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है और उसे देखेगी, लेकिन जो हकीकत है, वह सबके सामने है। सम्पूर्ण सदन में हम लोगों को मिलकर, इस व्यवस्था को ठीक करना होगा। मान्यवर, लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी ने जो कहा है बड़ी मौजू बात कही है। भारत सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिया है और न कोई इन्तजाम किया है और न ही कोई कानून में संशोधन किया है। हमारी चिन्ता है जो उससे सरकार बेखबर नहीं है। मान्यवर अभी क्वैक डाक्टर की बात आई मान्यवर वह आठवां फेल हैं, दसवीं फेल हैं और इस तरह की दवायें बांट रहे हैं। मान्यवर, आप देखें फिजियालॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमेस्ट्री मेडिकल कालेज में पढ़ाई जाती है। शरीर का विज्ञान पढ़ाया जाता है, वह चीज तो वह क्वेक डाक्टर तो नहीं पढ़ सकते फिर भी वह अपने ज्ञान से अंग्रेजी दवा देते हैं, और लोगों को ठीक कर देते हैं।

माननीय सदस्यों ने उनकी मान्यता की बात कही। यह बात मुनासिब है और कानून में संशोधन होना चाहिए, यह मेरी राय है। मान्यवर, यह केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके आलोक में यह समस्या अन्य प्रदेशों की भी है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इसमें पहल होगी तो अच्छा होगा। हम लोग भागने वाले नहीं है, लेकिन जो कानून की जटिलता है वह अपने जगह पर है। मान्यवर, यह देशी चिकित्सा पद्धति जिसे हम इण्डियन मेडिसिन कहते हैं, यह लोग इलाज करने वाले लोग हैं और कम से कम अपने को डाक्टर तो कहते हैं और यह समझते हैं कि डाक्टर होने का क्या अर्थ है। मान्यवर, आज हम परचून की दुकान पर चले जाते हैं और दुकानदार से अंग्रेजी दवा की मांग करते हैं और वह देता भी है। वह तो डाक्टर के रूप में दवा बताते हैं। मान्यवर, आज कोई सज्जन यह कह रहे थे कि मुझसे और मौर्या जी से न्यायालय के लोग बहुत नाराज हैं। मान्यवर, अब वह किस बात पर नाराज हैं, यह तो मुझे नहीं पता लेकिन सदन में मुझे जो मुनासिब लगेगा वह मैं कहूंगा। मुझे इस सदन में अपनी बात कहने में कोई संकोच नहीं है। न्यायालय की अपनी कठिनाई है उसको देखा जायेगा। भारत सरकार ने गोरखपुर, झांसी और इलाहाबाद मेडिकल कालेज को प्रसन्नता है बताने में कि अपग्रेड करने में दिलचस्पी ली है हमने उसका

प्रस्ताव भेजा है, अपनी ओर से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और भारत सरकार से हम उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सकेगा वह अपनी इमदाद हमको भेजेंगे ताकि उनका अपग्रेडेशन हो सके। मान्यवर, इसमें प्रदेश का भला होगा। श्रीमन्, जो रिक्तियां हैं हमारी मैं पुनः दोहराऊं आंकड़ा दे करके कोई फायदा नहीं है। 155 लोगों का होम्योपैथिक और आयुर्वेद में मान्यवर, प्रवक्ता 73, रीडर 16 प्रोफेसर 11 इतने लोगों के लिए अधियाचन भेजा है। मान्यवर, 410 के लिए मेडिकल कालेजेज के लिए अधियाचन भेजा है कमीशन के थ्रू वह आना है वह हमारी कठिनाई है लेकिन हम अब आगे तमाम सुझाव आये हैं इस पर विचार करके आगे बढ़ने का कुछ काम करेंगे। मान्यवर, जो दवाइयों की बात आई थी कि शीशी नहीं है, पुड़िया नहीं है यह बिल्कुल आधारहीन है और जो भी सदस्य इसको रख रहे थे उनकी बात सुनने का मजा कम था उनको देखने का मजा ज्यादा था। सदन ने काफी मजा ले लिया उसका मैं समझता हूं दोबारा उसकी जरूरत नहीं है।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

हल्ला करने से काम नहीं चलेगा, भदौरिया जी, बैठो, विधायक हो।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक प्रेक्टिस संबंधी भारत सरकार का कोई आदेश ऐसा नहीं है जो लागू हो, भारत सरकार भी स्टडी कर रही है भारत सरकार के स्तर पर भी इस बात का प्रयास हो रहा है उनकी भी स्टडी है, मैं भी जानता हूं। गुलाम नबी आजाद साहब जो इन मसलों पर गम्भीरता से चिन्तन उनके यहां इस बात पर कि आखिरकार एक डाक्टर को तैयार होने में 6 साल अगर लगते हैं तो इस अवधि को कैसे घटाया जाय, देश की जरूरतें कैसे पूरी की जायें और उस मामले में उत्तर प्रदेश अगर देश के औसत से भी पीछे है तो इसकी जरूरत ज्यादा है कैसे पूरी की जायें इस दिशा में सोचना है हमको और जो सुझाव आपने दिये हैं हम इस पर गौर करेंगे और गौर करके सुझाव के अनुसार उस पर चलने का काम करेंगे।

श्रीमन्, मैं कुल 2-3 मिनट और लेकर के प्रयास करूंगा कि थोड़ी बातें, चूंकि यह सरकार इस ढंग की है कि सभी इलाकों को और पहली बार पूर्वान्चल की बात सिर्फ नहीं है, गोरखपुर मेडिकल कालेज के लिए जो आभार व्यक्त किया है डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने मैं उनका धन्यवाद करता हूं सरकार की ओर से। माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं कि जो प्रयास इस सरकार ने किये हैं उसको स्वीकार करने का काम आपने किया है और उसकी सराहना की है हम आपको धन्यवाद देते हैं। मान्यवर, मेडिकल कालेज गोरखपुर में आपने बता दिया इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। मान्यवर, कानपुर मेडिकल कालेज के लिए प्रबन्ध हुआ है, आजमगढ़ में नया पैरा मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए हुआ है और इसी सत्र से आजमगढ़ का मेडिकल कालेज शुरू हो सके वहां अध्ययन अध्यापन का काम प्रारम्भ हो सके इसके लिए सारा बजटरी सपोर्ट दे दिया गया है और हमारा पूरा प्रयास से वह शुरू हो सके। मेडिकल कालेज मेरठ के संचालन के लिए जो कठिनाई आ रही थी उसका भी ध्यान रखा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कई बार कहते हैं

उसके लिए भी 84 करोड़, 40 लाख, 53 हजार दिया है। इलाहाबाद की बात मैंने पहले कही थी लेकिन पुनः मान्यवर, अभी 61 करोड़ 77 लाख जारी कर दिया, इस बजट में हमने प्रस्तावित किया है आपने देखा होगा माननीय अनुग्रह जी। मान्यवर, सभी राजकीय मेडिकल कालेजों में आई0सी0यू0 के सुदृढ़ीकरण के लिए हमने अपनी ओर से उसका प्रयास किया है और बजट में उसका प्राविधान किया है। मान्यवर, असाध्य रोगों में हृदय, कैंसर, लीवर किडनी की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की हमारी जो नीति है सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में उसका उल्लेख किया था उसका प्रबन्ध इस बजट में किया जा रहा है आज जो बजट आप पारित करने जा रहे हैं इसमें उसका प्रबन्ध है स्पष्ट तौर पर सदन की अनुमति होने जा रही है। यह प्रस्ताव कर आपके सामने हाजिर है। मान्यवर, कैंसर के लिए जिस इंस्टीट्यूट की बात कही गयी है उसका प्रस्ताव करके हम इसी बजट में आये हैं आज सदन इसकी स्वीकृति देगा मैं आपको उसके लिए पहले से स्वीकृति देने जा रहा हूं।

मान्यवर, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेदकर नगर तथा मेडिकल कालेज, कन्नौज में अपूर्ण कार्यों को पूरा कराने के लिये व्यवस्था की जा रही है और हम आशा करते हैं कि जल्दी हो जायेगा। मेडिकल कालेज, उरई, सहारनपुर, पैरा मेडिकल कालेज, झांसी को इसी 2013-14 सत्र से संचालित करने जा रहे हैं। इसके लिये जो बजट की आवश्यकता थी, वह हमने देने का काम किया है। मान्यवर, आजमगढ़ की बात मैनें बता दिया। जौनपुर और बदायूं में नये मेडिकल कालेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है। कन्नौज में हार्ट और कैन्सर की विशिष्ट चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिये हमने अभी प्रबन्ध किया है इस बजट में, इसका उल्लेख करना चाहता हूं। बांदा में, मान्यवर, सरकार ही पिछली बांदा की थी, बहुजन समाज पार्टी की। दो के अलावा बाकी सब प्रजाजन थे। मंत्री चाहे जितने बड़े रहे हों, बाकी सब प्रजाजन थे क्योंकि सरकार बांदा की थी और बांदा में अपना मेडिकल कालेज जो सरकार नहीं पूरा कर सकी, वह बाकी प्रदेश का क्या करते, इसलिये मान्यवर, उसकी भी चिन्ता हमने की। मान्यवर, बांदा के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने का और उपकरणों की स्थापना का, वेतन आदि के लिये 84 करोड़ 99 लाख 62 हजार, करीब 85 करोड़ हो गया, देने का काम इस बार किया गया है। मेडिकल कालेज, झांसी के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिये भी बजट में प्राविजन किया है। मेडिकल कालेज, आगरा के संचालन के लिये जो कमी आ रही थी, उसके लिये 91 करोड़ 85 लाख, लगभग 92 करोड़ मान्यवर, देने का काम किया है। सैफई का नाम आता है तो लोगों को सीरियस एलर्जी हो जाती है। जहां सैफई बोले और कुछ लोगों को वह जैसे हमारे यहां मान्यवर, आप भी चिकित्सक हैं, मैं नहीं जानता कि आपके यहां क्या बोलते हैं लेकिन हमारे यहां जुलफिक कहते हैं। इसमें एकदम अचानक दाने रेशेज उठ आते हैं, आदमी एकदम नोचने लगता है। तो इसी तरह सैफई का नाम आते ही कुछ लोगों को रैशेज तुरन्त आ जाते हैं और वह अपनी पीठ को नोचने लगते हैं। लेकिन अगर सैफई का नाम नहीं लूंगा तो मेरा काम पूरा नहीं होगा। मान्यवर, ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई में रोगी सेवाओं का विस्तारण करते हुये इमरजेन्सी एवं बर्न सेंटर तथा 500 शैय्या के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक का निर्माण कराना प्रस्तावित है। इस बार बजट में मान्यवर, हमने उसके लिये 245 करोड़ रुपया देने का काम किया है। सैफई एक उदाहरण है कि ग्रामीण क्षेत्र में गांव कैसा होना चाहिये और ग्रामीण क्षेत्र में सुविधायें कैसी होनी चाहिये। मान्यवर, एस0जी0पी0जी0आई0 को अनदेखा

नहीं किया गया है। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के रोगी सेवाओं का विस्तार करते हुये वहां इमरजेन्सी और नेत्र यह दो विभाग ही अभी तक नहीं थे, इमरजेन्सी वार्ड तो जबरदस्ती चलाया जा रहा था, पूरा कैजुवलिटी डिपार्टमेंट और नेत्र वाला, यह दो नये विभागों की हम स्थापना कर रहे हैं, बजट मे इसका प्राविजन है। राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, जिसके बारे में हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि हम इसे गरीबों का पी0जी0आई0 बनाना चाहते हैं और उसके लिये उन्होंने कदम उठाया। मान्यवर, पिछली बार जो डिस्पैरिटी थी, डिस्पैरिटी नहीं, पिछली बार जो व्यतिक्रम था, वह यह था कि पी0जी0आई0 के बराबर उसके सभी शुल्क रखे गये थे, हमने प्रशासनिक आदेश से लोहिया इंस्टीट्यूट में जांच और इलाज का जो पी0जी0आई0 के बराबर शुल्क था, उसको 50 फीसदी कम कर देने का काम किया तांकि गरीब लोगों का वहां इलाज हो सके और लोग वहां पहुंच सकें। सारी सुविधायें हैं वहां पर और मान्यवर, उसके संचालन विकास के लिये 1 अरब 53 करोड़ 84 लाख रुपया दिया है। किंग जार्ज मेडिकल कालेज के लिये मान्यवर, इसको सेंटर आफ एडवांस रिसर्च बनाना चाहते हैं और इसलिये विभाग को विकसित किये जाने के लिये मान्यवर, 4 अरब 27 करोड़ 13 लाख, यह दृष्टि है सरकार की, बाकी फिर और तमाम चीजें हैं, मान्यवर, मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा, सिम्प्ली मैं कुछ चीजों को बताना चाहता था और इसी के साथ मान्यवर, जो आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक है, उसके भी सारे प्रबन्ध हुये हैं। लेकिन मैं अलग से राशियों का उल्लेख नहीं करूंगा। आपने जितनी भावनायें व्यक्त की हैं, इनका सबका समावेश सरकार ने अपने इस वित्तीय प्रबन्धन में पहले से किया है, जो विजन की बात कही है नदीम साहब ने, मैं उससे सहमत हूं। हम जिनके रास्ते पर चल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी, जिनकी राह पर चलना आपने सिखाया है, डा0 राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कहा था कि जो कौम सपना देखना बंद कर देगी वह कौम मर जाएगी। जो सपना नहीं देख सकता वह कुछ कर ही नहीं सकता। बदलाव का सपना देखा है माननीय मुलायम सिह यादव जी ने समाजवादी पार्टी ने और हमारे मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने और बदलाव का सपना ही नहीं देखा कि नींद में सपना देखा और जब नींद खुले तो सपना छूट गया। यह जागती आंखों का सपना है। यह सोने नहीं देता। यह वह सपना है जिसको पूरा करने के लिए हमारे मुख्य मंत्री और समाजवादी पार्टी की सरकार मुसल्सल लगी हुई है और उसको पूरा करने के लिए मजबूती से कदम बढ़ाते हुए चल रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सके इस बजट से ऐसी गारण्टी नहीं कर सकते लेकिन हम उस दिशा में हैं जहां पर सचमुच में इस बदलाव को अमली जामा पहनाया जा सके। इसी दृष्टि से यह बजट लेकर हम आपके बीच आए हैं। आप औपचारिकता के नाते कटौती प्रस्ताव लेकर आए हैं वैसे इस पर कटौती की कोई आवश्यकता नहीं है इसको सर्वसम्मति से पारित करने का सदन काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 23,46,72,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,69,33,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,56,72,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

श्री अध्यक्ष-

अब एक मद बची है उसमें आप प्रस्ताव रख दें।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं अपना प्रस्ताव रखूं उसके पहले दो बातें कहना चाहूंगा। मान्यवर, दो तरह की मछलियां हैं। एक तो वह जो दूसरों के लिए शीशे में रखी जाती है और एक जो उदर में जाती हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रस्ताव रखकर कहेंगे या पहले कहेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं प्रस्ताव के पहले कहूंगा। जिनकी ज्यादा दिलचस्पी मछली को उदरस्थ करने में हो वह इसलिए पारित करें कि मछली विभाग का बजट है जिनकी इसमें दिलचस्पी नहीं उनको मछली से क्या मतलब इसलिए मैं इस पर प्रस्ताव रखता हूं उस पर कटौती आए और प्रस्ताव पास कीजिए।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 78,44,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

इस पर कटौती कौन रखेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, ऐसा लगता है कि कटौती कोई नहीं रखना चाह रहा है।

श्री अध्यक्ष-

कटौती रख दीजिए।

श्री जय प्रकाश निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, अनुदान सं0-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, अब बैठ जाएं।

श्री जय प्रकाश निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, हमको तो आप बोलने का अवसर देते नहीं हैं। एक तो हम निषाद हैं, क्या आजीवन अंगूठा कटता ही रहेगा निषादों का।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री जय प्रकाश निषाद-

मान्यवर, आप अवसर नहीं दे रहे हैं, हम कुछ कहना चाह रहे हैं। आप संरक्षक हैं, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको मत्स्य विभाग के बारे में बताना चाहता हूं कि आज तक मछुआ समुदाय के लिए तमाम योजनाएं बनाई गईं लेकिन वह सिर्फ कागजों में रह गईं, वह पेपर पर लिख करके रह गईं जमीन पर नहीं उतारी गईं। जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि जो वर्तमान सरकार, जो मछुआ समुदाय की हितैषी कहलाने वाली सरकार, जो इनके बारे में सोच रखने वाली सरकार, इनकी माली हालत ठीक करने की दिशा में जो काम करने की सोच रखती है ऐसी सरकार, इनके सामने हम मछुआ समुदाय के कुछ सुझाव रखना चाहते हैं। मछुआ समुदाय के शासन की मंशा के अनुरूप महज ही सरकारी समितियों की सुदृढ़ता और पुनर्गठन करना चाहिए। संगठन के लिए राज्य सरकार की संस्तुति के आधार पर एन0सी0डी0सी0 ऐसी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा समितियों को वित्तपोषित करने, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए दिया जा सकता है। एन0सी0डी0सी0 द्वारा जैसा कि मत्स्य पालन के लिए तालाब के पट्टे जो दिये जाते हैं उसमें जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार

है, आज के पहले जो प्रति एकड़ में 5 सौ रुपए की दर से दिया जाता था उसको इस सरकार ने बढ़ा करके 10 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर दिया है। जबकि यह मानती है सरकार कि उत्तर प्रदेश में मछुआरों की स्थिति बिल्कुल दयनीय है और यह कमजोर हैं उसके बावजूद भी दस गुना बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। हम चाहेंगे कि अपने बजट में जो बढ़ाया गया है उसको कम करके इन गरीब मछुआरों के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने जो व्यवस्था बनाई थी उस पर इसको रखने का काम करें। हम अपने सुझाव में एक चीज और रखना चाहते हैं कि सन् 1978-79 के दौरान जो उत्तर प्रदेश के निबन्धक आर0एस0 टोलिया, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति, लखनऊ के आदेशानुसार समितियों के लिए जिला सहकारी बैंक की खुली सदस्यता दिला करके सहकारी समितियों को कैश क्रेडिट स्वीकृत करा करके, ऋण अनुदान दिला करके मत्स्य विकास को बढ़ावा दिये जाने के लिए व्यवस्था कराया था।

लेकिन वह सारी व्यवस्थायें आज कागजों में सिर्फ रह गया है। मैं चाहता हूं कि मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के सचिवों को उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक के द्वारा प्रशिक्षण दिला करके समितियों के लेखे-जोखे का रख-रखाव करवाना चाहिए। इसके साथ ही साथ साधन सहकारी समितियों की भांति सचिवों का, जो सहकारी मत्स्य जीवी समिति के सचिव हैं उन सचिवों का इनकी भांति कैडर निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि साधन सहकारी समितियों की भांति इन जिला सहायक निबन्धन की संस्तुति के आधार पर जिला सहकारी उपभोक्ता भंडारण द्वारा समिति के सदस्यों को रोजमर्रा का जो सामान है उनको उपलब्ध कराया जा सके।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है तो तमाम सुविधायें उनको मुहैया करायी जायेंगी तब जा करके मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा सकता है। मान्यवर, जैसा कि कृभको, इफको द्वारा जैसे कि तालाबों में रसायनिक खादों की जरूरत पड़ती है तो इन मत्स्य पालकों को इसकी एजेंसी भी दिलायी जानी चाहिए ताकि आने वाले समय में सदस्यों को आवश्यक खाद की पूर्ति करायी जा सके। रसायनिक खादों की आवश्यकता वैज्ञानिक ढंग से मत्स्य पालन करने में लगता है। यू0पी0 गवर्न्मेंट अगर चाहे तो केन्द्र सरकार को रिकमेण्ड कर सकती है कि एन0सी0डी0सी0 के सहयोग से समितियों को 25 से 50 प्रतिशत तक अनुदान अनुमन्य है और यह लागू करवा सकती है। मान्यवर, इस सारी समस्याओं को जैसे कि आज कहा जा रहा है मैं कहना चाहता हूं कि मछुआ समुदाय के आवास का मामला है, आवास के लिए आज वर्तमान की सरकार ने जो अपने बजट में प्राविधान रखा है उसके अनुसार 2 हजार, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में दो हजार मछुआ समुदाय को आवास दिलाने की बात कही है। मान्यवर, इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि यह समाजवादी पार्टी की सरकार मछुआरों की हितैषी कहलाना चाहती है और पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में दो हजार मछुआ समुदाय के लिए आवास बनाने की बात कहती है जहां करोड़ों-करोड़ मछुआ समाज के लोग निवास करते हैं वहां उत्तर प्रदेश में दो हजार मछुआ आवास ऊंट के मुंह में जीरा है। यह सरकार किसानों की हितैषी कहलाती है मगर मछुआ समुदाय के लोग किसानों से कम नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री जय प्रकाश निषाद-

उन्हें भी कृषि की श्रेणी में आना चाहिए। किसानों को कृषि की श्रेणी में ले करके उनको सारी किसानों की सुविधायें मछुआरों को भी दी जानी चाहिए। आज सरकार कहती है कि इनको

01 लाख रुपया दुर्घटना बीमा देने की बात कहती है। मैं कहता हूं जब जरूरत पड़ती है तो गोताखोर के रूप में और तमाम ऐसे रिस्क की जगह पर उनको भेज करके उपयोग करने का काम करती है तो ठीक उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि यह सरकार गम्भीरता से इसको ले और कृषि का दर्जा दिलाये। मछुआरों को कृषि का दर्जा दिलाया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करिये।

श्री जय प्रकाश निषाद-

गरीब परिवार का मछुआ समाज अपने तालाबों में मेहनत, मजदूरी करके तालाबों का पट्टा कराता है, उसमें मछली डालता है लेकिन आततायी लोग, कुछ गुण्डे, माफिया तबके लोग उन तालाबों में जहर डाल देते हैं, वह गरीब आदमी असहाय हो जाता है उसकी न एफ0आई0आर0 लिखी जाती है और न उसका बीमा किया जाता है, वह सिमट कर रह जाता है और उसकी मंशा वहीं धरी की धरी रह जाती है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करो।

श्री जय प्रकाश निषाद-

मान्यवर, हमको बहुत कम बोलने का अवसर मिलता है। अगर हम अपने समाज के लिए नहीं बोल पायेंगे तो इस विधान सभा में आने का क्या महत्व है ? अगर आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं अपनी बात बंद कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष-

उसके लिए एक समय होता है।

श्री जय प्रकाश निषाद-

आपका संरक्षण चाहते हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे मछुआरों को पूरी सुरक्षा मुहैय्या करानी चाहिए। जैसे ही उसके तालाब में किसी ने जहर डाल दिया तो उसका परीक्षण होना चाहिए और परीक्षण कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि मछुवारों का मनोबल ऊपर उठे और आगे की ग्रोथ कर सकें। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर तालाब और तमाम ऐसे जो पट्टे दिये जाते हैं तहसीलों में जो पट्टे दिये जाते हैं वहां पर भी कुछ माफिया तबके के लोग मन्द बुद्धि के निषादों को खड़ा करके उनको जा करके जबरदस्ती अपने बाहुबल के आधार पर, बाहुबल के ताकत के बल पर उनको पट्टा नहीं लेने देते हैं और जो पट्टा लेने लायक होते हैं उनको दरकिनार कर देते हैं और वह लेने नहीं पाता है और उसकी माली हालत के बारे में यह सरकार चिन्ता जताती है मान्यवर। मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं कि अनुसूचित समाज में यह सरकार इस समाज को अनुसूचित समाज में डालना चाहती है, अनुसूचित समाज का दर्जा दिलाना चाहती है। यह सरकार बहुत संवेदनशील है इसलिये मैं इस बात को रखना चाहता हूं कि अगर यह सरकार जरा भी संवेदनशील है तो इन सारी बातों पर दृष्टिगत रखते हुए आज से सरकार को इस

समाज की चिन्ता होनी चाहिए और इस समाज की चिन्ता अगर सरकार को नहीं हुई तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब यह समाज भी वह सोचने लगा है। इनकी भी संख्या कम नहीं है। आगे आने वाले समय में यह अपनी बात रखने के लिये आगे आयेंगे और सरकार को जरूर अपनी बात बताने का काम करेंगें। इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य अभी मत्स्य विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे थे, इन्होंने अभी अपने कटौती प्रस्ताव में यह कहा कि तालाबों का लगान 1000 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया हमारी सरकार ने। यह सच है कि खाद्यान्न किसानों को सरकार जिस तरह से तमाम सुविधाएं देती है उनके फसलों की बर्बादी पर उन्हें क्षतिपूर्ति देती है। उस साल अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हो गया तो उस साल का लगान माफ करती है। दुर्घटनाओं में व्यवस्थाएं देती है। खाद्यान्न उत्पादक किसान के लिये यह सुविधा है। मत्स्य भी खाद्यान्न है और जब उसके उत्पादक को, जल किसान के साथ इस तरह से घटना होती है एक तो लगान खाद्यान्न किसान की जमीन का लगान माफ किया गवर्नमेंट ने और जिनका लगता भी था वह काफी कम था। और वहीं जल किसान (मछुवारा) जबकि वह भी खाद्य उत्पादक है, मत्स्य जो खाद्य उत्पादन में मानी जाती है और मछली जो दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रोटीन उपलब्ध कराने वाली और सबसे सस्ती प्रोटीन देने वाली खाद्य वस्तु है ऐसे जल किसान को लगान की रेट मामूली होना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार में फिर भी इसका लगान रेट बहुत मामूली था लेकिन जब आपकी अपनी गवर्नमेंट थी बहुजन समाज पार्टी की तो इस लगान का रेट यकबयक बढ़ाकर 10 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर 2009 में किया। हमें पता है कि यह जो बहाना लिया गया था वह हाई कोर्ट के एक जजमेंट के आलोक में लिया गया था। अगर कोई जजमेंट आता है तो यह सरकार की जिम्मेदारी होती है सभी को सुविधायें देने के लिये, जो वंचित लोग हैं उनको बराबरी के दर्जे पर लाने के लिये संवैधानिक व्यवस्था है और यह गरीब मछुवारा समाज जो उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ की आबादी में है इन मछुवारे समाज के ऊपर अगर कोई आदेश इस तरह का था तो उस समय की तत्कालीन सरकार को उस आदेश के रिव्यू में जाना चाहिए था अगर नहीं बनता तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि उस गवर्नमेंट में जिन लोगों का वर्चस्व था, जिनके आधिपत्य में था, जो एक साम्राज्य समझकर सरकार चलाते थे, उनकी निगाह में यह गरीब मछुवारे कीड़े मकौड़े जैसी औकात के माने गये इसलिये इनके लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। माननीय राजस्व मंत्री जी बैठे हैं हमारी सरकार संवेदनशील है पिछले 16 तारीख को इस विषय में एक पत्रक दिया है मुख्य मंत्री जी को और उस पर उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इस पर नये सिरे से इसको देखेंगे। तो पहली बात तो यह है आप इसमें सुधार कर लीजिए कि लगान बढ़ाकर हमने लादा है। हमने नहीं, यह ब0स0पा0 गवर्नमेंट में लादा गया है। दूसरी बात जहां तक मछुआ आवास की बात इन्होंने कहा है उस बात को भी हमने कहा है, अभी 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश के इन वंचित 17 जातियों का जो बड़ा प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ था और उसमें 20-25 हजार लोग बिना बुलाए आए थे तो उनके उस सम्मेलन में भी हम लोगों ने पत्रक में कहा है मांग किया है मुख्य मंत्री जी से, कि मछुआ लोग समाज का वह, वंचित समाज के लोग हैं जो दलित समाज से भी सबसे गए गुजरे, दलित

समाज, जो निचले पायदान के लोग कहे जाते थे उनसे भी दीन हीन अवस्था में जीवन यापन करने वाले, यह उत्तर प्रदेश का मछुआरा है, वह इसलिए मा0 अध्यक्ष जी कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश में कोई ऐसी बसावट नहीं होगी, यहां तक कि दीनहीन कहे जाने वाले निचले पायदान के लोग कहे जाने वाले लोगों की बस्तियों में भी दस बीस पच्चीस पक्के मकान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर कहीं उत्तर प्रदेश में हजारों ऐसी बसावटें हैं जहां बसावटों की संख्या दो सौ, तीन सौ हजार की संख्या है और उन हजार की बसावट में, एक भी दस बाई दस का पक्का मकान जहां नहीं मिलता है उसी बसावट को मल्लाह केवल माझी टोली की बसावट की बस्ती कही जाती है हमने एक मांग किया था कि मा0 मुख्य मंत्री जी से और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे है एन0एफ0 (नेशनल एसोसियेशन ऑफ फिशरमैन) के, हम भारत सरकार में जहां एन0सी0डी0सी0 (एन0एफ0डी0बी0) की बात कर रहे थे हैदराबाद गए थे कृषि मंत्री जी भारत सरकार के सामने इस बात को रखा था, और मैं मा0 अध्यक्ष जी अपनी सरकार में कहना चाहता हूं कि कृषि मंत्री भारत सरकार ने इस बात का स्पष्ट आश्वासन दिया है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से अगर प्रस्ताव आएगा। दस हजार, पांच हजार, दस बीस हजार जो भी मांग लोगे हम वह दे देंगे, लेकिन अपना वह प्रस्ताव और उस प्रस्ताव के सापेक्ष पैसा देना पड़ता है। इसमें अकेले प्रदेश सरकार को नहीं देना है यह केन्द्र सरकार देती है 1/4 संभवतः हमें देना है और बाकी भारत सरकार को देना है। 25 परसेन्ट अंशपूंजी उत्तर प्रदेश सरकार दे देगी और शेष केन्द्र। दस, पांच हजार आवास देने की कृषि मंत्री भारत सरकार ने इस बात का लिखित आश्वासन दिया है.....

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करो। निषाद जी अब आप क्या बोलोगे।

श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद-

मान्यवर, आपने मत्स्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं। यह समाज पूरे प्रदेश में सात-आठ परसेंट की आबादी में है। इस समाज का पुश्तैनी धंधा, नदियों के घाटों पर नाव चलाना, और पहले समय में हवाई जहाज ट्रेन और गाड़ियों की व्यवस्था नहीं थी, यह समाज पूरे देश से लेकर विदेश तक, नाव के द्वारा आयात निर्यात करता था। उस समाज की आज दुर्दशा हो गई है। मान्यवर, जो नदियां थीं घाटों पर पुल बन गए। यह समाज उपेक्षित हो गया बेरोजगार हो गया। इसका धन्धा पुश्तैनी मछली मारने का था। पिछली सरकारों ने बी0जे0पी0, ब0स0पा0 और कांग्रेस की सरकारों ने, वह भी छीनने का काम किया। अभी पिछली सरकार जो थी ब0स0पा0 की उसमें मत्स्य लगान एक हजार रुपया मा0 नेताजी की सरकार में था उसको बढ़ाकर दस हजार कर दिया गया। अभी जयप्रकाश जी बोल रहे थे मा0 अध्यक्ष जी कि यह स0पा0 की सरकार में किया गया। मान्यवर, पता लगा लें यह ब0स0पा0 की सरकार में हुआ है। और बसपा तो निषाद समाज की सबसे बड़ी विरोधी सरकार रही है, जिन्होंने 17 जातियों का जो पिछली बार नेता जी ने भेजा था, अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए, उस प्रस्ताव को वापस मंगाने का काम बसपा ने किया था और उसमें कहीं भी कम दोष भाजपा का भी नहीं है, जो राम भक्त निषादों को बना करके वोट लेने का काम करते हैं। आज जब निषादों पर बोलने का समय आया तो उठ कर सभी लोग चले गए। निषाद समाज का वोट लेना जानते हैं, राम भक्त, राम की नैय्या

पार लगाने वाला कहते हैं, भाजपा के लोग, लेकिन निषादों की कोई समस्या कहने को तैयार नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मछुआ समुदाय मत्स्य पालन का कार्य करता है, मछली से सारे प्रोटीन, विटामिन्स मिलते हैं। गरीब आदमी फल, दाल, सब्जी, दूध नहीं ले पाता, वह मछली से जो शरीर को आवश्यकता है, वह पौष्टिक तत्व मछली से मिल जाता है। हमारे प्रदेश में आज बाहर से मछलियां आती हैं। आन्ध्र प्रदेश और अन्य तमाम प्रदेशों से मछलियां आती हैं, लोग सड़ी हुई बर्फ की मछली खाते हैं, शुद्ध मछली नहीं मिलती है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मछुआ समाज के विकास के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए, स्वस्थ मनुष्य के लिए मछली आवश्यक चीज है, इस पर जोर देकर इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारे समाज के लोग मछली का जो काम करते हैं, उनके प्रति सरकार को और बढ़ करके बजट देना चाहिए। मान्यवर, दो हजार मछुआ आवास निषादों को दिया गया है, उसको बढ़ा करके कम से कम 20 हजार प्रतिवर्ष किया जाए और मत्स्य का जो पट्टा किया जाता है, वह राजस्व विभाग से किया जाता है, वहां लेखपाल से लेकर और सारे विभागों में आनाकानी की जाती है। इसलिए मत्स्य का पट्टा देने का काम मत्स्य पालन विभाग को सौंपा जाए ताकि मत्स्य पालन का पट्टा मछुआरों को आसानी से मिल जाए और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बसपा की सरकार में इसमें बोली की प्रक्रिया कर दी गई थी, उनको कोई भी ले सकता था, निषादों से छीनने का काम बसपा ने किया था। माननीय नेता जी की सरकार ने फिर मछुआरों के लिए यह शासनादेश जारी किया कि मछुआ समुदाय के लोगों और मत्स्यजीवी सहकारी समितियों को ही पट्टा दिया जायेगा। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार में ही इस मछुआरों का और इस मछुआ समुदाय के लोगों का हित है, बाकी पार्टियां इस समाज की सबसे बड़ी विरोधी हैं, धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय जय प्रकाश निषाद जी ने अपने कटौती के प्रस्ताव पर, माननीय शंखलाल मांझी जी, हमारे मंत्री जी ने और पप्पू जी ने जो विचार रखे हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं और बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, लेकिन दो-तीन सवाल थे, उनके बारे में सदन को जानकारी दे दूं, जवाब तो देने का कोई मतलब ही नहीं है। मान्यवर, राम कुमार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में 2009 में उच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया और उस आदेश को, उस समय जो भी सरकार थी, अब जय प्रकाश जी उसे अपनी सरकार मानते हैं या नहीं, यह उनका अपना विचार है लेकिन जो भी सरकार थी, इस प्रदेश में जो लोग यहां बैठते थे, उन लोगों ने उस फैसले को लागू कर दिया और वह लागू है। आज की स्थिति में यह है, मान्यवर, हमने एक निर्देश दिया है, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। उस फैसले को विस्तृत रूप से पढ़ने पर यह ज्ञात हुआ कि इतनी गुंजाइश हाईकोर्ट ने छोड़ा है कि अगर स्पीकिंग आर्डर से रिजनेबुल तरीके से इसको जस्टीफाई किया जा सके कि यह राशि ज्यादा है तो एसडीएम को उस राशि को कम करने का अधिकार था। हमने यह निर्देश दे दिए हैं कि एसडीएम मौके पर देख करके और अगर उसकी लगान कम किया जाना चाहिए तो वह उसका लगान कम कर दें, चूंकि हाईकोर्ट के फैसले में इस बात की गुंजाइश थी। उसकी जब अपील होनी चाहिए थी, जो सरकार 2009 में रही होगी, जय प्रकाश जी, पता लगा लीजिएगा। उस सरकार ने क्यों उसकी अपील नहीं किया और क्यों उसको लागू किया, उसके कारण बता दिए हैं, लोगों ने कि

कौन मछुआरों का द्रोही था, कौन मछुआरों को मिलने वाले किसी अधिकार को स्वीकार नहीं कर सकता था और कौन एक जाति विशेष को अनुसूचित जाति का दर्जा और सारी सुविधाएं मिलती रहे, उसके अलावा बाकी उत्तर प्रदेश में किसी एक को न प्राप्त हो सकें, इस मंशा का था। इस कारण से यह फैसला हुआ। अनायास नहीं हुआ। मछुआ समुदाय की शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। सामाजिक तौर पर वह बड़ी कठिनाइयों में है। बाढ़ आती है। मान्यवर, मैं नदी के किनारे का रहने वाला हूं। नदी के किनारे पैदा हुआ। जिस घर में पैदा हुआ उसकी दीवार से 10 मी0 आगे तक कटकर गंगा में विलीन हो गया। मैं उस दर्द को जानता हूं। बाढ़ और आपदा राहत का मंत्री हूं इसलिए इस बात को जानता हूं कि जब आपदा में आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले मल्लाह पर नजर जाती है। पहली मीटिंग इस बात की होती है कि बाढ़ आने वाली है नाव के प्रबंध का क्या हुआ।

मल्लाहों के बकाये का क्या हुआ। मैं इन सारी बातों को जानता हूं। इसलिए मैं संवेदनशीलता के साथ इन सब बातों को कहना चाहता हूं। आक्षेप करने का कोई सवाल नहीं है। कौन शत्रु है कौन मित्र है। राजनीति में हमारी आपकी बाध्यतायें हो सकती हैं लेकिन समाज इस बात को देख रहा है। और वह इस बात को अच्छी तरह पहचान रहा है कि कौन सरकार में जब आता है तो मछुआ समुदाय की क्या स्थिति हो जाती है और जब दूसरा आता है तो क्या स्थिति होती है। समाजवादी पार्टी की सरकार इसके मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो कदम उठाये हैं आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मान्यवर, जो मछुआ आवासों की बात आयी है तो एक सूची पढ़ दूं। मान्यवर, वर्ष 2009-10 में किसकी सरकार थी पता लगा लीजिए 857। 2010-11 में 663, मान्यवर, 2011-12 में 294। यही लक्ष्य था मछुआ आवास का। मैं पेपर भेज दे रहा हूं। और हमने क्या किया है सुन लीजिए। मान्यवर, 10 हजार मछुआ आवास दिये जायें इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया है और इस प्रयत्न में हैं और आज बजट प्रस्तुत करते समय मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 10 हजार से ज्यादा भी अगर मछुआ आवास स्वीकृत होंगे तो उसका जितना बजट राज्य सरकार को अपने हिस्से से देना है अपना अंशदान देने को राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। हम पैरवी करने वाले लोग हैं। हम उसकी मुकम्मल पैरवी कर रहे हैं कि वह 10 हजार मछुआ आवास स्वीकृत हो जायें। मान्यवर, जो योजनायें हमने उनके लिए की हैं उनका उल्लेख करने में समय ज्यादा लगेगा। हमने एक नया काम किया है। मान्यवर, किसी चीज के लिए मण्डी बहुत जरूरी है। जब तक मण्डी नहीं होगी तब तक किसी चीज का वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है। हमने इस बार यह प्रबंध किया है कि एक एकड़ से लेकर तीन एकड़ तक और जितनी जमीन मिलेगी वह ग्राम सभा की हो सकती है नगर पालिका की हो सकती है किसी लोकल अथारिटी की हो सकती है और उनको 90 फीसदी अनुदान देकर हम उनको बड़ी मण्डी बनवायेंगे। ताकि मत्स्य पालकों का बड़ा फायदा हो। एक नयी योजना हम लेकर आये हैं और उनको बनवाने का काम करेंगे। जो हमारी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, मोबाइलफिश पार्लर, कैटफिश पालन, जल प्रवाहित क्षेत्रों में मत्स्य विकास, झींगा पालन, राजकीय मच्छिकीय विकास बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम, मान्यवर, इन सारी चीजों को तो हम कर ही रहे हैं, श्रीमन् मैंनें जैसा बताया आपको आठ हजार हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों को दस वर्षीय पट्टा, पांच हजार हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों का जीर्णोद्धार और स्टेंथनी, मत्स्य विकास निगम की नौ

वर्गाकार हैचरियों, 48 विभाग मत्स्य प्रक्षेत्रों, 217 मिनी हैचरियों के माध्यम से उन्नतशील प्रजाति के 170 करोड़ मत्स्य बीज, मान्यवर ये जो बीज थोक और फुटकर मछली मण्डियों की स्थापना क्षमता वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस प्रकार से मान्यवर, यह नदियों में प्राकृतिक मत्स्य सम्पदा के संरक्षण के लिए दो लाख बड़े आकार के मत्स्य बीज का संचय, मांगुर पालन के लिए मॉडल हम अभी वह प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। 55 हजार व्यक्तियों को मत्स्य पालन से रोजगार, मान्यवर यह तमाम चीजें रखी गयी हैं कल्याणकारी में, हमने कहा कि 1.3 लाख समिति जो सदस्य हैं सक्रिय मत्स्य पालकों का निःशुल्क प्रीमियम पर आधारित मछुआ दुर्घटना बीमा जिसका आपने उल्लेख किया और मछुआ समुदाय के आवास विहीन लोगों को मान्यवर, 50 हजार रुपया प्रति आवास की दर से हम देंगे, दो हजार दे दिया है, दस हजार मांग रहे हैं। इसी के साथ मान्यवर मैं आशा करता हूं कि अब इसकी कटौती का प्रस्ताव वापस ले लिया जाना चाहिए।

*श्री जय प्रकाश निषाद-

मान्यवर, मैं बड़े अदब के साथ क्योंकि माननीय मंत्री जी बड़े बुद्धिजीवी और अनुभवी व्यक्ति हैं इसलिए इस समाज के बारे में बहुत अपना अनुभव रखते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, इतना जानना चाहता हूं कि मछुआ समुदाय नदी तालाब के किनारे ऐसी जगहों पर रहता है कि 50 हजार रुपए में जो आवास बनाने हैं, भूकम्प रहित आवास क्या उससे बन सकते हैं। मान्यवर, यह सम्भव नहीं है, मैं इस अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं कि यदि आप इनकी माली हालत खराब भी कहते हैं, अन्य प्रदेशों में जैसे आन्ध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, ऐसे प्रदेशों में इन्हें कृषि का दर्जा मिला हुआ है तो राज्य सरकार क्या इनको कृषि का दर्जा दिलाने का काम करेगी। कृषि के रूप में जो मछुआरों को, जो पांच लाख रुपया कृषकों को दुर्घटना बीमा मिलता है क्या उनके सापेक्ष या उनके बराबर मछुआरों को बीमा पांच लाख रुपया अपने इस बजट में कराने का काम करेगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 78,44,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[7.20] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14-3-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 54 सूचनायें प्राप्त हुईं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहली सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद प्रशासन द्वारा सराय ऐक्ट 1887 के अनुसार गेस्ट हाउसों के निरस्तीकरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा दूसरी सूचना श्री धर्मपाल सिंह की बरेली के कस्बा सिरौली में टाउन एरिया द्वारा पशु वधशाला खोले जाने के प्रस्ताव को निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। तीसरी सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 अन्तर्गत विधान भवन, राजभवन, बापूभवन, एनेक्सी भवन में लगभग 30 वर्षों से सिविल एवं विद्युत अनुरक्षण में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित मानते हुए उनके जी0पी0एफ0 की कटौती व अन्य लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री सुरेश राणा की जनपद शामली के नगर पंचायत जलालाबाद में ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 कार्डधारकों के मानक में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री चन्द्र भान सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट के पी0डब्लू0डी0 के चार्ज डिवीजन सी0डी0-1 में अधिशासी अभियन्ता की तत्काल तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री गजराज सिंह की जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के कस्बा बभनान से चांदारत्ती गांव से होकर ग्राम भेलखा एवं भिरवा से होकर आगे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क में मिलने वाली सड़क पर खड़न्जा एवं डामर/आर0सी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा सातवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की जनपद वाराणसी के चोलापुर के अजगरा से दिनांक 10 मार्च, 2013 तथा नगर के डाफी बाई पास से दिनांक 11 मार्च, 2013 को वध हेतु ले जाये जा रहे क्रमशः 37 तथा 125 मवेशी तस्करों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं। आठवीं सूचना श्री राधेलाल रावत जनपद बाराबंकी की तहसील फतेहपुर के ग्राम पिपरसण्ड में अनियमित पट्टों को निरस्त करके मूल पट्टाधारक को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना साध्वी निरंजन ज्योति जनपद हमीरपुर के राजकीय महिला इण्टर कालेज, सिसोलर में अध्यापकों की नियुक्तियां न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री आलम बदी प्रदेश में सरकारी अभिलेखों में कब्रिस्तान के बजाय मुस्लिम कब्रिस्तान अंकित किये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना सुश्री सावित्रीबाई फुले जनपद बहराइच के बलहा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत दौलतपुर के ग्राम टेढ़ी का सीमांकन कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री शारदा प्रताप शुक्ला लखनऊ शहर में नगर निगम (मार्ग प्रकाश विभाग) के स्थानीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण स्ट्रीट लाइट न जलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा तेरवीं सूचना श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में स्थित 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्रों कमालपुर, कोखराज एवं घटमापुर की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में है, प्राप्त सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती हैं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :-

क्रम	नाम
1	श्री संजय कपूर,
2	श्री दीपक पटेल,
3	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया,
4	श्री बब्बन सिंह चौहान,

क्रम	नाम
5	श्री काली चरन सुमन,
6	श्री रामवीर उपाध्याय,
7	श्री सुरेश कुमार खन्ना,
8	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,
9	श्री अजय मिश्र 'टेनी'
10	श्री मुकुट बिहारी वर्मा,
11	श्री अगयश राम सरन वर्मा,
12	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया,
13	श्री सतीश महाना,
14	श्री प्रदीप माथुर,
15	श्री राजेन्द्र उर्फ बृजेश सिंह,
16	श्री सुधाकर सिंह,
17	श्री सुदेश शर्मा,
18	श्री पूरन प्रकाश,
19	श्री राजेश यादव,
20	श्री राजेश त्रिपाठी,
21	श्री संगीत सिंह सोम,
22	श्री राधेश्याम जायसवाल,
23	श्री भीम प्रसाद सोनकर,
24	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह,
25	श्री अजय कुमार 'लल्लू',
26	श्री उमेश पाण्डेय,
27	श्री पूर्णमासी देहाती,
28	श्री अनीसुर्रहमान,
29	श्री उमाशंकर,
30	श्री मदन चौहान,
31	श्री अमरपाल शर्मा,
32	श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,

क्रम	नाम
33	श्री राकेश बाबू,
34	श्री विजय कुमार दुबे,
35	श्री रामचन्द्र यादव,
36	श्री विजय बहादुर यादव,
37	डा0 धर्म सिंह सैनी,
38	श्री गेंदा लाल चौधरी,
39	श्री राज नारायण बुधौलिया,
40	श्री सन्तराम कुशवाहा तथा
41	डा0 धर्मपाल सिंह।

आप लोग जो कह रहे थे। श्री शमशेर बहादुर शेरू भईया की ध्यानाकर्षण हेतु और श्री रामवीर उपाध्याय जी आपका भी है। आज उपाध्याय जी का भी था, उपाध्याय जी का लिया गया है। सुनिये, उपाध्याय जी, चूंकि ये नहीं देते हैं, एक दिन दिये थे इसलिये इनका भी अब मैं लिये ले रहा हूं, ध्यानाकर्षण कर दे रहा हूं। श्री शमशेर बहादुर शेरू भईया का भी ध्यानाकर्षण। श्री सुदेश शर्मा जी आपका, अब दो ही हो पा रहा है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, राजेन्द्र उर्फ बृजेश सिंह का भी था।

श्री अध्यक्ष-

बृजेश का कर तो दिया था। इसमें टाइप नहीं हो पाया है क्या। नहीं, मैंने किया है। इसमें टाइप करने में कहीं भूल हो गयी है। हमने खुद किया है, मुझे याद है इसमें कैसे नहीं आया। मैं कर दे रहा हूं, जोड़ दे रहा हूं राजेन्द्र का।

(श्री रामहेत भारती द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

रामहेत भारती जी, रहते तो हो नहीं, मैं क्या करूं। जब मैं लेता हूं तो आप रहते नहीं हो। अब परसों लेंगे, ज्यादा हो गया है।

जनपद गाजियाबाद में मानकों की अनदेखी कर सन्तोष यूनिवर्सिटी तथा सन्तोष मेडिकल डेन्टल कालेज को चलाये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-11 स्थगित है।

जनपद रायबरेली में पत्रकारों के ऊपर पंजीकृत मुकदमें वापस लिये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश कुमार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 11-03-2013.....

एक मा0 सदस्य-

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[को दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया था कि जनपद रायबरेली में दिनांक 19-12-2012 को पुलिस के जुल्म के खिलाफ धरना दे रहे राष्ट्रीय स्तर के चैनल एवं समाचार-पत्र के पत्रकारों पर पुलिस द्वारा लाठी चलाई गयी एवं इन पर 7 क्रि0मि0 लॉ एमे0 ऐक्ट के केस दर्ज किये गये। मा0 सदस्य द्वारा इनके मुकदमें वापस लिये जाने की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, रायबरेली से प्राप्त जांच आख्या के अनुसार दिनांक 19-12-2012 को नितिन कुमार द्वारा स्वयं को पत्रकार बताते हुए सिपाही श्री ललित सागर को थप्पड़ मारकर नेम प्लेट नोच लिया गया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए धक्का देकर गिरा दिया गया। इस घटना के सम्बन्ध में सिपाही की तहरीर पर थाना कोतवाली में मु0अ0सं0-1688/12 धारा-323/504/332 भाद0वि0 व 3 (1)10 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना में नितिन कुमार के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित होने पर आरोप-पत्र संख्या-6 दिनांक 13-02-13 को किता कर विवेचना समाप्त की गयी।

इसके उपरान्त नितिन यादव के समर्थन में उसके चाचा श्री शिव प्रसाद यादव 10-15 मीडिया कमियों के साथ थाना परिसर में आये और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के साथ गाली-गलौज व अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। प्रभारी निरीक्षक द्वारा विरोध करने पर उक्त मीडिया कर्मी थाना कोतवाली से निकलकर गेट के सामने कचहरी घण्टाघर मार्ग पर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गये और मार्ग अवरुद्ध कर दिया। क्षेत्राधिकारी, नगर द्वारा समझाने पर इन लोगों ने यहां से उठकर इलाहाबाद-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग नं0-24 मामा चौराहा, रायबरेली पर पेड़ की डालियां काटकर व अपने वाहनों को आड़ी-तिरछी खड़ी करके मार्ग अवरुद्ध कर दिया। लगभग ढाई घण्टे तक राजमार्ग अवरुद्ध होने के कारण 2-3 कि0मी0 तक वाहनों का भारी जाम लग गया। परेशान यात्रियों व मीडिया कर्मियों के बीच मारपीट शुरू हो गयी। पत्रकारों द्वारा वाहनों को आग लगाने व तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया। मौके पर उपस्थित पुलिस बल द्वारा बड़ी घटना को रोकने के लिए बीच-बचाव करते हुए जाम को हटाकर यातायात व्यवस्था सामान्य की गयी। इस सम्बन्ध में श्री संतोष प्रसाद द्विवेदी, प्रभारी निरीक्षक द्वारा घटनाक्रम के अनुसार मु0अ0सं0-1690/12 धारा-147/143/353/332/341/

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

504/506 भादं0वि व 7 क्रि0मि0 लॉ एमे0 ऐक्ट बनाम राजेन्द्र सिंह आदि 10 नफर नामजद व 10-15 व्यक्ति अन्य अज्ञात के विरुद्ध दिनांक 19-12-2012 को समय 21.20 बजे थाना कोतवाली, रायबरेली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी, लालगंज श्री रामलाल राय द्वारा संपादित की जा रही है जो विवेचनाधीन है। विवेचनोपरान्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।]

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गंभीर विषय है। पत्रकारिता को हम लोग लोकतंत्र का रक्षक कहते हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र की रक्षा करती है और लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है। मा0 अध्यक्ष जी, हमने पत्रकारों पर मुकदमा वापसी के लिये कहा था और सरकार ने वही जवाब दे दिया है कि मुकदमे में जांच चल रही है यानि सरकार कार्यवाही करना चाहती है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के जैसे स्टार न्यूज है, आज तक है, सहारा समय है, स्वतंत्र भारत है, वॉइस ऑफ लखनऊ है, राहत टाइम्स है, इण्डिया न्यूज है, जन संदेश है, राष्ट्रीय सहारा है, जी न्यूज है, कैम्ब्रिज टाइम्स है। राष्ट्रीय स्तर के चैनल और पत्रकार, अखबारों पर केस किया गया है। 7, क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट यानि 7, क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट का मतलब होता है कि जो हैबिचुअल क्रिमिनल हो। मैं कहना चाहूंगा इस सरकार से कि नौकरशाही पिछली सरकार को खा गई और इस सरकार को भी नौकरशाही खा रही है, तो मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में किसी के भरोसे न चलिए।

श्री अध्यक्ष-

इसमें पूछ लें, एक स्पष्टीकरण पूछा जाता है।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

पत्रकारों पर से आपने केस वापस नहीं लिया है, जो एस0पी0 ने वहां के जवाब दिया है, आपने वह किया है। पत्रकारों पर हो रहे जुर्म के खिलाफ मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(तत्पश्चात् मा0 सदस्य ने सदन से बहिर्गमन कर लिया)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, जो मा0 अखिलेश जी ने उठाया ये चूंकि रायबरेली जनपद के पत्रकारों से संबंधित प्रकरण है, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा चूंकि पत्रकारों से संबंधित प्रकरण है और उनको केवल पुलिस ने अपनी बचत के लिए, उनका नाम शामिल करके इस प्रकरण को केस के रूप में परिवर्तित किया था, तो क्या ये मुकद्मा अपराध संख्या-1690/12 जिसमें नितिन यादव ये भी पत्रकार हैं और इनके समर्थन में और भी पत्रकार थे। ये वापस लेने का कष्ट करेंगे, बस केवल इतना-सा स्पष्टीकरण देना है, बहुत छोटा-सा स्पष्टीकरण इन्हें देना है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, जिन सदस्य की सूचना होती है, उनको स्पष्टीकरण पूछने का अधिकार है तो उन्होंने प्रश्न पूछने के बजाय सरकार के खातमें के रास्ते तमाम बता दिए, उसके लिए सरकार को सचेत, सतर्क करने के लिए उनका धन्यवाद, आभार। मान्यवर, उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए बहिर्गमन

कर दिया, नेता प्रतिपक्ष तो जब जो चाहे पूछ सकते हैं मान्यवर, इसमें स्पष्टीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

अवैध ड्राइविंग स्कूलों द्वारा परिसंकटमय एवं खतरनाक वाहन चालकों को दिये जा रहे प्रशिक्षण पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री बंशी सिंह पहाड़िया हैं ही नहीं, इसको नहीं लिया जायेगा।

जनपद लखनऊ के परगना बिजनौर के ग्राम सेवई में गाटा संख्या-786 व 796 को बंजर भूमि घोषित किये जाने की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद सख्या-14 स्थगित है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर अन्तर्गत दि किसान सहकारी चीनी मिल्स द्वारा कर्मचारियों एवं मजदूरों की बकाया धनराशि को दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

शाह आलम गुड्डू जमाली जी हैं।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा अपनी सूचना में जनपद आजमगढ़ के.....

एक मा0 सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[सठियांव के अन्तर्गत दि किसान सहकारी चीनी मिल, जो काफी वर्षों से बन्द पड़ी हैं, के कर्मचारियों एवं मजदूरों का लगभग रुपये 10.75 करोड़ बकाया होने एवं उसके भुगतान न होने के कारण कर्मचारीगणों, मजदूरों में रोष एवं आक्रोश उत्पन्न होने का उल्लेख किया गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0 सठियांव, जनपद आजमगढ़ द्वारा पेराई सत्र 2006-07 तक पेराई का कार्य किया गया। मिल की आर्थिक स्थिति जर्जर होने, धन के अभाव में संयंत्र एवं मशीनों के नवीनीकरण/आधुनिकीकरण या विस्तारीकरण न होने तथा क्षेत्र में गन्ने की अनुपलब्धता के चलते मिल को प्रतिवर्ष निरन्तर भारी हानि के कारण मिल नहीं चलायी जा रही हैं तथा मिल क्षेत्र का गन्ना अन्य निकटवर्ती चीनी मिलों को गन्ना आयुक्त द्वारा व्यावर्तित कर दिया गया है। दिनांक 31-3-12 तक मिल को कुल रुपया 21385.98 लाख की संचित हानि हो चुकी है। मिल के कर्मचारियों को वी0आर0एस0 का भुगतान कर दिया गया है। मिल के कर्मकारों को ग्रेच्युटी आदि मद में कुल रुपया 10.75 करोड़ का भुगतान किया जाना अवशेष है। इस धनराशि का भुगतान किये जाने का प्रयास उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ द्वारा किया जा रहा है।]

श्री अध्यक्ष-

गुड्डू जमाली जी, आप कुछ पूछेंगे ?

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

मा0 अध्यक्ष जी एक छोटा-सा सवाल पूछना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

हां, आप पूछिए।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से एक छोटा-सा स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो मुझे जवाब दिया है, उसमें सारी बातें लिखी हैं कि मिल लॉस में चल रही थी, घाटे में चल रही थी, आखिर में जो यह लिखा है, जो मेन बात है, जिससे मेरा कन्सर्न है, जो मेरी चिंता है कि जो 10 करोड़, 75 लाख रुपया बकाया है मजदूरों का, कर्मचारियों का, आज 5-7 सालों से वह घूम रहे हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय, 500 परिवार हैं जो भुखमरी से मर रहे हैं। 10 लोगों की उसमें मौत हो गई है, 150 परिवार ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन भी नहीं मिल रही है, तो इसमें आखिर में यह लिखा गया है कि प्रयास कर रहे हैं ? मेरा यह पूछना है अध्यक्ष महोदय कि कोई बताए कि आखिर कब तक यह प्रयास पूरा हो जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यथाशीघ्र हो जायेगा।

प्रदेश में टी0एस0आई0 की यातायात पुलिस में नियुक्त न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह मद स्थगित है।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में यातायात/परिवहन विभाग के नियमों एवं व्यवस्था का उल्लंघन कर अतिभारित वाहन मार्गों पर पाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अगयश रामसरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री अगयश रामसरन वर्मा जी हैं ? वे भी चले गए।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के टाउन एरिया केमरी में चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री संजय कपूर जी, वह भी चले गए हैं।

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की विभिन्न जनपदों में स्थित कार्यशालाओं द्वारा निगम के वाहनों में डीजल भराने की नीति व सुसंगत नियमों से स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

परिवहन निगम के विभिन्न डिपो कार्यशालाओं के वाहनों में डीजल भराने.....

एक मा0 सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[की वर्तमान नीति व सुसंगत नियमों के अन्तर्गत निगम द्वारा निविदा के माध्यम से तेल कम्पनियों से दरें मांगी जाती हैं एवं प्राप्त दरों के आधार पर डीजल क्रय के लिए 03 वर्ष का अनुबन्ध किया जाता है। वर्तमान में इंडियन आयल कारपोरेशन से डीजल क्रय अनुबन्ध अस्तित्व में है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अपरिहार्य परिस्थितियों में बसों का सुचारु संचालन बनाये रखने के लिए निजी पम्पों से डीजल क्रय किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में डीजल के थोक क्रय मूल्य बाजार के फुटकर मूल्य से काफी अधिक है फलस्वरूप बसों का संचालन सुचारु बनाये रखने के लिए निगम की वित्तीय स्थिति एवं कैश फ्लो के दृष्टिगत निजी पम्पों से स्थानीय स्तर पर भी डीजल क्रय किया जा रहा है।]

श्री अध्यक्ष-

मा0 उपाध्याय जी आपको कुछ पूछना है कि नहीं ?

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह केवल वक्तव्य है।

श्री अध्यक्ष-

अगर केवल वक्तव्य है, तो आप पूछ नहीं सकते हैं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मा0 अध्यक्ष जी जो सूचना दी गयी है, 100 परसेन्ट गलत है।

श्री अध्यक्ष-

तो उसके लिए अलग नियम है, आप तो जानते हैं। अगर गलत है तो अलग नियमों में भेजें।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, सोमवार को 18-03-2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 07 बजकर 30 मिनट सोमवार 18 मार्च, 2013 के दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :

दिनांक 14 मार्च, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 93 विधान सभा (189)-05-08-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।